प्रयोजनमूलक हिन्दी

B21HD05DE

Discipline Elective Course
Undergraduate Programme
Hindi Language and Literature

Self Learning Material

SREENARAYANAGURU
OPEN UNIVERSITY

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

The State University for Education, Training and Research in Blended Format, Kerala

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

Vision

To increase access of potential learners of all categories to higher education, research and training, and ensure equity through delivery of high quality processes and outcomes fostering inclusive educational empowerment for social advancement.

Mission

To be benchmarked as a model for conservation and dissemination of knowledge and skill on blended and virtual mode in education, training and research for normal, continuing, and adult learners.

Pathway

Access and Quality define Equity.

प्रयोजनमूलक हिन्दी

Course Code: B21HD05DE

Semester - V

Discipline Elective Course
Undergraduate Programme
Hindi Language and Literature
Self Learning Material
(with Model Question Paper Sets)

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

The State University for Education, Training and Research in Blended Format, Kerala

SREENARAYANAGURU
OPEN UNIVERSITY

प्रयोजनमूलक हिन्दी

Course Code: B21HD05DE
Semester- V
Discipline Elective Course
BA Hindi Language and Literature

Academic Committee
Dr. Jayachandran R.
Dr. Pramod Kovvaprath
Dr. P.G. Sasikala
Dr. Jayakrishnan J.
Dr. R. Sethunath
Dr. Vijayakumar B.
Dr. B. Ashok

Development of Content
Christina Sherin Rose K.J., Dr. Divya S., Dr. Indu G. Das

Review and Edit
Dr. Reshma P.P.

Linguistics
Dr. Suma S.

Scrutiny
Christina Sherin Rose K.J.
Dr. Sudha T.
Krishna Preethy A.R.
Dr. Indu G. Das

Design Control
Azeem Babu T.A.

Cover Design
Lisha S.

Co-ordination
Director, MDDC :
Dr. I.G. Shibi
Asst. Director, MDDC :
Dr. Sajeevkumar G.
Coordinator, Development:
Dr. Anfal M.
Coordinator, Distribution:
Dr. Sanitha K.K.

Scan this QR Code for reading the SLM on a digital device.

Edition:
January 2025

Copyright:
© Sreenarayanaguru Open

ISBN 978-81-982096-7-2

All rights reserved. No part of this work may be reproduced in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing from Sreenarayanaguru Open University. Printed and published on behalf of Sreenarayanaguru Open University by Registrar, SGOU, Kollam.

www.sgou.ac.in

YouTube

Visit and Subscribe our Social Media Platforms

MESSAGE FROM VICE CHANCELLOR

Dear learner,

I extend my heartfelt greetings and profound enthusiasm as I warmly welcome you to Sreenarayanaguru Open University. Established in September 2020 as a state-led endeavour to promote higher education through open and distance learning modes, our institution was shaped by the guiding principle that access and quality are the cornerstones of equity. We have firmly resolved to uphold the highest standards of education, setting the benchmark and charting the course.

The courses offered by the Sreenarayanaguru Open University aim to strike a quality balance, ensuring students are equipped for both personal growth and professional excellence. The University embraces the widely acclaimed "blended format," a practical framework that harmoniously integrates Self-Learning Materials, Classroom Counseling, and Virtual modes, fostering a dynamic and enriching experience for both learners and instructors.

The university aims to offer you an engaging and thought-provoking educational journey. Major universities across the country typically employ a format that serves as the foundation for the UG programme in Hindi Language and Literature. Given Hindi's status as a widely spoken language throughout India, its pedagogy necessitates a particular focus on language skills and comprehension. To address this, the University has implemented an integrated curriculum that bridges linguistic and literary elements. The learner's priorities determine the endorsed proportion of these elements. Both the Self Learning Materials and virtual modules are designed to fulfil these requirements.

Rest assured, the university's student support services will be at your disposal throughout your academic journey, readily available to address any concerns or grievances you may encounter. We encourage you to reach out to us freely regarding any matter about your academic programme. It is our sincere wish that you achieve the utmost success.

Regards,
Dr. Jagathy Raj V. P.

01-01-2025

Contents

Block 1: हिन्दी भाषा के विभिन्न रूप 1

इकाई 1: रचनात्मक भाषा........ 2

इकाई 2: मीडिया और संचार की भाषा........ 8

इकाई 3: राष्ट्रीय भाषा और लिंक भाषा........ 20

इकाई 4: हिन्दी का स्थानीय रूप........ 26

इकाई 5: अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हिन्दी........, 31

Block 2: राजभाषा हिन्दी........ 36

इकाई 1 भारत में विभिन्न आधिकारिक भाषाएँ। एक राष्ट्र में राजभाषा की अनिवार्यता........ 37

इकाई 2: राजभाषा के रूप में हिन्दी। भारतीय संवैधानिक प्रावधान - अनुच्छेद 343 से 351 तक........ 41

इकाई 3: राजभाषा अधिनियम 1963 और संशोधित 1967, संकल्प 1968, राजभाषा नियम 1976 और संशोधित 1987, राजभाषा नीति और कार्यान्वयन........ 48

इकाई 4: कार्यालयी मामलों के अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद की समस्याएँ 58

Block 3: हिन्दी में सचिवीय अभ्यास 65

इकाई 1: पंजीकरण, नोटिंग, प्रारूपण और प्रेषण........ 66

इकाई 2: विभिन्न कार्यालयी पत्र........ 73

इकाई 3: यू ओ नोट, नोटिस (विज्ञापन, निविदा नोटिस, कोर्ट नोटिस), संकल्प, समर्थन टेलीग्राम रिपोर्ट (प्रकार, रिपोर्ट तैयार करने की विधि,गुण आदि), तकनीकी शब्द-अंग्रेज़ी-हिन्दी........ 85

Block 4: पारिभाषिक शब्दावली 95

इकाई 1: सामान्य शब्दों एवं तकनीकी शब्दों के बीच अंतर........ 96

इकाई 2: तकनीकी शब्दों और विभिन्न मतों को गढ़ने के स्रोत और सिद्धांत........ 100

इकाई 3: तकनीकी शब्दों को गढ़ने में 'केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय' और 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' की भूमिका........ 104

Block 5: प्रयोजनमूलक हिन्दी........ 109

इकाई 1: व्यवहारिक भाषा और प्रशासनिक भाषा में अंतर........ 110

इकाई 2: संचार मीडिया में हिन्दी........ 115

Block 6: हिन्दी कंप्यूटिंग........ 120

इकाई 1: हिन्दी में कंप्यूटीकरण - प्रगति और संभावनाएँ........ 121

इकाई 2 द्विभाषी और बहुभाषी कंप्यूटर........ 129

Model Question Paper Sets........ 138

BLOCK - 01

हिन्दी भाषा के विभिन्न रूप

इकाई 1

रचनात्मक भाषा

Learning Outcomes / अध्ययन परिणाम

- हिन्दी भाषा के विभिन्न रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है
- हिन्दी भाषा के रचनात्मक स्वरूप के बारे में पता चलता है
- साहित्यिक हिन्दी के बारे में समझता है
- काव्य भाषा के रूप में हिन्दी की प्रमुखता समझता है

Prerequisites / पूर्वापेक्षा

विश्व में मानव सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान-विज्ञान की उन्नत धरोहर को अक्षुण्ण रखने में भारतवर्ष का जो योगदान रहा है उसमें भाषिक दायित्वों के निर्वाह स्वरूप भारतीय भाषाओं का समन्वयक हिन्दी भाषा की अहम भूमिका है। हिन्दी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसने भारतीय साहित्य, कला, ज्ञान तथा संस्कृति को न केवल सघन सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान की है बल्कि उनकी अनुरक्षा करते हुए उन्हें नित्य गत्यात्मक भी बनाए रखा है। आंतरिक संरचना की सौन्दर्यशीलता, भाव भंगिमाओं की गहनता, अभिव्यक्ति की तीव्रता एवं शैलियों की विविधता को समेटे हिन्दी साहित्य अनेक उन्नत रूपों में प्रवाहमान है। परन्तु आधुनिक युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व प्रस्फुटन एवं फैलाव के कारण हिन्दी भाषा की उपादेयता और प्रयोजनमूलकता अनेक नये क्षेत्रों में स्वयं-सिद्ध होने के फलस्वरूप उसके नये प्रयुक्ति रूप भी उभरकर सामने आये हैं जिनमें 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' को सर्वोपरि माना जा सकता है।

Keywords / मुख्य बिन्दु

प्रयोजनमूलक, रचनात्मक, सर्जनात्मक, साहित्यिक

Discussion / चर्चा

भारतवर्ष में समृद्धतम साहित्यिक हिन्दी की पार्श्वभूमि पर प्रयोजनमूलक हिन्दी की आवश्यकता वस्तुतः तब महसूस की गई जब हिन्दी राजभाषा के पद पर आसीन हुई। विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तेज़ी से फैले प्रसार के साथ भारत में भी इस नवीनतम ज्ञान-विज्ञान और टेक्नोलॉजी की आँधी उमड़ पड़ी। इसके फलस्वरूप हिन्दी को नये महत्वपूर्ण भाषिक दायित्वों और अभिव्यक्ति के सर्वथा नवीनतम क्षेत्रों से गुज़रना पड़ा। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक संदर्भों के बदलाव के साथ बदलती हुई स्थितियों की ज़रूरत के प्रयोजन-विशेष के सन्दर्भ में हिन्दी के एक ऐसे रूप की तीव्र आवश्यकता पड़ी जो प्रशासन और ज्ञान-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों को अभिव्यक्त कर सक्षमता से रूपायित कर सके।

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

प्रयोजनमूलक हिन्दी की आवश्यकता

राजभाषा के पद पर आसीन होने से पूर्व हिन्दी सरकारी कामकाज तथा प्रशासन आदि की भाषा कभी नहीं रही थी। मुसलमान शासकों के शासन की भाषा उर्दू और अरबी-फारसी रही। अंग्रेजों के शासन काल में उनके प्रशासन की भाषा अनिवार्यतः अंग्रेज़ी ही रही। अतः भारत की राजभाषा बनने के बाद हिन्दी को सरकारी कामकाज तथा प्रशासन के सर्वथा नये अनछुए क्षेत्र से गुजरना पड़ा और तब ऐसी हिन्दी की आवश्यकता पड़ी जो पारिभाषिक शब्दावली, भाषिक गठन, वस्तुनिष्ठ एकार्थता, अभिव्यक्ति की स्पष्टता आदि से युक्त हो ताकि सरकारी कामकाज के लिए माध्यम के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सके।

भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रस्फुटन और फैलाव के कारण भी इनको अभिव्यक्त करने के माध्यम के रूप में हिन्दी को अपने आपको सर्वथा नवीनतम रूप में ढालने की सख्त ज़रूरत महसूस हुई। ऐसा नया रूप जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के गुणसूत्रों, सिद्धान्तों, नवीनतम प्रयोग विधियों तथा भाषिक संरचना को वैज्ञानिक रूप में यथास्थिति अभिव्यक्त कर सके। वैसे, न्याय, दर्शन, तर्कशास्त्र, नाट्यशास्त्र, चिकित्साशास्त्र, मनोविज्ञान, ज्योतिष, गणित तथा अन्य सामाजिक शास्त्र आदि ज्ञान-विज्ञान क्षेत्रों की चिन्तन परम्परा की अभिव्यक्ति संस्कृत एवं हिन्दी भाषाओं द्वारा सहज सम्भव थी किन्तु इन ज्ञान क्षेत्रों तथा पश्चिम से आयी नयी टेक्नोलॉजी एवं भौतिकशास्त्र, रसायन, कम्प्यूटर, इंजीनियरी, अंतरिक्ष विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक, दूरसंचार आदि अनेक अनछुए विज्ञान के क्षेत्रों से सम्बद्ध तकनीकी एवं प्रयोजनमूलक शब्दावली के निर्माण एवं प्रयोग की आवश्यकता हिन्दी भाषा के लिए अनिवार्य रूप में सामने आयी। इसी के साथ प्रशासन, विधि, दूरसंचार, व्यवसाय, वाणिज्य, खेलकूद, पत्रकारिता आदि से सम्बन्धित पारिभाषिक शब्दावली, पदावली तथा संकल्पनाओं के पुनः स्थापन, पुनः नियोजन एवं पुनरुत्थान हिन्दी भाषा के लिए एक अहम ज़रूरत बनकर उभरी। फलतः हिन्दी का एक विशिष्ट प्रयुक्तिपरक रूप उभरकर सामने आया है। वस्तुतः जीवन और जगत की विविध स्थितियों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यही भाषा-रूप 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' कहलाती है।

स्वरूप और व्याख्या

'प्रयोजनमूलक हिन्दी' भाषाविज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान (Applied Linguistics) के अन्तर्गत विकसित अत्याधुनिक बहुआयामी तथा बहुउपयोगी शाखा है। 'प्रयोजनमूलक' विशेषण हिन्दी भाषा के प्रायोगिक (Applied) तथा व्यावहारिक (Functional) पक्ष को अत्यधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाता है क्योंकि परम्परागत साहित्य तथा ज्ञान-विज्ञान एवं प्रशासन आदि के लिए प्रयुक्त साहित्य में अन्तर रखते हुए उनसे प्रयुक्ति के आधार पर जुड़े भाषा-भेदों या भाषा-रूपों को स्पष्टतः अलग करना बहुत आवश्यक होता है। विभिन्न ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रों एवं सरकारी प्रशासन, जनसंचार, विधि, खेलकूद आदि के कार्य-विधियों के सूक्ष्मतम अर्थों को व्यापक स्तर पर अभिव्यक्त करने हेतु हिन्दी भाषा की अंतरबाह्य-वृत्तियों, प्रवृत्तियों, प्रयुक्तियों तथा प्रायोगिक स्तरों में आमूलाग्र परिवर्तन की युगीन आवश्यकता महसूस की गई, जिसके तहत हिन्दी का नया भाषिक संरचनात्मक रूप उभरकर सामने आया। आधुनिक समाज-जीवन, सरकारी प्रशासन, वाणिज्य और ज्ञान-विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की अनेकविध स्थितियों तथा आवश्यकताओं की प्रायोगिक प्रतिपूर्ति हेतु प्रयुक्त हिन्दी भाषा के इसी प्रयुक्तिपरक रूप को 'प्रयोजनमूलक' Applied अथवा Functional कहते हैं।

हिन्दी भाषा के लिए प्रयोजनमूलक विशेषण उसके प्रयुक्तिपरक अथवा प्रायोगिक पक्ष को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 'प्रयोजनमूलक' व्यावहारिक या सामान्य शब्द नहीं किन्तु एक पारिभाषिक शब्द है। जिसका स्पष्ट और परिभाषित अर्थ है 'एक ऐसी विशिष्ट भाषिक संरचना से युक्त हिन्दी जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए

ही किया गया हो'। प्रयोजनमूलक हिन्दी के रूप का उद्‌भव और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के उत्पादन और उनके व्यावहारिक वितरण एवं प्रयोग से सम्बन्धित माना जा सकता है। अतः प्रयोजनमूलक हिन्दी का प्रयोग सभी प्रकार के अत्याधुनिक विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों के साथ, सभी सरकारी प्रशासनिक कार्यों, कार्यालयीन प्रविधि, साहित्य, दूरसंचार, जनसंचार के माध्यम, विधि साहित्य, बैंक, कम्पनियों, खेलकूद, पत्रकारिता, अंतरिक्ष विज्ञान, कम्प्यूटर तथा समाज एवं राजनीति शास्त्र आदि में अपेक्षित है।

'प्रयोजनमूलक हिन्दी से तात्पर्य है, हिन्दी का यह प्रयुक्तिपरक विशिष्ट रूप जो विषयगत, भूमिकागत तथा संदर्भगत प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना द्वारा प्रयुक्त किया जाता है और जो सरकारी प्रशासन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनेकविध क्षेत्रों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में सक्षम सिद्ध होता है।'

हिन्दी के विविध रूप

आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिन्दी सर्वाधिक लोगों द्वारा समझी और प्रयोग की जानेवाली भाषा है। इसका प्रयोग देश से लेकर विदेश तक होता है। हिन्दी भारतवर्ष की जनभाषा और राष्ट्रभाषा है। संविधान में हिन्दी को राजभाषा का गरिमामय पद प्राप्त है। हिन्दी भारतवर्ष की राष्ट्रीयता की ही नहीं, अस्मिता की भी पहचान है। विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने से इसमें वैविध्य होना स्वाभाविक है। हिन्दी में एकरूपता विकास हेतु इसका मानकीकरण किया गया है। इसीलिए हिन्दी को 'मानक हिन्दी' नाम भी दिया गया है।

मानक भाषा

किसी भी भाषा का उसके विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए उसका मानक (Standard) रूप ही प्रयुक्त होता है। इसीलिए हिन्दी को प्रयोजनमूलक प्रयुक्ति के माध्यम के परिप्रेक्ष्य में उसके मानक रूप पर विचार करना आवश्यक हो जाता है।

भाषाविज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा, टकसाली तथा परिनिष्ठित भाषा (Standard Language) भी कहते हैं। सभ्यता के विकास के साथ किसी विशिष्ट भाषाक्षेत्र की बोली को आदर्श मानकर उसका प्रयोग पूरे क्षेत्र के सम्बन्धित कार्यों के लिए किया जाता है तो उसे ही आदर्श या मानक भाषा कही जाती है। मानक भाषा साहित्य के साथ शिक्षित वर्ग के लोगों की शिक्षा, पत्राचार तथा व्यवहार आदि की भाषा हो जाती है। आदर्श या मानक भाषा के तत्कालीन स्वरुप को ग्रहण कर उसका व्याकरण तथा उच्चारण आदि की प्रक्रिया लगभग निश्चित कर दी जाती है और इस प्रकार मानक भाषा स्थिर तथा सुस्थापित हो जाती है। मानक भाषा पर प्रादेशिक बोलियों का भी प्रभाव अवश्य दृष्टिगत होता है, यह प्रभाव शब्द-समूह, व्याकरण तथा उच्चारण आदि रूपों में देखा जा सकता है। मानक भाषा के मौखिक और लिखित रूप प्रचलित हैं किन्तु मौखिक रूप की अपेक्षा लिखित रूप अत्यधिक संस्कार क्षम या सुसंस्कृत होता है।

मानक भाषा की उपर्युक्त कसौटियों को दृष्टि में रखकर देखें तो हम पाएँगे कि आज की मानक हिन्दी का रूप 'खड़ी बोली' से विकसित हुआ है और इसमें अनेक देशी तथा विदेशी भाषाओं की अनुप्रयुक्त शब्दावली का समावेश हो गया है। इसकी लिपि देवनागरी है और उसमें आवश्यकता एवं समयानुसार परिवर्तन कर लिये गये हैं। इसकी वर्तनी का स्वरूप भी लगभग निश्चित है और साहित्य के साथ-साथ अनेक राज्य (उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ शासित प्रदेश) एवं भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में वह प्रतिष्ठित हो चुकी है। इतना ही नहीं, इस मानक हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन भारत के अलावा विश्व के लगभग एक सौ दस विश्वविद्यालयों में हो रहा है तथा वह विश्व भाषा के रूप में प्रस्थापित होने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। यह तथ्य लगभग सर्वमान्य हो गया है कि विश्व की तीन हजार भाषाओं

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

की तुलना में हिन्दी की देवनागरी लिपि कम्प्यूटरों के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक एवं वैज्ञानिक है।

हिन्दी भाषा के इसी मानक रूप के माध्यम से उसमें अनेकविध वैज्ञानिक, तकनीकी एवं मानविकी आदि का सन्दर्भ साहित्य निर्माण हो रहा है और देश की राजभाषा के रूप में यही रूप प्रयुक्त किया जा रहा है।

सर्जनात्मक / रचनात्मक / साहित्यिक भाषा

दैनिक जीवन के व्यवहार में सामान्य भाषा का प्रयोग होता है। साहित्य-सृजन में परिनिष्ठित और साहित्यिक भाषा का प्रयोग होता है। सर्जनात्मक भाषा का उद्‌भव बोलचाल की भाषा से होता है। जब बोलचाल की भाषा में कल्पना, नवीनता और मुहावरे आदि का प्रयोग होता है, तो सर्जनात्मक भाषा का रूप विकसित हो जाता है। 'गधा' का प्रारंभिक प्रयोग एक पशु विशेष के लिए होता था, किन्तु बाद में इसका प्रयोग मूर्खता के प्रतीक रूप में होने लगा है- 'वह बिलकुल गधा है।' भाषा के व्याकरण सम्मत रूप होने के पश्चात जब उसे साहित्यिक रूप मिलता है तो उसे सर्जनात्मक भाषा कहते हैं। डॉ. भोलानाथ तिवारी ने ऐसी भाषा के विषय में लिखा है, 'साहित्यकारों ने साहित्य में सामान्य भाषा का प्रयोग करते-करते साहित्यिक भाषा के रूप में नये नूतन रूप का सृजन किया और सामान्य भाषा और साहित्यिक भाषा में आदान-प्रदान के बावजूद सामान्य भाषा से अलग साहित्यिक भाषा की सत्ता को स्वीकृति मिल गई।'

सर्जनात्मक भाषा को मुख्यतः दो वर्गों में विभक्त करते हैं- प्रथम, गद्यात्मक भाषा, द्वितीय, पद्यात्मक भाषा। गद्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण और समीक्षा आदि विधाएँ आती हैं। इन सभी विधाओं की भाषा में विधागत वैशिष्ट्य होना स्वाभाविक है, यथा - नाट्यभाषा में ध्वन्यात्मकता के साथ रिक्त वाक्य, संबोधनात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों से भाषा का स्वरूप अभिनेयता के लिए वरदान सिद्ध होता है। गद्य साहित्य का भाषायी रूप सामान्यतः व्याकरण सम्मत होता है।

काव्य की श्रेष्ठता की पहचान उसकी भाव-प्रवणता, छन्दबद्धता और लयात्मकता से होती है तो निश्चय ही काव्य - भाषा के ये ही गुण हैं। कथा साहित्य की भाषा में यदि प्रवाहमयता होती है तो काव्य-भाषा में व्याकरण के सामान्य नियमों की उपेक्षा कर नया रूप दिया जाता है।

सर्जनात्मक साहित्य में मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से भावाभिव्यक्ति में गंभीरता और स्पष्टता आती है। अलंकारों के सहज और स्वाभाविक प्रयोग से भाषा को भास्वर रूप मिलता है, जिससे संप्रेषणीयता को सबल आधार मिलता है।

निश्चय ही सर्जनात्मक भाषा के व्याकरण सम्मत रूप में आकर्षक भाव-प्रवणता, सहज आलंकारिकता और अनुकूल प्रवाहमयता होती हैं। साहित्यकार महान शब्द शिल्पी होता है। इसलिए शब्द की कुशल-योजना सर्जनात्मक भाषा के लिए वरदान सिद्ध होती है।

Critical Overview / अवलोकन

हिन्दी भाषा के प्रयुक्तिपरक अनेक रूप हैं। लेकिन साधारण जनता को उसकी रचनात्मक स्वरूप से जितना लगाव है उतना अन्य किसी रूप से नहीं। और हिन्दी भाषा आज इतना विकसित एवं परिमार्जित हो गई है कि रचनात्मक भाषा के रूप में भी हिन्दी का मानक रूप उभरकर सामने आता है। मनोरंजन एवं आस्वादन की दृष्टि से हिन्दी का यह रूप एक वरदान है। सर्जनात्मक भाषा की शैली, उसके शब्द चयन, संरचना एवं वाक्यविन्यास अत्यंत सुंदर जान पड़ते हैं। साधारण एवं सीधी सी बात को भी चमत्कारपूर्ण बनाने की जादू सर्जनात्मक भाषा में निहित है। इस तरह हिन्दी भाषा के प्रमुख रूप के स्थान पर रचनात्मक भाषा उपविष्ट है।

Recap / पुनरावृत्ति

- प्रयोजनमूलक हिन्दी की आवश्यकता तब महसूस हुई जब हिन्दी राजभाषा के पद पर आसीन हुई
- प्रशासन और ज्ञान-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों को अभिव्यक्त करना
- भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के फैलाव के कारण हिन्दी को नवीनतम रूप में ढालने की आवश्यकता
- हिन्दी का यह प्रयुक्तिपरक विशिष्ट रूप
- मानक भाषा को आदर्श भाषा, टकसाली तथा परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं
- साहित्य-सृजन में परिनिष्ठित और साहित्यिक भाषा का प्रयोग

Objective questions / वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. मुसलमान शासकों की शासन की भाषा?
2. अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान का अंग्रेज़ी शब्द?
3. हिन्दी भाषा के प्रयुक्तिपरक रूप को क्या कहता है?
4. मानक भाषा को क्या कहा जाता है?
5. मानक हिन्दी का रूप किससे विकसित हुआ?
6. दैनिक जीवन के व्यवहार में प्रयुक्त भाषा क्या है?
7. सर्जनात्मक भाषा के दो वर्ग क्या क्या हैं?

Answers / उत्तर

1. उर्दू और अरबी फारसी
2. Applied Linguistics
3. प्रयोजनमूलक/ Applied/Functional
4. आदर्श भाषा/ टकसाली भाषा/ परिनिष्ठित भाषा
5. खड़ीबोली
6. सामान्य भाषा
7. गद्यात्मक और पद्यात्मक

Assignments / प्रदत्त कार्य

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए।
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी की विशेषताएँ क्या क्या हैं?
3. हिन्दी के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए।
4. हिन्दी के रचनात्मक रूप पर विस्तार से चर्चा कीजिए।

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

Reference / सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी - विनोद गोदरे
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी का अध्ययन - डॉ सुशीला गुप्ता
3. प्रयोजनमूलक हिन्दी - डॉ माधव सोनटक्के
4. हिन्दी भाषा के विविध रूप - डॉ पी लता
5. हिन्दी भाषा और नागरी लिपि - भोलानाथ तिवारी
6. प्रयोजनमूलक हिन्दी : सिद्धांत और प्रयोग - दंगल झालटे
7. हिन्दी भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरूप - डॉ कैलाश चंद्र भाटिया
8. भाषा विज्ञान - डॉ भोलानाथ तिवारी

इकाई 2

मीडिया और संचार की भाषा

Learning Outcomes / अध्ययन परिणाम

- संचार माध्यमों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है
- संचार भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करता है
- विभिन्न संचार माध्यमों से परिचित होता है
- संचार भाषा के रूप में हिन्दी का स्थान समझता है

Prerequisites / पूर्वापेक्षा

हिन्दी भारत की राजभाषा होने के साथ-साथ मीडिया और संचार की एक महत्वपूर्ण भाषा भी है। हिन्दी भाषा का उपयोग पत्रकारिता, टेलीविजन, रेडियो, फिल्में और इंटरनेट में व्यापक रूप से किया जाता है। हिन्दी मीडिया का विस्तार देश के कोने-कोने तक है, जिससे लोगों को सूचनाएँ और समाचार प्राप्त होते हैं। हिन्दी भाषा के माध्यम से लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और समाज में बदलाव लाने के लिए काम करते हैं। हिन्दी फिल्म उद्योग, जिसे बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, विश्व में सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक है। हिन्दी फिल्में भारतीय संस्कृति और विचारों को विश्वभर में प्रस्तुत करती हैं। हिन्दी भाषा का उपयोग सोशल मीडिया में भी बढ़ रहा है, जिससे लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने और दूसरों के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। हिन्दी मीडिया और संचार की भाषा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे लोगों को सूचनाएँ, मनोरंजन, और शिक्षा प्राप्त होती हैं। हिन्दी भाषा का विकास और प्रसार करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

Keywords / मुख्य बिन्दु

मुद्रण माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, ग्लोबल विलेज

Discussion / चर्चा

संचार भाषा (Communicative Language)

'हिन्दी' आज विविध कार्य-क्षेत्रों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम हो गयी है। वाणिज्य - व्यापार, साहित्य, विज्ञान, न्याय, शिक्षा, खेलकूद, जनसंचार माध्यम, विज्ञान तथा तकनीक आदि कई क्षेत्रों में इसका प्रयोग हो रहा है। जनसंचार माध्यमों में हिन्दी का उपयोग बढ़ता जा रहा है।

प्रमुख रूप से जनसंचार माध्यम दो प्रकार के हैं -

(1) मुद्रण माध्यम (Printing Media)

(2) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (electronic media)

'मुद्रण माध्यम' के अंतर्गत पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र आदि आते हैं। 'इलेक्ट्रॉनिक माध्यम' के अंतर्गत रेडियो, दूरदर्शन, दूरभाष (टेलिफोन), मोबाइल फोन, टेलिग्राम, फेक्स, सिनेमा आदि आते हैं। 'नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों' के उद्‌भव के परिणाम स्वरूप आज 'ग्लोबल विलेज' (Global Village) की परिकल्पना साकार हो रही है। 'नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों' के उद्‌भव के पोछे दो मूलभूत कारण हैं उपग्रह (Satellite) सेवा का उदय तथा कंप्यूटर का आविष्कार।

हिन्दी भाषा का विविध संचार माध्यमों (Communication Media) में प्रयोग किया जाता है। संचार माध्यमों में प्रयुक्त हिन्दी 'संचार भाषा' या 'संसूचन की भाषा' या 'संप्रेषण की भाषा' मानी जाती है।

लैटिन भाषा के 'कम्यूनिस' शब्द से अंग्रेज़ी में 'कम्यूनिकेशन' शब्द बना। अंग्रेज़ी के कम्यूनिकेशन (Communication) शब्द का समानांतर हिन्दी शब्द है 'संचार'। 'कम्युनिकेशन' का अर्थ है 'विचारों या संसूचनाओं का आदान-प्रदान' (The exchange of the thought or information)। 'कम्युनिकेटिव' का अर्थ है 'सूचना देने केलिए प्रस्तुत' (ready to give information)। 'संचार भाषा' सूचना देने केलिए प्रयुक्त भाषा है। 'कम्यूनिकेशन' का समानांतर हिन्दी शब्द 'संचार' है, जो 'सं' उपसर्ग और संस्कृत के 'चर' धातु के मेल से बना है और जिसका अर्थ 'चलना'। पारिभाषिक रूप से 'संचार' शब्द का अर्थ है विचारों या सूचनाओं का आदान-प्रदान। सूचनाओं की अभिव्यक्ति के माध्यमों के रूप में पत्र-पत्रिकाएँ, पुस्तकें, रेडियो, दूरदर्शन (टेलिविज़न), दूरभाष (टेलिफोन), सिनेमा (फिल्म), बेतार (वयरलेस), संगणक (कंप्यूटर), दूरमुद्रक (टेलिप्रिंटर), टेपरिकार्डर, कैसेट आदि आते हैं। संचार के इन माध्यमों में आजकल हिन्दी भाषा का भी प्रयोग होता है। इनमें हिन्दी भाषा के मानक रूप का ही प्रयोग होता है।

विविध 'संचार माध्यमों' को निम्नलिखित वर्गों में बाँटे जा सकते हैं-

1. **दृश्य-श्रव्य माध्यम** (दृश्य - श्रव्य संचार माध्यम) इसके अंतर्गत दूरदर्शन, सिनेमा, कंप्यूटर आदि आते हैं। इसमें आँखों और कानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
2. **श्रव्य माध्यम** (श्रव्य संचार माध्यम) इसके अंतर्गत रेडियो, टेपरिकार्डर, टेलिफोन, बेतार आदि आते हैं। इसमें कानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
3. **मुद्रण माध्यम** (शब्द संचार माध्यम) इसके अंतर्गत पत्र-पत्रिकाएँ, पुस्तकें, दूरमुद्रक, फैक्स आदि आते हैं। इसमें आँखों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

उपर्युक्त संचार माध्यमों को आरेख (diagram) द्वारा निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है-

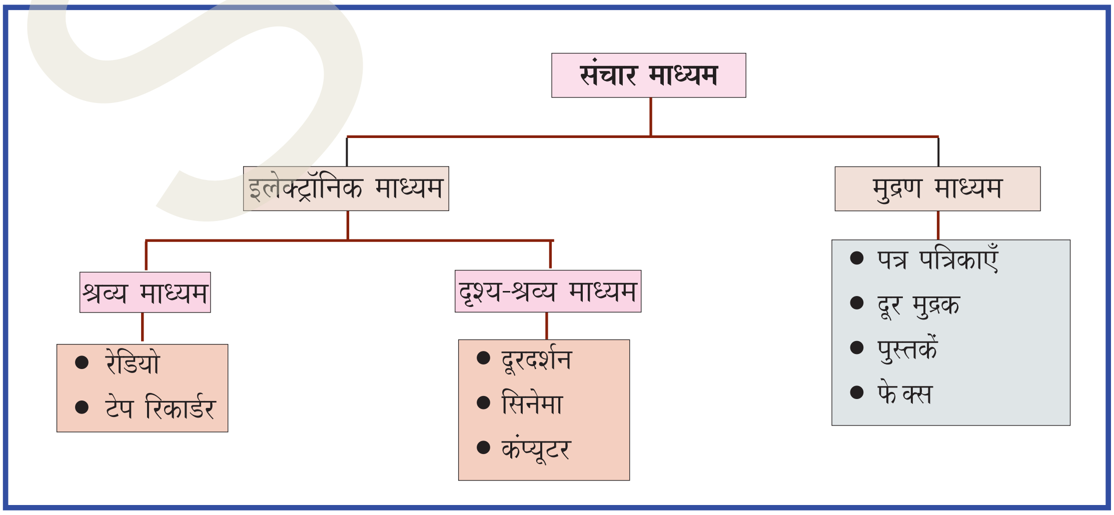

आजकल उपर्युक्त विविध माध्यमों में हिन्दी भाषा के ज़रिए विचारों की अभिव्यक्ति होती है। इन माध्यमों में विषयानुकूल, संदर्भानुकूल भाषा - शैली का प्रयोग किया जाता है। संचार माध्यमों की भाषा होने के कारण हिन्दी 'संचार भाषा' मानी जाती है। 'जन संचार माध्यमों' के प्रमुख कार्य हैं - शिक्षा, सूचना, मनोरंजन आदि देना।

सर्वाधिक प्रचलित चार संचार माध्यम हैं - दूरदर्शन, आकाशवाणी, सिनेमा और समाचार पत्र, जो भारत सरकार के 'सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय' के अंतर्गत आते हैं। प्रस्तुत मंत्रालय विभिन्न 'जन संचार माध्यमों' द्वारा लोगों को आसानी से सूचना प्रदान करने में प्रभावशाली भूमिका अदा करता है। यह मंत्रालय लोगों का मनोरंजन करता है तथा बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण-संरक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, निरक्षरता - उन्मूलन आदि कार्य करता है तथा महिलाओं, बच्चों और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों से संबन्धित बातों पर जनसाधारण का ध्यान आकर्षित करता है। मंत्रालय चार खंडों - सूचना खंड, प्रसारण खंड, फिल्म खंड और एकीकृत वित्त खंड़ - में विभाजित है। इनमें 'सूचना खंड' संयुक्त सचिव (नीति और प्रशासन) के तहत भारत सरकार के नीतिगत मामलों, समाचार पत्रों के प्रकाशनों और अन्य प्रचार आवश्यकताओं को देखता है। 'प्रसारण खंड' संयुक्त सचिव (प्रसारण) की देखरेख में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित मामला को देखता है। यह खंड क्षेत्र प्रसारण सेवा, केबिल टेलीविज़न संचालन, प्राईवट टेलीविज़न संचालन, एफ.एम. चैनल इत्यादि केलिए नीतियों और नियमों को बनाकर उन्हें लागू करता है। 'प्रसार भारती' (भारतीय प्रसारण निगम) इसके अंतर्गत आनेवाला संगठन है। 'आकाशवाणी' और 'दूरदर्शन' प्रसार भारती के अंतर्गत आनेवाले संस्थान हैं। 'फिल्म खंड' संयुक्त सचिव (फिल्म) की देखरेख में फिल्म क्षेत्र से संबन्धित मामलों को देखता है।

15 वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, जिससे काफी संख्या में लोगों तक संचार का पहूँचना सुलभ हुआ। बीसवीं सदी में विविध प्रकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकी परिवर्तनों का आगमन हुआ, विशेषकर संचार माध्यम के क्षेत्र में। इसके परिणामस्वरूप जनसंचार माध्यम - समाचार पत्र, सिनेमा, रेडियो और टेलीविज़न - आम हो चुके हैं और आज हम जनसंचार के युग में जी रहे हैं। 'संचार' तथा 'संप्रेषण' भाषा के विकास के स्रोत बिन्दु हैं। कागज़ की खोज के साथ भाषा का निरंतर विकास हुआ। 'समाचार पत्रों' के आविष्कार से भाषा ने कई रूप प्राप्त किये। आज भी भाषा के रूप हर क्षण बदल रहे हैं। भाषा आज ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा हम भौगालिक सीमाओं से ऊपर उठकर पूरे विश्व को एक सिकुड़ता हुआ परिवार मानते हैं। इसके पीछे है भाषा का 'संप्रेषण तत्व'।

भारतीय परिवेश में 'संप्रेषण माध्यम' का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। 19वीं शताब्दी के शुरू में 'समाचार पत्र' संप्रेषण का एक माध्यम था। धीरे - धीरे 'समाचार पत्र' की जगह थोड़ा आनुपातिक अंश 'रेडिया' ने लिया तथा 'रेडियो' घर का भाग बन गया। 'रेडियो' द्वारा भाषा का जो संप्रेषण हुआ, उसने भाषा को संगीत से बाँधकर उसके रूप को सुन्दर बनाया तथा यह भाषा कान के ज़रिए मन को झकझोरनेवाली भाषा का रूप धारण कर गयी। भाषा का रस से सींचा हुआ रूप ही रेडियो ने प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी के मध्य तक 'समाचार पत्र' तथा 'रेडियो' द्वारा हमारे देश में भाषा का संप्रेषण होता रहा। फिर एक अन्य माध्यम - सिनेमा ने भाषा को पर्दे (Screen) पर लिखकर प्रस्तुत किया। पूरे संसार में 'सिनेमा' ने भाषा को एक नयी तकनीक से प्रस्तुत किया। स्क्रीन से भाषा की उत्पत्ति की परिकल्पना साकार हुई। फिर इस तकनीक का आधुनिक रूप 'दूरदर्शन' या 'टेलीविज़न' के रूप में सामने आया। इसप्रकार नये-नये माध्यमों का आविष्कार होते हुए भी भाषा के प्रचार-प्रसार में समाचार पत्र (मुद्रण माध्यम) की भूमिका महत्वपूर्ण है। 'मुद्रण माध्यम' में भाषा शक्तिशाली स्वरूप और

भाषिक मानकीकरण मापदंडों को पूरा करती है। भाषा - संप्रेषण आज समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, टेलीफोन, फैक्स, कंप्यूटर जैसे कई माध्यमों से विभिन्न रूपों में हम तक पहुँच रहा है।

समाचार पत्र

आजकल समाचार पत्रों की भाषा को हम मानक हिन्दी भाषा का दर्जा दे सकते हैं। किन्तु किसी स्थान - विशेष की घटना का उल्लेख करते हुए रिपोर्टिंग की भाषा में वहाँ का आंचलिक पुट आना ज़रूरी है। समाचार पत्रों में दैनिक जीवन के सामाजिक महत्व की घटनाएँ छपी जाती हैं। अतः उसमें भाषा का जीवंत रूप प्रयुक्त होना स्वाभाविक है।

पत्रकारिता केवल सूचना देने का काम नहीं करती है, वह भाषा गढ़ती है और भाषा का परिष्कार भी करती है। शुरू से लेकर अब तक की 'हिन्दी पत्रकारिता' की भाषा का कोई स्थिर रूप नहीं है। प्रारंभिक पत्रों में क्रिया पदों पर अवधी और व्रज भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता था। 'उदंत मार्तण्ड'(1826), 'बनारस अखबार' (1845) जैसे पत्रों में 'कीज', 'लीज' जैसे क्रियापदों की बहुलता थी। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय (1850-85) भी पत्रकारिता में हिन्दी भाषा का मानक रूप स्थिर नहीं हो गया था, क्योंकि तत्कालीन पत्रकारों की दृष्टि में पत्रकारिता की भाषा को भाषा के 'वाचिक' रूप से निकट होना चाहिए था। उस समय हम जैसे बोलें वैसे पत्र भी तैयार करें, इस विचार के कारण पत्र - पत्रिकाओं में हिन्दी का मानक रूप तैयार नहीं हो सका। अतः वाक्य गठन अतिरिक्त शब्दों से बोझिल था, शब्दों की वर्तनी का एकरूप नहीं था। आवश्यक चिह्नों - पूर्ण विराम, अर्द्धविराम, अपूर्ण विराम, अल्प विराम आदि का प्रयोग भी नहीं होता था। पत्रों की भाषा में तत्कालीन व्यवस्थित साहित्यिक भाषा का प्रभाव नहीं पड़ा था। किन्तु सन् 1900 तक आते आते पत्रों की भाषा में मानक रूप दिखाई पड़ने लगा। 'सरस्वती' पत्रिका के प्रारंभिक अंकों में ही संज्ञा के बहुवचन रूपों का सही प्रयोग (जैसे पुस्तक - पुस्तकें), रेफ (रकार, जैसे - वक्र, तर्क, राष्ट्र आदि शब्दों में प्रयुक्त 'र' चिह्न) का प्रयोग आदि मिलते है। व्याकरणिक एकरूपता के साथ भाषा का लचीलापन उस समय की कई पत्रिकाओं में मिलता है।

'सरस्वती पत्रिका' की भाषा बहुत संयत थी, तो 'मतवाला' की भाषा थोडी आक्रामक थी। उदाहरणार्थ 'मतवाला' का संपादकीय शीर्षक देखिए - 'हक तो यूँ है कि हक अंत न हुआ' (अंक 31 मई 1924)। शीर्षक में क्रियापदों का प्रयोग 'मतवाला' की अपनी विशेषता थी। बाद में दैनिक 'जनसत्ता' (नई दिल्ली) ने ऐसा प्रयोग किया। पत्रकार दूसरों पर प्रभाव डालने केलिए ही भाषा को आक्रामक बनाते थे। दैनिक 'आज' (1920) की भाषा आक्रामक नहीं थी, फिर भी हिन्दी प्रदेश में उसकी प्रसार संख्या अधिक थी। मतवाला की भाषा राजनीतिक भी थी।

राष्ट्रीय आंदोलन के समय पत्रकार हिन्दी भाषा का महत्व समझते थे। उस समय हिन्दी पत्रकारिता के समक्ष एक समस्या समाचार संकलन की थी। क्योंकि हिन्दी समाचार एजेंसियों के अभाव से समाचार अंग्रेज़ी में प्राप्त होता था। स्वातन्त्र्योत्तर काल में हिन्दी पत्रकारिता की भाषा धीरे धीरे मानक होती रही।

सत्तर के बाद पत्रकारिता में उर्दूनिष्ठ शब्दों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। प्रेमचन्द की 'हंस' पत्रिका में इसका सफल प्रयोग हो चुका था। आजकल हिन्दी पत्रों में तत्सम शब्द, अंग्रेज़ी शब्द तथा उर्दू शब्द आवश्यकतानुसार प्रयुक्त होते हैं। आज पत्रकारिता की भाषा ने भाषाई शुद्धता पर ध्यान देने के कारण मानक रूप धारण किया है।

आजकल समाचार पत्रों में प्रांतीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समाचार, संपादकीय, लघु लेख, फीचर, विविध प्रकार के विज्ञापन, साहित्य-रचनाएँ आदि प्रकाशित होती हैं। इन सब में विषयानुकूल शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। समाचार पत्र की भाषा में वर्तनी की शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि गलत वर्तनी के प्रयोग से पाठकों को आशय-ग्रहण कठिन होता है, कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी होता है।

आकाशवाणी / रेडियो

'प्रसार भारती' (भारतीय प्रसारण निगम - Broadcasting Corporation of India) एक स्वायत्तशासी (Autonomous) संस्था है। स्वायत्तशासी संस्था में आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से सरकार का अधिकार है, किन्तु दैनंदिन कार्य में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता।

दूरदर्शन और आकाशवाणी 'प्रसार भारती' के अंतर्गत कार्य करनेवाली संस्थाएँ हैं। 'प्रसार भारती' का एक अध्यक्ष होता है। यही नहीं, इसके कार्य को सुचारु रूप से चलाने केलिए एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्सिक्यूटिव ऑफीसर / CEO) होता है। दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारित प्रमुख कार्यक्रम हैं - शिक्षा सूचना तथा मनोरंजन पर आधारित कार्यक्रम।

आकाशवाणी के महानिदेशक प्रसार भारती के अंतर्गत काम करते हैं। महानिदेशक को 'विभागाध्यक्ष' घोषित किया गया है। महानिदेशक समूचे आकाशवाणी नेटवर्क के समग्र प्रशासन और देखरेख केलिए जिम्मेदार है।

कार्य-निर्वाह में महानिदेशक की सहायता केलिए 'आकाशवाणी' के विविध स्कंधों - कार्यक्रम स्कंध, इंजीनियरी स्कंध, प्रशासनिक स्कंध, सुरक्षा स्कंध, श्रोता अनुसन्धान स्कंध में कई अधिकारी सेवा करते हैं।

आकाशवाणी के 'समाचार सेवा प्रभाग' में (सन् 2000 तक की गणना के अनुसार) अन्य भाषाओं या बोलियों के अतिरिक्त भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं और 15 विदेशी भाषाओं में बुलेटिन शामिल हैं। समाचार प्रेमी 'समाचार सेवा प्रभाग' की आधिकारिक वेबसाइट www.news.onair.com पर अद्यतन समाचार देख सकते हैं और बुलेटिन सुन सकते हैं।

आकाशवाणी की प्रसारण प्रणाली तीन स्तरीय हैं - राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय। इनमें राष्ट्रीय चैनल को सेवा के अंतर्गत समूचा भारत आता है। राष्ट्रीय चैनल की स्थापना 18 मई 1988 को की गयी थी।

इंटरनेट और टी वी की चकाचौंध की वर्तमान दुनिया में रेडियो भारत के ग्रमीण समाज और शहरी समाज के कमजोर वर्गों केलिए आज भी सूचना तथा प्रचार-प्रसार माध्यम के रूप में एक विशेष आकर्षण है। दूरदर्शन के व्यापक प्रसार के पहले आकाशवाणी समाचार सेवा में आगे रही थी। 'आकाशवाणी भवन' में 'जनरल न्यूज' अंग्रेज़ी में तैयार किया जाता है। इसकेलिए नियुक्त संपादक देश-विदेश के संवाददाताओं द्वारा प्रेषित समाचारों को चुनकर अंग्रेज़ी में 'पूल कोपी' तेयार करते हैं, जो हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के समाचार तथा विदेशी प्रसारण सेवा समाचार बुलेटिन तैयार करनेवाले संपादकों को दी जाती है। हिन्दी के राष्ट्रीय समाचार मूल रूप से हिन्दी में ही तैयार किए जाएँ तो और भी अधिक प्रभावी होते। उसकी भाषा अनुवाद की छाया से बची रहती।

भारत में 1957 में 'रेडियो' को 'आकाशवाणी' का नाम दिया गया है। इसके हिन्दी प्रसारण पर ध्यान देने से विदित होता है कि इसमें भाषागत (व्याकरणिक) शुद्धता तथा उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रसारण को प्रभावी बनाने केलिए उच्चारण में भाषा प्रवाह, बलाघात, अनुतान, मात्रा, विराम आदि के यथोचित प्रयोग पर भी ध्यान दिया जाता है।

मनोरंजन केलिए प्रसारित कार्यक्रमों तथा सामान्य सूचना के कार्यक्रमों में जन साधारण की भाषा प्रयुक्त होती है। किन्तु प्रशासन, विधि, बैंकिंग, वाणिज्य-व्यापार, शिक्षा, खेलकूद, विज्ञान, टेकनॉलजी, कृषि, स्वास्थ्य आदि से संबन्धित प्रसारणों में इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है, जिसे हिन्दी भाषी प्रबुद्ध जनता ही आसानी से समझ सकती है। कार्यक्रम की समय सीमा के कारण लंबे - लंबे पदबंध भी प्रयुक्त होते हैं। भिन्न-भिन्न साहित्य-विधाओं के रेडियो प्रसारणों - कविता पाठ, कहानी पाठ, नाटक प्रसारण, लेख पाठ आदि में शैलीगत भिन्नता परिलक्षित होती है। परिचर्चा में बोलचालवाली सामान्य हिन्दी प्रयुक्त होती है, जिसमें आवश्यकतानुसार संस्कृत, अरबों, फारसी तथा देशज शब्दों का प्रयोग होता है। 'समाचार वाचन' (news reading) में एक खास शैली प्रयुक्त होती है।

आकाशवाणी में विशिष्ट शब्द प्रयुक्त होते हैं। कुछ उदाहरण देखिए रेडियो फीचर (Radio feature), समाचार बुलेटिन (news bulletin), अदाकारी परीक्षण / ऑडीशन (Audition), अभिलेखन/ रिकॉर्डिंग (Recording), उद्घोषक (announcer), उद्घोषणा (announcement) आदि।

सिनेमा

'सिनेमा' केलिए पहले किनेमाटोग्राफ (Kinematograph) शब्द का प्रयोग होता था। 'किनेमाटोग्राफ' यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका समानांतर फ्रेंच शब्द है 'सिनेमाटोग्राफ' (Cinematograph) 'सिनेमाटोग्राफ' का संक्षिप्त रूप है 'सिनेमा', जिसका समानांतर हिन्दी शब्द है 'चलचित्र'। 'सिनेमा' सर्वाधिक सशक्त और प्रभावी 'जन संचार माध्यम है, जो अपने श्रव्य दृश्य प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप अत्यधिक लोकप्रिय बना है। यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है।

फोटोग्राफी के साथ ही फिल्म निर्माण का आरंभ सन् 1820 में हुआ। फिल्म का पहला व्यावसायिक प्रदर्शन 28 दिसंबर 1895 को पेरिस में हुआ। हॉलीवुड (Hollywood) का निर्माण 1911 में कालिफोर्निया में लोस एंजिल्स (Los Angeles) के निकट हुआ, जो आऊटडोर शूटिंग केलिए अच्छी जगह थी। 6 अक्तूबर 1927 में अंग्रेज़ी में जाज़ सिंगर (Gazz Singer) नामक पहली बोलती फिल्म बनाई गयी, जिसके निदेशक थे अलन क्रांसलैंड (Alan crosland), जहाँ से फिल्म निर्माण में क्रांति शुरू हुई।

भारत में बनी पहली मूक फिल्म 'राजा हरिश्चन्द्र' है, जिसका निर्माण सन् 1913 में दादासाहेब फालके (Dadasaheb Phalke) ने किया। यह पहली पूरी लंबाई का भारतीय फीचर फिल्म है। भारत में 1913 से 1936 काल में मूक फिल्मों का निर्माण होता था। भारत में बनी पहली हिन्दी बोलती फिल्म/सवाक फिल्म (Talky film) 'अलमआरा' है, जो 14 मार्च 1931 को मुंबई के मेजेस्टिक सिनेमा हॉल में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जुबेदा एवं पृथ्वीराज कपूर प्रमुख भूमिका में थे। इस फिल्म में सात गीत फिल्माये गये थे। 'आलमआरा' को हिन्दुस्तानी में बनाया गया था, जिसमें उर्दू और हिन्दी का मिश्रित रूप था। यह आर्देशिर इरानी (Ardeshir Irani) के निदेशन में मुंबई की 'इंपीरियल फिल्म कंपनी' द्वारा बनाई गयी।

इस फिल्म का 'दे दे खुदा के नाम पर हिम्मत है अगर कुछ देने को....' - गीत भारतीय फिल्मों का सबसे पहला गाना है। सवाक फिल्मों के आगमन से मूक फिल्मों का निर्माण धीरे-धीरे बंद हुआ। सन् 1937 में पहली रंगीन हिन्दी फिल्म 'किसान कन्या' मोटी बी गिद्वानी (Moti B Gidwani) के निदेशन में भारत में बनायी गयी। यह भी इंपीरियल कंपनी द्वारा बनायी गयी।

'कथा' सिनेमा का आधार है। सिनेमा में कथा 'दृश्य-बिंबों' के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। हिन्दी में पौराणिक - धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, साहसिक और जासूसी विषय वस्तुवाले सिनेमा बनाये जाते हैं। हिन्दी में परंपरागत लीक से हटकर समांतर सिनेमा (Parallel cinema) निर्माण का आरंभ सन् 1939 में मृणालसेन के 'भुवन शोम' से होता है। इसके साथ हिन्दी सिनेमा के कथ्य और शिल्प में नये नये प्रयोग शुरू हुए।

आजकल सामयिक महत्ववाले विषयों पर फिल्मों का निर्माण होता है, जैसे - पर्यावरण, पर्यटन, उद्योग, मेला, आदिवासी जीवन, परिवार- कल्याण, विज्ञान आदि।

'फिल्म निर्माण' किसी एक लिखित सामग्री को विषय बनाकर शुरू होता है। फिल्म निर्माण शुरू करने के पहले फिल्म निर्माता 'कथा' सुनता है और फिल्म के निर्माण का निश्चय करता है। फिर उसकेलिए निदेशक (Director) को तय करता है। फिर पहली कथा के आधार पर फिल्म की पटकथा (Screenplay) का लेखन निदेशक के सुझाव के अनुरूप किया जाता है। इस पटकथा के आधार पर निर्माता और निदेशक अभिनेताओं का चयन करते हैं। गीत लेखक और संगीत निदेशक भी तय होते हैं। कभी तैयार की गयी 'पटकथा' सेट पर जाते जाते बदलती जाती है। जब

फिल्म का निर्माण पूरा होता है तब वह पहली कथा, जिसके आधार पर फिल्म निर्माण का निर्णय लिया गया था, वह विल्कुल नवीन रूप में प्रेक्षकों के सामने आती है। इस प्रकार कोई भी फिल्म न मूल रूप में लिखी जाती है, न निर्देशित हो पाती है, लेकिन पूरी फिल्म समूह लेखन का परिणाम होता है। फिल्म में मूल कथा लेखक, पटकथा लेखक आदि का नामोल्लेख ज़रूर किया जाता है। सचमुच पूरी फिल्म ही सामूहिक कला का समवेत (Collective) प्रदर्शन है।

हिन्दी फिल्मों ने हिन्दी भाषा को भारतीय तथा विदेशी लोगों के घर - परिवार तक पहूँचाया है, जिससे हिन्दी को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित होने में मदद मिली है।

दूरदर्शन

'दूरदर्शन' सार्वजनिक प्रसारण संस्था है, जो विश्व में सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करनेवाली है। भारत में इसका आरंभ यूनेस्को की सहायता से 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में हुआ। शैक्षिक एवं विकास संबन्धी आधे घंटे के कार्यक्रम का प्रसारण करने केलिए प्रयोग के आधार पर इसका आरंभ किया गया था। दूसरा 'दूरदर्शन केन्द्र' सन् 1972 में मुंबई में शुरू हुआ था। सन् 1982 में रंगीन टेलीविज़न का आगमन हुआ। दूरदर्शन 'इलेक्ट्रॉनिक माध्यम' है और इसका व्यापक नेटवर्क है। सन् 1990 के बाद निजी चैनलों (Private channels) के आने से इन चैनलों में त्वरित और आकर्षक सूचना संप्रेषित करने की होड़ लगी हुई है। एक चैनल की सफलता के पीछे भाषा और दृश्य दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। दूरदर्शन के तीनों पक्ष- सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन महत्वपूर्ण है। जैसे व्यक्ति के व्यवहार से उसका संस्कार स्पष्ट होता है वैसे किसी चैनल का भाषा-संस्कार उसके स्तर का परिचायक है। 'दूरदर्शन' में भाषा और दृश्य की भंगिमाओं का मिश्रण प्रस्तुत होता है। इनमें से यदि एक भी कमज़ोर हो जाता, तो कार्यक्रम की सफलता संदिग्ध रहती है।

दूरदर्शन के कई क्षेत्रीय चैनल है और कई क्षेत्रीय केन्द्र भी हैं। सभी टेलीविज़न चैनल अपने-अपने संप्रेषण आम जनता को बोधगम्य बनाने केलिए आम जनता की भाषा को माध्यम बनाते हैं। विज्ञापन, मनोरंजन और सूचना के स्तर पर टेलीविज़न में बोधगम्यता की दृष्टि से अनुवाद की प्रक्रिया भी चलती रहती है।

दूरदर्शन से तात्पर्य 'प्रसार भारती' की देखरेख में कार्य करनेवाला चैनल (Channel = माध्यम/सरणि) से है। 'प्रसार भारती' पर सरकार की नीति का असर पड़ता है। 'प्रसार भारती' के अंतर्गत कार्यरत संस्थाओं पर सरकार की 'राजभाषा नीति' कार्य करती है। सरकार की 'राजभाषा नीति' लागू होने के कारण कार्यक्रम सहित प्रशासन के स्तर पर भी द्विभाषिकता लागू होती है। अर्थात प्रसार भारती के अंतर्गत कार्यरत दूरदर्शन में अनुवाद कार्य अनिवार्य है।

दूरदर्शन के प्रायः सभी केन्द्रों में 'हिन्दी अनुवादक' का पद है। सरकार की 'राजभाषा नीति' को लागू करवाने के लिए कई केन्द्रों में 'हिन्दी अधिकारी' होते हैं। 'राजभाषा अधिनियम, 1963' के प्रावधान दूरदर्शन पर भी लागू हैं। अतः 'राजभाषा अधिनियम' में विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ों केलिए हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। अतः ऐसे सभी दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करनेवाले व्यक्तियों का यह दायित्व है कि यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे सभी दस्तावेज़ हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में तैयार किये जाते हैं, निष्पादित किये जाते हैं और जारी किये जाते हैं। स्पष्ट है कि सरकार की 'राजभाषा नीति' के अनुसार दूरदर्शन में अनुवाद की आवश्यकता है।

दूरदर्शन केन्द्रों में कार्य सही तरह से संचालित होने केलिए तीन स्कंध होते हैं -

(1) कार्यक्रम (Programme) स्कंध

(2) अभियंत्रण (Engineering) स्कंध

(3) प्रशासन (Administration) स्कंध

जहाँ अन्य कार्यालयों में अनुवादक सिर्फ 'प्रशासनिक साहित्य' का अनुवाद करते हैं वहाँ दूरदर्शन के अनुवादकों

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 'प्रशासनिक साहित्य' (प्रशासनिक स्कंध केलिए), 'तकनीकी साहित्य' (अभियंत्रण स्कंध केलिए) तथा दर्शकों को देखने हेतु संप्रेषण करने वाले 'कार्यक्रम साहित्य' (कार्यक्रम स्कंध केलिए) का अनुवाद करे। समाचार प्रसारित होते समय टेलीविज़न के पर्दे पर द्विभाषी समाचार लिखित रूप में आते रहते हैं। जो व्यक्ति समाचार का ऐसा अनुवाद करते हैं, उन्हें भाषा के प्रचलित रूप की जानकारी आवश्यक है। अनुवादक को भाषा की पकड़ नहीं है तो अनुवाद हास्यास्पद होगा।

दूरदर्शन में प्रसारित होनेवाला एक नियमित कार्यक्रम फीचर फिल्म बड़ा लोकप्रिय बना है, खासकर 'हिन्दी फीचर फिल्म'। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार में हिन्दी फिल्मों की अग्रणी भूमिका रही है। जब क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं तो उनके संवादों के हिन्दी अनुवाद या अंग्रेज़ी अनुवाद टी.वी. के पर्दे पर आते रहते हैं। ये अनुवाद पहले से तैयार रहते हैं, 'क्योंकि प्रायोजित कार्यक्रमों के निर्माण की ज़िम्मेदारी उनके निर्माताओं की रहती है। दूरदर्शन में अनुवाद का महत्वपूर्ण स्थान होता है। 'अनुवाद' दो संस्कृतियों को मिलानेवाला सेतु है और 'दूरदर्शन' अपने आप में ऐसे सेतुओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न भाषाओं में अनुवाद प्रस्तुत करते हुए दूरदर्शन सांस्कृतिक समन्वय का वाहक बनता है।

दूरदर्शन के 'डी डी न्यूज़ चैनल' की शुरु आत 3 नवंबर 2003 को हुई। यह चैनल अपने दर्शकों को हिन्दी और अंग्रेज़ी में रोज़मर्रा की घटनाओं के बारे में संतुलित और उद्देश्यपूर्ण कवरेज करता रहता है।

दूरदर्शन पर प्रसारित उद्घोषणा (Announcement) का लक्ष्य होता है, अपने दर्शक, श्रोता तथा पाठक को कार्यक्रम विषयक तथा अन्य प्रकार की सूचनाएँ देना।

टेली लेखक को विषय की पूरी जानकारी के साथ ही साथ टेलीविज़न माध्यम की तकनीक की जानकारी भी ज़रूरी है। क्योंकि उन्हें दृश्य (scene) पर पूरा कार्यक्रम तैयार करना है। यदि दूरदर्शन में लिखित विषय की संप्रेषणीयता में गड़बड़ी होती है तो निदेशक तथा कैमरा मैन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसका सीधा प्रभाव कार्यक्रम की गुणवत्ता पर पड़ता है। टेली लेखक को 'ध्वनि प्रभावों' की जानकारी भी इसलिए आवश्यक है कि 'टेलीविज़न कार्यक्रम' केवल कैमरा द्वारा ही प्रस्तुत नहीं होता, बल्कि उसमें ध्वनि और संगीत का उपयोग यथास्थान आवश्यक है। कार्यक्रम का सबसे पहला दर्शक मानसिक रूप से लेखक ही होता है, अतः उसे ध्वनि, संवाद और संगीत के अंतसंबंधों की सच्ची जानकारी अनिवार्य है। कोई भी आलेख एक बिन्दु से शुरू होकर उत्कर्ष की स्थिति में पहूँचता है। अतः आलेख लेखक को यह ध्यान रखना जरूरी है कि उसमें संदेश स्पष्ट और भ्रम रहित हो। आलेख लेखक को दृश्यों के क्रम का ध्यान रखना भी आवश्यक है। 'टेलीविज़न', 'क्लोज़अप' (Close up) माध्यम है, क्योंकि कैमरा की गति (movement) मुख्यतः विषय (subject) यानी क्लोज़अप के इर्द गिर्द ही संचालित होती है। दुरदर्शन के पर्दे में एक साथ तीन से अधिक कलाकार (व्यक्ति) दिखाए नहीं जा सकते। अतः टेली लेखक को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि एक दृश्य में अधिक व्यक्ति नहीं आने चाहिए।

आज दूरदर्शन तथा अन्य चैनलों से प्रसारित मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं- चर्चा (discussion), साक्षात्कार (Interview), समाचार (news), परिचर्चा (Panel discussion), रूपक/फीचर (feature), नाटक (play/drama), रपट (report), कवि सम्मेलन (poet conference), मुशायरा (urdu poet conference), खेल केमेन्ट्री (Commentary of sports), डॉक्यूमेन्टरी फिल्म (Documentary film), समय पूर्ति (Filler) आदि। संगीत कार्यक्रम है - वाद्य संगीत (Instrumental music), गायन (Vocal music), फिल्म संगीत (Film music), शास्त्रीय संगीत (Classical music), सुगम संगीत (Light music), लोक संगीत (Folk music), फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम (Programme based on film songs) आदि।

दूरदर्शन में प्रयुक्त हिन्दी में अंग्रेज़ी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होता है। अंग्रेज़ी के शब्द दूरदर्शन में अन्य संचार माध्यमों की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त होते हैं। दूरदर्शन की भाषा में दृश्य चित्र की भाषा अथवा बहुत से भारतीय परिवेश के शब्दों का आवागमन सहज ही हो जाता है, जिनका हमारे रोज़मर्रा के जीवन में अत्यधिक प्रचलन है। हिन्दी में अत्यधिक प्रचलित अंग्रेज़ी शब्दों को दूरदर्शन की हिन्दी में समाहित कर लिया गया है।

दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की हिन्दी भाषा की संजीवनी शक्ति का मूल स्रोत असल में शब्द ओर ध्वनि के ज़रिए दर्शक तक उसकी अपनी भाषा में किया गया संप्रेषण है, जिसका दर्शक अपने मन की भाषा समझता हुआ अपने दैनिक जीवन व मूल्यों में रूपांतरित कर लेता है।

'दूरदर्शन' में प्रयुक्त हिन्दी भाषा का स्वरूप आम आदमी को प्रभावित करने में पर्याप्त है, यद्यपि इसमें आंचलिक और अंग्रेज़ी शब्दों की अधिकता है। इसे प्रयोजनमूलक सफल प्रयोग ही मानना चाहिए कि आज इसी स्वरूप के ज़रिए हिन्दी भाषा भारतीय जनता तक सीधे पहूँच रही है। दूरदर्शन के विविध कार्यक्रमों में प्रयुक्त हिन्दी भाषा असल में दर्शकों से एक सीधा संवाद ही तो है, जो दर्शक को उस भाषा में ही मिलना चाहिए, जो भाषा उसके इर्द गिर्द गली मोहल्ले में अथवा उसके प्रांत में ही बोली जाती है। 1959 में दूरदर्शन में हिन्दी प्रसारण शुरू हुआ और 1980 के बाद उसमें भाषाई स्तर पर आंचालिक और भाषिक संवेदना की दृष्टि से अपने बहुत सारे प्रयोगों के साथ टेलीविज़न की भाषा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

आज हर आदमी के दिन के आरंभ और अंत दूरदर्शन केकार्यक्रमों के निरीक्षण से होते हैं। दूरदर्शन में राष्ट्रीय और प्रांतीय भाषाओं में फिल्म और समाचार के अलावा, शिक्षा, विज्ञान, साहित्य, कला, बच्चों - औरतों से संबंधित, खेलकूद आदि के विविध कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।

दूरदर्शन सर्वाधिक प्रभावशाली दृश्य-श्रव्य माध्यम है। इसकी शैली औपचारिक है। इसके धारावाहिकों में बोलचाल की सहज हिन्दी प्रयुक्त होती है।

कंप्यूटर

'कंप्यूटर' शब्द की उत्पत्ति अंग्रेज़ी शब्द 'कंप्यूट' से हुई, जिसका अर्थ होता है 'गणना करना' या हिसाब लगाना। लेकिन 'कंप्यूटर' का कार्य 'गणना करना' मात्र नहीं है, सूचनाओं और निर्देशों के आधार पर मनुष्य को प्रत्येक क्षेत्र में सहायता प्रदान करना भी है। अतः यह सूचना (information) के आधार पर संगणना (processing) करनेवाला उपकरण है। अतः इसका नाम हिन्दी में संगणक हुए। कंप्यूटर (संगणक) मानव मस्तिष्क का मशीनी प्रतिरूप है, जो एक निश्चित भाषा में प्राप्त सूचनाओं एवं निर्देशों के माध्यम से विभिन्न कार्यों को त्वरित गति से संपन्न करता है।

सर्वप्रथम सन् 1833 में ब्रिटन के सर चार्ल्स बाबेज (Charles Babbage) ने एक विशेष इंजन का आविष्कार किया, जिसमें आधुनिक कंप्यूटर के गुण रहे थे। इसलिए सर चाल्स बाबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। सन् 1890 में हरमन होलरिथ (Herman Hollerith) ने प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर का अविष्कार किया। आज संसार में सब कहीं कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है।

कंप्यूटर मनुष्य के आदेश का पालन कर विवरण 'स्मृति' (Memory) में इकट्ठा करता है और मनुष्य को ज़रूरत पड़ने पर मॉनीटर पर दृश्य रूप में अथवा प्रिंटर में टाइप रूप में प्रदान करता है।

कंप्यूटर के सहायक प्रभागों में महत्वपूर्ण है प्रिंटर (Printer)। आज बाज़ार में कई प्रकार के 'प्रिंटर' उपलब्ध हैं। 'डॉट मेट्रिक्स', 'लाइन तथा लेजर प्रिंटर' आदि में द्विभाषिक कार्य करने की क्षमता विद्यमान है। ऐसा 'डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर' उपलब्ध है, जिसकी सहायता से लगभग तीन सौ पंक्तियों प्रति मिनट की गति से देवनागरी लिपि में छापी जा सकती है। उच्च

स्तर के मुद्रण के लिए ‘लाइन तथा लेजर प्रिंटर’ उपयोग में लाया जाता है।

‘कंप्यूटर’ एक मशीन है, जिसमें सामने की ओर एक ‘दृश्य पटल’ या वीड़ियो स्क्रीन’ (video screen) लगा रहता है। कंप्यूटर के कुंजी पटल (key board) में वर्ण, अक्षर, शब्द या वाक्य टाइप (type) करता है तो वह सामने के स्क्रीन पर आ जाता है जिसे छोटे या बड़े आकार में सजाने की सुविधा होती है। अर्थात कुंजी पटल से कंप्यूटर को निर्देशित और संचालित किया जाता है।

‘सोफ्ट वेयर’ कंप्यूटर का वास्तविक कार्य करनेवाला प्रभाग है। अधिकांश कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट व्यवस्था द्विभाषिक है, उसे हिन्दी में कार्य करने के योग्य बनाया जा सकता है। इस केलिए यह आवश्यक है कि वह प्रविष्ट प्रोग्राम के हिन्दी अक्षर पहचान सके। द्विभाषिक सोफ्टवेयर बाज़ार में उपलब्ध है, जो हिन्दी में कार्य करने केलिए अत्यंत उपयोगी है। इनमें ‘सोफ्ट टेक, दिल्ली’ का प्रोग्राम ‘अक्षर’ तथा देवबेस प्रोग्राम ‘सोनाटा’ ने अपनी गुणवत्ता के कारण अलग पहचान बनायी है।

पहले कंप्यूटर में केवल अंग्रेज़ी का प्रयोग होता था, लेकिन आज हिन्दी का भी प्रयोग होता है। ‘राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय’ द्वारा विकसित किये गये ‘लीला हिन्दी प्रबोध’, ‘लीला हिन्दी प्रवीण’ एवं ‘लीला हिन्दी प्राज्ञ’ की सहायता से ग्राफिक्स द्वारा देवनागरी लिपि का अध्ययन किया जा सकता है। अग्रणी कंप्यूटर सोफ्टवेयर कंपनी ‘माइक्रोसोफ्ट’ ने हिन्दी सहित कई भारतीय भाषाओं का कंप्यूटर में उपयोग करने लायक ‘लीप ऑफोस पैकेज’ विकसित किया है। ‘आई.आई.टी, कानपुर’ ने देवनागरी कंप्यूटर के निर्माण में योगदान दिया है।

भारत का सबसे पहला ‘द्विभाषी कंप्यूटर’ है ‘सिद्धार्थ’। आज कंप्यूटर से अनुवाद कार्य भी संभव होता है। 7-1-1974 को न्यूयोर्क में सर्वप्रथम ‘अनुवादक कंप्यूटर’ का निर्माण हुआ। आज भारत में कंप्यूटर के सहारे हिन्दी अनुवाद किया जाता है।

आज कंप्यूटर में देवनागरी लिपि में से सारे कार्य हो रहे हैं, जो पहले अंग्रेज़ी में किए जाते थे।

Critical Overview / अवलोकन

भावों का संचार या संप्रेषण मुख्यतः भाषिक और भाषिकेतर दो रूपों में होता है। भाविक रूप मुख्यतः लिखित और उच्चरित दो रूप में होता है। लिखित रूप लिपिबद्ध होने से स्थान और समय की दूरी पार कर लेता है। वर्तमान युग को कंप्यूटर या संचार का युग माना गया। संचार माध्यम से आज हम एक स्थान पर बैठे हुए विश्व के कोने-कोने की जानकारी पा लेते हैं। समाचार-पत्र आकाशवाणी और दूरदर्शन संसार के प्रमुख संचार माध्यम हैं। इन वैज्ञानिक आधारों पर भाषा संचार का माध्यम बनती है। ऐसी भाष को संचार भाषा की संज्ञा दी जाती है। हिन्दी भारतवर्ष के अधिकांश लोगों द्वारा समझी और प्रयोग की जाने वाली भाषा है। इसका प्रयोग भारतवर्ष से बाहर गयाना, सूरीनाम, फिजी, ट्रिनीडाड, टुबैगो, कनाडा और अमेरिका आदि देशों में होता है।

विभिन्न संचार माध्यमों में हिन्दी अभिव्यक्ति का साधन है। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का आधार पाकर हिन्दी दिक-काल की सीमा पार कर वैश्विक धरातल को अपना चुकी है। संचार माध्यमों-आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरसंचार और कंप्यूटर में हिन्दी के बढ़ते प्रयोग और प्रयुक्तियों को देख सकते हैं।

Recap / पुनरावृत्ति

- 'मुद्रण माध्यम' के अंतर्गत पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र आदि
- 'इलेक्ट्रॉनिक माध्यम' के अंतर्गत रेडियो, दूरदर्शन, दूरभाष (टेलिफोन), मोबाइल फोन (सेल फोन), टेलिग्राम, फेक्स, सिनेमा आदि
- लैटिन भाषा के 'कम्यूनिस' शब्द से अंग्रेज़ी में 'कम्यूनिकेशन'शब्द बना
- पारिभाषिक रूप से 'संचार' शब्द का अर्थ है विचारों या सूचनाओं का आदान-प्रदान
- 'संचार भाषा' सूचना देने केलिए प्रयुक्त भाषा
- 1900 तक आते -आते पत्रों की भाषा में मानक रूप दिखाई पड़ने लगा
- आकाशवाणी की प्रसारण प्रणाली तीन स्तरीय हैं - राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय
- 'किनेमाटोग्राफ' यूनानी भाषा का शब्द है
- 'कथा' सिनेमा का आधार
- 'दूरदर्शन' सार्वजनिक प्रसारण संस्था है
- 'सोफ्ट वेयर' कंप्यूटर का वास्तविक कार्य करनेवाला प्रभाग
- भारत का सबसे पहला 'द्विभाषी कंप्यूटर' है सिद्धार्थ

Objective questions / वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. संचार माध्यमों में प्रयुक्त हिन्दी को क्या कहते हैं?
2. 'Communication' शब्द का समानार्थी हिन्दी शब्द?
3. सर्वाधिक प्रचलित किन्हीं दो संचार माध्यमों के नाम लिखिए?
4. आकाशवाणी और दूरदर्शन किसके अंन्तर्गत आनेवाले संस्थान हैं?
5. भाषा के विकास का स्रोत बिंदु क्या है?
6. प्रमुख मुद्रण माध्यम कौन - सा है?
7. रेडियो को आकाशवाणी नाम कब दिया गया?
8. भारत में बनी पहली मूक फिल्म?
9. पटकथा का समानार्थी अंग्रेज़ी शब्द क्या है?
10. Computer का हिन्दी शब्द?

Answers / उत्तर

1. संचार भाषा/ संसूचन की भाषा/ संप्रेषण की भाषा
2. संचार
3. दूरदर्शन/ आकाशवाणी/ सिनेमा/ समाचार पत्र
4. प्रसार भारती
5. संचार तथा संप्रेषण

6. समाचार पत्र
7. 1957 में
8. राजा हरिश्चंद्र
9. Screenplay
10. संगणक

Assignments / प्रदत्त कार्य

1. संचार माध्यमों पर टिप्पणी लिखिए।
2. 'दूरदर्शन' के इतिहास पर प्रकाश डालिए।
3. 'सिनेमा एवं हिन्दी भाषा के विकास' पर चर्चा कीजिए।
4. कंप्यूटर में हिन्दी भाषा के प्रयोग से संबंधित समस्याएँ।

Reference / सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी - विनोद गोदरे
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी का अध्ययन - डॉ सुशीला गुप्ता
3. प्रयोजनमूलक हिन्दी - डॉ माधव सोनटक्के
4. हिन्दी भाषा के विविध रूप - डॉ पी लता
5. हिन्दी भाषा और नागरी लिपि - भोलानाथ तिवारी
6. प्रयोजनमूलक हिन्दी : सिद्धांत और प्रयोग - दंगल झालटे
7. हिन्दी भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरूप - डॉ कैलाश चंद्र भाटिया
8. भाषा विज्ञान - डॉ भोलानाथ तिवारी

इकाई 3

राष्ट्रीय भाषा और लिंक भाषा

Learning Outcomes / अध्ययन परिणाम

- राष्ट्रभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करता है
- राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी भाषा को समझता है
- संपर्क भाषा के बारे में जानकारी हाजिल करता है
- संपर्कभाषा के रूप में हिन्दी भाषा को समझ सकता है

Prerequisites / पूर्वापेक्षा

जब कोई भाषा कई रूपों में सामने आता है तो उस भाषा के प्रत्येक रूप के बारे में चर्चा करना अनिवार्य होता है। जैसे कि हिन्दी भाषा का प्रयुक्तिपरक अनेक रूप हैं। और हर उन रूपों में हिन्दी की अलग अलग विशेषताएं भी हैं। इस अवसर पर हर उस रूप के बारे में विस्तार से चर्चा करना आवश्यक है। इस तरह हिन्दी भाषा की प्रत्येक क्षेत्र में उपादेयता एवं महत्व को हम समझ सकते हैं। हिन्दी भाषा के दो प्रमुख रूप हैं राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा। यद्यपि इन दोनों रूपों को अन्य रूपों की तरह उतनी मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन इसका महत्व बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। देश एवं विदेश में रहनेवाले भारतीयों केलिए यह दोनों रूप बहुत ही जरूरी है। स्वदेशी भारतीयों केलिए ऐसे संपुष्ट एवं गरिमामय भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा कहने का गौरव प्राप्त है और विदेशी भारतीयों यानि प्रवासियों को अपनों के बीच संपर्क साबित करने के माध्यम के रूप में हिन्दी भाषा का प्रयोग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस तरह हिन्दी भाषा के इन दोनों प्रयुक्तिपरक रूपों के बारे में चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है।

Keywords / मुख्य बिन्दु

राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रीय संपर्क भाषा, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा, अंतर्राज्यीय संपर्क भाषा

Discussion / चर्चा

राष्ट्रभाषा (National Language)

प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक समृद्ध भाषा होती है, जिसमें वह अपनी सभ्यता, संस्कृति तथा दर्शन को व्यक्त करता है। यह भाषा उस राष्ट्र में सर्वाधिक प्रचलित रहती है, उस राष्ट्र की आत्मा भी रहती है और यही उस राष्ट्र की 'राष्ट्रभाषा' (National Language) कहलाती है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आत्मा लेकर जीवित नहीं रह सकता वैसे कोई भी राष्ट्र अपनी भाषा को छोड़कर विदेशी भाषा के सहारे नहीं रह सकता। एक राष्ट्र की अपनी भाषा ही उसे उन्नति के शिखरों पर

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

पहूँचा सकती है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने सही कहा है कि 'निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल'।

'राष्ट्रभाषा' वह भाषा है, जो किसी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। यानि 'राष्ट्रभाषा' समस्त राष्ट्र की भाषा है। कोई भी भाषा तभी राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठा पाने योग्य बनती है, जबकि वह किसी राष्ट्र को पहचानने की क्षमता से पूर्ण हो। अर्थात एक राष्ट्र की 'राष्ट्रभाषा' के द्वारा ही उस राष्ट्र को पहचाना जाता है। उसका प्रयोग क्षेत्र विस्तृत होता है।

जो भाषा किसी राष्ट्र के सर्वाधिक लोगों को लिखने, बोलने तथा समझने की भाषा है; जो भाषा राष्ट्र की आत्मा की भाषा है वही उस राष्ट्र की 'राष्ट्रभाषा' कहलाने योग्य है। हिन्दी भाषा की सार्वदेशिकता ने उसे आसानी से 'राष्ट्रभाषा' का गौरव प्रदान किया।

राष्ट्र की कोई 'लोक भाषा' या 'क्षेत्र विशेष की भाषा' किसी ऐतिहासिक कारण से राष्ट्र में प्रतिष्ठित होकर विकास पाकर अपना प्रयोग क्षेत्र व्यापक बना लेती है तथा उस राष्ट्र की अधिक से अधिक जनता द्वारा पढ़ी, लिखी, बोली एवं समझी जाती है तो वह उस राष्ट्र की 'राष्ट्रभाषा' के पद पर आसीन हो सकती है। किसी भी राष्ट्र की 'राष्ट्रभाषा' उस राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति की भाषा होती है। 'राष्ट्रभाषा' राष्ट्र की जनता के व्यवहार एवं प्रयोग से विकास पाती है।

राष्ट्रभाषा में सरलता, सहजता, सुगमता, स्पष्टता, सुग्राह्यता, लोकप्रियता आदि गुण होने चाहिए। 'राष्ट्रभाषा' राष्ट्र की एकता की कड़ी के रूप में उपस्थित होती है। यह राष्ट्रीय चेतना एवं राष्ट्रीय गौरव का शरीक होती है। 'राष्ट्रभाषा' में इन गुणों का होना अनिवार्य होने के कारण किसी भी राष्ट्र की 'राष्ट्रभाषा' उस राष्ट्र की अपनी भाषा होती है, कोई विदेशी भाषा नहीं। एक 'विदेशी भाषा' एक राष्ट्र की राजभाषा बन सकती है, लेकिन 'राष्ट्रभाषा' नहीं बन सकती। 'हिन्दी' में वे सभी गुण विद्यमान है, जो एक 'राष्ट्रभाषा' केलिए अनिवार्य है। हिन्दी राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही 'राष्ट्रभाषा' के गौरवपूर्ण पद पर आसीन है। राष्ट्र नेताओं ने ये सारे गुण हिन्दी में देखे जो राष्ट्रभाषा केलिए अनिवार्य हैं। अतः उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का समर्थन किया। सन् 1909 में महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक 'हिन्दी स्वराज और होमरूल' के 18 वें अध्याय में यह बात उठायी। सन् 1917 में 'गुजरात शिक्षा परिषद' के सभापति पद से भाषण देते हुए भी उन्होंने यह बात कही थी। सन् 1925 में कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस की महासमिति एवं कार्यकारिणी का काम हिन्दी में करने का प्रस्ताव इस दृष्टि से पारित हुआ। इन सब के परिणामस्वरूप हिन्दी को स्वतंत्र भारत की 'राजभाषा' का पद प्राप्त हुआ। जैसे 14 सितंबर 'हिन्दी दिवस' या 'राज भाषा दिवस' माना जाता है वैसे 'राष्ट्रभाषा' के संदर्भ में कोई 'राष्ट्रभाषा दिवस' नहीं है। एक खास तारीख को हिन्दी 'राष्ट्रभाषा' स्वीकृत नहीं हुई थी। राष्ट्रीय आंदोलन के सिलसिले में तत्कालीन आवश्यकता के अनुरूप 'हिन्दी' भारत की 'राष्ट्रभाषा' स्वीकृत हुई थी। अंग्रेज़ों को भारत में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच 'फूट डालो, राज करो' शासन नीति के कारण गाँधीजी ने राष्ट्रभाषा का नामकरण किया था 'हिन्दुस्तानी'। उन्होंने उसका 'सरल हिन्दी सरल उर्दू' अर्थ भी निर्धारित किया था। हिन्दुस्तानी नामकरण से गाँधीजी का तात्पर्य 'हिन्दी' ही था।

हिन्दीतर क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार केलिए महात्मा गाँधी द्वारा स्थापित 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (मद्रास)' पूरे दक्षिण भारत में तथा 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति (वर्धा)' अन्य हिन्दीतर क्षेत्रों में राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार कर रही हैं। दक्षिण भारत के केरल राज्य में 'केरल हिन्दी प्रचार सभा' (तिरुवनन्तपुरम) राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार करनेवाली महत्वपूर्ण संस्था है। इन संस्थाओं की हिन्दी पत्रिकाएँ हैं 'हिन्दी प्रचार समाचार', 'दक्षिण भारत' (दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा), 'राष्ट्रभाषा' (राष्ट्रभाषा प्रचार समिति), 'केरल ज्योति' (केरल हिन्दी प्रचार सभा) आदि।

संपर्क भाषा (Link Language/ Lingua Franca)

जनता को परस्पर संपर्क में आने केलिए सहायक भाषा को 'संपर्क भाषा' कहा जा सकता है।

'राष्ट्रभाषा', 'राज भाषा' जैसे हिन्दी के रूपों की तुलना में 'संपर्क भाषा' कोई विशेष रूप नहीं है।

एक राज्य के व्यक्तियों के बीच संपर्क केलिए, एक राष्ट्र के भिन्न राज्यभाषा वाले व्यक्तियों के बीच संपर्क केलिए तथा भिन्न राष्ट्रों के व्यक्तियों के बीच संपर्क केलिए 'संपर्क भाषा' का प्रयोग होता है। अर्थात 'संपर्क भाषा' संपर्क करने केलिए सहायक भाषा है।

भारत के संदर्भ में संपर्क निम्न प्रकारों से होता है - प्रत्येक राज्य के व्यक्तियों के बीच संपर्क केलिए 'राज्यभाषा' (मातृभाषा/ लोक भाषा) का प्रयोग किया जाता है। हिन्दी क्षेत्र के व्यक्ति आपसी संपर्क केलिए 'हिन्दी' का प्रयोग करते हैं। हिन्दीतर क्षेत्र तथा हिन्दी क्षेत्र के शिक्षित व्यक्तियों के बीच संपर्क केलिए 'अंग्रेज़ी' का प्रयोग किया जाता है। हिन्दी क्षेत्र के व्यक्ति तथा हिन्दीतर क्षेत्र के व्यक्ति, जिन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती वे हिन्दी के माध्यम से विचार विनिमय का प्रयास करते हैं। हिन्दीतर राज्यों के व्यक्ति आपसी संपर्क केलिए हिन्दी या अंग्रेज़ी में संपर्क करते हैं। भारत के व्यक्ति अन्य राष्ट्र के व्यक्तियों से अंग्रेज़ी में संपर्क करते हैं। विदेश में रहनेवाले भारतीय आपसी संपर्क केलिए हिन्दी का प्रयोग करते हैं।

किसी स्थान विशेष की 'संपर्क भाषा' कालांतर में ऐतिहासिक कारणों से अपने प्रयोग-क्षेत्र का बहुत विस्तार कर राष्ट्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकती है तथा 'राष्ट्रभाषा' का पद प्राप्त कर सकती है। जैसे कि दिल्ली, मेरठ तथा आसपास के प्रांतों में मात्र प्रचलित खड़ीबोली ने तीर्थाटकों, सैनिकों तथा व्यापारियों के ज़रिए 'संपर्क भाषा' के रूप में भारत में स्थान पाया तथा राष्ट्रीय आन्दोलन के सिलसिले में उसने भारत की 'राष्ट्रभाषा' की मान्यता प्राप्त की।

इस प्रकार भारत में 'संपर्क भाषा' के रूप में हिन्दी और अंग्रेज़ी का प्रयोग करते आया है। एक 'राजभाषा' का निश्चित स्वरूप होता है, किन्तु संपर्क भाषा का निश्चित रूप संबन्धी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं की गयी है। 'संपर्क भाषा' इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह राज्यों तथा राष्ट्र में सामाजिकों को परस्पर संपर्क करने केलिए काम में आती है। भारत के संदर्भ में देखें तो समूचे भारत में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा साहित्यिक विचारों के आदान प्रदान के माध्यम के रूप में हिन्दी का स्थान महत्वपूर्ण है। यानी हिन्दी भारत की 'संपर्क भाषा' है, जो भारत के अधिक से अधिक लोग जानते हैं। जैसे कि ऊपर बताया जा चुका है, भारत में आवश्यकतानुसार 'संपर्क भाषा' के रूप में अंग्रेज़ी का भी प्रयोग किया जाता है। हिन्दी भाषा के देश व्यापी बनने के कारणों में यहाँ की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। तीर्थ यात्री, धार्मिक पुरुष तथा व्यापारी आपसी व्यवहार केलिए हिन्दी का ही अधिकतर प्रयोग करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। इस प्रकार हिन्दी भारत की 'संपर्क भाषा' थी, है और रहेगी।

भारत में 'संपर्क भाषा' हिन्दी के कुछ रूप देखने को मिलते हैं, जैसे - राष्ट्रीय संपर्क भाषा, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा और अंतर्राज्यीय संपर्क भाषा।

राष्ट्रीय संपर्क भाषा - यह राष्ट्रीय स्तर की संपर्क भाषा है। भारत के हिन्दी भाषा भाषी राज्य हिन्दी में केन्द्र सरकार से संपर्क साधते हैं। लेकिन हिन्दीतर भाषा भाषी राज्य अंग्रेज़ी में केन्द्र सरकार से संपर्क साधते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ राज्य आपस में और कुछ राज्य केन्द्र सरकार से तथा केन्द्र सरकार कुछ राज्यों से (विशेषकर हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों से) संपर्क साधने केलिए हिन्दी भाषा के साथ-साथ आवश्यकतानुसार अंग्रेज़ी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। अतः राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेज़ी का प्रयोग भी देखने को मिलता है।

अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा - राष्ट्रों के बीच संपर्क साधने केलिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह 'अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा' कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में अधिकतर राष्ट्र अंग्रेज़ी का ही प्रयोग करते हैं। भारत भी अन्य राष्ट्रों से संपर्क साधने केलिए अंग्रेज़ी भाषा का ही प्रयोग करता है।

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

अंतर्राज्यीय संपर्क भाषा - एक राष्ट्र का एक राज्य उसी राष्ट्र के दूसरे राज्य से संपर्क साधने केलिए जिस भाषा का प्रयोग करता है, वह अंतर्राज्यीय संपर्क भाषा है। भारत में अंतर्राज्यीय संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों के बीच परस्पर संपर्क की भाषा मुख्यतः हिन्दी है। किन्तु आवश्यकतानुसार या संदर्भानुसार अंग्रेज़ी का प्रयोग भी किया जाता है। भारत के हिन्दीतर राज्यों (दक्षिण भारत के चारों राज्यों को छोड़कर) के परस्पर संपर्क की भाषा मुख्यतः अंग्रेज़ी है और कम संदर्भों में हिन्दी का भी प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत के राज्यों के बीच संपर्क की भाषा अंग्रेज़ी है। दक्षिण भारत के हिन्दी पढ़े-लिखे व्यक्ति अन्य राज्यों के हिन्दी जाननेवाले व्यक्तियों से हिन्दी माध्यम से संपर्क करते हैं।

संपर्क बातचीत द्वारा होता है, पत्र व्यवहार द्वारा भी। भारत में 'संपर्क भाषा' के रूप में हिन्दी के साथ साथ अंग्रेज़ी का प्रयोग इसलिए देखने को मिलता है कि 'संपर्क भाषा' के संबन्ध में कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं की गयी है। किन्तु 'संपर्क भाषा' इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक राज्य को दूसरे राज्य से तथा एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से संपर्क साधने केलिए यह महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है।

किसी भी बहुभाषा - भाषी राष्ट्र में 'संपर्क भाषा' वही हो सकती है, जो राष्ट्र में सर्वाधिक प्रचलित भाषा है, जो अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली एवं समझी जाती है। इस दृष्टि से देखें तो हिन्दी ही भारत की 'संपर्क भाषा' बनने योग्य है, जिसके द्वारा साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक बातों का आदान-प्रदान होता है।

Critical Overview / अवलोकन

हिन्दी भाषा के दो प्रमुख रूप हैं राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। इन दोनों रूपों का अपनी अलग महत्व है। यह दोनों ही किसी देश की भाषाई पहचान और संचार प्रणाली को परिभाषित करता है। राष्ट्रभाषा किसी देश की आधिकारिक भाषा होती है जो ज्यादातर लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। यह देश की अखंडता को बनाए रखती है। भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में हिन्दी ही राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होने केलिए सर्वदा योग्य है। यद्यपि राष्ट्रभाषा को राजभाषा या अन्य किसी भाषाई रूप की तरह सम्मान प्राप्त नहीं है या किसी विशेष दिन के तहत मनाया नहीं जाता, हर भारतीय केलिए यह हिन्दी भाषा का गौरवान्वित रूप है।

Recap / पुनरावृत्ति

- राष्ट्र में सर्वाधिक प्रचलित भाषा को राष्ट्रभाषा कहता है
- एक राष्ट्र की अपनी भाषा ही उसे उन्नति के शिखरों पर पहूँचाती है
- 'राष्ट्रभाषा' राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है
- हिन्दी भाषा की सार्वदेशिकता ने उसे आसानी से 'राष्ट्रभाषा' का गौरव प्रदान किया
- राष्ट्रभाषा में सरलता, सहजता, सुगमता, स्पष्टता, सुग्राह्यता, लोकप्रियता आदि गुण होने चाहिए
- परस्पर संपर्क केलिए प्रयुक्त भाषा को 'संपर्क भाषा' कहते हैं
- भारत में 'संपर्क भाषा' के रूप में हिन्दी और अंग्रेज़ी का प्रयोग होता है
- 'संपर्क भाषा' हिन्दी के कुछ रूप - राष्ट्रीय संपर्क भाषा, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा, अंतर्राज्यीय संपर्क भाषा

- राष्ट्रीय संपर्क भाषा - यह राष्ट्रीय स्तर की संपर्क भाषा
- अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा - राष्ट्रों के बीच संपर्क साधने केलिए प्रयुक्त संपर्क भाषा
- अंतर्राज्यीय संपर्क भाषा - किसी राष्ट्र का एक राज्य उसी राष्ट्र के दूसरे राज्य से संपर्क साधने केलिए प्रयुक्त करनेवाली भाषा

Objective questions / वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राष्ट्रभाषा की समानार्थी अंग्रेजी शब्द?
2. 'निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल' - किसका कथन है?
3. कौन सी भाषा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है?
4. भारत की राष्ट्रभाषा कौनसी है?
5. राष्ट्रभाषा में कौन कौन से गुण होने चाहिए?
6. 'हिन्दी स्वराज और होमरूल' किसकी पुस्तक है?
7. हिन्दी दिवस कब मनाया जाता है?
8. 'सरल हिन्दी, सरल उर्दू' क्या है?
9. भारत की संपर्क भाषा कौन सी है?
10. राष्ट्रीय संपर्क भाषा किस स्तर की है?

Answers / उत्तर

1. National Language
2. भारतेन्दु हरिश्चंद्र
3. राष्ट्रभाषा
4. हिन्दी
5. सरलता, सहजता, सुगमता, स्पष्टता, सुग्राह्यता, लोकप्रियता
6. महात्मा गांधी
7. सितंबर 14
8. हिन्दुस्तानी
9. हिन्दी
10. राष्ट्रीय स्तर

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

Assignments / प्रदत्त कार्य

1. भारत की राष्ट्रभाषा पर टिप्पणी लिखिए।
2. राष्ट्रभाषा केलिए अपेक्षित गुणों पर प्रकाश डालिए।
3. राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा में अंतर।
4. संपर्क भाषा पर टिप्पणी लिखिए।
5. संपर्क भाषा के प्रकारों पर टिप्पणी लिखिए।

Reference / सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी - विनोद गोदरे
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी का अध्ययन - डॉ सुशीला गुप्ता
3. प्रयोजनमूलक हिन्दी - डॉ माधव सोनटक्के
4. हिन्दी भाषा के विविध रूप - डॉ पी लता
5. हिन्दी भाषा और नागरी लिपि - भोलानाथ तिवारी
6. प्रयोजनमूलक हिन्दी : सिद्धांत और प्रयोग - दंगल झालटे
7. हिन्दी भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरूप - डॉ कैलाश चंद्र भाटिया
8. भाषा विज्ञान - डॉ भोलानाथ तिवारी

इकाई 4

हिन्दी का स्थानीय रूप

Learning Outcomes / अध्ययन परिणाम

- भाषा के स्थानीय रूप के बारे में पता चलता है
- हिन्दी के स्थानीय रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है
- हिन्दी की विभिन्न उपभाषाओं के बारे में सीखता है
- हिन्दी भाषा की विभिन्न बोलियों के संबंध में जानकारी मिलती है

Prerequisites / पूर्वापेक्षा

भारत एक बहु भाषा भाषी देश है। और यहाँ सबसे ज्यादा हिन्दी भाषा ही बोली जाती है। हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा आदि रूपों में सामने आती है। फिर भी हिन्दी भाषा के अनेकों रूप हैं। इन रूपों को विशेष क्षेत्रों के अंतर्गत रखकर हम पढ़ सकते हैं। हिन्दी भाषा की कई उपभाषाएँ एवं बोलियाँ है, जिसका अध्ययन अत्यंत रोचक है।

Keywords / मुख्य बिन्दु

पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी, पहाड़ी, विहारी

Discussion / चर्चा

किसी अत्यंत छोटे क्षेत्र या स्थान विशेष की बोली कभी कभी अपनी विशेषता लिए रहती है, जिसे स्थानीय बोली (Local Dialect) कहते हैं।

हिन्दी की उपभाषाएँ तथा बोलियाँ

हिन्दी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार में है, जिसे हिन्दी (भाषी) प्रदेश कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र में हिन्दी की पाँच उपभाषाएँ हैं, जिनके अन्तर्गत मुख्यतः 17 बोलियाँ हैं:

1. पश्चिमी हिन्दी - खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुन्देली, कन्नौजी
2. पूर्वी हिन्दी - अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी
3. राजस्थानी - पश्चिमी राजस्थानी (मारवाड़ी), पूर्वी राजस्थानी (जयपुरी), उत्तरी राजस्थानी (मेवाती), दक्षिणी राजस्थानी (मालवी)
4. पहाड़ी - पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी (कुमायूँनी-गढ़वाली)
5. बिहारी - भोजपुरी, मगही, मैथिली

बोलियाँ:-

खड़ीबोली - 'खड़ीबोली' शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है :- एक तो साहित्यिक हिन्दी खड़ीबोली के अर्थ में और दूसरे दिल्ली-मेरठ के आसपास की

लोक बोली के अर्थ में। यहाँ दूसरे अर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इसी अर्थ में कुछ लोग 'कौरवी' का भी प्रयोग करते हैं। 'कुरु' जनपद की बोली होने के कारण राहुल सांकृत्यायन ने इसे यह नाम दिया था। 'खड़ीबोली' में खड़ी शब्द का अर्थ विवादास्पद है। कुछ लोगों ने 'खड़ी' का अर्थ 'खरी' (Pure) अर्थात 'शुद्ध' माना है, तो दूसरों ने 'खड़ी' (Standing)। कुछ अन्य लोग इसका संबंध खड़ीबोली में अधिकता से प्रयुक्त खड़ी पाई (गया, बड़ा, का) तथा उसके ध्वन्यात्मक प्रभाव कर्कशता से जोड़ते हैं। यों अभी तक यह प्रश्न अनिश्चित है। खड़ीबोली या कौरवी का उद्‌भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है तथा इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली नगर का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ीबोली बहुत सम्पन्न है और इसमें पवाड़ा, नाटक, लोककथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इनका काफ़ी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी तथा दक्खिनी एक सीमा तक खड़ीबोली पर आधारित हैं।

ब्रजभाषा - 'ब्रज' का पुराना अर्थ 'पशुओं या गौओं का समूह' या 'चरागाह' आदि हैं। पशु-पालन के प्राधान्य के कारण यह क्षेत्र कदाचित ब्रज कहलाया, और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रजभाषा अथवा ब्रजी कही जाती है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रजभाषा बहुत सम्पन्न है। हिन्दी प्रदेश के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रजभाषा में साहित्य-रचना होती रही है। सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर आदि इसके प्रमुख कवि हैं।

हरियाणी - हरियाणी का विकास उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। खड़ीबोली, अहीरवाटी, मारवाड़ी, पंजाबी से घिरी इस बोली को कुछ लोग खड़ीबोली का पंजाबी से प्रभावित रूप मानते हैं। इसका क्षेत्र मोटे रूप से हरियाणा, पंजाब का कुछ भाग तथा दिल्ली का देहाती भाग है। हरियाणी में केवल लोक साहित्य है, जिसका कुछ अंश प्रकाशित भी हो चुका है।

बुन्देली - 'बुन्देले' राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा के पास के झाँसी, छतरपुर, सागर आदि तथा आस-पास के भाग को बुंदेलखंड कहते हैं। वहीं की बोली बुन्देली या बुन्देलखण्डी है। इसका क्षेत्र झाँसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भूपाल, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद तथा आस-पास का क्षेत्र है। बुन्देली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बुन्देली में लोक साहित्य काफ़ी है, जिनमें इसुरी के फाग बड़े प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि हिन्दी प्रदेश की प्रसिद्ध लोकगाथा 'आल्हा' जिसे हिन्दी साहित्य में श्री स्थान मिला है मूलतः बुन्देली की एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया था।

कन्नौजी - कन्नौज (संस्कृत कान्यकुब्ज) इस बोली का केन्द्र है, अतः इसका नाम कन्नौजी पड़ा है। यह इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपूर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि में बोली जाती है। कन्नौजी, शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। यह ब्रजभाषा से इतनी अधिक समान है, कि कुछ लोग इसे ब्रजभाषा की ही एक उपबोली मानते हैं। कन्नौजी में केवल लोक-साहित्य मिलता है, जिसमें से कुछ अंश प्रकाशित भी हो चुका है।

अवधी - इस बोली का केन्द्र अयोध्या है। 'अयोध्या' का ही विकसित रूप 'अवध' है, जिससे 'अवधी' शब्द बना है। इसके उद्‌भव के संबंध में विवाद है। अधिकांश विद्वान इसका सम्बन्ध अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं, किन्तु कुछ लोग पाली की इससे समानता के आधार पर इस मत को नहीं मानते। अवधी का क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर (अंशतः), उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर फ़ैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि हैं। अवधी में साहित्य तथा लोकसाहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में हैं। इसके प्रसिद्ध कवि मुल्ला दाऊद, कुतुबन,

जायसी, तुलसीदास, उसमान, सबलसिंह आदि हैं।

बघेली - बघेले राजपूतों के आधार पर रीवां तथा आसपास का क्षेत्र बघेलखंड कहलाता है और वहाँ की बोली को बघेलखंडी या बघेली कहते हैं। बघेली का उद्‌भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। यद्यपि जनमत इसे अलग बोली मानता है, किंतु भाषा- वैज्ञानिक स्तर पर यह अवधी की ही एक उपबोली ज्ञात होती है, और इसे दक्षिणी अवधी कह सकते हैं। इसका क्षेत्र रीवाँ, नागौद, शहडोल, सतना, मैहर तथा आस-पास के क्षेत्र हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर बघेली में केवल लोक साहित्य है।

छत्तीसगढ़ी - मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा है। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से इसका विकास हुआ है। इसका क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, राजनाँदगाँव, काँकेर आदि है। छत्तीसगढ़ी में केवल लोक साहित्य है।

पश्चिमी राजस्थानी - राजस्थानी का यह रूप पश्चिमी राजस्थान अर्थात जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि में बोला जाता है। इसे मारवाड़ी भी कहते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से इसका विकास हुआ है। मारवाड़ी में साहित्य तथा लोकसाहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। मीराबाई के पद इसी में लिखे गए हैं।

उत्तरी राजस्थानी - उत्तरी राजस्थान में इसका क्षेत्र अलवर, गुड़गाँव, भरतपुर तथा आसपास है। इसे मेवाती भी कहते हैं। मेवाती का नाम 'मेव' जाति के इलाके मेवात के नाम पर पड़ा है। इसकी एक मिश्रित बोली अहीरवाटी है जो गुड़गाँव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस पर हरियाणी का बहुत प्रभाव है। मेवाती में केवल लोक-साहित्य है। उत्तरी राजस्थानी का उद्‌भव शौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है।

पूर्वी राजस्थानी - राजस्थान के पूर्वी भाग में जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि में यह बोली जाती है। इसकी प्रतिनिधि बोली जयपुरी है जिसका केन्द्र जयपुर है। जयपुरी को ढूंढाणी भी कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का पुराना नाम ढूंढाण है। शौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से विकसित इस बोली में केवल लोक-साहित्य है।

दक्षिणी राजस्थानी - इन्दौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद तथा आसपास इसका क्षेत्र है। इसकी प्रतिनिधि बोली मालवी है, जिसका मुख्य क्षेत्र मालवा है। शौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से विकसित इस बोली में कुछ साहित्य तथा पर्याप्त लोक-साहित्य है।

पश्चिमी पहाड़ी - जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा तथा आसपास इसका क्षेत्र है। इसे प्रायः खस नामक एक कल्पित अपभ्रंश से विकसित माना जाता है किंतु भोलानाथ तिवारी के विचार में यह शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से विकसित है। पश्चिमी पहाड़ी में केवल लोक-साहित्य मिलता है।

मध्यवर्ती पहाड़ी - शौरसेनी अपभ्रंश (एक मत से खस अपभ्रंश) से विकसित इस बोली का क्षेत्र गढ़वाल, कुमायूँ, तथा आसपास के कुछ क्षेत्र हैं। वस्तुतः यह गढ़वालों और कुमायूंनी दो बोलियों का सामूहिक नाम है। इन बोलियों में लोक-साहित्य तो पर्याप्त मात्रा में है, साथ ही कुछ साहित्य भी है।

भोजपुरी - बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गाँव के नाम के आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा है। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस (अंशतः), जौनपुर (अंशतः), मिर्जापुर (अंशतः), गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारन, सारन तथा आसपास के कुछ क्षेत्र हैं। हिन्दी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी के बोलने वाले सबसे अधिक हैं। इसमें केवल लोक-साहित्य मिलता है। इधर कुछ वर्षो से साहित्य की रचना भी हुई है। ये दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्रकाशित हैं।

मगही - संस्कृत 'मगध' से विकसित शब्द 'मगह' पर इसका नाम आधारित है। मागधी अपभ्रंश से विकसित

यह बोली पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर में तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें लोक-साहित्य काफी है। कुछ साहित्य भी है।

मैथिली - मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित यह बोली हिन्दी क्षेत्र और बंगाली क्षेत्र की संधि पर मिथिला में बोली जाती है। 'मिथिला' से ही इस बोली के नाम का संबंध है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पुनिया, तथा मुंगेर आदि में इसका क्षेत्र है। लोक-साहित्य की दृष्टि से मैथिली बहुत सम्पन्न है, साथ ही इसमें साहित्य-रचना अत्यंत प्राचीन काल से होती चली आई है। हिन्दी साहित्य को विद्यापति जैसे रससिद्ध कवि देने का श्रेय मैथिली को ही है। इनके अतिरिक्त गोविन्ददास, रणजीतलाल, हरिमोहन झा आदि भी इसके अच्छे साहित्यकार हैं।

Critical Overview / अवलोकन

हिन्दी का स्थानीय रूप वह रूप है जो किसी विशेष क्षेत्र समुदाय या समाज में बोला और प्रयोग किया जाता है। स्थानिय रूपों में अनेक भाषायी भेद होते हैं जैसे अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणी, राजस्थानी आदि से क्षेत्रिय बोलियाँ आम तौर पर एक दूसरे से अलग दिखती हैं, लेकिन इनका मूल भाषा एक ही होती है, जो हिन्दी है।

हिन्दी का स्थानीय रूप न केवल भाषा की विविधता को दर्शाता है, बल्कि यह सामाजिक और साँस्कृतिक जीवन का अहम हिस्सा भी होता है।

Recap / पुनरावृत्ति

- हिन्दी भाषा की उपभाषाएँ - पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी
- बिहारी - भोजपुरी, मगही, मैथिली
- हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी तथा दक्खिनी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित हैं
- साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रजभाषा बहुत सम्पन्न है
- हरियाणी का विकास उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है
- कन्नौजी, शौरसेनी अपभ्रंश से
- अवधी के प्रसिद्ध कवि मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, तुलसीदास, उसमान, सबलसिंह आदि
- मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ होने के कारण नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा
- पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी भी कहते हैं
- उत्तरी राजस्थानी को मेवाती भी कहते हैं

Objective questions / वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. पूर्वी हिन्दी की बोलियाँ कौन कौन सी हैं?
2. बिहारी हिन्दी की बोलियों का नाम लिखिए।
3. हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी तथा दक्खिनी किस बोली पर आधारित हैं?
4. ब्रजभाषा का अन्य नाम?
5. बुंदेलखंड की बोली को क्या कहते हैं?
6. अवधी बोली का केंद्र?

7. बघेली का क्षेत्र?
8. छत्तीसगढ़ी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है?
9. उत्तरी राजस्थानी का अन्य नाम?
10. मिथिला क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है?

Answers / उत्तर

1. अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी
2. भोजपुरी, मगही, मैथिली
3. खड़ीबोली
4. ब्रजी
5. बुन्देली या बुन्देलखंडी
6. अयोध्या
7. रीवाँ, नागौद, शहडोल, सतना, मैहर तथा आस-पास का क्षेत्र है
8. अर्धमागधी अपभ्रंश
9. मेवाती
10. मैथिली

Assignments / प्रदत्त कार्य

1. हिन्दी भाषा की बोलियों पर टिप्पणी लिखिए।
2. हिन्दी की उपभाषाओं पर प्रकाश डालिए।
3. हिन्दी की बोलियों एवं उनके क्षेत्रों पर टिप्पणी लिखिए।

Reference / सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी - विनोद गोदरे
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी का अध्ययन - डॉ. सुशीला गुप्ता
3. प्रयोजनमूलक हिन्दी - डॉ. माधव सोनटक्के
4. हिन्दी भाषा के विविध रूप - डॉ. पी लता
5. हिन्दी भाषा और नागरी लिपि - भोलानाथ तिवारी
6. प्रयोजनमूलक हिन्दी : सिद्धांत और प्रयोग - दंगल झालटे
7. हिन्दी भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरूप - डॉ. कैलाश चंद्र भाटिया
8. भाषा विज्ञान - डॉ. भोलानाथ तिवारी

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

इकाई 5

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हिन्दी

Learning Outcomes / अध्ययन परिणाम

- हिन्दी की अंतर्राष्ट्रीय स्थान के बारे में समझ सकता है
- हिन्दी भाषा को वैश्विक परिदृश्य में देख सकते हैं
- हिन्दी भाषा की संभावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होता है

Prerequisites / पूर्वापेक्षा

हिन्दी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है, जिसे 60 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं। हिन्दी भारत की राजभाषा होने के साथ-साथ विश्व की कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में मान्यता प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है। हिन्दी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है, जिसे विदेशों में भी पढ़ाया और सिखाया जाता है। हिन्दी साहित्य और संस्कृति का विश्व में व्यापक प्रभाव है। अंतर्राष्ट्रीय संचार, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान आदि में हिन्दी भाषा का उपयोग किया जाता है।

Keywords / मुख्य बिन्दु

उदारीकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, विश्व भाषा

Discussion / चर्चा

विश्व भाषा के रूप में हिन्दी

सरकार की आर्थिक उदारीकरण (Liberalization) की नीति तथा भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण (Globalization) स्वतंत्र भारत में अंग्रेज़ी का वर्चस्व स्थापित करने में एक प्रकार से सहायक बने हैं। ऐसा भी मानना पड़ेगा कि भूमंडलीकरण से हिन्दी की स्थिति भी बेहतर हुई है। विदेशों में रोज़गार आदि के लिए बसनेवाले भारतीय परस्पर हिन्दी ही बोलते हैं। भारत में रोज़गार आदि के लिए आनेवाले विदेशी अंग्रेज़ी के सिवा टूटी-फूटी हिन्दी में यहाँ के लोगों से बोलने का प्रयास करते हैं। विदेश के लोग हिन्दी पढ़ना चाहते हैं तो उसका मुख्य कारण 'वसुधैव कुटुम्बकम' तत्व पर आधारित भूमंडलीकरण है। भूमंडलीकरण से भारत में रोज़गार के अवसर विदेश के लोगों केलिए भी बढ़े हैं। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच बढ़ती अन्योन्याश्रित प्रवृत्ति ही 'भूमंडलीकरण' है।

आज भारत के 'सिनेमा' विश्व स्तर के मानने लगे हैं। विदेशी नागरिकों का 'हिन्दी फिल्म' के प्रति आकर्षण बढ़ा है।

भूमंडलीकरण से देश विदेश में हिन्दी का उपयोग बढ़ने का एक कारण 'विज्ञापन' में हिन्दी का बदला प्रयोग है। आज जन-साधारण की क्रय शक्ति बढ़ने से कंपनियों अपने उत्पादों को और आकर्षक 'हिन्दी

विज्ञापनों' से जनसाधारण को आकर्षित करने का प्रयास करती है। भारत में भी बहुराष्ट्र कंपनियाँ हैं, अतः हिन्दी विज्ञापनों के जरिए चीज़ों का प्रसार बढ़ना सहज है।

एक भाषा के वैश्विक रूप का परिचय पाने केलिए विश्व स्तर पर उसका उपयोग कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है इस पर ध्यान देना है। हिन्दी 'विश्व भाषा' है और विदेशों में उसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। मोरिशस में सन् 1926 में 'हिन्दी प्रचारिणी सभा' की स्थापना 'तिलक विद्यालय' नाम से हुई। कोरिया के एक प्रसिद्ध नगर टोराण्टों से 'संगम' नाम से एक पत्र तथा 'संवाद' नाम से एक मासिक पत्रिका हिन्दी में निकलती हैं। रूस, जापान, फिनलैण्ड, मोरिशस, फिजी, सूरीनाम, इंडोनेशीया, गुयाना, सुमात्रा, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, चीन, रोमानिया आदि कई जगहों में हिन्दी का उपयोग होता है। विश्व भर में समाचार बुलेटिन, सिनेमा तथा कैसेट के माध्यम से हिन्दी का प्रसार हो रहा है। मोरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, ट्रिनीडाड, टेबेगा आदि भारतवंशी बहुल देश हैं, जहाँ के लगभग 40 प्रतिशत लोग हिन्दी का प्रयोग करते हैं। जिन बाहरी देशों में भारतीय मूल के लोग अधिक मात्रा में रहते हैं वहाँ हिन्दी का प्रचार प्रसार हो रहा है।

मोरिशस में कई व्यक्ति आज भी 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' की परिक्षाओं में भाग लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के फिजी नामक द्वीप में हिन्दी पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। वहाँ के बाज़ारों में अंग्रेज़ी के साथ - साथ हिन्दी में भी नाम फलक लिखे जाते हैं। कई सड़कों के नाम हिन्दी में लिखे गये हैं। हिन्दी की पाठशाला यहाँ सन् 1936 में खोली गयी थी।

सन् 2009 तक की गणना के अनुसार कुल 175 विश्वविद्यालयों में विदेशों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। इनमें 45 विश्वविद्यालय सर्वाधिक विकसित राष्ट्र अमेरिका में हैं। अमेरिका के ऐसे विश्वविद्यालयों में प्रमुख हैं- कालिफोरनिया, शिकागो, टेक्सास, कोलंबिया आदि।

सन् 1973 में 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा' ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का साकार स्वरूप 'विश्व हिन्दी सम्मेलन' की आवश्यकता की ओर देश का ध्यान आकृष्ट किया। इसके परिणामस्वरूप 'प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन' सन् 1975 में नागपुर (भारत) में संपन्न हुआ। अन्य 'विश्व हिन्दी सम्मेलनों' का विवरण इस प्रकार है - द्वितीय मोरिशस में, तृतीय नई दिल्ली में, चतुर्थ मोरिशस में, पंचम ट्रिनीडाड में, छठा लंदन में, सातवाँ सूरीनाम में, आठवाँ न्यूयोर्क में। नवाँ जोहन्नासबर्ग में, दसवाँ भोपाल में ग्यारहवाँ पोर्ट लूईस में, तथा बारहवाँ फिजी में। हिन्दी को 'विश्व भाषा' का स्थान देने के प्रयत्न के सिलसिले में भारत सरकार ने 'आठवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन' अमेरिका के प्रमुख शहर न्यूयोर्क के संयुक्त राष्ट्र संघ के भवन में आयोजित किया। इस अवसर पर हमारे राष्ट्र प्रेमी हिन्दी सेवी व्यक्तियों ने हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की माँग की। अब इस बात पर संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N.O) में गंभीर चर्चा हो रही है। विश्व भाषा के रूप में हिन्दी की प्रगति केलिए ज्ञान-विज्ञान की सामग्री अधिकाधिक हिन्दी में तैयार करनी चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा के रूप में हिन्दी को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए।

अमेरिका के व्यापारिक शहर न्यूयोर्क में 13 जुलाई 2007 से 15 जुलाई 2007 तक संपन्न 'आठवें विश्व हिन्दी सम्मेलन' में संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N.O) के महासचिव श्री बान की मून (Ban ki moon) ने हिन्दी में सदस्यों का संबोधन किया। उन्होंने 'नमस्ते' और 'क्या हाल चाल है?' आदि हिन्दी शब्दों से सम्मेलन के हिन्दी प्रेमी सदस्यों का दिल मोह लिया।

'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा' की माँग और प्रयास से तथा 'विश्व हिन्दी सम्मेलनों' के मंतव्य पर आधारित महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय संसद में प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार द्वारा वर्धा में स्थापित किया गया तथा मोरिशस में फ़रवरी 2008 में 'विश्व हिन्दी सचिवालय' (World Hindi Secretariat) की स्थापना की गयी। इस विश्व हिन्दी सचिवालय से 'विश्व हिन्दी त्रैमासिक' निकलती है। संप्रति (सन्

2010 में) इस पत्रिका की प्रधान संपादिका हैं श्रीमती डॉ. विनोद बाला अरुण तथा संपादक हैं डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र।

विदेशों में हिन्दी का अध्ययन होने के साथ - साथ हिन्दी में पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। जापान में विगत कई वर्षों से 'सर्वोदय' पत्रिका प्रकाशित हो रही है। करीब 61 वर्ष पूर्व यहाँ के भाषा विद्वान प्रो. वायवो दोई ने प्रयाग विश्वविद्यालय से एम.ए तथा पी-एच.डी की उपाधियाँ प्राप्त की, साथ ही उन्होंने प्रेमचन्द के 'गोदान' उपन्यास का अनुवाद भी जापानी भाषा में किया।

प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन 10-13 जनवरी 1975 को 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा' द्वारा आयोजित किया गया। इस स्मृति में भारत सरकार ने 10 जनवरी को प्रतिवर्ष 'विश्व हिन्दी दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।

चीनी भाषा में रवीन्द्रनाथ टागोर की कृतियों, मैला आंचल (फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास) आदि का अनुवाद हुआ है। चीन की ऐतिहासिक दीवार की स्वागत शिला पर 'ओम नमो भगवते' हिन्दी में लिखा गया है।

अमेरिका के स्कूलों में अब यह व्यवस्था की गयी है कि किसी पाठशाला में यदि 10 प्रतिशत छात्र हिन्दी पढ़ने की मांग करते हों तो इसकी तुरंत व्यवस्था की जाए। हिन्दी भाषा की जानकारी अमेरिका में एक सामयिक ज़रूरत के तौर पर देखी जा रही है। एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में हिन्दी की प्रगति पर ध्यान देकर टेक्सास प्रांत ने अपने हाईस्कूल के छात्रों केलिए 480 पृष्ठोंवाली हिन्दी पाठ्य पुस्तक- नमस्ते - तैयार की है। भारतीय मूल के शिक्षक श्री अरुण प्रकाश ने यह पुस्तक तैयार की है। टेक्सास प्रांत हिन्दी की लोकप्रियता के मामले में अमेरिका में सब से आगे है।

अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार हिन्दी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक एक विदेशी फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी है। उन्होंने फ्रेंच भाषा में 'इस्त्वार द ला लितेरात्यूर ऐंदुई ए ऐंदुस्तानी' नामक ग्रन्थ में अंग्रेज़ी वर्णक्रमानुसार हिन्दी और उर्दू भाषा के अनेक कवियों और कवयित्रियों का परिचय दिया है। ग्रन्थ के आरंभ में लेखक ने 25 पृष्ठों की भूमिका में हिन्दी भाषा और उसके साहित्य के विषय में विचार प्रकट करते हुए उर्दू भाषा को हिन्दी के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया है। इससे ग्रन्थ का कलेवर अत्यधिक बढ़ गया है।

'हिन्दी ज्ञान मेरे लिये अमृतपान है, जितनी बार उसे पीता हूँ, उतनी बार लगता है, पुनः जीता हूँ।' ये पंक्तियाँ किसी भारतवासी की नहीं, वरन एक चेक नागरिक, प्रमुख शिक्षाविद् एवं भारत के पूर्व राजदूत डॉ. ओदेलोन स्मेकल की हैं। उन्होंने हिन्दी में 12 से अधिक पुस्तकें लिखीं, जो प्रकाशित भी हुईं।

हिन्दी में सर्वप्रथम बी.बी.सी. लंदन ने नियमित समाचारों का प्रसारण शुरू किया था। किन्तु अब हिन्दी प्रसारण हेतु 'वॉयस ऑफ अमेरिका', 'जर्मन रेडियो', 'जापान रेडियो', 'पेकिंग रेडियो (चीन)', 'विविध भारती (सिलोण)' आदि बहुचर्चित हैं।

हमारे पूर्वज जो गिरमिटिया मज़दूर (Contracted Labour) होकर मोरीशस, सूरीनाम, फिजी, ट्रिनीडाड, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में गये, वे अपने साथ तुलसीदास के 'रामचरित मानस' और 'हनुमान चालीसा' भी ले गये। अब इन देशों में बहुत बड़ी संख्या में हिन्दी संस्थाओं द्वारा हिन्दी शिक्षण कार्य हो रहा है।

इटली के डॉ. लुइजि पियो तेस्सी तोरी ने फ्लोरेंस विश्वविद्यालय (इटली) में 'रामचरित मानस और वाल्मीकी रामायण का तुलनात्मक अध्ययन' विषय पर शोध किया। वे भारत से इतने प्रभावित हुए कि इटली छोड़कर भारत आए और जीवनपर्यंत भारत (बीकानेर) में रहे।

आज हिन्दी विश्व के कई देशों में पढ़ाई जाती है। हिन्दी का पहला व्याकरण सन् 1698 में जॉन जोशवा केटलर ने डच भाषा में लिखा। हिन्दी साहित्य का पहला इतिहास गर्सा द तासी ने सन् 1839 में फ्रेंच भाषा में लिखा। हिन्दी का पहला शोध-कार्य 'तुलसी

का धर्म दर्शन' विषय पर सन् 1918 में जे.आर. कार्पेन्टर ने लंदन विश्वविद्यालय में किया। सन् 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता के जॉन गिल क्राइस्ट हिन्दी के पहले प्रोफेसर थे। भारत में विश्वविद्यालय स्तर की हिन्दी शिक्षा अहिन्दी भाषी राज्य बंगाल के कलकत्ता विश्वविद्यलय में सर्वप्रथम (सन् 1919 में) प्रारंभ हुई। हिन्दी में सर्वप्रथम एम.ए. की उपाधि एक बंगाली सज्जन नलिनी मोहन सन्याल ने सन् 1919 में प्राप्त की।

अब 'हिन्दी' अन्तर्राष्ट्रीय भूमण्डलीकरण युग की 'विश्व भाषा' बन चुकी है।

Critical Overview / अवलोकन

हिन्दी भारत की राजभाषा होने के साथ-साथ विश्व की कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में मान्यता प्राप्त है। हिन्दी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है, जिसे 60 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं। हिन्दी का वैश्विक प्रसार निम्नलिखित देशों में देखा जा सकता है: नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो।

संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है। हिन्दी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है, जिसे विदेशों में भी पढ़ाया और सीखाया जाता है। हिन्दी साहित्य और संस्कृति का विश्व में व्यापक प्रभाव है। हिन्दी भाषा का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संचार, व्यापार, और संस्कृति आदान-प्रदान में किया जाता है।

हिन्दी को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए प्रयास करना आवश्यक है। हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए वैश्विक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करना आवश्यक है। हिन्दी साहित्य और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करना आवश्यक है।

Recap / पुनरावृत्ति

- भूमंडलीकरण से देश विदेश में हिन्दी का उपयोग बढ़ा
- मोरिशस में सन् 1926 में 'हिन्दी प्रचारिणी सभा' की स्थापना 'तिलक विद्यालय' नाम से हुई
- कुल 175 विश्वविद्यालयों में विदेशों में हिन्दी पढ़ाई जाती है
- प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन सन् 1975 में नागपुर (भारत) में
- आठवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन' अमेरिका के न्यूयोर्क के संयुक्त राष्ट्र संघ के भवन में
- मोरिशस में फ़रवरी 2008 में 'विश्व हिन्दी सचिवालय' (World Hindi Secretariat) की स्थापना
- विश्व हिन्दी सचिवालय से 'विश्व हिन्दी त्रैमासिक' निकलती है
- हिन्दी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक एक विदेशी फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी
- हिन्दी का पहला व्याकरण सन् 1698 में जॉन जोशवा केटलर ने डच भाषा में लिखा

Objective questions / वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. भूमंडलीकरण किस तत्व पर आधारित है?
2. मोरिशस में 'हिन्दी प्रचारिणी सभा' की स्थापना कब हुई?
3. प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन कहाँ सम्पन्न हुआ?
4. विश्व हिन्दी दिवस कब मनाया जाता है?
5. जापान से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है?

6. हिन्दी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक कौन है?
7. 'हिन्दी ज्ञान मेरे लिये अमृतपान है, जितनी बार उसे पीता हूँ, उतनी बार लगता है, पुनः जीता हूँ।' - यह पंक्तियाँ किसकी है?
8. हिन्दी का पहला व्याकरण किस भाषा में लिखा गया?
9. हिन्दी में सर्वप्रथम एम.ए. की उपाधि किसने प्राप्त की?
10. विदेशों में कुल कितने विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है?

Answers / उत्तर

1. वसुधैव कुटुम्बकं
2. 1926
3. नागपूर
4. जनवरी 10
5. सर्वोदय
6. गार्सा द तासी
7. डॉ. ओदेलोन स्मेकल
8. डच
9. नलिनी मोहन सन्याल
10. 175

Assignments / प्रदत्त कार्य

1. 'अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हिन्दी' विषय पर टिप्पणी लिखिए।
2. हिन्दी की वैश्विक स्वरूप पर प्रकाश डालिए।
3. विदेशों में हिन्दी शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए।
4. विदेशों की हिन्दी प्रकाशनों पर चर्चा कीजिए।

Reference / सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी - विनोद गोदरे
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी का अध्ययन - डॉ सुशीला गुप्ता
3. प्रयोजनमूलक हिन्दी - डॉ माधव सोनटक्के
4. हिन्दी भाषा के विविध रूप - डॉ पी लता
5. हिन्दी भाषा और नागरी लिपि - भोलानाथ तिवारी
6. प्रयोजनमूलक हिन्दी : सिद्धांत और प्रयोग - दंगल झालटे
7. हिन्दी भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरूप - डॉ कैलाश चंद्र भाटिया
8. भाषा विज्ञान - डॉ भोलानाथ तिवारी

BLOCK - 02

राजभाषा हिन्दी

SOU

इकाई 1

भारत में विभिन्न आधिकारिक भाषाएँ। एक राष्ट्र में राजभाषा की अनिवार्यता

Learning Outcomes / अध्ययन परिणाम

- भारत के विभिन्न आधिकारिक भाषाओं से परिचय प्राप्त करना
- राष्ट्र में राजभाषा की अनिवार्यता
- राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर

Prerequisites / पूर्वापेक्षा

आधिकारिक भाषा या राजभाषा वह भाषा होती है जिसे किसी देश, राज्य या अन्य अधिकार क्षेत्र में विशेष दर्जा दिया जाता है। भारत एक बहु भाषा-भाषी देश है। यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से लेकर नागालैंड तक अनेक भाषाएँ, उपभाषाएँ और बोलियाँ प्रचलित हैं। इनमें विभिन्नता के होते हुए भी एकता के दर्शन होते हैं। महात्मागाँधी स्वतंत्रता-संग्राम के सिलसिले में जब बहुभाषा-भाषी भारतीय जनता को स्वतंत्रता का संदेश दे रहे थे तब उन्हें मालूम हुआ कि अगर भारतियों के कण्ठ से एक ही भाषा निकले तो वह देश की एकता के लिए सुगम बनेगी। इस दृष्टि से भारतीय जन जीवन के चिन्तन तथा भावनाओं और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिन्दी भारत की संपर्क भाषा बन गयी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 14 सितंबर 1949 में 'संविधान परिषद्' द्वारा हिन्दी को राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा के पद पर आसीन करने के पीछे यह उद्देश्य था कि भारत में 'संपर्क भाषा' के रूप में विकसित हिन्दी को प्रशासनिक भाषा का रूप दिया जाए। इस दृष्टि से भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूचि के अनुसार हिन्दी यहाँ की आधिकारिक भाषा और 22 अन्य अनुसूचित भाषाएँ हैं।

Keywords / मुख्य बिन्दु

आधिकारिक भाषा, राजभाषा अष्टम अनुसूची की भाषाएँ, राष्ट्रभाषा

Discussion / चर्चा

राष्ट्र में राजभाषा की अनिवार्यता एक देश के प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए और राजनीतिक दृष्टि से देश को सफल बनाने के लिए एक देश की अपनी राजभाषा अनिवार्य है। भारत जैसे बहु भाषा - भाषी देश में संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित हिन्दी को 'राजभाषा' का पद देना सर्वथा उपयुक्त है। यहाँ राजभाषा हिन्दी की ऐतिहासिक परंपरा पर भी दृष्टि डालनी है। भारत में सभी कालों में मध्यदेश की भाषा राजभाषा रही। पहले-पहल मध्यदेश में संस्कृत का व्यापक प्रयोग हो रहा था और उस समय संस्कृत राजभाषा थी। संस्कृत के बाद 'पाली' भाषा और पाली के बाद 'अपभ्रंश' भाषा राजभाषा बनी। बारहवीं सदी के बाद भारत में तुर्कियों और अफगानियों के आगमन से फारसी यहाँ की राजभाषा बनी। उस समय आंशिक रूप से पुरानी

हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिलती थी। मुगल शासन के समय हिन्दी 'सह राजभाषा' थी। अकबर स्वयं हिन्दी लिखते थे और उनके दरबार के अब्दुल रहीम खान-ए-खाना हिन्दी के प्रसिद्ध कवि थे। हिन्दी की सह राजभाषा होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शेरशाह सूरी के समय से लेकर फारसी के साथ हिन्दी का प्रयोग भी मिलता है। अपने प्रचार-प्रसार के कारण भारतीय भाषाओं में हिन्दी 'राजभाषा' के रूप में उभरकर धीरे-धीरे आगे आ रही थी। लेकिन मुगलों के पतन के बाद फारसी का स्थान अंग्रेज़ी ने ले लिया। अंग्रेज़ी भारत की राजभाषा बनी और स्थानीय भाषाओं को 'सहराजभाषा' बनाया गया जैसे बंगाल में अंग्रेज़ी के साथ बंगला को 'सहराजभाषा' का पद मिला। उस समय भारत में देशव्यापी स्वाधीनता आन्दोलन ने कई नई विचारधाराओं को जन्म दिया। संपूर्ण देश के विकास के लिए एक राजभाषा की अनिवार्यता आयी। भारत जैसे बहुभाषा - भाषी देश में अंग्रेज़ी को 'राजभाषा' के रूप में जारी करने देना अपमानजनक बात है।

हिन्दी को भारत की 'राजभाषा' के रूप में स्वीकार करने के कई कारण हैं-

(क) देश की राजभाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह अधिकतर लोगों के लिए समझ सके और सुगम हो।

(ख) भारत की सर्वाधिक जनसंख्या हिन्दी का ही प्रयोग करती है।

(ग) भारत की अन्य भाषाओं का प्रचार अपने - अपने प्रांत तक सीमित था।

(घ) स्वाधीनता आन्दोलन के इतिहास में हिन्दी की अपनी पहचान है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा। संविधान के अनुच्छेद 344(1) धारा में उल्लिखित अष्टम अनुसूची में कुल 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। असमिया, उडिया, उर्दू, कन्नड, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, हिन्दी, सिंधी, कोंकणी, मणिपूरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आदि भाषाएँ अष्टम अनुसूची में समाविष्ट हैं। सबसे पहले 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। इनमें असमिया, उडिसा, उर्दू, कन्नड, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, हिन्दी शामिल थी। इसके बाद सन् 1967 में सिंधी भाषा को जोडा गया। सन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोडा गया और सन् 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोडा गया।

राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर

राजभाषा भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा राजकीय कार्य चलाने में सुविधा हो। इस दृष्टि से राजभाषा का सामान्य अर्थ है 'राजकाज की भाषा' या 'राजकाज चलाने की भाषा'। राष्ट्रभाषा वह है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में हो। 'राजभाषा' राजनैतिक दृष्टि से देश को सफल बनाती है जब कि 'राष्ट्रभाषा' सामाजिक-संस्कृतिक दृष्टि से उसे एकताबद्ध करती है। राजभाषा केवल राजकाज की भाषा होने के कारण उसका दायरा सीमित है लेकिन राष्ट्रभाषा इसके विपरीत जीवंत, अधिक व्यापक और अनौपचारिक होती है।

एक देश की राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक ही भाषा हो सकती है, भिन्न भाषाएँ भी हो सकती हैं। इंगलैंड में एक समय ऐसा था कि वहाँ की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी और राजभाषा फ्रेंच थी। भारत में अंग्रेज़ों के शासनकाल में यहाँ की राजभाषा अंग्रेज़ी अथवा फारसी थी, किन्तु राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी (हिन्दी) थी। 'राजभाषा' के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने देश की ही भाषा हो, जबकि जातीय अस्मिता के प्रश्न से संबन्ध होने के कारण राष्ट्रभाषा के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने देश की ही भाषा हो। भारत में हिन्दी न केवल प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा है, अर्थात राजभाषा है अपितु उसकी भूमिका राष्ट्रभाषा के रूप में भी है।

Critical Overview / अवलोकन

भारत में राजभाषा की अनिवार्यता प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यह भारतीय समाज की अधिकतर जनसंख्या द्वारा बोली जाती है और स्वाधीनता आंदोलन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत के संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार

किया और 22 भाषाओं को अष्टम अनुसूची में शामिल किया।

राजभाषा वह भाषा होती है जो सरकारी कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, जबकि राष्ट्रभाषा वह है जो पूरे देश में एकता और सामाजिक-संस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा अलग हो सकती हैं, लेकिन भारत में हिन्दी दोनों के रूप में कार्य करती है।

Recap / पुनरावृत्ति

- राजभाषा वह भाषा होती है जिसे किसी देश, राज्य या अन्य अधिकार क्षेत्र में विशेष दर्जा दिया जाता है
- जनजीवन के चिन्तन, भावनाओं एवं संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिन्दी भारत की संपर्क भाषा है
- 14 सितंबर 1949 में संविधान परिषद द्वारा हिन्दी को राजभाषा (राज काज की भाषा) के पद पर आसीन किया है
- संविधान की अष्टम अनुसूचि में 22 भाषाएँ हैं
- प्रशासनिक एवं राजनीतिक दृष्टि से देश को सफल बनाने के लिए राजभाषा अनिवार्य है
- भारत में सभी कालों में मध्यदेश की भाषा राजभाषा रही
- भारत में हिन्दी की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का मुख्य कारण यह है कि इस भाषा का प्रयोग सर्वाधिक जनसंख्या करते हैं
- असमिया, उर्दू, उडिया, कन्नड, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, हिन्दी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आदि भाषाएँ अष्टम अनुसूची में समाविष्ट हैं
- सबसे पहले 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गयी थी। उसके बाद 1967 में सिंधी को जोडा गया। सन् 1992 में कोंकणी, मणीपुरी और नेपाली भाषाओं को तथा सन् 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया

Objective questions / वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. भारत की राजभाषा क्या है?
2. संविधान के अनुच्छेद 344(1) में कितनी भाषाएँ उल्लिखित हैं?
3. मुगलों के समय हिन्दी को क्या दर्जा मिला था?
4. हिन्दी की ऐतिहासिक परंपरा में संस्कृत के बाद कौन सी भाषा थी?
5. भारत में राजभाषा कब स्वीकार की गई?
6. संविधान में सबसे पहले कितनी भाषाओं को मान्यता मिली?
7. किस सदी के बाद फारसी भारत की राजभाषा बनी?
8. हिन्दी को संविधान में कब राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया?

Answers / उत्तर

1. हिन्दी
2. 22
3. सह राजभाषा
4. पाली
5. 14 सितंबर 1949
6. 14
7. बारहवीं सदी
8. 1949

Assignments / प्रदत्त कार्य

1. एक राष्ट्र में राजभाषा की अनिवार्यता

Reference / सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी - डॉ. पी. लता, आरती प्रकाशन
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी - प्रो. एन. माधवन कुट्टी नायर, डी. कृष्ण पणिक्कर
3. प्रयोजनमूलक सिद्धान्त और प्रयोग - दंगल झाल्टे
4. प्रयोजनमूलक कामकाजी हिन्दी - डॉ. बशीरुद्दीन एम. मदरी

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

इकाई 2

राजभाषा के रूप में हिन्दी। भारतीय संवैधानिक प्रावधान - अनुच्छेद 343 से 351 तक

Learning Outcomes / अध्ययन परिणाम

- राजभाषा से परिचय प्राप्त करता है
- राजभाषा के रूप में हिन्दी का महत्व समझता है
- संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक ज्ञान अर्जितता है

Prerequisites / पूर्वापेक्षा

राजभाषा शब्द अंग्रेज़ी के official language के रुपान्तर के रूप में प्रयोग करता है। इसका अर्थ होता है- सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होनेवाली भाषा। विधि द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी कामकाज हेतु प्रयोग में लायी जानेवाली भाषा। भारत में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत की अन्य भाषाओं का प्रचार अपने-अपने प्रांत तक सीमित था। लेकिन हिन्दी एक ऐसी भाषा है जो यहाँ के अधिकांश लोगों के लिए सरल एवं सुगम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा।

Keywords / मुख्य बिन्दु

राजभाषा, संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक

Discussion / चर्चा

राजभाषा के रूप में हिन्दी

स्वाधीनता आन्दोलन ने भारत में कई नई विचारधाराओं को जन्म दिया। संपूर्ण देश के आर्थिक विकास के लिए 'स्वदेशी' का प्रचार इसका परिणाम था। इसी प्रकार भिन्न भाषा-भाषी भारत के लिए एक सामान्य भाषा की संस्तुति की गयी। हिन्दी सब केलिए एकमात्र योग्यभाषा स्वीकृत हुई। भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके सामने एक राष्ट्रीय झंडा, एक राष्ट्रीय चिह्न और एक राजभाषा का प्रस्ताव आया। हिन्दी यहाँ 'राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मानित हो चुकी थी और इसलिए उसको 'राजभाषा' के रूप में प्रस्तुत किया गया।

संविधान में राजभाषा

भारत की संविधान सभा सन् 1946 में बनी। संविधान सभा की नियम समिति ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में 1946 में ही यह निर्णय लिया था कि सभा के कामकाज की भाषा 'हिन्दुस्तानी' या 'अंग्रेजी' होगी, पर कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से सभा में अपनी मातृभाषा में भाषण दे सकेगा। 14-

07-1947 को संविधान सभा के चौथे सत्र के दूसरे दिन ही सभा के कामकाज की भाषा - संबन्धी निर्णय में यह संशोधन प्रस्तुत किया गया कि 'हिन्दुस्तानी' के स्थान पर 'हिन्दी' शब्द रखा जाए। सन् 1948 फरवरी में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह उल्लेख था कि संसद की भाषा अंग्रेज़ी नहीं हिन्दी होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजभाषा के पद पर एक अखिल भारतीय भाषा की आवश्यकता पर बल दिया। सन् 1949 अग्रस्त 6,7 के हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नागरी लिपि में लिखी जानेवाली हिन्दी को एकमन होकर स्वीकार किया गया और यह मन प्रकट किया गया कि संविधान के लागू होने के दिन से दस वर्ष की अवधि में अंग्रेज़ी के स्थान पर हिन्दी को राजभाषा के पद पर पूर्ण रूप ये आसीन होना चाहिए। राजभाषा हिन्दी का स्वरूप - निर्णय करने के लिए एक 'प्रारूप समिति' रुपायित हुई जिसमें एन. गोपालस्वामी अय्यंकार, टी.टी कृष्णन अचारी, बी. आर. अंबेडकर, सुआदुल्ला आदि सदस्य रहे। 16-8-1949 को राजभाषा की प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें 10 वर्ष तक अंग्रेजी के चलते रहने की व्यवस्था थी और अंतर्राष्ट्रीय अंकों को मान्यता दी थी। 26-8-1949 को कांग्रेस पार्टी में राजभाषा, विषयक बहस हुई जिसमें मुख्य मुद्दा 'अंतर्राष्ट्रीय अंकों.' को स्वीकार करने पर केन्द्रित रहा।

2-9-1949 को मुंशी अय्यंकार फार्मुला पेश हुआ। इस फार्मुले पर 5-9-1949 तक 65 संशोधन आ गये। प्रारूप के रचयिताओं के अनुसार संघ के कामकाज के लिए 'हिन्दी' देश की सामान्य भाषा हो और 'देवनागरी सामान्य लिपि हो, सभी संघीय प्रयोजनों के लिए वे अंक काम में लाये जायें, जिन्हें 'भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप' कहा जाता है। 14-9-1949 को सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श कर मुंशी अय्यंकार फारमुला कुछ सुधारकर स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार मुंशी अय्यंकार फार्मुला स्वीकार कर हिन्दी को 'राजभाषा' के पद पर प्रतिष्ठित किया गया।

संविधान में तीन स्तरों पर हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया गया है। प्रथम स्तर पर वह भारतीय संघ की देवनागरी लिपि में लिखित राजभाषा (official language) है यानी 'केन्द्रीय राजभाषा' का पद हिन्दी को प्रदान किया गया। दूसरे स्तर पर वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि हिन्दी प्रदेशों की प्रादेशिक भाषा (state language) है। इन राज्यों ने हिन्दी में प्रशासन कार्य का संचालन करने की घोषणा कर दी है। तीसरे स्तर पर पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात आदि प्रांतों ने अपने प्रशासन में क्रमशः पंजाबी, मराठी तथा गुजराती भाषाओं के साथ 'सह राजभाषा' के रूप में हिन्दी का प्रयोग करने की घोषणा कर दी है। आज हिन्दी भाषा का प्रयोग सामान्य, भाषा-शास्त्रीय तथा संवैधानिक - इन तीन विभिन्न संदर्भों में हो रहा है तथा संविधान ने उसे केन्द्रीय राजभाषा, प्रादेशिक भाषा तथा सह राजभाषा के रूप में मान्यता दी है।

भारतीय संवैधानिक प्रावधान - अनुच्छेद 343 से 351 तक

अनुच्छेद 343

संघ की राजभाषा

(1) संघ की राजभाषा हिन्दी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में होनेवाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खंड (1) में, किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा जिनके लिए ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले वह प्रयोग की जानी थी। परंतु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी केलिए अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा उक्त पन्द्रह साल की कालावधि के पश्चात;

(क) अंग्रेजी भाषा का, अथवा

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगा जैसे कि ऐसी विधि में उल्लिखित हों।

अनुच्छेद 341

राजभाषा के लिए आयोग और संसदीय समिति

(1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और अष्टम अनुसूचि में उल्लिखित विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधित्व करनेवाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करें और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया के भी आदेश परिभाषित करेगा।

(2) राष्ट्रपति को -

(क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के,

(ख) संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग पर निबंधनों के,

(ग) अनुच्छेद 348 में वर्णित प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग की जानेवाली भाषा के,

(घ) संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किये जानेवाले अंकों के रूप के,

(ड) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक-एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबन्ध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करे।

(3) खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशों को लागू करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायपूर्ण दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

(4) तीन सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी जिनमें से बीस लोकसभा के सदस्य होंगे और दस राज्यसभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकत्व संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(5) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खण्ड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।

(6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात सारे प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा।

अनुच्छेद 345

प्रादेशिक भाषाएँ

अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होनेवाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जानेवाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा, परन्तु जब तक राज्य का विधान - मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग करता रहेगा जिनके लिए इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले वह प्रयोग किया जाता था।

अनुच्छेद 346

एक राज्य और दूसरे के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा -

संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ के बीच में पत्रादि की राजभाषा होगी; परन्तु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिन्दी भाषा होंगी तो ऐसे पत्त्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 347

किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी विभाग द्वारा बोली जानेवाली भाषा संबन्ध में विशेष उपबंध

तद्विषयक मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जानेवाली किसी भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि वह उल्लिखित करे, राजकीय मान्यता दी जाए।

अनुच्छेद 348

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जानेवाली भाषा

(1) इस भाग के पूर्वी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक

(क)उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब कार्यवाइयाँ

(ख)जो -

(1) विधेयक अथवा उनपर प्रस्तावित किये जानेवाले जो संशोधन संसद के प्रत्येक सदन में अथवा राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित किये जायें उन सबके प्राधिकृत पाठ,

(2) अधिनियम, संसद द्वारा या राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित किये जाएँ तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किये जाएँ, उन सबके प्राधिकृत पाठ, तथा

(3) आदेश, नियम, विनियम और उपविधि इस संविधान के अधीन अथवा संसद या राज्यों के विधान मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन निकाले जायें उन सबके प्राधिकृत पाठ, अंग्रेजी भाषा में होंगे।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से हिन्दी भाषा का या उस राज्य में राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होनेवाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान रखनेवाले उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा परन्तु इस खंड की कोई बात वैसे उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय, आज्ञप्ति अथवा आदेश को लागू न होगी।

(3) खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राज्य के विधान मंडल ने, उस विधान मंडल में पुनः स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड की कंडिका (3) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेज़ी भाषा से अन्य किसी भाषा के प्रयोग को विहित किया है वहाँ उस राज्य के राजकीय सूचना-पत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेज़ी में उसका अनुवाद उस खंड के अभिप्रायों के लिए उसका अंग्रेज़ी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 349

भाषा संबन्धी कुछ विधियों को अधिनियमित करने के **लिए विशेष प्रक्रिया**

इस संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह वर्षों की कालावधि तक अनुच्छेद 348 के खंड (1) में वर्णित प्रयोजनों में से किसी केलिए प्रयोग की जानेवाली भाषा के लिए उपबंध करनेवाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुनः स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा तथा ऐसे किसी विधेयक के पुनःस्थापित अथवा ऐसे किसी संशोधन के प्रस्तावित किये जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोज की सिफारिशों पर तथा उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही राष्ट्रपति देगा।

अनुच्छेद 350

शिकायत की भाषा

भारत का कोई भी निवासी अपनी शिकायत के समाधान के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होनेवाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 351

हिन्दी भाषा के **विकास के लिए निदेश**

हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहाँ तक आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।

Critical Overview / अवलोकन

स्वाधीनता आंदोलन ने भारत में कई विचारधाराओं को जन्म दिया, जिनमें 'स्वदेशी' और एक सामान्य भाषा, हिन्दी, का प्रचार प्रमुख था। संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, और इसके लिए कई निर्णय लिए गए। 1947 में संविधान सभा ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में स्थापित किया, साथ ही 1950 में इसे संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली।

संविधान में राजभाषा से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 343 से 351 तक हैं। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिन्दी और उसकी लिपि देवनागरी निर्धारित की गई, जबकि अंग्रेजी को 15 वर्षों तक सहायक भाषा के रूप में जारी रखने का प्रावधान था। अन्य अनुच्छेदों में प्रादेशिक भाषाओं, उच्च न्यायालयों में भाषाओं के प्रयोग, और हिन्दी के विकास को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 351 में हिन्दी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देने के लिए संघ को निर्देशित किया गया है।

इस प्रकार, संविधान ने हिन्दी को भारत की एकता और प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में स्वीकार किया।

Recap / पुनरावृत्ति

- भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके सामने एक राष्ट्रीय झंडा, एक राष्ट्रीय चिह्न और एक राजभाषा का प्रस्ताव आया
- हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मानित हो चुकी थी और इसलिए उसको राजभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया

- पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजभाषा के पद पर एक अखिल भारतीय भाषा की आवश्यकता पर बल दिया। सन् 1949 में राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन में नागरी लिपि में लिखी जानेवाली हिन्दी को एकमत होकर स्वीकार किया गया
- संविधान में तीन स्तरों पर हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया गया है
- अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी और उसकी लिपि देवनागरी होगी
- अनुच्छेद 344 में एक राजभाषा आयोग और संसदीय समिति के गठन का प्रावधान है
- अनुच्छेद 345 के अनुसार हिन्दी या किसी अन्य प्रान्तीय भाषा को शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार करने का प्रावधान है
- अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है वही दो राज्यों के बीच या संघ और राज्य के बीच पत्रादि की भाषा होगी
- अनुच्छेद 347 में किसी राज्य का जनसमुदाय अपनी भाषा के संबन्ध में विशेष उपबंध की मांग करता है तो उस राज्य के किसी प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता दी जानी है
- अनुच्छेद 348 में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा के संबन्ध में कहा गया है
- अनुच्छेद 349 में भाषा संबन्धी कुछ विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है
- अनुच्छेद 350 में शिकायत की भाषा के संबन्ध में बताया गया है
- अनुच्छेद 351 में भारतीय भाषाओं को आत्मसात करते हुए राजभाषा हिन्दी के विकास का दिशा निर्देशन है

Objective questions / वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. भारत की राजभाषा क्या है?
2. संविधान में हिन्दी को राजभाषा कब स्वीकार किया गया?
3. संविधान में हिन्दी के लिए कौनसी लिपि निर्धारित की गई है?
4. संविधान सभा का गठन कब हुआ था?
5. संविधान में अंग्रेजी को कितने वर्षों तक सहायक भाषा के रूप में रखा गया?
6. संविधान में राजभाषा के बारे में कौनसे अनुच्छेद में उल्लेख है?
7. राजभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार करने के लिए कौनसा फार्मूला अपनाया गया था?
8. हिन्दी भाषा के विकास के लिए किस अनुच्छेद में निर्देश दिए गए हैं?

Answers / उत्तर

1. हिन्दी
2. 1950
3. देवनागरी
4. 1946

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

5. 15 वर्ष
6. 343
7. मुंशी अय्यंकार फार्मूला
8. 351

Assignments / प्रदत्त कार्य

1. राजभाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान।

Reference / सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी - डॉ. पी. लता, आरती प्रकाशन
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी - प्रो. एन. माधवन कुट्टी नायर, डी. कृष्ण पणिक्कर
3. प्रयोजनमूलक सिद्धान्त और प्रयोग - दंगल झाल्टे
4. प्रयोजनमूलक कामकाजी हिन्दी - डॉ. बशीरुद्दीन एम. मदरी

इकाई 3

राजभाषा अधिनियम 1963 और संशोधित 1967, संकल्प 1968, राजभाषा नियम 1976 और संशोधित 1987, राजभाषा नीति और कार्यान्वयन

Learning Outcomes / अध्ययन परिणाम

- राजभाषा अधिनियम 1963 से परिचय प्राप्त करता है
- राजभाषा संशोधन 1967 से परिचय प्राप्त करता है
- राजभाषा नीति संबन्धी संकल्प 1968 से परिचय प्राप्त करता है
- राजभाषा नियम 1976 और उसका संशोधन 1987 के बारे में समझता है
- राजभाषा नीति और कार्यान्वयन की जानकारी प्राप्त करता है

Prerequisites / पूर्वापेक्षा

संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संविधान के लागू होने के 5 साल बाद राष्ट्रपति को एक 'राजभाषा आयोग' नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। इसके अनुसार 1 जून 1955 को राजभाषा आयोग की नियुक्ति हुई। इस आयोग ने जुलाई 1956 में राष्ट्रपति के समक्ष राजभाषा के प्रगामी प्रयोग पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में राजभाषा के रूप में अंग्रेज़ी के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग करने के लिए अनेक सुझाव दिये गये थे। संविधान के लागू होने के 15 वर्षो के बाद अर्थात 26 जनवरी 1965 से हिन्दी को भारत की मुख्य 'राजभाषा के रूप में अपना स्थान ग्रहण करना था और आशा की जाती थी कि 26 जनवरी 1965 से संघ सरकार का सारा कामकाज हिन्दी में ही किया जाएगा। लेकिन दक्षिण भारत में हिन्दी को राजभाषा बनाए जाने का तीव्र विरोध प्रकट किया गया, जिससे सरकारी कामों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बंद करना संभव नहीं प्रतीत हुआ। इस विरोध के कारण भारत सरकार ने राजभाषा के संबन्ध में तुष्टीकरण नीति अपनायी। अच्छी भाषियों को तत्कालिन प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के परिणामस्वरूप 'राजभाषा अधिनियम 1963' संक्षिप्त में आया।

Keywords / मुख्य बिन्दु

राजभाषा अधिनियम संशोधन, राजभाषा संकल्प, राजभाषा नियम, राजभाषा नीति और कार्यान्वयन

Discussion / चर्चा

भारत के संविधान में राजभाषा संबधी किये गये प्रावधानों के अनुसार 26 जनवरी 1965 के बाद के सरकारी प्रयोजनों में अंग्रेजी को पूर्णतः हटाकर राजभाषा के रूप में केवल हिन्दी का ही प्रयोग किया जाना अपेक्षित था। संविधान के अनुच्छेद 344 के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति के आदेशानुसार सन् 1956 में एक राजभाषा आयोग स्थापित किया गया जिसने राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबन्धित

अपनी सिफारिशों समेत न्स्तृित रिपोर्ट प्रस्तुत की। किन्तु इस रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही अहिन्दी भाषी प्रदेश, विशेषतः दक्षिण भारत में हिन्दी के विरोध में तीव्र आदोलन शुरु हुआ। फलस्वरूप राजभाषा के बारे में तुष्टिकरण की नीति को अपनाते हुए 1963 में एक अधिनियम पारित किया जो 'राजभाषा अधिनियम 1963 के नाम से जाना जाता है।

राजभाषा अधिनियम 1963

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

(i) यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जा सकेगा।

(ii) धारा 3, जनवरी 1965 के 26 वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

(2) परिभाषाएँ

इस अधिनियम में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) जिस दिन से धारा 3 के संबन्ध में जनवरी 1965 का 26 वीं दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबंध प्रवृत्त होता है।

(ख) 'हिन्दी' से वह हिन्दी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।

(3) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना।

(1) इसमें व्यवस्था है कि संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेज़ी भाषा नियत दिन से संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिन केलिए वह उन दिन से ठीक पहले प्रयोग में लायी जाती थी तथा संसद में कार्य व्यवहार के लिए प्रयोग में लायी जाती रहेगी।

परंतु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा प्रयोग में लायी जायेगी। जहाँ किसी ऐसे राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, के बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाया जाता है, वहाँ हिन्दी में ऐसे पत्रादि के साथ-साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, संघ सरकार के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा।

(2) उपर्युक्त बात के होते हुए भी, जहाँ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी या अंग्रेज़ी भाषा प्रयोग में लायी जाती है; केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व के या नियंत्रण के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी ऐसे अन्य निगम या कंपनी या कार्यालय के बीच - वहाँ उस तारीख तक, जब तक पूर्वोक्त संबन्धित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, कंपनी या उसका कर्मचारी वृन्द हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं करता - ऐसे पत्रादि का अनुवाद यथास्थिति अंग्रेज़ी या हिन्दी में भी दिया जाएगा।

(3) उपर्युक्त में अन्तार्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कागज़ात द्विभाषा रूप में यानी हिन्दी और अंग्रेजी में जारी किया जाना कानून ज़रूरी है:

(1) संकल्प

(2) अधिसूचना

(3) आदेश

(4) नियम

(5) प्रशासनिक व अन्य प्रनिनेदन

(6) प्रेस विज्ञप्ति / प्रेस टिप्पणी

(7) संसद में पेश किये जानेवाले कागज़ात

(8) संविदा

(9) करार

(10) अनुज्ञाप्ति

(11) अनुज्ञापत्र

(12) सूचनाएँ

(13) निविदा

(14) निविदा प्रारूप

(4) उपर्युक्त उपबंधों पर, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबंध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जाना है। ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्यों के शीघ्र व दक्ष निपटारे का तथा जनसाधारण के हितों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा। इस प्रकार बनाये गये नियम विशिष्ट तया यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति संघ सरकार की सेवा में है और जो या तो हिन्दी में या अंग्रेज़ी भाषा में प्रवीण है, ने प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं है उनका कोई अहित नहीं होता है।

(5) उपर्युक्त उपबंध तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त करने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधान मंडलों द्वारा, जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर लेते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार करने के पश्चात ऐसी समाप्ति के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।

(6) राजभाषा के संबन्ध में समिति

जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात राजभाषा के सबन्ध में एक समिति, संसद की अनुमति से गठित की जायेगी। इसे संसदीय राजभाषा समिति कही जायेगी। इस समिति में 30 सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोकसभा के और दस राज्य सभा के होंगे। इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की पुनरीक्षा करके उसपर सिफारिशों को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन पेश करे। वे उसपर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करवायेंगे जो किसी भी हालत में इस अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे।

(7) नियत दिन को और उसके पश्चात, राष्ट्रपति के प्राधिकार से शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किसी केन्द्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का या संविधान या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन जारी आदेश नियम, विनियम या उपविधि का हिन्दी में अनुवाद, उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(8) राज्यों के विधान मंडलों द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में, हिन्दी से भिन्न कोई भाषा विहित की है तो अपेक्षित अंग्रेजी अनुवाद के अतिरिक्त, उसका हिन्दी अनुवाद उस राज्य के राजपत्र में संबन्धिन राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जा

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

सकेगा और उसे हिन्दी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(9) किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से अंग्रेज़ी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग उक्त राज्य के उच्च न्यायालय के न्याय - निर्णय डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(10) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने केलिए आवश्यक नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करके केन्द्र सरकार बना सकेगी। इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम यथाशीघ्र संसद के समक्ष रखा जाएगा ताकि उसका अनुमोदन संप्राप्त हो। तत्संबन्धी पहले के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ही ऐसा नियम निर्माण किया जाना है।

(11) इस अधिनियम की धारा 6 और धारा 7 के उपबंध जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होंगे।

राजभाषा (संशोधन) अधिनियम 1967

यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधित (amended) रूप है। सरकारी प्रयोजनों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किया गया। यह अधिनियम जब तक भारतीय संघ का एक भी राज्य अपने यहाँ के विधान परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव भेजकर हिन्दी को एकमात्र राजभाषा बनाने की सूचना न दे दें, और संसद उसे स्वीकार न कर ले तब तक संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेज़ी का प्रयोग बनाये रखने के लिए लागू किया गया। 'राजभाषा (संशोधन) अधिनियम 1967' लोकसभा में 27 नवंबर 1967 को पेश किया गया। लोकसभा ने उसे संशोधनों सहित 16 दिसंबर 1967 को पारित किया। इसे 8 जनवरी 1968 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली।

राजभाषा संकल्प 1968

संसद के दोनों सदनों में (लोकसभा, राज्यसभा) दिसंबर 1967 में राजभाषा संकल्प पारित किया। इसे 18 जनवरी 1968 के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। इसलिए इसे राजभाषा संकल्प 1968 कहते हैं। संसद द्वारा पारित राजभाषा नीति संबन्धी 'संकल्प' इस प्रकार है-

(1) संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है।

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किये जानेवाले उपायों एवं की जानेवाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।

(2) जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में हिन्दी के अतिरिक्त भारत की 14 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु, सामूहिक उपाय किए जाने चाहिए।

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी के साथ-साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास के हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हों और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें।

(3) जबकि जनता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा के हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किये गये त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय किये जाने चाहिए :

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी नथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेज़ी के साथ-साथ हिन्दी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिए।

(4) और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोकसेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दानों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए: यह सभा संकल्प करती है-

(क) कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोडकर जिनकेलिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु केवल अंग्रेज़ी अथवा केवल हिन्दी अथवा दोनों जैसी कि स्थिति हो, का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने के हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिन्दी अथवा अंग्रेज़ी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यतः अपेक्षित होगा;

और

(ख) कि परीक्षाओं की भावि योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोकसेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं संबन्धी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेज़ी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।

राजभाषा नियम 1976 और संशोधित 1987

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 उपधारा 4 और धारा 8 में संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार-प्रसार बढ़ाने के उद्देश्य से आवश्यक योजनाएँ बनाने और तदनुरूप नियम जारी करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दिया गया है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए बनाये गये नियम 'राजभाषा नियम 1976' माने जाते हैं। 9 अक्तूबर 1987 को इसमें कुछ संशोधन किये गये।

राजभाषा नियम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा नियम 1976 है जो संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए लागू है। यह तमिलनाडु को छोडकर संपूर्ण भारत में लागू है।

(2) हिन्दी के प्रयोग में असमानता से बचने के लिए पूरे भारत को तीन भाषाई इकाइयों में बाँट रखा है: जिन राज्यों व संघीय क्षेत्रों की राजभाषा हिन्दी है और इसलिए हिन्दी का वहाँ प्रचुर-प्रचार व प्रयोग है उन्हें क्षेत्र के 'क' में रखा है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, बीहार और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह इस भाषाई क्षेत्र 'क' के अंतर्गत आते हैं। जिन राज्यों व संघीय राज्यों में हिन्दी वहाँ की राजभाषा न होते हुए भी हिन्दी का प्रचार - प्रयोग पर्याप्त है उन्हें क्षेत्र 'ख' में रखा गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चण्डीगढ़ इस भाषाई क्षेत्र 'ख' के अंतर्गत आते हैं। भाषाई क्षेव 'ग' में वे सभी राज्य और संघीय क्षेत्र आते हैं जो 'क' और 'ख' क्षेत्र में नहीं शामिल है। अर्थात जम्मू-कश्मीर, गोवा, कर्णाटक, तमिलनाडु, केरल, आन्ध्रप्रदेश, असम,

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

मेघालय, त्रिपुरा, नागलैंड, मणिपुर, मिझोराम, लक्षद्वीप, पांडिचेरी भाषाई क्षेत्र 'ग' में शामिल हैं।

(3) इसके अनुसार 'क' क्षेत्र के राज्यों द्वारा आपसी पत्र व्यवहार और संघ के साथ उनका पत्र-व्यवहार हिन्दी में होगा। 'ख' क्षेत्र के राज्यों के आपसी पत्र व्यवहार या संघ के साथ उनका पत्र-व्यवहार सामान्यतः हिन्दी में होगा। अगर अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार करते हैं तो हिन्दी अनुवाद भी देना ज़रूरी है। 'ग' क्षेत्र के राज्यों का आपसी पत्र व्यवहार तथा संघ के साथ या अन्य राज्यों के साथ उनका पत्र व्यवहार अंग्रेज़ी में होगा।

(4) केन्द्र सरकार के मंत्रालयों के बीच में और विभागों के बीच में पत्रादि हिन्दी या अंग्रेज़ी में हो सकते हैं।

(5) नियम 3 और 4 में किसी बात के होते हुए भी हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों से हिन्दी में दिये जायेंगे। अर्थात हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही देना ज़रूरी है।

(6) राजभाषा अधिनियम की धारा (3) उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में तैयार करके द्विभाषा रूप में जारी करना उनपर हस्ताक्षर करनेवाले अधिकारी की ज़िम्मेदारी है।

(7) कर्मचारी आवेदन, अपील, अभ्यावेदन, याचिका इत्यादि हिन्दी या अंग्रेज़ी में दे सकते हैं। हिन्दी में लिखित या हस्ताक्षरित आवेदन आदि का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है। अनुशासनिक कार्यवाही सहित सेवा संबन्धी मामलों में कर्मचारी के अनुरोध के अनुसार वांछित अनुवाद बिना विलंब उपलब्ध करा दिया जाना है।

(8) केन्द्रसरकार के कार्यालयों में टिप्पण लेखन हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकता है। उसका अनुवाद देना आवश्यक नहीं। हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान रखनेवाला अधिकारी कर्मचारी किसी हिन्दी कागज़ात का अंग्रेजी अनुवाद तभी माँग सकता है जब वह दस्तावेज़ विधि संबन्धी या तकनीकी हो।

(9) उन कर्मचारियों को हिन्दी में प्रवीण माना जाएगा जिन्होंने मेट्रिक या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण की हो, स्नातक या उससे उच्चतर परीक्षा में हिन्दी को वैकल्पिक विषय के रूप में चुन लिया हो और कोई जो एक घोषणा करे कि हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली, तो उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त माना जाएगा।

(10) यदि किसी कर्मचारी ने मेट्रिक या समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण की है या केन्द्रसरकार की हिन्दी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण की है या केन्द्र सरकार द्वारा इस विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो उसे हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त माना जाएगा। यदि सरकार द्वारा विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के लिए, इस योजना की कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट की हो तो उसे पास करने पर भी उक्त कर्मचारी को हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त माना जाएगा। विहित प्रपत्र में अपेक्षित घोषणा करनेवालों को भी हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त माना जाएगा। यदि किसी कार्यालय के कम से कम 80% कर्मचारियों ने हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त किया है तो उस दफ्तर के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ऐसे कार्यालयों के नाम भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने हैं।

(11) केन्द्र सरकार के कार्यालयों से संबन्धित सभी मैनुअल, संहिताएँ, प्रक्रिया साहित्य, लेखन सामग्री इत्यादि हिन्दी और अंग्रेज़ी में द्विभाषी रूप में यथास्थिति मुद्रित या साइक्लोस्टाइल करके प्रकाशित किये जायेंगे। सभी रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक द्विभाषी होंगे। सभी नामपट्ट,

सूचनापट्ट, पत्रशीर्ष, लिफाफे, लेखन सामग्री इत्यादि द्विभाषी होंगे। सरकार आदेश द्वारा किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से छूट दे सकती है।

(12) केन्द्रसरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 के अधीन ज़ारी आदेशों, अनुदेशों और निदेशों का समुचित अनुपालन हो रहा है और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जाँच के लिए उपाय करें। इन सबके सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है। इन सबके परिणामस्वरूप संघ सरकार का प्रशासन द्विभाषिक संक्रमण काल से गुज़र रहा है।

राजभाषा नीति और कार्यान्वयन

राजभाषा नियम 1976 के अनुसार सरकारी कंपनियों, उपक्रमों और निगमों को भी केन्द्रीय सरकार के कार्यालय माने गये। अतः इन पर भी संघ की राजभाषा नीति लागू हुई। राष्ट्रीयकृत बैंकों में संघ की राजभाषा नीति का पालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। जिन उद्योगों का चलना विभिन्न कारणों से आवश्यक था, किन्तु जो उद्योग घाटे में चलने थे, ऐसे उद्योगों को भारत सरकार ने सरकारी उपक्रमों में स्थान दिया और उनमें राजभाषा - नीति भी लागू कर दी।

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय, भारत सरकार) अपने प्रतिवर्ष के वार्षिक कार्यक्रमों में देश के विभिन्न प्रांतों की भाषाओं की स्थिति और स्वरूप पर विशेष ध्यान देना है। राजभाषा नीति के अनुपालन की सुविधा के लिए राज्यों को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में 100 या 100 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय में एक हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति होती है। कम से कम 25 कर्मचारियों वाले कार्यालय में एक हिन्दी अनुवादक, प्रत्येक 50 अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त हिन्दी अनुवादक और अनुवादकों के पदों में से वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक की नियुक्ति होती है। 25 अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय में एक हिन्दी टाइपराइटर खरीदा जाता है। हिन्दी में कार्यान्वयन संबन्धी त्रिमाही रिपोर्ट प्रत्येक कार्यालय से प्राधिकारियों - गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग, संवन्धित मंत्रालय / विभाग, गृह मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय आदि को भेजी जाती है।

राजभाषा (संशोधन) अधिनियम 1967 के अनुसार हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं का प्रयोग संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक और अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, संविदा, करार, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन, निविदा सूचना तथा निविदा प्रपत्र आदि के लिए सुनिश्चित किया गया। यह द्विभाषिक नीति जग क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों पर भी लागू है। जिन कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है उन्हें हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। 80% कर्मचारी किसी कार्यालय में हिन्दी का 'कार्यसाधक ज्ञान' रखते हैं तो प्रस्तुत कार्यालय भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है और वह अधिसूचित कार्यालय' कहलाता है।

भारत सरकार का 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में', 'केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय' विभिन्न योजनाओं द्वारा हिन्दी के विकास में तथा 'केन्द्रीय हिन्दी संस्थान' हिन्दी में प्रशिक्षण देने तथा हिन्दी पुस्तक निर्माण में ध्यान दे रहे हैं। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग 'ख' क्षेत्र में वर्ष कम से कम चार कार्यशालाओं का आयोजन करता है। हिन्दी में 'कार्यसाधक ज्ञान रखते हुए भी अभ्यास की कमी के कारण जिन्हें हिन्दी में सरकारी कामकाज करने की झिझक होती है, उनके लिए ऐसी कार्यशालाएँ चलायी जाती हैं। कर्मचारियों को हिन्दी के प्रति रुचि बढ़ाने में हिन्दी की प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

परीक्षाएँ पास होने पर एकमुश्त नकद पुरस्कार, हिन्दी टंकण, आशुलिपि की परीक्षाएँ पास होने पर 12 महीनों के लिए एक वेतन-वृद्धि और एकमुश्त नकद पुरस्कार, सरकारी कामकाज में मूल टिप्पण आलेखन के लिए पुरस्कार, हिन्दी सेवा के लिए राजभाषा शील्ड, ट्राफी तथा पदक (केन्द्रीय हिन्दी समिति द्वारा प्रदत्त) आदि प्रोत्साहन योजनाएँ हैं।

14 सितंबर 1949 को हिन्दी को भारतीय संविधान में राजभाषा का पद मिला था। उस दिन के स्मरणार्थ केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पहले प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता था, किन्तु अब 'हिन्दी मास' ही मनाया जाता है। हिन्दी संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुई। इसके परिणामस्वरूप 'राजभाषा हिन्दी' 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' बनी और उसके अनेक प्रयोजनमूलक रूप जैसे कार्यालयी हिन्दी, अखबारी हिन्दी, व्यापारिक हिन्दी, वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिन्दी, न्यायालय की हिन्दी आदि। राजभाषा हिन्दी ये सब प्रयोजनमूलक रूप आज प्रगति के पथ पर हैं।

Critical Overview / अवलोकन

भारत में राजभाषा के प्रावधानों की शुरुआत संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 से हुई, जिसमें हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया गया। 26 जनवरी 1965 से अंग्रेजी को धीरे-धीरे हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन दक्षिण भारत में विरोध के कारण 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार, अंग्रेजी को संघ के सरकारी कार्यों और संसद में उपयोग की अनुमति दी गई, और हिन्दी के प्रगति हेतु विभिन्न नियमों और कार्यक्रमों का निर्माण किया गया।

राजभाषा अधिनियम 1967 के संशोधन में हिन्दी और अंग्रेजी के समवर्ती उपयोग को जारी रखा गया, जबकि 1968 में राजभाषा संकल्प पारित कर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया। राजभाषा नियम 1976 ने विभिन्न भाषाई क्षेत्रों को परिभाषित किया और सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा दिया।

इसके अतिरिक्त, सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी ज्ञान को अनिवार्य किया गया और कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने पर पुरस्कार और पदोन्नति की योजना बनाई गई। साथ ही, केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिन्दी अधिकारी और अनुवादकों की नियुक्ति सुनिश्चित की गई।

Recap / पुनरावृत्ति

- 10 मई 1963 को संसद में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। इसके लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1965 है
- राजभाषा अधिनियम की नौ धाराएँ हैं। धारा एक में कहा गया है कि इसके लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1965 है
- धारा दो में कहा गया कि हिन्दी का अभिप्राय वह हिन्दी है जिसकी लिपि देवनागरी है
- धारा तीन में संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना है
- धारा चार में एक राजभाषा समिति बनाने का प्रावधान है। धारा पाँच में कहा गया कि केन्द्रीय अधिनियम आदि के राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत अनुवाद ही मान्य होगा

- धारा छह में कहा गया है कि राज्य के विधान मंडल के नियम, अधिनियम आदि के राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद ही मान्य होगा
- धारा सात में उच्च न्यायालय के हिन्दी या अन्य राजभाषा में दिये गये निर्णय का उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य होगा

Objective questions / वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. भारत की राजभाषा कौन सी है?
2. राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था?
3. राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था?
4. संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का प्रावधान है?
5. हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए कौन सा आयोग कार्य करता है?
6. हिन्दी के साथ-साथ कौन सी दूसरी भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों में किया जाता है?
7. राजभाषा संकल्प 1968 में कितनी भाषाओं के समन्वित विकास की बात की गई?
8. राजभाषा नियम 1976 में कितने भाषाई क्षेत्र बनाये गए?

Answers / उत्तर

1. हिन्दी
2. 1963
3. 1956
4. अनुच्छेद 343
5. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
6. अंग्रेजी
7. 14
8. 3

Assignments / प्रदत्त कार्य

1. राजभाषा अधिनियम 1963 का परिचय दीजिए
2. राजभाषा नियम

SGOU

Reference / सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी - डॉ. पी. लता, आरती प्रकाशन
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी - प्रो. एन. माधवन कुट्टी नायर, डी. कृष्ण पणिक्कर
3. प्रयोजनमूलक सिद्धान्त और प्रयोग - दंगल झाल्टे
4. प्रयोजनमूलक कामकाजी हिन्दी - डॉ. बशीरुद्दीन एम. मदरी

SGOU

इकाई
4

कार्यालयी मामलों के अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद की समस्याएँ

Learning Outcomes / अध्ययन परिणाम

- प्रयोजनमूलक हिन्दी से परिचय प्राप्त करता है
- प्रयोजनमूलक हिन्दी के विविध रूपों में परिचय प्राप्त करता है
- कार्यालयी हिन्दी से परिचय प्राप्त करता है
- कार्यालयी मामलों का अनुवाद करते समय आनेवाली समस्याओं से परिचय प्राप्त करता है

Prerequisites / पूर्वापेक्षा

भाषा विचार - विनिमय का माध्यम है। मनुष्य अपने सामान्य जीवन में तथा औपचारिक जीवन संदर्भों में अभिव्यक्ति के लिए भाषा का आश्रय लेता है। भाषा को विशिष्ट क्षेत्र में प्रयुक्त होने की प्रविधि को भाषा का प्रयोजन कहा जाता है। क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होनेवाली भाषा प्रयोजनमूलक भाषा है। हिन्दी भाषा इसलिए 'प्रयोजनमूलक भाषा' है कि क्षेत्र - विशेष में सेवा-माध्यम के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। सामान्य जीवन के संदर्भों से भिन्न विशिष्ट सेवाओं जैसे प्रशासन, व्यापार, पत्रकारिता, शास्त्र आदि के संन्दर्भों में हिन्दी भाषा के जिस रूप का उपयोग किया जाता है वह 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' है। क्षेत्रों की भिन्नता के कारण प्रयोजनमूलक हिन्दी के कई रूप होते हैं। जिनमें कार्यालय में प्रशासन के लिए प्रयुक्त कार्यालयीन हिन्दी महत्वपूर्ण है।

Keywords / मुख्य बिन्दु

Discussion / चर्चा

कार्यालयी हिन्दी

हिन्दी भारत की राजभाषा स्वीकृत हुई और हिन्दी में कार्यान्वयन भी शुरु हुआ तो अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिन्दी भाषा के विविध कामकाज़ी स्वरूप विविध कार्य-क्षेत्रों में उभरकर आने लगे। किसी क्षेत्र-विशेष में किसी भाषा का प्रयोग बढ़ता जाना है तो वह भाषा उस क्षेत्र - विशेष की विशिष्ट भाषा बन जाती है। आज हिन्दी भाषा का प्रयोग सेवा माध्यम के रूप में विविध क्षेत्रों में किया जाता है और उनमें प्रत्येक क्षेत्र में वह विशिष्ट भी बन गयी है। सेवा-माध्यम के रूप में विकासशील हिन्दी भाषा में नयी शब्दावलियों तथा नयी शैलियों या अभिव्यक्तियों का विकास होता रहता है। प्रशासन, वाणिज्य-व्यापार, पत्रकारिता, विज्ञान इनमें प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट शब्दों तथा विशिष्ट शैली का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार क्षेत्र या विषय के अनुकूल भाषा रूपों को प्रयुक्ति कही जाती है।

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में प्रयुक्त होते-होते हिन्दी भाषा की अनेक प्रयुक्तियाँ विकसित हुई हैं। उनमें एक प्रयुक्ति है 'कार्यालयी हिन्दी'।

कार्यालयी हिन्दी की विशेषताएँ

(1) अभिधा का प्रयोग, एकार्थता, कार्यालयीन क्षेत्र के अपने पारिभाषिक शब्द, निर्वैयक्तिकता, अनुवाद की छाया, संक्षिप्तता, स्पष्टता, शिष्टता आदि।

(2) कार्यालयी हिन्दी में सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है।

(3) इसमें अतिशयोक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। किसी मुद्दे पर जोर दिया जाता है तो विभिन्न प्रमाणों का आश्रय देकर तार्किक ढंग से मुद्दा प्रस्तुत किया जाता है।

(4) कार्यालयी हिन्दी में शब्दों और वाक्यों का अर्थ इतना स्पष्ट है कि किसी दूसरे अर्थ का सन्देह ही नहीं उठता। टिप्पण, आलेखन आदि कार्यालयीन क्रियाविधियों की भाषा व्याकरण - सम्मत, सरल, स्पष्ट और परिमार्जित है।

(5) कार्यालय की भाषा में एक रूढ़ शब्द को छोड़कर अन्य पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग गलत माना जाता है। जैसे 'ज्ञापन'शब्द का सामान्य अर्थ है याद दिलाना किन्तु प्रशासन में 'ज्ञापन' एक विशेष प्रकार का पत्र है।

(6) कुछ विशिष्ट वाक्यांशों का प्रयोग भी कार्यालयी भाषा में मिलना है। जैसे - The matter is under consideration के लिए 'मामला विचाराधीन है', An early reply is awaited के लिए 'शीघ्र उत्तर दे' आदि प्रयोग।

(7) कार्यालयी हिन्दी में शब्दों का अभिधेयार्थ लिया जाता है। लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता, मुहावरेदारी भाषा एवं आलंकारिकता का अभाव होता है। जैसे आयुक्त (Commission), दूतावास (Embassy), राज्यपाल (Governor), राजपत्र (Gazatte) आदि

(8) कार्यालयी हिन्दी में समस्रोतीय घटकों के साथ विषमस्रोतीय घटकों से भी पारिभाषिक शब्दों का निर्माण होता है।

विषम स्रोतीय -

उपसर्ग + शब्द

उपसचिव - उप (उपसर्ग)+ सचिव (संस्कृत शब्द)

शब्द + प्रत्यय

राजपत्रित - राजपत्र (संस्कृत) + इत (प्रन्यय)

शब्द + शब्द

जिलाधीश - जिला (अरबी) + अधीश (संस्कृत)

रेलगाडी - रेल (अंग्रेज़ी) + गाड़ी (हिन्दी)

सम स्रोतीय -

जिला - अदालत - जिला (अरबी) अ अदालत (अरबी)

दूतावास - दूत (संस्कृत) अ आवास (संस्कृत)

(9) अन्य भाषाओं के शब्द 'कार्यालयी हिन्दी' में ज्यों-का-त्यों लिये गये हैं। जैसे अफसर (अंग्रेज़ी), कोर्ट मार्शल (अंग्रेजी) तहसीलदार (अरबी), हिन्दुस्तानी (फारसी), सरकार (फारसी), लिफाफा (अरबी), हरकरा (फारसी) आदि।

(10) कार्यालयी हिन्दी में प्रयुक्त कुछ शब्द सामान्य शब्द से सर्वथा अलग प्रकार के होते हैं। जैसे अभिप्रेरक (Motivation), अनुवाद (Translation), दूतावास (Embassy), आबंटन (Allotment) अनुसूची (Schedule) आदि।

कार्यालयों में अनुवाद की आवश्यकता

भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में यह व्यवस्था की गयी कि 'संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी जानेवाली हिन्दी होगी। लेकिन संविधान के लागू होने के 15 वर्ष की कालावधि तक सभी प्रशासनिक कार्यो के लिए अंग्रेज़ी का प्रयोग होता रहता था। राष्ट्रपति उक्त अवधी के दौरान आदेश

द्वारा संघ के प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेज़ी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकते थे। इसके अनुसार हिन्दी का प्रयोग संबन्धी राष्ट्रपति का पहला आदेश 27 मई 1952 को निकला। 3 दिसंबर 1955 को निकले राष्ट्रपति के अगले आदेश में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का प्रयोग जिन राजकीय प्रयोजनों के लिए किया जाएगा उनकी अनुसूची भी दी गई। जैसे'

(1) जनता के साथ पत्र-व्यवहार

(2) प्रशासनिक प्रतिवेदन, राजकीय पत्रिकाएँ, संसद को दिये जाने प्रतिवेदन

(3) सरकारी संकल्प और विधायी अधिनियम

(4) जिन राज्य सरकारों ने अपनी राजभाषा के रूप में हिन्दी को अपना लिया है उनसे पत्र व्यवहार हिन्दी में।

(5) संधियाँ और करार

(6) अन्य देशों की सरकारों और उनके दूतों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से पत्र-व्यवहार

राष्ट्रपति के दोनों आदेशों से कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को एक नई दिशा मिली। किन्तु यह दिशा ऐच्छिक थी, अनिवार्यता नहीं थी। इन आदेशों के पालन के लिए कार्यालयों में अनुवाद की आवश्यकता थी और कर्मचारियों को अनुवाद में प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता थी। सन् 1955 में श्री बालगंगाधर खेर की अध्यक्षता में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राजभाषा आयोग ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तो अनुवाद की आवश्यकता को और बल दिया गया। उसके बाद सन् 1957 में गठित 'संसदीय समिति' के प्रतिवेदन में कहा गया था कि 1965 तक अंग्रेज़ी में राजकाज किया जाएगा और हिन्दी सहभाषा रहेगी। राजभाषा आयोग और संसदीय समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप मार्च 1960 को शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में 'केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना हुई। निदेशालय ने अनुवाद कार्य शुरू किया। निदेशालय ने 27 अप्रैल 1960 के राष्ट्रपति के आदेशानुसार 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1961 में की। इस आयोग ने शब्दावली निर्माण शुरू किया और अब विविध विषयों पर शब्दावलियाँ तैयार हो चुकी हैं। मार्च 1971 को 'केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो' भी स्थापित हुई। 'ब्यूरो' सरकारी कार्यालयों के मैनुअलों का अनुवाद करता है, साथ ही सरकारी उपक्रमों, प्रतिष्ठानों, कार्यालयों और राष्ट्रीयकृत बैंकों की असांविधिक सामग्री का अनुवाद भी करता है। 'विधि मन्त्रालय' के अधीन 'राजभाषा विधायी आयोग की स्थापना हुई और इस आयोग की प्रमुख कानून, अधिसूचनाएँ, साधारण आदेश और नियम, करार, संविदा आदि का अनुवाद करते हैं।

राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार 26 जनवरी 1965 से सरकारी कार्यालयों, प्रतिस्ठानों तथा उपक्रमों में द्विभाषिक स्थिति आरंभ हुई। इसी अधिनियम की धारा 5 उपधारा 2 के अनुसार संसद में प्रस्तुत किये जानेवाले विधेयक अंग्रेज़ी और हिन्दी दोनों भाषाओं में एक साथ प्रस्तुत किये जाते हैं। राजभाषा संशोधन की धारा 3, उपधारा 3 के अनुसार संकल्प साधारण आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति आदि कागज़ात हिन्दी और अंग्रेज़ी में तैयार किये जाते हैं। संसद के किसी सदन या दोनों सदनों में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी राजकीय पत्रों के लिए भी द्विभाषिकता आवश्यक है। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार क, ख और ग क्षेत्रों के निर्धारण के पश्चात कुछ अंग्रेज़ी पत्रों के साथ उनके हिन्दी अनुवाद और कुछ हिन्दी पत्रों के साथ उनके अंग्रेज़ी अनुवाद भेजने की भी आवश्यकता हुई। इसके परिणामस्वरूप कार्यालयों में अनुवादकों और हिन्दी अधिकारियों की नियुक्तियाँ होने लगी।

कार्यालयी मामलों के अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद की समस्याएँ

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में 26 जनवरी 1965 से द्विभाषिक स्थिति शुरू हुई तो अंग्रेज़ी से हिन्दी

में अनुवाद करने की आवश्यकता आई। लेकिन कार्यालयी मामलों के अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करते समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

(1) कार्यालयी हिन्दी, अंग्रेज़ी 'उर्दू' संस्कृत भाषाओं से प्रभावित है। अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद करते वक्त अंग्रेज़ी शब्द के समानांतर हिन्दी में उर्दू तथा संस्कृत दोनों स्रोतों से आये शब्दों का उपलब्ध होना भी अनुवादकों को समस्या खड़ा कर देती है।

अंग्रेज़ी	उर्दू(अरबी)	संस्कृत
Affidavit	हलफनामा	शपथ पत्र
Application	अर्जी	आवेदन

(2) अंग्रेजी शब्दों केलिए एकाधिक हिन्दी शब्दों का रहना भी एक समस्या है। जैसे-

Absence	अनुपस्थिति, गैर हाज़िरी
Advance	अग्रिम, पेशगी
Balance	संतुलन, बकाया, शेष
Compensation	मुआवजा, क्षतिपूर्ति
Reminder	स्मरण पत्र, अनुस्मारक

(3) अंग्रेज़ी के एक पारिभाषिक शब्द के लिए केन्द्रीय सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों में अलग-अलग शब्दों का प्रयोग करना 'कार्यालयी हिन्दी' की एक समस्या है। जैसे अंग्रेज़ी के 'zone' शब्द के लिए विभिन्न हिन्दी भाषी क्षेत्रों में विभिन्न शब्द स्वीकृत हुए हैं। वे शब्द हैं- परिक्षेत्र, अंचल, खंड, प्रदेश, इलाका आदि। इन विविध शब्दों में अर्थ ओर प्रयोग की दृष्टि से "zone' को अंचल शब्द का प्रयोग उचित है, जिसे केन्द्रीय सरकार ने भी स्वीकार किया है।

(4) जो अंग्रेज़ी शब्द हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल नहीं' है उन्हें ग्रहण पद्धति के ज़रिए स्वीकार कर लिया गया है। ऐसे शब्दों के ज़रिए हिन्दी अनुवादक सहज अनुवाद नहीं कर सकते। जैसे 'Able Sea Man' के लिए हिन्दी में 'योग्य नाविक' शब्द का उपयोग कर सकता है। किन्तु स्वीकृत शब्द है 'एबिल सी मैन। 'Section Diary' के लिए केन्द्रीय सरकार ने 'अनुभाग डायरी' शब्द तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने 'अनुभाग दैनिकी' शब्द रखे हैं। इन दोनों शब्दों में 'अनुभाग दैनिकी' शब्द उचित है।

(5) कुछ पारिभाषिक शब्द ऐसे हैं कि विविध कार्य-क्षेत्रों में विविध अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। अनुवादक को ऐसे अंग्रेजी शब्दों के समानांतर क्षेत्र-विशेष के अनुसार हिन्दी शब्दों की जानकारी नहीं है तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है।

जैसे Bill शब्द

क्षेत्र	अर्थ
विधि	वसीयत
वाणिज्य	खरीदी का दाम सूचक पर्चा

'Issue' शब्द

क्षेत्र	अर्थ
पत्रकारिता	अंक, संस्करण
राजनीति	विवाद
प्रशासन	ज़ारी करना

(6) अनुवाद करते समय अंग्रेज़ी के पारिभाषिक शब्दों के लिए हिन्दी में शब्दों का अभाव मालूम होता है तो अनुवादक अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों को देवनागरी लिपि में ज्यों का त्यों लिख लेता है। इससे अनुवाद की सहजता नष्ट होती है।

(7) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित किये गये अंग्रेज़ी - हिन्दी शब्द कोश - 'पारिभाषिक शब्द संग्रह के नये संस्करण (1974) में पुराने संस्करण (1962) में दिये गये अनेक हिन्दी शब्दों को बदलकर नये शब्द रखे गये हैं। इससे 1962 के संस्करण

के आधार पर किये गये अनुवाद तथा 1974 के संस्करण के आधार पर किये गये अनुवाद में प्रयुक्त शब्दों में अंतर आ जाता है।

(8) अंग्रेज़ी में एकाधिक अर्थ के वाहक शब्दों का होना भी अनुवादक को भ्रम में डालता है। जैसे क़्त्झथ्र्त्झम्झ' के लिए बर्खास्त, रवारिज - इन दोनों हिन्दी शब्दों के प्रयेग - संदर्भ अलग हैं। जब अनुवाद के संदर्भ में ऐसे अंग्रेजी शब्द आते हैं तब संदर्भानुकूल अर्थ की पकड़ की क्षमता अनुवादक को आवश्यक है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि एक अंग्रेज़ी शब्द के लिए एक ही हिन्दी पर्याय स्वीकार कर ले।

(9) एकाधिक अंग्रेज़ी शब्दों के लिए हिन्दी में एक शब्द का रहना भी अनुवादक को कठिनाई उत्पन्न करती है। जैसे'

अंग्रेज़ी	हिन्दी
1. Conclusion 2. End	अंत

(10) एक अंग्रेज़ी शब्द के लिए एक ही अर्थ में प्रकाशिक हिन्दी शब्दों का होना भी अनुवादक को भ्रम में डालता है।

अंग्रेज़ी	हिन्दी
1. Report	प्रतिवेदन, रिपोर्ट, रपट
2. Seal	मोहर, मुद्रा, सील

(11) अंग्रेज़ी में प्रचलित 'संक्षेप' (abbrevation) के कारण भी हिन्दी अनुवादक को कठिनाई होती है। जैसे UPSC, UDC, LDC आदि। अनुवादक को 'अंग्रेज़ी संक्षेपों' के 'हिन्दी संक्षेप' ढूँढने में कठिनाई होती है। 'हिन्दी संक्षेपों' का ठीक से निर्णय और प्रयोग अभी नहीं हुआ है।

'कार्यालयी अनुवाद' सरल कार्य नहीं है। अनुवाद करते समय अंग्रेज़ी के मूल पाठ को हिन्दी में संदर्भानुसार उपयुक्त 'पारिभाषिक शब्दों' का चयन कर, अंग्रेज़ी मूल पाठ की ही गंभीरता में अभिव्यक्त करना है।

Critical Overview / अवलोकन

कार्यालयी हिन्दी का उद्देश्य सरकारी कार्यों में सरल, स्पष्ट और शिष्ट भाषा का प्रयोग करना है। इसमें एकार्थता, अभिधा, संक्षिप्तता और निर्वैयक्तिकता जैसी विशेषताएँ होती हैं। यह भाषा संस्कृत, उर्दू, और अंग्रेज़ी से प्रभावित होती है, और इसके विशेष शब्दों और शैलियों का उपयोग विभिन्न सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में होता है। अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद करते समय अनुवादकों को शब्दों के विभिन्न पर्यायवाची, संदर्भ-विशेष शब्दों और शब्दावली की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके समाधान के लिए, समय-समय पर शब्दावली आयोग और विभिन्न समितियाँ कार्य करती रही हैं। 1965 से द्विभाषिकता की शुरुआत के बाद अनुवादकों की नियुक्ति और अनुवाद कार्य में अधिक महत्व दिया गया है।

Recap / पुनरावृत्ति

- विशिष्ट क्षेत्र में प्रयुक्त होने की प्रविधि को भाषा का प्रयोजन कहा जाता है। हिन्दी भाषा इसलिए प्रयोजन मूलक भाषा है कि क्षेत्र विशेष में सेवा माध्यम के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है
- प्रयोजनमूलक हिन्दी के कई रूप हैं- कार्यालयी हिन्दी, व्यापारिक हिन्दी, बैंकिंग और बीमा में हिन्-दी, वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिन्दी, जन संचार माध्यमों की हिन्दी, कानून की हिन्दी साहित्यिक हिन्दी, सामाजिक हिन्दी
- अभिधा का प्रयोग, एकार्थता, संक्षिप्तता, भद्रजनोचित भाषा - कार्यालयी हिन्दी की विशेषताएँ हैं

- कार्यालयी हिन्दी में प्रयुक्त कुछ शब्द सामान्य शब्दों से भिन्न होने के कारण कार्यालयी मामलों का अनुवाद समस्यापूर्ण है
- अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों का हिन्दी में अनुवाद करते समय उचित शब्दों का चयन हमेशा अनुवादक के लिए एक समस्या बन जाती है

Objective questions / वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. भारत की राजभाषा क्या है?
2. कार्यालयी हिन्दी में कौन सी लिपि प्रयोग की जाती है?
3. 'राजपत्र' शब्द किस भाषा से लिया गया है?
4. 'प्रशासन' शब्द किस भाषा से आया है?
5. 'केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय' की स्थापना कब हुई?
6. 'अधिनियम' शब्द किस भाषा से लिया गया है?
7. जिला और अदालत शब्द किस प्रकार के स्रोतीय हैं?
8. 'संसदीय समिति' की स्थापना कब हुई?

Answers / उत्तर

1. हिन्दी
2. देवनागरी
3. संस्कृत
4. संस्कृत
5. 1960
6. संस्कृत
7. सम स्रोतीय
8. 1957

Assignments / प्रदत्त कार्य

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी के विविध रूपों में कार्यालयी हिन्दी का स्थान।
2. कार्यालयी मामलों के अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद की क्या-क्या समस्याएँ हैं।

SGOU

Reference / सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी - डॉ. पी. लता, आरती प्रकाशन
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी - प्रो. एन. माधवन कुट्टी नायर, डी. कृष्ण पणिक्कर
3. प्रयोजनमूलक सिद्धान्त और प्रयोग - दंगल झाल्टे
4. प्रयोजनमूलक कामकाजी हिन्दी - डॉ. बशीरुद्दीन एम. मदरी

BLOCK - 03

हिन्दी में
सचिवीय अभ्यास

SGOU

इकाई 1

पंजीकरण, नोटिंग, प्रारूपण और प्रेषण

Learning Outcomes / अध्ययन परिणाम

- पंजीकरण के बारे में समझता है
- नोटिंग के बारे में समझता है
- प्रारूपण के बारे में समझता है
- प्रेषण के बारे में समझता है

Prerequisites / पूर्वापेक्षा

प्रयोजनमूलक हिन्दी के मुख्य प्रयोग क्षेत्र के रूप में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में कानूनी प्रावधानों के अनुपालन के अनुसरण में प्रयुक्त हिन्दी का स्थान महत्वपूर्ण माना जा सकता है। सरकारी कामकाज के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संस्थानों, बैंकों तथा अन्य सम्बन्धित कार्यालयों को सरकार के कार्यालय के अन्तर्गत समझ सकते हैं। इस प्रकार के हर कार्यालय में चल रहे कार्य प्रणालियों के बारे में समझना लाभदायी होगा।

Keywords / मुख्य बिन्दु

पंजीकरण, नोटिंग, प्रारूपण, प्रेषण

Discussion / चर्चा

पंजीकरण

पत्र जो भी आता है, चाहे वह डाक से आये या सरकार से, उसे आवती' की संज्ञा दी जाती है। अब तो कूरियर सर्विस के माध्यम से भी पत्र आने लगे हैं। यह 'डाक कार्यालय के समय में और उसके बाद में भी आ सकती है, यहाँ तक कि छुट्टी में भी आती है। कार्यालय के समय में आने वाली समस्त डाक विभाग की केंद्रीय रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त की जाती है। यदि इस डाक में कुछ पत्र अधिकारियों या मंत्रियों के नाम से होते हैं तो उन्हें विशेष संदेशवाहक द्वारा उनके वैयक्तिक कर्मचारियों के पास भिजवा दी जाती है। इसी प्रकार तत्काल या महत्वपूर्ण गोपनीय डाक को भी भिजवा दिया जाता है। कार्यालय के समय के बाद विशेष (तत्काल / निजी / महत्वपूर्ण / गोपनीय आदि) या नाम से आई हुई डाक उनके निवास पर ही प्राप्त की जाती है या निवास पर पहूँचाने का अनुदेश दे दिया जाता है। इस प्रकार के विशेष प्रकरण में अधिकारी के वैयक्तिक अधिकारी/ कर्मचारी या स्वयं अधिकारी को टेलीफोन से डाक की सूचना दे दी जाती है। यदि सामान्य डाक हो तो वह विभाग में नियुक्त ड्यूटी लिपिक द्वारा या ऐसी व्यवस्था के अभाव में डाक प्राप्त करने वाले नामित अधिकारी को डाक पहूँचा दी जाती है। साधारण डाक के अलावा अन्य प्रकार की डाक की पावती डाक प्राप्त करने वाले

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

कर्मचारी द्वारा दी जाती है। वह प्रायः अपने हस्ताक्षरों के साथ अपना पदनाम भी अंकित करता है।

डाक प्राप्ति के बाद पंजीयन प्रक्रिया से गुजरती है। अत्यावश्यक डाक को प्राथमिकता की दृष्टि से सामान्य डाक से पृथक कर लिया जाता है। सामान्य डाक केंद्रीय रजिस्ट्री द्वारा खोल ली जाएगी मगर उक्त प्रकार की डाक या अधिकारियों / मंत्रियों के नाम की डाक या अंकन विशेष की डाक रजिस्ट्री द्वारा नहीं खोली जाती है। वह उनके वैयक्तिक कर्मचारियों के पास भिजवा दी जाती है जो उसकी पावती भी देते हैं। रजिस्ट्री कार्यालय केवल डाक खोलने भर का काम ही संपादित नहीं करती वरन इस स्थिति में यह भी सुनिश्चित करती है और नोट करती है कि कोई साथ का कागज गुम तो नहीं हुआ है। यदि संलग्न पत्र / प्रपत्र प्राप्त नहीं है तो उसका हवाला रखती है। खोली गई सामान्य डाक पर और प्राप्त वर्गीकृत डाक के ऊपर मोहर लगाई जाती है।

मोहर लगाने के बाद डाक को अनुभाग / अधिकारी / मंत्री के अनुसार छाँटा जाता है। यह कार्य विभिन्न अनुभागों को आबंटित की गयी विषय-सूची के अनुसार आसानी से कर लिया जाता है। डाक निम्न रजिस्टर में तारीख देकर चढ़ा दी जाती है। यह डाक तार, सेविंग्राम, बेतार संदेश, टैलेक्स, रजिस्टर्ड डाक, अन्तर्विभागीय मिसल, सम्मन, सेवापंजी, करार, संसद प्रश्न, संकल्प, कटौती प्रस्ताव, सांसदों के पत्र आदि की श्रेणी में आती है।

ऐसे रजिस्टरों की संख्या डाक संख्या पर निर्भर करती है। डाक रजिस्टर में भी केंद्रीय रजिस्ट्री संख्या डाक के ऊपर लगाई गई मोहर में दिखाई जाती है। तब अनुभागानुसार बीजक प्रपत्र में रखा जाएगा।

इसके साथ ही वह आवती संबंधित अनुभाग में आ जाती है। उस (अंकित) अनुभाग का डायरीकार उसे स्वीकार करता है और पावती देता है। बीजक लौटकर केंद्रीय रजिस्ट्री विभाग में आ जाता है जहाँ पर वह यथास्थान सुरक्षित रख दिया जाता है।

केंद्रीय रजिस्ट्री से चलकर अब आवतियाँ डायरीकार के पास पहुँचती हैं तब वह उन्हें अनुभाग अधिकारी के पास या डेस्क अधिकारी (वैयक्तिक आशुलिपिक द्वारा) के पास प्रस्तुत करता है। वह उन आवतियों को देखकर अपने अनुभाग में रखता है और यदि कोई डाक अन्य विभाग / अनुभाग से संबंधित भूल से आ गई है तो उनको लौटा देता है अथवा संबंधित विभाग / अनुभाग में भेज देता है। अनुभाग अधिकारी अनुभाग की आवतियों में से उन आवतियों को अलग कर लेता है जो कारवाई से पूर्व उच्चाधिकारी को दिखाना चाहिए अतः अधिकारी का पद नाम अंकित कर उन्हें वहाँ 'अवलोकनार्थ प्रस्तुत' करेगा। शेष आवतियाँ संबंधित कर्मचारियों के नाम अंकित कर दी जाती हैं। यदि आवश्यकता समझता है तो उन पर प्राथमिकता या कारवाई की दिशा का अनुदेश भी दे देता है। यदि प्राथमिकता वाली डाक से संबंधित कर्मचारी नहीं है या लंबी छुट्टी पर है तो अनुभाग अधिकारी अपने अनुभाग के अन्य कर्मचारी से उसका निपटान कराता है या स्वयं करता है। समयबद्ध या तत्काल कारवाई अपेक्षित कर्मचारी डायरी में वह (अनुभाग अधिकारी) नोट कर लेता है और यह भी देखता है कि वह तदनुसार प्रक्रिया में आये। अन्य विभाग से वापस होकर जो मामले उसके अनुभाग को प्राप्त होते हैं उसे वह तत्संबंधी अधिकारी के पास प्रस्तुत कर देता है जिसने उस पर अंतिम टिप्पणी लिखी हो।

टिप्पण (नोटिंग, Noting)

सरकारी कार्यप्रणाली में विचाराधीन कागज़ या मामले के बारे में उनके निपटान हेतु सुझाव या निर्णय देने के परिणामस्वरूप जो अभ्युक्तियाँ (Remarks) फाइल पर लिखी जाती हैं, उन्हें नोटिंग (Noting), टिप्पण या टिप्पणी कहते हैं।

अर्थात आवतियों अथवा विचाराधीन मामलों के बारे में संक्षेप में महत्वपूर्ण बातों को लिखित रूप में उल्लिखित करना। सरकारी कार्यालयों में पत्र-विशेष के निपटान के लिए उस पर सहायकों से लेकर आवश्यकतानुसार सचिव, मंत्री या प्रधानमंत्री

तक जो संक्षिप्त मंतव्य लिखा जाता है उसे टिप्पण अथवा टिप्पणी (Noting) कहा जाता है। टिप्पणी में सन्दर्भ के रूप में पूर्ववर्ती पत्रों का सार, निर्णय आदि हेतु प्रश्न तथा विवरणादि सब कुछ अंकित किया जाता है। वास्तव में सभी प्रकार की टिप्पणियाँ सम्बन्धित कर्मचारी-अधिकारियों द्वारा विचाराधीन मामले के कागज़ पर लिखी जाती हैं। कार्यालयीन आवश्यकता के अनुसार अत्यधिक महत्व प्राप्त मामलों में अनुभाग अधिकारी आदि के स्तर से टिप्पणी आरम्भ होती है अन्यथा मामले के स्वरूप के अनुसार परम्परागत रूप से टिप्पणी लिपिक अथवा सहायक (Assistant) के स्तर में शुरू की जाती है। मंत्री, प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति आदि के द्वारा लिखी गई विशेष टिप्पणियाँ 'मिनट' (Minute) कही जाती हैं।

टिप्पण के प्रकार

कार्यालयों में टिप्पणी का उपयोग अनेक स्तरों पर किया जाता है। मामलों का स्वरूप, अधिकार की स्थिति तथा कार्यालय की आवश्यकतानुसार अनेक प्रकार की टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं- नेमी टिप्पण, सामान्य टिप्पण, अनुभागीय टिप्पण, संपूर्ण टिप्पण, सुक्ष्म टिप्पण तथा अनौपचारिक टिप्पण आदि।

नेमी टिप्पण - कार्यालयीन कामकाज के एक भाग के रूप में नेमी टिप्पण लिखे जाते हैं। ये टिप्पण रोजमर्रा के कार्य का एक अंग होने के कारण संक्षिप्त रूप में छोटी-छोटी बातों के लिए लिखे जाते हैं। इनका महत्व केवल कार्यालयीन अभिलेख और औपचारिकता के निर्वाह तक ही सीमित होता है।

सामान्य टिप्पण - सरकारी कार्यालयों में जो पत्र मामले पहली बार प्राप्त होते हैं, उन्हें प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया के रूप में जो टिप्पण लिखे जाते हैं, उन्हें सामान्य टिप्पण करते हैं। ऐसे टिप्पणों में पत्र का पूर्ववती सन्दर्भ अथवा प्रसंग का उल्लेख नहीं होगा।

अनुभागीय टिप्पण - इसे विभागीय टिप्पण भी कहा जाता है। कुछ मामलों पर सरकारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विभागों अथवा अनुभागों में अनुदेश प्राप्त करना ज़रूरी होता है। ऐसी स्थिति में मामलों के स्वरूप के अनुसार टिप्पणकर्ताओं को प्रत्येक मामले पर स्वतन्त्र टिप्पण लिखना आवश्यक होता है और वे ऐसे स्वतन्त्र टिप्पणों पर अलग से अनुदेश प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के टिप्पणों को विभागीय अथवा अनुभागीय टिप्पण कहते हैं।

सम्पूर्ण टिप्पण - विस्तृत टिप्पणों को सम्पूर्ण टिप्पण कहा जाता है। कार्यालयों में बहुत बार मामलों की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए उनके पूरे इतिवृत्त, तर्क वितर्क, प्रसंग आदि को समग्र रूप से फाइल में रखना होता है ताकि उसके आधार पर उच्चाधिकारी उचित निर्णय लेकर आदेश जारी कर सके। इस प्रक्रिया में टिप्पण में सम्पूर्ण इतिवृत्ति के साथ-साथ पूर्व संदर्भ, पूर्ववर्ती फाइलों के संदर्भ, पुराने फैसले आदि भी देने होते हैं। इस प्रकार मामले के बारे में पूरे अध्ययन के साथ विश्लेषणात्मक पद्धति से जो टिप्पण लिखा जाता है उसे सम्पूर्ण टिप्पण या समग्र टिप्पण कहते हैं।

सूक्ष्म टिप्पण - सूक्ष्म टिप्पण अत्यंत संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं। कुछ पत्रों पर अनुभाग अधिकारी अथवा सम्बन्धित अधिकारी पत्र के हाशिये पर बाई ओर निर्देश देता है जो सामान्यतया संक्षिप्त वाक्यों के रूप में होता है उसे ही सूक्ष्म टिप्पण कहते हैं। सुक्ष्म टिप्पण में सामान्यतः 'सम्मति हेतु', 'स्वीकृति के लिए', 'अवलोकनार्थ' आदि वाक्य लिखे जाते हैं। बाद में सम्बन्धित फाइल वरिष्ठ अधिकारी के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज देने पर वह अधिकारी भी सूक्ष्म टिप्पण के रूप में 'स्वीकृत', 'अनुमोदित', 'देख लिया', 'ठीक है', 'मैं सहमत हूँ' आदि वाक्य लिखता है।

अनौपचारिक टिप्पण - एक कार्यालय से किसी दूसरे कार्यालय अथवा एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को कुछ कार्यालयीन जानकारी देने के लिए अनौपचारिक टिप्पण सीधे भेजे जाते हैं। अनौपचारिक टिप्पण में सभी कार्यालयीन नियमों तथा शर्तों आदि का सही-सही

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

अनुपालन नहीं किया जाता है। इन टिप्पणों के उत्तर में जो टिप्पणादि प्राप्त होते हैं, उनका स्वरूप भी अनौपचारिक टिप्पण का ही होता है।

प्रारूपण (Drafting)

प्रारूपण को ही प्रारूप लेखन, मसौदा लेखन अथवा आलेखन आदि कहा जाता है। प्रारूपण के अन्तर्गत विभिन्न सरकारी पत्रों, परिपत्रों, आदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, सार्वजनिक सूचनाओं, करारों, प्रेस विज्ञप्तियों तथा अन्य आवश्यक सूचनाओं आदि के प्रारूप (Draft) तैयार करने होते हैं। अतः प्रारूपण सरल, सुबोध तथा सुस्पष्ट होना अत्यावश्यक है।

मसौदा तैयार करना - जिन मामलों में की जाने वाली कारवाई बिल्कुल स्पष्ट तथा निश्चित ही तब अधिकारी या प्राधिकारी के आदेश के अनुसरण में मसौदा तैयार किया जाता है। सरकारी कार्यालयों में सामान्यतः मसौदा सहायक अथवा अधीक्षक व अनुभाग अधिकारी तैयार करते हैं। इस प्रकार, मसौदा तैयार करते समय उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि अनुभाग अधिकारी अपना सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिए गये आदेशों या अनुदेशों में निहित तथ्यों, बातों और भावों को सही और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाए। इसे अधिकारी अथवा उच्च अधिकारी के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया जाता है। तैयार किये गए मसौदे के दूसरी दाहिनी ओर 'अनुमोदनार्थ मसौदा' (Draft for approval-DFA) अवश्य लिखा जाता है। आवश्यक टिप्पणी के साथ उच्चाधिकारी के पास जब मसीदा आता है तब यदि आवश्यक हो तो वह अधिकारी मसीदे में थोड़ा संशोधन अथवा थोड़ा-बहुत फेर बदल करके अनुमोदित कर देता है। ऐसा अनुमोदित मसौदा फिर से टाइप कराकेप्रेषण के लिए तैयार रखा जाता है।

प्रारूपण के **मानक रूप** - यदि किसी एक ही ढंग के पत्रादि बार-बार भेजने पड़ते हो तो उनके लिए मानक प्रारूप बना लेना चाहिए और साइकलोस्टाइल करवा लेना या छपवा लेना चाहिए। ऐसे मानक प्रारूप साफ प्रति के साथ हस्ताक्षर के लिए सम्बन्धित अधिकारी को पेश किये जाएँ।

प्रारूपण की विशेषताएँ

1. प्रारूप की भाषा सरल, सुबोध तथा स्पष्ट होनी चाहिए।
2. प्रारूप संक्षिप्त और विषयानुसार होना चाहिए।
3. प्रारूप में समग्रता होनी चाहिए। साथ में इसमें, विषय-वस्तु तथा संदर्भ आदि की संरचना क्रमबद्ध होनी चाहिए।
4. प्रारूपण में स्पष्टता, शुद्धता तथा विशिष्टता का निर्वाह किया जाना चाहिए।
5. प्रारूपण में कार्यालयी भाषा शुचिता, सभ्यता, परम्परा तथा कार्य पद्धति का भी बखूबी निर्वाह किया जाना चाहिए।

प्रारूपण की रूपरेखा

प्रारूपण के प्रमुख भाग हैं - विषय निर्देश अथवा शीर्षक, विषय-वस्तु निरूपण, अनुच्छेद तथा समापन।

विषय - सरकारी कार्यालयों में तैयार किये जाने वाले प्रारूपों के विषय भी आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न होते हैं। फलतः मामलों की स्थिति, लिये गए निर्णय तथा विषय-वस्तु के अनुसार प्रारूप का आकार-प्रकार भी अलग-अलग रूप का होगा। प्रारूप के विषयानुसार आंतरिक बातें एवं भाषा शैली होती हैं। गम्भीर विषयों से सम्बन्धित प्रारूपों के लेखन में विशेष सावधानी बरती जाती है।

निर्देश - प्रारूप तैयार करते समय यदि उसका सम्बन्ध पहले किसी पत्र या मामले से है तो उस प्रकार निर्देश (Reference) दे दिया जाना उचित होता है। प्रारूप के सर्वोपरी मध्य अथवा बाएँ कोने पर पत्र संख्या दी जाती है और तत्पश्चात उसके नीचे मंत्रालय, विभाग अथवा कार्यालय आदि का नाम, स्थान, पता एवं दिनांक दिए जाते हैं। इसके बाद प्रारूप की दायीं ओर अगली पंक्ति में पत्र-प्रेषक का स्थान और दिनांक के पश्चात इसके ठीक नीचे प्रेषिती का नाम, पद और

पूरा पता आदि दिए जाते हैं। यदि आवश्यक हो तो उसके बाद सन्दर्भ आदि भी यथास्थिति दे दिए जाते हैं।

विषय-वस्तु निरूपण - यह प्रारूपण का सबसे मूल एवं महत्वपूर्ण भाग होता है। प्रारूप के 'विषय' के अन्तर्गत लिखे संक्षिप्त कथन की पूरी विवरणात्मक जानकारी यहीं दी जाती है। इसके पश्चात सम्बन्धित विषय की पूरी तथ्यात्मक, विवेचनात्मक व मुख्य जानकारी का सर्वांगीण लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाता है। प्रारूप में दिये गये कथ्य एवं टिप्पणी की पुष्टि हेतु न्यायसंगत तर्क-वितर्क भी दिये जाते हैं और अन्त में तर्कों के आधार पर विषय से सम्बन्धित अन्तिम निष्कर्ष प्रस्तुत करके अपना अभिमत भी प्रकट कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रारूपण में विषय-वस्तु का पूरा सांगोपांग विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है।

अनुच्छेद - सामान्यतः प्रारूप लेखन में भी विषय की आवश्यकता के अनुसार अनुच्छेद लिखे जाते हैं। छोटे या संक्षिप्त प्रारूपों में एक या दो ही अनुच्छेद होते हैं किन्तु प्रेस विज्ञप्ति, निविदा सूचना, राष्ट्रपति की ओर से जारी किये जाने वाले पत्र तथा परिपत्र आदि के बावत कभी-कभी दो-तीन अथवा चार पृष्ठों के भी प्रारूप तैयार किये जाते हैं। ऐसे प्रारूपों में विचारों की संगति के अनुसार अनेक अनुच्छेद किये जाते हैं। प्रारूप तैयार करते समय ऐसे लम्बे प्रारूपों को अनेक अनुच्छेदों में विभाजित किया जाना चाहिए तथा ऐसे अनुच्छेदों का क्रमांक भी दिये जाने चाहिए जिससे विषय-वस्तु के आकलन में सुविधा होती है।

समापन - प्रारूपण में समापन का भी अपना एक महत्व होता है। प्रारूप में मुख्य विषय-वस्तु के निरुपण के बाद निष्कर्ष के रूप में अन्तिम बात को संक्षेप में कहा जाता है और तत्पश्चात स्वनिर्देश के नीचे प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं। हस्ताक्षर के ठीक ऊपर 'भवदीय' लिखा जाता है। यहाँ एक यात का ध्यान रहे कि हस्ताक्षरकर्ता चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री 'भवदीय' ही लिखा जाना चाहिए, स्त्री हस्ताक्षरकर्ता होने पर 'भवदीया का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि 'Your faithfully' के लिए 'भवदीया' रूप गलत है।

प्रेषण

अभी तक आवती प्रेषक से चलकर रजिस्ट्री में से गुजरकर डायरी और अनुभाग या रजिस्टर तक चर्चित हुई है। अब वह 'आवती पैड' अंकित पैड में बंधकर आगे संचालित होती है। इस आवती का स्वागत करने वाला अधिकारी इसको पढ़ता है और अपने नाम के आद्यक्षरों से अंकित करता है। यदि कुछ आवतियाँ इस प्रकार की हैं जो बिना अनुभाग की सहायता के उनके द्वारा ही निपटा दी जाएँगी जो उन्हें वह अधिकारी निकाल लेता है और संचलन पर्ची में संकेत कर देता है। अन्य आवतियों पर यदि अनुदेश/निदेश वांछनीय होते हैं तो उच्च अधिकारी को दे देता है। कुछ डाक ऐसी भी आ जाती है जो उस अनुभाग या अधिकारी से संबद्ध नहीं होती है तो उन सबको नामोद्दिष्ट अधिकारी के पास भिजवाने की व्यवस्था करता है।

तत्परता और निर्णय निर्धारण प्रक्रिया के लिए अधिकारी अपेक्षित प्राथमिकता पर सदा ध्यान रखता है। परिणामस्वरूप स्वयं जितनी भी आवतियों पर संभव हो कारवाई प्रारंभ की जाती है। वह हमेशा यह प्रयास करता है कि अनिवार्य कागज़ी कारवाई हो, कम-से-कम समय लगे और कार्य सुचारु ढंग से संपादित हो। अतः संबंधित अधिकारी डाक को देखकर अति आवश्यक कागज-पत्रों को अलग रख लेता है। इन सभी को सहायक की डायरी में अंकित करवाता है और बाद में प्राथमिकता के आधार पर कारवाई करवाता है। सहपत्रों की जाँच तथा कम या न होने की स्थिति में उसको प्राप्त करने की कारवाई करने की अपेक्षा की जाती है। आवती चालू मिसिल में या नई खोली मिसिल में लगाएगा। क्रम संख्या, पृष्ठ संख्या, डॉकेटिंग, टिप्पण भाग पर उद्धरण (यदि कोई हो) संबंधित फाइल को पता करवाने के साथ-साथ टिप्पणी लिखेगा। तब वह अपने से उच्च अधिकारी की सेवा में सहायक की डायरी में खाना भरकर वह पेश करेगा। वह यह भी ध्यान रखता है कि जल्दी से जल्दी निपटान हो और समुचित उत्तर प्रेषित हो जिसके लिए वह पत्र-टिप्पणी की छानबीन कर अपनी टिप्पणी लिखता है।

अनुभाग अधिकारी के स्तर के ऊपर का अधिकारी (प्रायः अवर सचिव/उपनिदेशक) प्रत्येक मामले के संदर्भ में अंतिम निपटान के लिए और प्रस्तुतीकरण के माध्यम के लिए विभाग में निर्धारित अनुदेशों के अनुसार उस पर कारवाई करता है। उसके द्वारा यह सुनिश्चित करना संभव होता है कि आवती किस अधिकारी को दिखानी चाहिए। जिस माध्यम से फाइल प्रस्तुत हुई है उसी माध्यम से लौटकर वापस जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी आवती पर की जाने वाली कारवाई के संबंध में यदि आवश्यक समझता है तो अपने कर्मचारियों से नियमित रूप से विचार-विमर्श कर निर्णय का प्रयास कर सकता है। यदि परंपरागत क्रियाविधि/ नियमों आदि के उल्लंघन का संदर्भ बनता है तो निर्णायक प्राधिकारी का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह क्रियाविधि को छोड़कर अन्य नियमों को किन कारणों से लागू करने जा रहा है स्पष्ट रूप से फाइल पर अंकित करे। संबंधित कर्मचारी/अधिकारी टिप्पणी के नीचे बाईं ओर हस्ताक्षर तारीख के साथ करता है और निर्णायक अधिकारी दाहिनी ओर।

फाइल का पूर्णतया निपटान हो जाने के बाद और प्रेषित किये जाने वाले आवश्यक प्रारूप की पुष्टि हो जाने के बाद यह आवश्यक नहीं है कि प्रति हस्ताक्षर के लिए जाए। अवर सचिव स्तर का अधिकारी 'प्रेषण के लिए अधिकृत' की मुद्रा लगाकर हस्ताक्षर कर प्रेषित कर सकता है।

Critical Overview / अवलोकन

किसी भी कार्यालय में आनेवाले पत्र विभिन्न स्तरों से गुज़रकर अंजाम तक पहूँचता है। इस प्रक्रिया को कार्य पद्धति कहते हैं। जब कार्यालयी पद्धति का प्रयोग करते हैं तो उसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के सचिवालय में अपनाई जानेवाली प्रणाली ही मुख्य है जिसमें डाक प्राप्ति, पंजीकरण, आवती प्रस्तुतीकरण, आवती का डायरीकरण, आवती पर कारवाई आदि आती हैं। इस तरह प्रत्येक पत्र का निपटान किया जाता है।

Recap / पुनरावृत्ति

- पत्र आता जो भी है उसे 'आवती' की संज्ञा दी जाती है
- कार्यालय के समय में आने वाली समस्त डाक विभाग की केंद्रीय रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त की जाती है
- कार्यालय के समय के बाद विशेष (तत्काल/निजी/महत्वपूर्ण/गोपनीय आदि) या नाम से आई हुई डाक उनके निवास पर ही प्राप्त की जाती है
- डाक प्राप्ति के बाद पंजीयन प्रक्रिया से गुज़रती है
- केंद्रीय रजिस्ट्री से चलकर अब आवतियाँ डायरीकार के पास पहुँचती हैं
- सरकारी कार्यप्रणाली में विचाराधीन कागज़ या मामले के बारे में उनके निपटान हेतु सुझाव या निर्णय देने के परिणामस्वरूप जो अभ्युक्तियाँ (Remarks) फाइल पर लिखी जाती हैं, उन्हें नोटिंग (Noting), टिप्पण या टिप्पणी कहते हैं
- परम्परागत रूप से टिप्पणी लिपिक अथवा सहायक (Assistant) के स्तर में शुरू की जाती है
- मंत्री, प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति आदि के द्वारा लिखी गई विशेष टिप्पणियाँ 'मिनट' (Minute) कही जाती है
- अनेक प्रकार की टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं- नेमी टिप्पण, सामान्य टिप्पण, अनुभागीय टिप्पण, संपूर्ण टिप्पण, सुक्ष्म टिप्पण तथा अनौपचारिक टिप्पण आदि
- प्रारूपण को ही प्रारूप लेखन, मसौदा लेखन अथवा आलेखन आदि कहा जाता है
- प्रारूप की भाषा सरल, सुबोध तथा स्पष्ट होनी चाहिए
- फाइल का पूर्णतया निपटान हो जाने के बाद प्रेषित किये जाते हैं

Objective questions / वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. पत्र जो भी आता है उसे कौन सी संज्ञा दी जाती है?
2. डाक प्राप्ति के बाद कौन सी प्रक्रिया से गुज़रती है?
3. केन्द्रीय रजिस्ट्री से चलकर आवतियाँ कहाँ पहूँचती हैं?
4. मंत्री, प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति आदि के द्वारा लिखी गई विशेष टिप्पणियों को क्या कही जाती हैं?
5. किन्हीं दो प्रकार के टिप्पण का नाम लिखिए।
6. प्रारूप का पर्यायवाची अंग्रेज़ी शब्द क्या है?

Answers / उत्तर

1. आवती
2. पंजीयन
3. डायरीकार के पास
4. 'मिनट' (Minute)
5. नेमी टिप्पण, सम्पूर्ण टिप्पण आदि।
6. Draft

Assignments / प्रदत्त कार्य

1. सचिवालय कार्य पद्धति पर टिप्पणी लिखिए।
2. टिप्पण के प्रकारों पर प्रकाश डालिए।
3. प्रारूप लेखन माने क्या है? विस्तार से परिचय दीजिए।
4. पंजीकरण के विभिन्न स्तरों के बारे में लिखिए।

Reference / सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी - विनोद गोदरे
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी का अध्ययन - डॉ सुशीला गुप्ता
3. प्रयोजनमूलक हिन्दी - डॉ माधव सोनटक्के
4. हिन्दी भाषा के विविध रूप - डॉ पी. लता
5. हिन्दी भाषा और नागरी लिपि - भोलानाथ तिवारी
6. प्रयोजनमूलक हिन्दी : सिद्धांत और प्रयोग - दंगल झालटे
7. हिन्दी भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरूप - डॉ कैलाश चंद्र भाटिया
8. भाषा विज्ञान - डॉ भोलानाथ तिवारी
9. प्रामाणिक आलेखन और टिप्पण - प्रो. विराज एम.ए.

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

इकाई
2

विभिन्न कार्यालयी पत्र

Learning Outcomes / अध्ययन परिणाम

- विभिन्न कार्यालयी पत्रों के बारे में समझता है
- विभिन्न कार्यालयी पत्रों के उपयोग समझता है
- विभिन्न कार्यालयी पत्रों को लिखने के तरीके समझते हैं
- कार्यालयी पत्रों के बीच का अंतर समझता है

Prerequisites / पूर्वापेक्षा

सरकारी कार्यालयों में सबसे अधिक प्रयोग पत्राचार का ही किया जाता है। पत्र सरकारी कार्यालयों में उनकी कार्यपद्धती एवं संप्रेषण प्रणाली की रीड़ की हड्डी का कार्य करते हैं। विभिन्न देश विदेश की सरकारों, विविध कार्यालयों, सार्वजनिक उद्यमों, संस्थाओं, बैंकों के कार्यालयों, कंपनियों, निगमों तथा सामान्य जनता से संपर्क स्थापित करने और कार्यविधि को गतिशीलता प्रदान करने हेतु पत्रों का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। साथ ही सरकारी प्रयोजनों केलिए अनौपचारिक टिप्पणियों, कार्यालय ज्ञापनों, अर्धसरकारी पत्रों, परिपत्रों तथा अधिसूचनाओं का भी प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है।

Keywords / मुख्य बिन्दु

सामान्य कार्यालयी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक, अधिसूचना, कार्यालय आदेश, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट।

Discussion / चर्चा

सरकारी कार्यालयों में सबसे अधिक प्रयोग पत्राचार का ही किया जाता है। पत्र सरकारी कार्यालयों में उनकी कार्यपद्धती एवं संप्रेषण प्रणाली की रीड़ की हड्डी का कार्य करते हैं। विभिन्न देश विदेश की सरकारों, विविध कार्यालयों, सार्वजनिक उद्यमों, संस्थाओं, बैंकों के कार्यालयों, कंपनियों, निगमों तथा सामान्य जनता से संपर्क स्थापित करने और कार्यविधि को गतिशीलता प्रदान करने हेतु पत्रों का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। साथ ही सरकारी प्रयोजनों केलिए अनौपचारिक टिप्पणियों, कार्यालय ज्ञापनों, अर्धसरकारी पत्रों, परिपत्रों तथा अधिसूचनाओं का भी प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है।

1. सरकारी पत्र (Official Letter)

इसे शासकीय पत्र भी कहा जाता है। सरकारी पत्राचार में सबसे अधिक मात्रा में पत्रों का प्रयोग होता है। अतः सरकारी पत्राचार में सरकारी पत्र (Official Letter) का महत्वपूर्ण स्थान है। सरकारी पत्रों का

प्रयोग विभिन्न कार्यालयों, संस्थाओं, निकायों, निगमों, सार्वजनिक उद्योगों, बैंकों तथा कम्पनियों के साथ सम्पर्क करने के लिए किया जाता है तथा दूरसंचार उपयुक्त माध्यम के रूप में किया जाता है।

सरकारी पत्र उत्तम पुरुष में ही प्रायः लिखे जाते हैं। सरकारी पत्र में तथ्यों तथा स्थितियों को उनके मूल रूप में यथास्थिति रखा जाना अत्यावश्यक होता है। ऐसे पत्रों की भाषा सरल, सुबोध तथा स्पष्ट होनी चाहिए तथा पत्रों में लोकोक्तियों, मुहावरों व कहावतों का प्रयोग बिलकुल नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी पत्र सीधे विषयानुरूप लिखा जाना चाहिए। सरकारी पत्रों में किसी भी प्रकार की भ्रांतियों, गलतफहमियों आदि बातों के साथ अस्पष्टता व अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। किसी सरकारी आदेश या अनुदेश की तालीम देने वाले पत्र में उस प्रकार की सूचना दिया जाना आवश्यक हो जाता है-जैसे, 'मुझे यह कहने का आदेश हुआ...' 'मुझे निर्देश दिया गया है कि मैं....'। सरकारी पत्र का सम्बोधन सामान्यतया 'महोदय' से आरम्भ होता है। सभी प्रकार के सरकारी (शासकीय) पत्रों के अधोलेख के रूप में 'भवदीय' लिखा जाता है।

सामान्यतः सरकारी पत्र विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, सम्बद्ध और अधीन कार्यालयों और संघीय लोक सेवा आयोग जैसे अन्य कार्यालयों से समस्त औपचारिक पत्र-व्यवहार के लिए प्रयुक्त होते हैं। जनता की या सरकारी कर्मचारियों को संस्थाओं या संगठनों के सदस्यों के साथ किए जाने वाले समस्त पत्र व्यवहार के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किन्तु भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच पत्र-व्यवहार के लिए इसका प्रयोग नहीं होता।

सरकारी पत्राचार के नमूने

सरकारी (शासकीय) पत्र-१ (Official Letter)
क्र. सं. 90/810/8/92 सूचना
भारत सरकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली
दिनांक : 9 जून, 1992

सेवा में,
महानिदेशक
आकाशवाणी
नई दिल्ली

विषयः निदेशक के पद को स्थायी बनाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 10/81/6/92 दिनांक 2 मार्च, 1992 के सन्दर्भ में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने सूचना एवं प्रसारण सेवाओं के महानिदेशालय में विद्यमान निदेशक के अस्थायी पद को दिनांक 1 जुलाई, 1992 से स्थायी बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उक्त स्वीकृति हेतु वित्त मंत्रालय ने अपनी सहमति अनौपचारिक टिप्पणी संख्या 10/100/5/92 दिनांक 16 मई, 1992 के अनुसार प्रदान की है।

भवदीय
(भारत सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

2. कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum)

कार्यालय ज्ञापन सरकारी पत्राचार का महत्वपूर्ण अंग है। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग भारत सरकार के मंत्रालयों के आपसी पत्र-व्यवहार एवं सूचना आदि के लिए होता है। यह हमेशा अन्य पुरुष (Third person) में लिखा जाता है। इसमें सम्बोधन या अधोलेख नहीं होता सिर्फ लिखने वाले का पदनाम और हस्ताक्षर होता है। इसमें प्राप्तकर्ता का नाम और पता आदि प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर के पश्चात सामान्यतया पत्र के बिल्कुल बायीं तरफ लिखा जाता है। जहाँ तक हो सके मंत्रालय से सम्बद्ध और अधीन कार्यालय को कार्यालय ज्ञापन नहीं भेजे जाते।

कार्यालय ज्ञापन में यदि एक से अधिक परिच्छेदः अनुच्छेद हों तो पहले अनुच्छेद पर क्रमांक न देकर उसके बाद के अनुच्छेदों वा परिच्छेदों पर क्रमांक दिये जाते हैं। इसके वाक्य सामान्यतः कर्मवाचक ही होते हैं किया जाता है', 'किया गया था', 'किया जायेगा' आदि।

कार्यालय ज्ञापन

(Office Memorandum)

क्रम संख्या 90/100/6/92 आवास

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

नई दिल्ली

दिनांक : 5 जून 1992

विषय : आवास आबंटन।

मुझे यह निदेश प्राप्त हुआ है कि राजपत्रित अधिकारी श्रेणी-1 के करीबन दस आवास निजामुद्दीन, दिल्ली क्षेत्र में खाली हो गए हैं और आबंटन के लिए तैयार रखे हुए हैं। अतः जो अधिकारी इन आवासों को प्राप्त करना चाहें, वे अपनी वरीयता के क्रमानुसार अपने प्रार्थना-पत्र निर्धारित फार्म में दिनांक 30 जून 1992 तक इस कार्यालय को अवश्य प्रस्तुत कर दें, ताकि उन पर विचार करके आवासों का उचित आबंटन किया जा सके।

(राजेन्द्र दीक्षित)

संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय, भारत सरकार

प्रति : सभी विभागीय कार्यालय

3. ज्ञापन (Memorandum)

ज्ञापन का प्रयोग अधीन प्राधिकारियों के पास ऐसी सूचना भेजने के लिए किया जाता है, जो सरकारी आदेश के समान नहीं होता। ज्ञापन हमेशा अन्य पुरुष (Third Person) में लिखा जाता है और इसमें भी सम्बोधन या अधोलेख नहीं होता, सिर्फ अधिकारी के हस्ताक्षर और उसका पदनाम होता है। पाने वाले का नाम और पदनाम हस्ताक्षर के नीचे पृष्ठ की बायीं तरफ लिखा जाता है।

सरकारी कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्तियाँ, तैनातियाँ, स्थानांतरण, वेतनवृद्धि आदि अनेक बातों के लिए ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ कार्यालयीन प्रार्थना-पत्रों, आवेदन-पत्रों आदि की पावती (Acknowledgement) भेजने तथा अधीनस्थ कार्यालयों को पूरी तरह सरकारी न होने वाले आदेश भेजने के लिए भी ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है।

ज्ञापन, कार्यालयीन पत्राचार का ही एक महत्वपूर्ण प्रकार है किन्तु फिर भी सामान्य कार्यालयीन पत्र-व्यवहार और ज्ञापन में काफी अन्तर होता है। कार्यालयीन कामकाज में ज्ञापन एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं किन्तु एक पदाधिकारी दूसरे उससे कनिष्ठ पदाधिकारी को लिखता है। ज्ञापन सीधे विषय से सम्बन्धित ही लिखे जाते हैं। अतः ज्ञापन लिखने वाले प्राधिकारी को सरकारी नीतियों तथा सेवाशर्तों की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। ज्ञापन संक्षिप्त और विषयानुरूप लिखे जाने चाहिए न कि लम्बे-चौड़े और वर्णनात्मक। ज्ञापन में न सम्बोधन होता है, न आत्म-निर्देश, किन्तु उसके अन्त में केवल प्रेषक के हस्ताक्षर तथा पदनाम दिया जाता है। ज्ञापन की भाषा सरल तथा वाक्य एवं पद छोटे-छोटे होने चाहिए। ज्ञापन के बारे में एक बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि राजभाषा नियम 1976 के अनुसार केन्द्रीय सरकार में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी का अधिकारी होगा कि वह उसे दिया जाने वाला ज्ञापन केवल हिन्दी

ज्ञापन

(Memorandum)

भारतीय जीवन बीमा निगम

क्षेत्रीय कार्यालय
हैदराबाद

संदर्भ सं/क्षका का/100/93 — दिनांकः 9 जनवरी 1993

ज्ञापन

श्री के.एस. सिद्दीकी, बेगम बाजार, हैदराबाद को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में अधीनस्थ पद पर नियुक्ति के लिए उन्होंने जो आवेदन पत्र दि.20 अक्तूबर 1992 को भेजा था, उस पर निगम ने कार्रवाई की है। श्री सिद्दीकी को सूचित किया जाता है कि सरकारी नियमानुसार आजकल अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती सेवा नियोजन कार्यालय द्वारा सूचित किये गये उम्मीदवारों के पैनेल से हो जाती है। चूँकि श्री सिद्दीकी स्वीकृत चैनेल में नहीं हैं, अतः अधीनस्थ पद पर उनकी नियुक्ति करने में निगम असमर्थ है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

प्रतिः
श्री के.एस. सिद्दीकी
मालपुर रोड
बेगम बाजार,
हैदराबाद

में माँग सकता है तथा अपना स्पष्टीकरण आदि भी केवल हिन्दी में प्रस्तुत कर सकता है।

4. अर्धसरकारी पत्र (Demi-Official Letter)

इस प्रकार के पत्र का प्रयोग सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र-व्यवहार में विचारों या सूचना के आदान-प्रदान या प्रेषण के लिए किया जाता है। इसमें निर्धारित क्रियाविधि के पालन की ज़रूरत नहीं होती। जब किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर दिलाना हो या जब किसी अधिकारी का ध्यान किसी ऐसे मामले की ओर दिलाना हो, जिसकी कारवाई में बहुत देर हो चुकी है और सरकारी स्मरण पत्र भेजने पर भी कोई उपयुक्त जवाब न मिला हो तो ऐसी स्थितियों में भी अर्ध-सरकारी पत्र लिखा जाता है। गैर सरकारी व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्रादि अर्ध-सरकारी पत्रों के ढंग के हो सकते हैं, लेकिन उनका उल्लेख इस नाम से नहीं करना चाहिए।

अर्धसरकारी पत्र (डी.ओ. लेटर) भी सरकारी कामकाज के सिलसिले में ही लिखा जाता है किन्तु इसका लेखक कार्यालयीन कामकाज के बारे में कई बातें व्यक्तिगत रूप में लिख सकता है ताकि प्रस्तावित कार्य को व्यक्तिगत रुचि से तुरन्त निपटाया जा सकें। कई बार सरकारी व्यवस्था के फलस्वरूप कोई मामला उलझ जाने पर सुलझता नहीं है, या सुलझने में काफी देर हो जाती है तब अपने समकक्ष अथवा अपने से कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को प्रस्तावित कार्य शीघ्र निपटाने के लिए जिस पत्र का प्रयोग किया जाता है उसे 'अर्धसरकारी पत्र' कहा जाता है। इन पत्रों में विचारों के आदान-प्रदान के लिए विशेष शासकीय औपचारिकता के निर्वाह करने की आवश्यकता

अर्धसरकारी पत्र

भारतीय साधारण बीमा निगम

अशोक गोदरेज
उपप्रबन्धक (हिन्दी)
प्रधान कार्यालय, बम्बई
दिनांकः 4 जून 1992

संदर्भ सं/10/100/86

प्रियवर राजेश,

आपके आंचलिक प्रबन्धक के पत्र और हमारी गृह-पत्रिका के लिए भेजी गयी सामग्री से यह जानकर हमें बेहद खुशी हुई कि आपको पुणे विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में डी.लिट्,की उपाधि प्रदान की गई है। आपके द्वारा अर्जित हिन्दी साहित्य की इस श्रेष्ठ स्तरीय शैक्षणिक योग्यता पर हमें गर्व है। इस सुखद अवसर पर हमारे महाप्रबन्धक महोदय तथा हिन्दी विभाग की ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करें। आशा है, डी.लिट्. उपाधि द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग आपके द्वारा निगम में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने की दिशा में किया जायेगा।

शुभकामनाओं सहित -

आपका
(अशोक गोदरेज)

डॉ. राजेश कुलकर्णी
राजभाषा अधिकारी
भारतीय साधारण बीमा निगम
आंचलिक कार्यालय, पुणे

नहीं होती। अर्धसरकारी पत्र में लेखक का व्यक्तित्व झलकता है और इनके माध्यम से काफी हद तक अपनत्व भी प्रकट किया जा सकता है। फलतः ऐसे पत्रों में सम्बोधन तथा अधोलेख का बड़ा महत्व रहता है। इन पत्रों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति पर अपनत्व के द्वारा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला जाता है जिससे सरकारी लाल फीताशाही में उलझा कोई मामला तुरन्त निपटाने में मदद मिलती है।

अर्धशासकीय या सरकारी पत्रों की भाषा आदरसूचक होनी चाहिए तथा उनमें आदेशात्मक वाक्यों का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। ऐसे पत्रों में सम्बोधन के तौर पर नाम का प्रयोग किया जाता है तथा नाम से पहले 'प्रिय', 'प्रियवर' अथवा 'प्रिय श्र' आदि जोड़ा जाता है। पत्र पूरा होने पर पत्र का प्रेषक हस्ताक्षर करता है किन्तु नाम या हस्ताक्षर के नीचे प्रेषक का पदनाम नहीं लिखा जाता। हस्ताक्षर के बाद पत्र की बायीं ओर प्रेषिती का नाम, पदनाम और पता आदि लिखा जाता है। अर्धसरकारी पत्र लिखने का मूल उद्देश्य होता है, पत्र में निहित बातों या मामलों पर व्यक्तिगत रूप से विशेष ध्यान देकर कार्यवाही की जाए। अतः अपेक्षा की जाती है कि इस प्रकार के पत्र प्राप्त होने के बाद उन पर विशेष ध्यान देकर, जहाँ तक सम्भव हो सके, सम्बन्धित कार्य अथवा मामले का निपटान जल्द-से-जल्द किया जाए।

5. परिपत्र (Circular)

सरकारी पत्राचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम परिपत्र होता है। परिपत्रों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा उनके अधीनस्थ कार्यालयों, संलग्न अनुभागों, प्रभागों आदि को सरकारी सूचनाएँ, आदेश, अनुदेश तथा निर्देश आदि भेजे जाते हैं। परिपत्रों द्वारा आदेश, अनुदेश, तथ्यों तथा विषय-वस्तु का सीधे प्रक्षेपण किया जाता है। परिपत्र की विशेषता

परिपत्र

(Circular)

भारत सरकार

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

केन्द्रीय क्षेत्र

नागपुर

संख्या/परि/स्था/100/92 दिनांकः 11 जून 1992

विषय : कार्यालय में समय पर उपस्थिति।

इस कार्यालय के सामान्य परिपत्र संख्या 90 परि/86 दिनांक 2 जनवरी 1962 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कोई भी कर्मचारी कार्यालय में देरी से आने पर आधे दिन के अवकाश पर समझा जायेगा। कर्मचारियों को समय पर कार्यालय में आने के लिए भी आवश्यक निदेश दिये थे।

विगत माह विभिन्न विभागों, अनुभागों तथा प्रभागों के आकस्मिक निरीक्षण से यह तथ्य ध्यान में आया है कि अनेक कर्मचारी समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अतः निदेश दिया जाता है कि इसके पश्चात यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे तब उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

क्षेत्रीय प्रशासन अधिकारी

कृते उप-महानिदेशक

यह होती है कि इसका प्रेषक एक ही होता है, विषय-वस्तु भी एक ही होती है किन्तु आवश्यकतानुसार इसे बहुत से अधीनस्थ तथा संलग्न कार्यालयों के नाम भी भेजा जा सकता है।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से जारी किये जाने वाले परिपत्र हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में होने चाहिए। परन्तु हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में अधिकाधिक तेज़ी लाने के लिए यह आवश्यक है कि केवल पत्र ही नहीं, परिपत्र भी मूल रूप में केवल हिन्दी में जारी किया जाए। 'क' क्षेत्र अर्थात हिन्दी भाषी क्षेत्र से इसकी शुरुआत की जानी चाहिए और धीरे-धीरे इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों में किया जाना चाहिए।

6. अनुस्मारक (Reminder)

इसे स्मरण पत्र भी कहा जा सकता है। अनुस्मारक के लिए पत्र का वही रूप प्रयुक्त किया जाता है जिसमें मूल पत्र प्रेषित किया गया था। जब मूल पत्र के अनुसार कार्यवाही समय पर न की गई हो अथवा माँगी गई जानकारी समयावधि में न भेजी गई हो तब सम्बन्धितों को कार्य का स्मरण दिलाने के लिए अनुस्मारक (स्मरण पत्र) का प्रयोग किया जाता है। अनेक पत्रों और स्मरण पत्रों के बावजूद मामले का महत्व बढ़ने पर वांछित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तब अर्धसरकारी पत्र (डी.ओ. लेटर) के रूप में भी अनुस्मारक लिखे जाते हैं।

अनुस्मारक
(Reminder)
क्रम संख्या 11008/9112/7/93
भारत सरकार
विधि एवं न्याय मंत्रालय

प्रेषक :
उपसचिव
विधि एवं न्याय मंत्रालय दिनांक

नईदिल्ली
10 जनवरी 1993

सेवा में,
उप-सचिव
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग
कृषि मंत्रालय, कृषि भवन
नई दिल्ली।

विषय : **खाद्य मंत्रालय विषयक संसदीय प्रश्न**

अधोहस्ताक्षरी को आदेश मिला है कि आपका ध्यान इस मंत्रालय के उक्त विषयक पत्र संख्या 11008/1102/7/93 दिनांक 20 दिसम्बर 1992 की ओर आकर्षित करें और उक्त विषयक फाइल शीघ्र भेजने के लिए आपसे निवेदन करें। अतः उक्त विषयक फाइल शीघ्रातिशीघ्र भेजें।

भवदीय
(रामसिंह यादव)
उप-सचिव, भारत सरकार

7. अधिसूचना (Notification)

सरकारी पत्राचार में अधिसूचना की अपनी स्वतन्त्र सत्ता एवं मूल्यवत्ता होती है। सरकारी अधिसूचनाएँ सामान्यतः भारत के राजपत्र में प्रकाशित होती हैं। अधिसूचनाओं में सरकारी आदेशों, नीतियों व नियमों के लागू होने, किसी विशिष्ट व्यक्ति को अधिकार प्रदान करने और केन्द्रीय सरकार आदि के राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्तियों एवं स्थानांतरणों आदि के सम्बन्ध में सूचनाएँ दी जाती हैं। अधिसूचना के आरंभ में ही यह निर्देश दिया जाता है कि यह राजपत्र के किस भाग और कौन से खण्ड में प्रकाशित की जाएगी। अधिसूचनाओं में किसी भी प्रकार का सम्बोधन तथा पत्र की अन्य औपचारिकताओं का निर्वाह नहीं होता। अधिसूचना का मूल व मुख्य हेतु विविध सरकारी प्रयोजन की सूचना आदि देना होता है। इस पर संयुक्त सचिव अथवा उससे वरिष्ठ प्राधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं और तदुपरांत प्रकाशनार्थ भारत सरकार के प्रेस में भेज दी जाती हैं। अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष (Third person) में लिखा जाता है तथा इसमें मंत्रालय का नाम, भेजने वाले के हस्ताक्षर, पदनाम, दिनांक एवं अधिसूचना संख्या आदि का उल्लेख मुख्य रूप से किया जाता है।

अधिसूचना

(Notification)

(भारतीय राजपत्र के भांग 1, खण्ड-2 में प्रकाशन हेतु)

भारत सरकार वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली

दिनांकः 28 जुलाई 1992

नियुक्तियाँ

संख्या 100/7/92

डॉ. परमानन्द रामपालसिंह, एम.ए., पी-एच.डी. आई.ए.एस. को 1 अगस्त 1992 (पूर्वाह्न) से वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। डॉ. सिंह इस समय पंजाब सरकार के प्रशासन के राजस्व विभाग में अवर सचिव पद पर कार्यरत हैं।

(महेश चौधरी)

सचिव

भारत सरकार

संख्या 100/7/86

उपरोक्त अधिसूचना की अग्रिम प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी गयी है-

1.गृह मंत्रालय, भारत सरकार

2.कोषाधिकारी, नई दिल्ली

3.महालेखापाल, पंजाब सरकार

4.गृह मंत्रालय, पंजाब सरकार

5.डॉ. परमानंद सिंह

(हस्ताक्षर)

8. कार्यालय आदेश (Office Order)

सरकारी कामकाज के एक प्रमुख सम्पर्क माध्यम के रूप में कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किसी मंत्रालय, सम्बद्ध विभाग, प्रभाग, अनुभाग अथवा कार्यालय के कर्मचारियों के लिए सरकारी प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्य हेतु किया जाता है। कार्यालय आदेश का उपयोग कर्मचारियों का स्थानांतरण, पदोन्नति करने या रोकने, वेतनवृद्धि जारी करने, अवकाश मंजूर करने तथा अधिकारी और अनुभागों के बीच कार्य के वितरण आदि के लिए भी किया जाता है।

कार्यालय आदेश का स्वरूप चूंकि आदेशात्मक होता है, उसका अनुपालन करना सम्बन्धित कर्मचारियों का परम कर्तव्य हो जाता है। कार्यालय आदेश हमेशा उत्तम पुरुष एकवचन में जारी किये जाते हैं। इसमें भी सम्बोधन अथवा स्वनिर्देश की औपचारिकता नहीं बरती जाती। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट तथा सीधी होती है। इसके अन्त में दायीं ओर आदेशकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम अंकित होता है। तदपश्चात पत्र के बायीं ओर नीचे उन कार्यालयों, अनुभागों, प्रभागों अथवा व्यक्तियों आदि के नाम लिखे जाते हैं जिन्हें सम्बन्धित कार्यालय आदेश की प्रतिलिपियाँ भेजी जानी हो।

कार्यालय आदेश

(Office Order)

क्र. संख्या रा. वि. 100/7/1992

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन

नई दिल्ली

दिनांक 10 सितम्बर 1992

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित उम्मीदवारों को राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) भारत सरकार में आज दिनांक 10 सितम्बर 1992 (पूर्वाह्न) से वेतनमान रु. 1400-2300 में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक एवं हिन्दी सहायक के पदों पर नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियों अस्थायी हैं और यथावधि स्थायी होंगी।

1.श्री राम तिवारी - हिन्दी सहायक

2.श्री उत्तमसिंह परमार - कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक

3.कुमारी राधा कुमारी - हिन्दी सहायक

4.श्रीमती मीना पाटिल - कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक

(भगतसिंह मीणा)

उप-सचिव, भारत सरकार

प्रति

1. सभी सम्बद्ध व्यक्ति
2. वेतन तथा लेखा अनुभाग

9. प्रेस विज्ञप्ति (Press Communique)

सरकारी कार्य प्रणाली में प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट (Press note) की विशेष भूमिका रहती है। केन्द्रीय सरकार के निर्णयों, आदेशों, प्रस्तावों तथा नीतियों आदि को सार्वजनिक तौर पर प्रसारित एवं प्रचारित करने की उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है। इसे प्रमुख समाचार पत्रों में ज्यों-की-त्यों यथास्थिति प्रकाशित किया जाता है क्योंकि उसका स्वरूप अत्यधिक औपचारिक होता है। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में समाचार पत्र की ओर से कुछ भी घट ाया या बढ़ाया नहीं जा सकता और न ही उसमें फेर-बदल करने की अनुमति होती है। अन्य प्रेस नोट को पत्रकार वैसे संक्षिप्त या छोटा-बड़ा कर सकता है।

प्रेस विज्ञप्ति चूँकि सूचनात्मक होती है, अतः इसमें सम्बोधन अथवा अधोलेख आदि औपचारिक बातें नहीं होतीं। इसकी भाषा सरल तथा सुबोध होने की अपेक्षा रहती है। प्रेस विज्ञप्ति में उसे जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह स्पष्ट आदेश भी दिया जाता है कि उसे विशिष्ट तारीख या अवधि में ही प्रकाशित किया जाये।

Critical Overview / अवलोकन

सरकारी कार्यालयों में पत्राचार का विशेष स्थान है। प्रत्येक प्रयुक्ति केलिए विभिन्न प्रकार के पत्रों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक पत्र की ढाँचा अलग अलग होता है। केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयुक्त पत्रों की रचना प्रक्रिया, शैली तथा भाषा की अपनी विशिष्ट परंपरा व पद्धति होती है। सामान्यतः सरकारी पत्र विशिष्ट ढर्रे पर चलते हैं, फलतः यह धारणा बलवती होती है कि ऐसे पत्रों में न तो स्वतंत्र विचारों, भावों को स्थान होता है, न स्वतंत्र शैली का आविष्कार किया जा सकता है।

प्रेस विज्ञप्ति
(Press Communique)

शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर 1992 को रात्रि 10 बजे से पूर्व
प्रसारित अथवा प्रकाशित न किया जाए।

विषयः भारत और जापान के बीच राजनीतिक सम्बन्ध

भारत सरकार और जापान सरकार इस बात पर सहमत हो गयी हैं कि दोनों सरकारों के दूतावासों के स्तर पर अत्यन्त घनिष्ठ मित्रतापूर्ण मधुर सम्बन्ध प्रस्थापित किये जायें। आशा है कि इससे दोनों राष्ट्रों के हित सम्बन्धों में वृद्धि होगी और परस्पर सम्बन्ध और भी अधिक सुदृढ़ होंगे जो दोनों के लिए लाभदायक होंगे।

मुख्य सूचना अधिकारी, प्रेस, सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली के पास विज्ञप्ति जारी करने तथा इसे विस्तृत रूप से प्रसारित करने के लिए प्रेषित।

(रामलखन वर्मा)
संयुक्त सचिव
भारत सरकार

परराष्ट्र मंत्रालय
नई दिल्ली, 2 दिसम्बर 1993

Recap / पुनरावृत्ति

- सरकारी पत्र को शासकीय पत्र भी कहा जाता है
- सरकारी पत्र प्रायः उत्तम पुरुष में ही लिखे जाते हैं
- कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग भारत सरकार के मंत्रालयों के आपसी पत्र-व्यवहार के लिए होता है
- ज्ञापन का प्रयोग अधीन प्राधिकारियों के पास सूचना भेजने के लिए किया जाता है
- अर्धसरकारी पत्र का प्रयोग सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र-व्यवहार में होता है
- केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से जारी किये जाने वाले परिपत्र हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में होने चाहिए
- अनुस्मारक को स्मरण पत्र भी कहा जा सकता है
- सरकारी अधिसूचनाएँ सामान्यतः भारत के राजपत्र में प्रकाशित होती हैं
- सरकारी कामकाज के एक प्रमुख सम्पर्क माध्यम के रूप में कार्यालय आदेश का प्रयोग होता है
- केन्द्रीय सरकार के निर्णयों, आदेशों, प्रस्तावों तथा नीतियों आदि को सार्वजनिक तौर पर प्रसारित एवं प्रचारित करने की उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग होता है

Objective questions / वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. सरकारी पत्र का सम्बोधन सामान्यतया किस से आरंभ होता है?
2. अर्धसरकारी पत्र को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है?
3. कार्यालय ज्ञापन हमेश किस पुरुष में लिखा जाता है?
4. 'क क्षेत्र' से क्या मतलब है?
5. कार्यालय आदेश की भाषा कैसी होती है?
6. सरकारी अधिसूचनाएँ सामान्यतः कहाँ प्रकाशित होती हैं?
7. अनुस्मारक का अन्य नाम?
8. प्रेस विज्ञप्ति कैसी होती है?
9. विशिष्ट तारीख या समय में प्रकाशित की जाने के लिए निर्देशित पत्र कौन सा है?

Answers / उत्तर

1. महोदय
2. Demi Official Letter
3. अन्य पुरुष
4. हिन्दी भाषी क्षेत्र
5. सरल, स्पष्ट और सीधी

6. भारत के राजपत्र में
7. स्मरण पत्र
8. सूचनात्मक
9. प्रेस विज्ञप्ति

Assignments / प्रदत्त कार्य

1. सरकारी पत्राचार के प्रकार पर प्रकाश डालिए।
2. सरकारी पत्रों की विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए।
3. सरकारी पत्र एवं अर्धसरकारी पत्र में क्या अंतर है?

Reference / सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी - विनोद गोदरे
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी का अध्ययन - डॉ सुशीला गुप्ता
3. प्रयोजनमूलक हिन्दी - डॉ माधव सोनटक्के
4. हिन्दी भाषा के विविध रूप - डॉ पी लता
5. हिन्दी भाषा और नागरी लिपि - भोलानाथ तिवारी
6. प्रयोजनमूलक हिन्दी : सिद्धांत और प्रयोग - दंगल झालटे
7. हिन्दी भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरूप - डॉ कैलाश चंद्र भाटिया
8. भाषा विज्ञान - डॉ भोलानाथ तिवारी
9. प्रामाणिक आलेखन और टिप्पण - प्रो विराज एम ए

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

इकाई 3

यू ओ नोट, नोटिस (विज्ञापन, निविदा नोटिस, कोर्ट नोटिस), संकल्प, समर्थन टेलीग्राम रिपोर्ट (प्रकार, रिपोर्ट तैयार करने की विधि, गुण आदि), तकनीकी शब्द-अंग्रेज़ी-हिन्दी

Learning Outcomes / अध्ययन परिणाम

- विभिन्न सरकारी पत्राचार के बारे में समझता है
- विभिन्न नोटिस के बारे में समझता है
- तार के बारे में समझता है
- के बारे में समझता है

Prerequisites / पूर्वापेक्षा

हिन्दी भाषा आज राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त भाषा है। इस विशेष उपाधि को प्राप्त करने से हिन्दी भाषा ने तदनुसार अपने रूप में पर्याप्त हेर फेर किया है। विशेष प्रयोग केलिए हिन्दी का विशेष प्रयुक्तिपरक रूप है। इन रूपों एवं क्रमों की जानकारी हिन्दी सीखनेवालों केलिए उपयोगी सिद्ध होगा। हिन्दी भाषा के प्रयुक्तिपरक रूपों को सीखकर विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हाज़िल कर पाएगा। विज्ञापन, तार, निविदा, संकल्प आदि में हिन्दी भाषा का विभिन्न रूप देखने को मिलता है। इन प्रयुक्तिपरक रूपों एवं चंद तकनीकी शब्दों का परिचय आगे किया जाएगा।

Keywords / मुख्य बिन्दु

यू ओ नोट, नोटिस, विज्ञापन, निविदा नोटिस, कोर्ट नोटिस, संकल्प, समर्थन , टेलीग्राम रिपोर्ट, तकनीकी शब्द

Discussion / चर्चा

यूओ नोट

यू ओ नोट एक अनौपचारिक नोट होता है, जो किसी प्रस्तुति या व्याख्यान का लिखित अभिलेख (रिकॉर्ड) होता है, लेकिन यह एक आधिकारिक प्रतिलेख (कॉपी) नहीं होता। आमतौर पर छात्र या व्याख्यान के प्रतिभागी ये नोट्स लेते हैं। यू ओ नोट का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसेः व्यापारिक संचार, व्यक्तिगत संचार, शैक्षिक संचार, सार्वजनिक संचार, और आपातकालीन संचार। (यहां संचार का मतलब कम्यूणिकेशन है)

UO नोट का फ़ुल फ़ॉर्म है - अनऑफ़िशियल नोट। इसका मतलब है कि यह एक अनौपचारिक दस्तावेज़ होता है। इसका इस्तेमाल आम तौर पर व्यक्तिगत या आकस्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इनमें ऐसी जानकारी हो सकती है जो आधिकारिक उपयोग के लिए नहीं होती। हालांकि, सरकारी कार्यालयों में संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।

सरकारी ऑफिस में नोट लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए:

- सभी नोट संक्षिप्त और सटीक होने चाहिए।
- लंबे तथ्यों और आंकड़ों का वर्णन करने वाले अत्यधिक नोट्स से बचना चाहिए।
- यदि ज़रूरी हो, तो लंबे नोट्स तैयार किए जाने चाहिए, लेकिन उचित पैराग्राफ़िंग और स्पष्ट भाषा के साथ।

विज्ञापन

जनसंचार के माध्यमों में विज्ञापन (Advertisement) की अपनी विशेष भूमिका होती है। सामान्यतः विज्ञापन का सम्बन्ध व्यापार विशेष से जुड़ा हुआ है। वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण की प्रक्रिया में विज्ञापन एक अनिवार्य तथा उपादेय तत्व के रूप में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। अतः विश्व की समस्त अर्थ-व्यवस्था में एक शक्तिमान हथियार के रूप में विज्ञापन का प्रयोग सर्वत्र किया जा रहा है।

विज्ञापन शब्द अंग्रेजी के Advertisement का हिन्दी रूपान्तरण है जिसका अर्थ है सार्वजनिक सूचना, सार्वजनिक घोषणा, विशेष रूप से ज्ञापित वस्तु, विशेष सूचना या जानकारी देना।

विज्ञापन विक्रय-कला का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य तत्व है। विज्ञापन लोगों को वस्तु के बारे में संक्षिप्त शब्दों में अधिक-से-अधिक जानकारी देता है तथा सम्बन्धित उत्पादित वस्तु के बारे में उपभोक्ता के मन में विश्वसनीयता पैदा करने की पूरी कोशिश करता है। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध विचारक स्टार्च ने विज्ञापन पर विचार करते हुए स्पष्ट किया है कि- 'विज्ञापन प्रायः मुद्रण के रूप में किसी प्रस्ताव को लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता है जिससे कि वे उसके अनुसार कार्य करने को प्रेरित हो सके'।

डॉ. डरबन की परिभाषा इसप्रकार है : "विज्ञापन के अन्तर्गत वे सब क्रियाएँ आ जाती हैं, जिनके अनुसार दृश्यमान अथवा मौखिक सन्देश जनता को सूचना देने के उद्देश्य से तथा उन्हें या तो किसी वस्तु को क्रय करने के लिए अथवा पूर्व निश्चित विचारों, संस्थाओं अथवा व्यक्तियों के प्रति झुक जाने के उद्देश्य से सम्बोधित किये जाते हैं।' इस प्रकार, संक्षेप में कहा जा सकता है कि-

'विज्ञापन जनसम्पर्क का एकमात्र ऐसा शक्तिशाली साधन है जिसके माध्यम से उत्पादित-वस्तु के बारे में प्रभावी सूचना द्वारा उपभोक्ता के मन में विश्वास पैदा कर उसके क्रय हेतु उन्हें व्यापक पैमाने पर प्रेरित किया जाता है।'

विज्ञापन के प्रकार

बाजार एवं अर्थ-व्यवस्था की अलग-अलग स्थिति एवं सन्दर्भ के अनुसर विज्ञापन का स्वरूप भी बदलता है। अलग-अलग प्रसार माध्यमों से किये जाने वाले विज्ञापन अलग-अलग प्रकार के होते हैं जो अपना प्रभाव भी वैसा ही छोड़ते हैं। अतः व्यापार, उत्पादन सेवा तथा व्यवसाय आदि की प्रकृति तथा आवश्यकता के अनुसार विज्ञापन का स्वरूप भी बदल जाता है। अतः विज्ञापन को मुख्यतः निम्नानुसार भेदों में विभाजित किया जा सकता है-

1. अनुनेय विज्ञापन (Persuasive Advertisement)

इन्हें सामान्य विज्ञापन भी कहा जा सकता है। इस प्रकार के विज्ञापन व्यक्ति के जीवन की सर्व सामान्य या मूलभूत आवश्यकताओं (Fundamental needs) जैसे- भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य, मकान तथा शिक्षा आदि से सम्बन्धित वस्तुओं के होते हैं और इन्हें खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को सीधे-सीधे प्रेरित करते हैं।

2. सूचनाप्रद विज्ञापन (Informative Advertisement)

इसे ज्ञानप्रद विज्ञापन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ वस्तुएँ जीवन में स्थायी महत्व रखती हैं। किन्तु इनका मूल्य बहुत अधिक होने के कारण सामान्य उपभोक्ता अपने जीवन में उन्हें बार-बार नहीं खरीदता। इन वस्तुओं की तकनीक आदि के बारे में भी सामान्य उपभोक्ता को उचित जानकारी नहीं होती जिसके कारण उन्हें खरीदने में वे झिझक महसूस करते हैं।

ऐसी विशिष्ट वस्तुओं जैसे-मोटरकार, स्कूटर, फ्रिज, टेलीविजन, वाशिंग मशीन, कूलर तथा एयर कंडिशनर आदि के बारे में उपभोक्ताओं को उचित जानकारी व सूचना उपलब्ध कराने वाले विज्ञापन सूचनाप्रद या ज्ञानप्रद विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं।

3. सांस्थानिक विज्ञापन (Institutional Advertisement)

इस प्रकार के विज्ञापन संस्थाओं से सम्बन्ध रखते हैं अर्थात ऐसे विज्ञापन किसी संस्था की प्रतिष्ठा को विज्ञापित करते हैं। इन विज्ञापनों के माध्यम से सम्बन्धित संस्थाएँ अपनी साख, महत्वपूर्ण सेवा तथा सामाजिक अथवा सांस्कृतिक दायित्वों का वहन करती हैं- जैसे, बजाज फाउन्डेशन, भारतीय ज्ञानपीठ, फोर्ड फाउन्डेशन आदि। साधारणतया इस प्रकार के विज्ञापन 'जन-सम्पर्क' (Public Relation) की श्रेणी में रखे जा सकते हैं।

सामान्य निविदा

उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद
निविदा सूचना सं. 8/96-97

निम्नलिखित कार्यो के लिए राजकीय/परिषदीय कार्यो में अनुभवी ठेकेदारों से निविदा दिनांक 14-2-97 को सायं 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन सायं 3.30 बजे उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष सार्वजनिक रूप से खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से निविदा खोलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक निविदा मूल्य नकद/ड्राफ्ट के रूप में जमा करके प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र के आवेदन के साथ समस्त कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र, लेटेस्ट आयकर प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति का प्रमाण पत्र जमा करने के उपरान्त ही निविदा प्रपत्र निर्गत किये जायेंगे। निविदाएँ अलग-अलग लिफाफे में एक में धरोहर राशि एवं अन्य प्रपत्र दूसरे में दरों के साथ जमा की जायेंगी, डाक से निविदा मंगाने पर रु. 25/- डाक व्यय अलग से देय होगा। निविदाओं की वैधता अवधि 4 माह की होगी, सभी अथवा कोई भी निविदा बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती हैं। कार्य को दो या अधिक डेकेदारों में विभाजित किया जा सकता है।
132 के.वी. उपकेन्द्र एत्पादपुर जिला आगरा पर निम्नलिखित निर्माण कार्य

1. नियन्त्रण कक्ष का निर्माण कार्य धरोहर राशि रु. 15,000/- कार्य पूरा करने की अवधि 4 माह निविदा मूल्य रु. 200/-
2. आउटडोर स्विचयार्ड के अन्तर्गत मेन एन्ट्री (पाइल फाउन्डेशन), एक्जलरी स्ट्रक्चर, ट्रेन्च/ट्रेन्च कवर, सिक्योरिटी फेन्सिंग (चैन लिंक) सड़क तथा अन्य विविध कार्य निविदा मूल्य रु. 500/- धरोहर राशि रु. 50,000/- कार्य पूरा करने की अवधि 9 माह।
3. ट्यूबवैल बोरिंग एवं पाइप लाइन, पम्प हाउस, समरसिविल पम्प की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य निविदा मूल्य रु.200/- धरोहर राशि 10,000/- कार्य पूरा करने की अवधि 3 माह।
4. सोयल टेस्टिंग (भूमि परीक्षण) निविदा मूल्य रु. 200/- धरोहर राशि रु. 1000/- कार्य पूरा करने की अवधि एक माह। नोटः क्रम सं. 2 की निविदाएँ उन्हीं ठेकेदारों को निर्गत की जायेंगी जो एक वर्ष में लगभग 50 लाख का कार्य पूरा कर चुके हों एवं एक अनुबन्ध की लागत कम से कम 15 लाख का किया हो।

अधिशासी अभियंता
विद्युत जनपद निर्माण खण्ड मैरिस रोड-अलीगढ़।
'राष्ट्रहित में बिजली बचायें'
पत्र सं. 2267 सी-16/जनपद दि. 9.1.97

4. औद्योगिक विज्ञापन (Industrial Advertisement)

औद्योगिक क्षेत्र में बड़े उद्योग छोटे सहायक कार्यों के लिए लघु उद्योगों की सहायता लेते हैं। इससे श्रम विभाजन होता है और समय की बचत भी होती है। इसी प्रकार, उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए एजेन्सी आदि देने के लिए भी इन विज्ञापनों का प्रचुर उपयोग किया जाता है। बड़े उद्योग विज्ञापनों द्वारा छोटे उद्योगों से आवश्यक कच्चा माल अथवा सहायक सामग्री टेंडरों आदि द्वारा आमंत्रित करते हैं। जैसे-कार बनाने वाली कम्पनी स्वयं टायर, ट्यूब नहीं बनाती बल्कि अन्य उद्योगों से मँगाते हैं। कुछ कम्पनियाँ अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने हेतु अन्य उद्योगों से तालमेल बनाकर उनसे निर्मित वस्तुओं को भी प्रचारित करती हैं। ये सारे विज्ञापन औद्योगिक विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं।

5. वित्तीय विज्ञापन (Financial Advertisement)

बैंक, जीवन, बीमा, साधारण बीमा, सहकारी संस्थाएँ तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाएँ अपनी गतिविधियों तथा शेयर अथवा डिबेंचर आदी ज़ारी करने की सूचना आदि देने के लिए इन विज्ञापनों का सहारा लेती हैं। ये संस्थाएँ अपनी वार्षिक साधारण सभा, वार्षिक लेखा तथा वार्षिक आय-व्यय सम्बन्धी तुलन पत्र आदि की सूचना जनता को देकर अपनी साख तथा महत्ता बनाये रखना चाहती हैं। अतः ऐसे विज्ञापनों में दृश्य-श्रव्य सामग्री की अपेक्षा लिखित ब्यौरा या सामग्री अधिक मात्रा में विद्यमान रहती हैं।

6. वर्गीकृत विज्ञापन (Classified Advertisements)

इस श्रेणी के विज्ञापन मुख्यतः विभिन्न समाचार पत्रों मे मौजूद रहते हैं। प्रत्येक व्यावसायिक समाचार पत्रों तथा कुछ पत्रिकाओं में एक या कुछ अधिक पृष्ठ वर्गीकृत विज्ञापन हेतु सुरक्षित (आरक्षित) रखे जाते हैं। विवाह सम्बन्ध, छोटी-मोटी नौकरियाँ, किराये के मकान, छोटे या लघु उद्योगों के उत्पादन, खोयी या पाई वस्तुएँ, निविदा आदि से सम्बन्धित विज्ञापन इस श्रेणी में आते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन अपेक्षाकृत संक्षिप्त एवं तत्काल प्रभावकारी होते हैं, इसलिए ये बहुत अधिक लोकप्रिय भी माने जाते हैं।

निविदा (Tender)

निविदा (टेंडर) प्राप्त किए बिना किसी को कार्य निष्पादन हेतु आदेश पत्र जारी नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में समाचार पत्र निविदा के विज्ञापनों से भरे रहते हैं।

निविदा भी दो प्रकार की होती है :

(i) सामान्य निविदा (जिसमें पर्याप्त समय होता है।)

(ii) अल्पकालीन निविदा (जिसमें सामान्यतः कम समय-एक पक्ष दिया जाता है।)

कोर्ट नोटिस (Court Notice)

कोर्ट नोटिस एक आवश्यक कानूनी दस्तावेज़ है जिसका उपयोग न्यायिक प्रक्रियाओं में व्यक्तियों या पक्षों को चल रही या आगामी कानूनी कार्यवाही के बारे में सूचित करने के लिए किया जाता है। यह सभी संबंधित पक्षों को कार्यवाही की तारीखों और अन्य प्रासंगिक जानकारी के बारे में सूचित करने के लिए एक औपचारिक सूचना के रूप में कार्य करता है, जिससे न्यायिक पारदर्शिता और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण घटक बनता है। यह नोटिस सुनिश्चित करता है कि प्राप्तकर्ता के पास पर्याप्त समय और जानकारी हो ताकि वह उनके खिलाफ या उनसे संबंधित कानूनी कारवाई का उत्तर दे सके।

कोर्ट नोटिस का उद्देश्य

- पक्ष को सूचित करनाः कोर्ट नोटिस का मुख्य कार्य प्राप्तकर्ता (व्यक्ति या पक्ष) को उनके खिलाफ शुरू की गई कानूनी कार्यवाही की प्रकृति के बारे में सूचित करना है, चाहे वह सिविल केस हो या फिर क्रिमिनल केस।
- उपस्थिति सुनिश्चित करना : यह नोटिस प्राप्तकर्ता को निर्दिष्ट तिथि और समय पर अदालत में उपस्थित होने केलिए बाध्य करता है।
- कानूनी जागरूकता : यह प्राप्तकर्ता को अदालत की समय सीमा से अवगत कराता है, जिससे उन्हें अपनी रक्षा तैयार करने, सबूत इकट्ठा करने या मामले को

निपटाने का अवसर मिलता है।

- मामले का विवरण देना : यह मामले का विशिष्ट विवरण प्रदान करता है, जिसमें केस संख्या, संबंधित आरोप और मामले की प्रकृति (क्रिमिनल, सिविल या प्रशासनिक)आदि शामिल होते हैं।
- आदेश जारी करना : कुछ मामलों में, कोर्ट नोटिस में निषेधाज्ञा, रोक लगाने का आदेश या अदालत द्वारा जारी किया गया कोई अन्य निर्देश शामिल हो सकता है।

संकल्प - Resolution

संकल्प केवल सरकार की ओर से जारी किया जाता है। इसका प्रयोग सरकारी उपयोग के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है-

(अ) नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयों की घोषणा करने के लिए।

(आ) सरकारी नीतियों की सार्वजनिक उद्‌घोषणा हेतु।

(इ) जब केन्द्रीय सरकार को जाँच-समितियों अथवा जाँच आयोगों के विशिष्ट प्रतिवेदन या निर्णय आदि की घोषणा करनी हो।

(ई) जब केन्द्रीय सरकार विशिष्ट जाँच आयोगों या जाँच-समितियों की नियुक्ति की सार्वजनिक घोषणा करना चाहे।

संकल्प को भी अधिसूचनाओं की तरह भारत सरकार के 'राजपत्र' (India Gazette) में प्रकाशित किया जाता है। इसके पृष्ठांकन में सरकार द्वारा दिया गया आदेश होता है कि इसका प्रकाशन भारतीय राजपत्र में किया जाय। संकल्प की भाषा विषय-वस्तु के अनुरूप ही होती है तथा शेष सभी बातें सामान्यतया सरकारी अधिसूचना के समान ही होती हैं।

संकल्प

(भारत सरकार के राजपत्र भाग-1, खण्ड 4 में प्रकाशित किये जाने के लिए)

क्र. संख्या 100/6/92

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

संकल्प

विगत कुछ दिनों में देश के विभिन्न राज्यों में खासकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार आदि में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों पर कुछ समाज विरोधी तत्वों के नृशंस हमलों से सरकार चिंतित है। इन हमलों में अनेक हरिजनों के मकान जला दिये गए हैं और कई को गोलियों से उड़ा दिया गया है। इन घटनाओं से सरकार व्यथित है और ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए तथा अपराधियों को उचित दण्ड के साथ हमलाग्रस्त परिवारों के पुनर्वसन हेतु सरकार दृढ़संकल्प है। इसके कार्यान्वयन हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने का सरकार संकल्प करती है। इस समिति में सरकारी प्रतिनिधियों के अलावा अनुसूचित जाति-जनजाति एवं विशिष्ट जनसेवी व्यक्तियों को भी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाना है। इस समिति में एक अध्यक्ष एवं छः अन्य प्रतिनिधि होंगे। यह समिति तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित समिति के अध्यक्ष तथा उपरिलिखित सदस्यों को इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे सरकार के राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाये।

तार (Telegram)

आवश्यक मामलों में जल्दी से कारवाई करने के लिए 'तार' का प्रयोग किया जाता है। जब किसी स्थान के लिए कोई संदेश अथवा शीघ्र कार्रवाई का आदेश देना हो तो तार का माध्यम अपनाया जाता है। प्रायः जिन मामलों में 'तुरत/तत्काल' से काम न हुआ तो और न संभावना हो साथ ही प्राथमिकता अंकित कर देने से भी काम न चले तो 'तार' का उपयोग किया जाएगा। हवाई डाक से पत्र शीघ्र पहूँचते हैं जिसके लिए अब 'स्पीडपोस्ट' की व्यवस्था कर दी गई है। अब तो टेलेक्स द्वारा भी संदेश भेजा जाता है। विशेष परिस्थिति में बे-तार के तार (वायरलेस) की भी सुविधा आज उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने संदेश भेजने में क्रांति ला दी है।

साधारणतः तार दो प्रकार के होते हैं- शब्दबद्ध तथा कूट/बीजांक। कूट तार का प्रयोग गुप्त भाषा में सुरक्षा हेतु रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिक किया जाता है। गृह मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय द्वारा इसके प्रयोग में अधिकता है अतएव इन मंत्रालयों ने तत्संबंधी नियम भी निर्धारित कर लिए हैं। अंतर्देशीय तारों में गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। शब्दबद्ध तार का ही सामान्यतः प्रयोग किया जाता है जिनमें संक्षिप्तता के साथ स्पष्टता रहनी चाहिए। संक्षिप्तता के लिए अटपटी भाषा का प्रयोग ठीक नहीं है। इससे अस्पष्टता आ जाती है।

तार

तार सरकारी तत्काल

प्रेषकः
उप सचिव
रक्षा मंत्रालय (भारत सरकार)
नई दिल्ली

सेवा में,
सचिव,
गृह मंत्रालय,
मद्रास, तमिलनाडु सरकार

सेविग्राम संख्या 109/93 दिनांक 10 फरवरी 1993 के संदर्भानुसार मद्रास पोर्टट्रस्ट की रक्षा व्यय विवरण शीघ्र भेजें।

डिफेक्स तार में शामिल न किया जाय

(माधव गोडबोले)
उप-सचिव, भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

संख्या 308/912/93
दिनांक 22 फरवरी 1995

पुष्टि के लिए प्रतिलिपि डाक द्वारा प्रेषित

(माधव गोडबोले)
उप-सचिव, भारत सरकार

तार की कई कोटियाँ होती हैं:

1. संकट संदेश - जीवन रक्षा हेतु (एस. ओ. एस.) - जब जीवन ही खतरे में हो और बचने/बचाने के लिए सहायता मांगी जाए तब ही इनका प्रयोग होता है। किंचित विलम्ब से ही जीवन खतरे में पड़ सकता है। 'जीवन रक्षा' उग्रता का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाना चाहिए।

2. सैन्य तात्कालिक

3. अति तात्कालिक - इन दोनों कोटियों में सेना संबंधी तारों को प्राथमिकता दी जाती है। 'अति तत्काल' से तात्पर्य है कि किसी भी सरकारी प्रयोजन के लिए परम प्राथमिकता के आधार पर इनका उपयोग किया जा रहा है। नौसैनिक, सैनिक, वायुसैनिक से संबद्ध तारों को संक्रियात्मक तत्काल (आपरेशन इमीजिएट) से अभिहित किया जाता है। आपात्कालीन परिस्थितियों में इनका प्रयोग होता है।

4. तत्काल - तत्काल तार सामान्य से अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

5. आवश्यक-महत्वपूर्ण - एक प्रकार से सामान्य से शीघ्र भेजे जाते हैं।

प्राथमिकता की दृष्टि से इनका क्रम 1, 2, 3, 4, 5 भी यही है।

किस स्तर का अधिकारी किस प्रकार के तार को प्रेषित कर सकता है, यह भी निश्चित है। तत्काल, अति तात्कालिक, संक्रियात्मक तत्काल तार भेजने का अधिकार उपसचिव तथा उससे ऊँचे अधिकारी वर्ग को होता है।

तार की पुष्टि डाक द्वारा कर देनी चाहिए। डाक से पुष्टि में भेजे गये तार के संदेश को पृथक से और भी स्पष्ट किया जा सकता है।

टेलीग्राम रिपोर्ट के गुण:

- **संक्षिप्त और सटीक** : रिपोर्ट संक्षिप्त होनी चाहिए, जिसमें केवल आवश्यक जानकारी शामिल हो, अनावश्यक स्पष्टीकरण आदि को छोड़ देना चाहिए।
- **दोहराव से मुक्त** : टेलीग्राम दोहराव और अनावश्यक वाक्यांशों से बचता है और संदेश को सबसे सीधे तरीके से देने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **सीधा और क्रियात्मक** : टेलीग्राम आमतौर पर तत्काल कारवाई केलिए भेजा जाता है। इसलिए संदेश को इस तरह से संरचित किया जाना चाहिए कि प्राप्तकर्ता उसके अनुसार कारवाई करें।

टेलीग्राम रिपोर्ट तैयार करने की विधि :

1. मुख्य संदेश की पहचान करें : सबसे पहले वह मुख्य संदेश लिखें जिसे आप संप्रेषित करना चाहते हैं। इसमें शामिल किए जाने वाले आवश्यक विवरणों पर विचार करें। जैसे :-
   - कौन - यह रिपोर्ट किसके लिए हैं?
   - क्या - कौन सी जानकारी या कारवाई प्रस्तुत की जा रही है?
   - कब और कहाँ - कारवाई कब और कहाँ की जानी है?

   संदेश को संक्षिप्त रखें, लेकिन यह सुनिश्चित करें की सभी आवश्यक तथ्य कवर हो गए हों।

2. अनावश्यक शब्द एवं वाक्यांशों को हटाएँ : पारंपरिक टेलीग्राम में सहायक क्रिया (is, are etc) आदि को हटा दिया जाता है ताकि संदेश छोटा और स्पष्ट हो सके। इस चरण में भाषा को सरल करना और उन व्याकरणिक तत्वों को हट ाना शामिल है जो संदेश के अर्थ में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं करते।

3. संक्षिप्त और सरल शब्दों का प्रयोग करें : स्थान बचाने केलिए संक्षेप और सबसे सरल शब्दों का प्रयोग करें। उद्देश्य संदेश को स्पष्ट और त्वरित रूप से व्यक्त करना है। 'मुख्यालय' केलिए 'HQ', 'जितना जल्दी हो सके' केलिए 'ASAP' जैसे संक्षेप टेलीग्राम में आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं ताकि संदेश संक्षिप्त हो सकें।

तकनीकी शब्द

हिन्दी भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरूप में तकनीकी

शब्दों का सबसे प्रमुख स्थान है। विशेष प्रयोजनों केलिए प्रयुक्त इन शब्दों को सीखना हिन्दी का प्रयोजनमूलक स्वरूप की सफल प्रयोग केलिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को नीचे दिया हुआ है :-

1. Agree - सहमत
2. Agriculture - कृषि
3. Cost - लागत
4. Caste - जाति
5. Able - योग्य
6. Eligible - निर्वाच्य, वांछनीय
7. Inward - आवक
8. Outward - जावक
9. Import - आयात
10. Export - निर्यात
11. Co-operation - सहकारी
12. Coordination - समन्वयन
13. Follow - अनुसरण
14. Fellow - सदस्य
15. Bond - बंधपत्र
16. Pledge - रेहन
17. Fire - आग
18. Fare - भाड़ा
19. Fight - लड़ाई
20. Right - अधिकार
21. Action - कार्रवाई
22. Auction - नीलामी
23. Retire - निवृत्त
24. Satire - प्रहसन
25. Modify - परिवर्तन करना
26. Certify - प्रमाणित करना
27. Noting - टिप्पण
28. Notification - अधिसूचना
29. Convince - स्वीकार करना
30. Convenience - सुविधा
31. Direction - निर्देशन
32. Deputation - प्रतिनियुक्ति
33. Dear - प्रिय
34. Dearness - महँगाई
35. Expect - प्रत्याशा, प्रतीक्षा
36. Accept - स्वीकार करना
37. Safety - सुरक्षा
38. Security - प्रतिभूति
39. Personal - व्यक्तिगत, निजी
40. Personnel - कार्मिक
41. Bail - जमानत
42. Bell - घंटा
43. Grant - स्वीकृत
44. Grate - पिसना
45. Plain - समतल
46. Plane - विमान, वायुयान
47. Farm - खेत
48. Form - प्रपत्र
49. Here - यहाँ
50. Heir - वारिस

Critical Overview / अवलोकन

हिन्दी के प्रयोजनमूलक स्वरूप के तहत उसका सफल एवं सटीक प्रयोग केलिए उसके प्रयुक्तिपरक विभिन्न रूप एवं विशेष पदावली को समझना आवश्यक है। सरकारी कामकाज में विशेष क्रम होते हैं और इन सब बातों को जाने बगैर कोई भी इस क्षेत्र में सफल नहीं बन पाएगा। तार, संकल्प, निविदा आदि सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाया जाता है। तकनीकी शब्दों की जानकारी भी बहुत ही आवश्यक है।

Recap / पुनरावृत्ति

- यूओ नोट एक अनौपचारिक नोट होता है
- जनसंचार के माध्यमों में विज्ञापन की अपनी विशेष भूमिका होती है
- विज्ञापन शब्द अंग्रेजी के Advertisement का हिन्दी रूपान्तरण है
- विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं
- कोर्ट नोटिस एक आवश्यक कानूनी दस्तावेज़ है
- संकल्प केवल सरकार की ओर से जारी किया जाता है
- आवश्यक मामलों में जल्दी से कार्रवाई करने के लिए 'तार' का प्रयोग
- तार दो प्रकार के होते हैं- शब्दबद्ध तथा कूट/बीजांक

Objective questions / वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. यू ओ नोट का पूर्ण रूप क्या है?
2. निविदा का अंग्रेजी शब्द क्या है?
3. संकल्प किसकी ओर से जारी किया जाता है?
4. विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं?
5. किन्हीं दो प्रकार के विज्ञापन का उल्लेख कीजिए?
6. सूचनाप्रद विज्ञापन किस नाम से भी जाना जाता है?
7. तार के दो प्रकार कौन-कौन से हैं?
8. Auction का हिन्दी शब्द क्या है?

Answers / उत्तर

1. अनऑफ़िशियल नोट
2. Tender
3. सरकार
4. 6
5. अनुनेय विज्ञापन, सूचनाप्रद विज्ञापन

6. ज्ञानप्रद विज्ञापन
7. कूट तार और बीजांक
8. नीलामी

Assignments / प्रदत्त कार्य

1. विज्ञापन के प्रकारों पर प्रकाश डालिए।
2. संकल्प क्या है? उदाहरण सहित व्यक्त कीजिए।
3. टेलीग्राम रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखिए।

Reference / सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी - विनोद गोदरे
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी का अध्ययन - डॉ सुशीला गुप्ता
3. प्रयोजनमूलक हिन्दी - डॉ माधव सोनटक्के
4. हिन्दी भाषा के विविध रूप - डॉ पी लता
5. हिन्दी भाषा और नागरी लिपि - भोलानाथ तिवारी
6. प्रयोजनमूलक हिन्दी : सिद्धांत और प्रयोग - दंगल झालटे
7. हिन्दी भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरूप - डॉ कैलाश चंद्र भाटिया
8. भाषा विज्ञान - डॉ भोलानाथ तिवारी
9. प्रामाणिक आलेखन और टिप्पण - प्रो विराज एम ए

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

BLOCK - 04

पारिभाषिक शब्दावली

इकाई 1

सामान्य शब्दों एवं तकनीकी शब्दों के बीच अंतर

Learning Outcomes / अध्ययन परिणाम

- पारिभाषिक शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है
- सामान्य शब्दों के बारे में पता चलता है
- पारिभाषिक शब्दों एवं सामान्य शब्दों के बीच के अंतर को समझता है

Prerequisites / पूर्वापेक्षा

प्रयोजनमूलक हिन्दी के अध्ययन, अनुशीलन तथा विश्लेषण के पश्चात उसमें अंतर्निहित तीन मुख्य तत्व उभरकर आते हैं। उनमें एक है पारिभाषिक शब्दावली। प्रयोजनमूलक हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली की महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य भूमिका उपस्थित रहती है। पारिभाषिक शब्दावली किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होती है। पारिभाषिक शब्द परिभाषित होते हैं। पारिभाषिक शब्दों का सामान्य शब्दों से कुछ अंतर दिखाई देते हैं। उसके बारे में चर्चा करना आवश्यक हैं।

Keywords / मुख्य बिन्दु

सामान्य शब्द, पारिभाषिक, अर्धपारिभाषिक, शब्दभंडार

Discussion / चर्चा

शब्द के रूप

भाषा सार्थक शब्दों की एक सुगठित एवं व्यवस्थित इकाई है। लेखक की भाषा में शब्दों की ओर विशेष ध्यान देकर उनका विषयगत तथा सन्दर्भगत संयोजन सुचारु ढंग से करना पड़ता है। शब्दों के सार्थक प्रयोग पर ही विषय-वस्तु तथा भाषा की अभिव्यक्ति सम्भव होती है। प्रयुक्ति अथवा प्रयोग के आधार पर 'शब्द' के एक ओर तो बहुप्रयुक्त, अल्पप्रयुक्त तथा अप्रयुक्त आदि भेद किये जा सकते हैं, तथा दूसरी ओर सामान्य, अर्धपारिभाषिक तथा पारिभाषिक। परन्तु इस सन्दर्भ में मुख्यतः शब्दों के तीन प्रमुख प्रकार या रूप माने जा सकते हैं-

1. सामान्य शब्द
2. अर्धपारिभाषिक शब्द
3. पारिभाषिक शब्द

1. सामान्य शब्द

सामान्य शब्दों का सम्बन्ध जीवन और जगत के दैनंदिन या सामान्य व्यवहार तथा बोलचाल आदि से है। अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग रोजमर्रा के सामान्य व्यवहार विषयक बातों की सहज अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। प्रत्येक भाषा की सर्वसामान्य

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

अभिव्यंजना के मूलाधार ऐसे सामान्य शब्द ही माने जाते हैं और उनमें सम्बन्धित भाषा के सर्वनाम तथा सामान्य जीवन व जगत से सम्बन्धित बहुप्रयुक्त क्रिया, संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण आदि का समावेश रहता है। ऐसे सामान्य शब्दों के आधार पर ही कोई व्यक्ति भाषा सीखता है और उनका नित्य प्रति के व्यवहार में उपयोग भी करता है। बच्चा भी जब मातृभाषा सीखता है तब सर्वप्रथम सामान्य शब्दों को ही सीखता है। खाना, पीना, चलना, चाचा, माँ, पिता, आना, जाना, ठण्डा, गरम, रोटी, पानी, कलम, मेज़, कुर्सी जैसे शब्द सामान्य शब्द की श्रेणी में आयेंगे। बोलचाल, वार्तालाप या संवाद तथा ललित साहित्य आदि में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। सरलता, भावुकता, लक्षणा-व्यंजनाश्रितता तथा सहजता आदि गुण सामान्य शब्दों में देखे जा सकते हैं। सामान्य शब्द पारिभाषिक शब्द के रूप में कभी प्रयोग में नहीं आते।

2. अर्धपारिभाषिक शब्द

सामान्य शब्दों के अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जो सामान्य तथा पारिभाषिक दोनों रूपों में प्रयोग में लाये जाते हैं। अर्थात कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग स्थिति, विषय-वस्तु तथा सन्दर्भ के अनुसार कभी तो सामान्य शब्दों के रूप में होता है, और कभी पारिभाषिक शब्दों के रूप में।

सामान्य शब्द को आसानी से पहचाना जा सकता है किन्तु अर्ध-पारिभाषिक शब्द को उसकी विशिष्टताओं तथा विशेष ज्ञान की स्पष्टताओं के द्वारा पहचाना जा सकता है। माया, विपदा, वेदना, क्रिया, सृजन, आपत्ति, रस, अर्थ आदि ऐसे अनेक शब्द हैं जो अर्ध-पारिभाषिक शब्द-वर्ग में आते हैं। विश्व की भाषाओं में इस प्रकार के शब्दों की संख्या काफी मात्रा में विद्यमान रहती है।

3. पारिभाषिक शब्द

पारिभाषिक शब्द को 'तकनीकी' शब्द भी कहा जाता है। वस्तुतः 'टेक्निकल टर्मिनालॉजी' के पर्याय के रूप में हिन्दी में 'पारिभाषिक शब्दावली' अथवा 'तकनीकी शब्दावली' का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। विख्यात कोशकार डॉ. रघुवीर ने 'कॉम्प्रेहेंसिव डिक्शनरी' ऑफ इंग्लिश हिन्दी में पारिभाषिक शब्द की व्याख्या देते हुए लिखा है - 'पारिभाषिक शब्द उसको कहते हैं, जिसकी परिभाषा की गई हो। पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएँ बाँध दी गई हों। जिन शब्दों की सीमा बाँध दी जाती हैं वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं और जिनकी सीमा नहीं बाँधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं।' पारिभाषिक शब्दों का सम्बन्ध ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में है और उनकी परिधि निश्चित अर्थात परिभाषित (Defined) रहती है तथा विषय-पल्लवन की प्रक्रिया में इनका विशिष्ट स्थान रहता है। ज्ञान विशेष में इन शब्दों का अर्थ होता है। अतः विषय-विशेष में इन शब्दों की सहायता से स्पष्ट तथा एकार्थक अभिव्यक्ति सम्भव होती है। अधिकांश पारिभाषिक शब्द अर्थसंकोच से बनाये जाते हैं जो जटिल विचारों को सांकेतिक रूप में अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार के विज्ञानी शास्त्रीय सिद्धान्तों का निरूपण करते हैं जिन्हें सर्वसामान्य बोलचाल की भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। फलतः इस प्रकार के शास्त्रीय सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति हेतु विशिष्ट 'मानक' (Standard) शब्दों का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। यही पारिभाषिक शब्द हैं और यहीं से पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पारिभाषिक शब्दों के अंतर्गत मानविकी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कार्यालयी, प्रशासन, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर तथा दूरसंचार आदि क्षेत्र आते हैं।

Critical Overview / अवलोकन

पारिभाषिक शब्दावली का सम्बन्ध प्रयोजनमूलक हिन्दी से अनिवार्यतः जुड़ा हुआ है। वस्तुतः प्रयोजनमूलक हिन्दी के अंगभूत अनिवार्य तत्त्व के रूप में पारिभाषिक शब्दावली की महत्ता अक्षुण्ण बनी हुई है। हमारे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी केउदय एवं विकास केसाथ उसकी सटीक तथा सार्थक अभिव्यक्ति हेतु हिन्दी के प्रयोजनमूलक रूप में उसकी तकनीकी शब्दावली की नितान्त जरूरत महसूस की गई। फलतः हिन्दी में प्रशासन, विधि, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी से सम्बन्धित

पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण एवं प्रचलन हुआ। इस प्रकार वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के निर्माण के कारण विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी अनुप्रयोग को अत्यधिक गति मिल गई है। अतः पारिभाषिक शब्दावली की अनुप्रयुक्तता प्रयोजनभूलक हिन्दी में एक अनिवार्य तथा अत्यन्त उपादेय तत्त्व के रूप में सिद्ध हुई है। इस अर्थ में प्रयोजनमूलक हिन्दी के प्रशासन, विधि, दूरसंचार, मानविकी विज्ञान, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर तथा प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में प्रयुक्ति के उपकरण के रूप में पारिभाषिक शब्दावली की महत्ता अक्षुण्ण है।

Recap / पुनरावृत्ति

- भाषा सार्थक शब्दों की एक सुगठित एवं व्यवस्थित इकाई है
- सामान्य, अर्धपारिभाषिक तथा पारिभाषिक शब्द
- रोजमर्रा के सामान्य व्यवहार विषयक शब्द सामान्य शब्द हैं
- सरलता, भावुकता, लक्षणा-व्यंजनाश्रितता तथा सहजता आदि गुण सामान्य शब्दों में देखे जा सकते हैं
- सामान्य तथा पारिभाषिक दोनों रूपों में प्रयोग करनेवाले शब्द अर्धपारिभाषिक शब्द हैं
- पारिभाषिक शब्द को 'तकनीकी' शब्द भी कहा जाता है
- 'टेक्निकल टर्मिनालॉजी' के पर्याय के रूप में हिन्दी में 'पारिभाषिक शब्दावली' का प्रयोग किया जाता है
- अधिकांश पारिभाषिक शब्द अर्थसंकोच से बनाये जाते हैं

Objective questions / वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. पारिभाषिक शब्दावली का समानार्थी अंग्रेजी शब्द क्या है?
2. सार्थक शब्दों की सुगठित और व्यवस्थित इकाई को क्या कहते हैं?
3. दैनंदिन एवं सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं?
4. सामान्य शब्दों के गुण क्या क्या हैं?
5. सामान्य तथा पारिभाषिक दोनों रूपों में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं?
6. Standard शब्द का पर्यायवाची हिन्दी शब्द क्या है?
7. पारिभाषिक शब्दों के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं?

Answers / उत्तर

1. Technical Terminology
2. भाषा
3. सामान्य शब्द
4. सरलता, भावुकता, सहजता आदि

5. अर्धपारिभाषिक शब्द
6. मानक
7. मानवीकी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रशासन आदि

Assignments / प्रदत्त कार्य

1. सामान्य शब्दों पर टिप्पणी लिखिए।
2. अर्धपारिभाषिक शब्दों पर प्रकाश डालिए।
3. पारिभाषिक शब्दावली का परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित व्यक्त कीजिए।

Reference / सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी - विनोद गोदरे।
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी का अध्ययन - डॉ सुशीला गुप्ता।
3. प्रयोजनमूलक हिन्दी - डॉ माधव सोनटक्के।
4. हिन्दी भाषा और नागरी लिपि - भोलानाथ तिवारी।
5. प्रयोजनमूलक हिन्दी : सिद्धांत और प्रयोग - दंगल झालटे।
6. हिन्दी भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरूप - डॉ कैलाश चंद्र भाटिया।

इकाई 2

तकनीकी शब्दों और विभिन्न मतों को गढ़ने के स्रोत और सिद्धांत

Learning Outcomes / अध्ययन परिणाम

- तकनीकी शब्दों को गढ़ने के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है
- तकनीकी शब्दों के गढ़न संबंधी विभिन्न सिद्धांतों के बारे में पता चलता है

Prerequisites / पूर्वापेक्षा

जब हिन्दी राजभाषा के पद पर आसीन हुई तब हिन्दी की समृद्धतम साहित्यिक पृष्ठभूमि के होते हुए भी हिन्दी भाषा के नवीन रूप की आवश्यकता महसूस हुई। विभिन्न ज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, उसीप्रकार प्रशासन एवं कानून के क्षेत्र में हिन्दी का प्रचलित रूप अप्रायोगिक लगा। ऐसे में हिन्दी भाषा को एक नवीन रूप एवं संरचना में ढालना जरूरी हो गया। विभिन्न क्षेत्रों में सुगमता एवं सार्थक रूप से प्रयुक्त करने केलिए हिन्दी में नवीन शब्दों का गढ़न भी आवश्यक था। इसीलिए पारिभाषिक शब्दों को गढ़ने का कार्य ज़ोरों से चलन लगा। ऐसे अवसर पर कई विद्वानों ने इस संबंध में अपना अपना मत व्यक्त करने लगा और यह कई प्रकार के सिद्धांतों के उभरने का कारण बना।

Keywords / मुख्य बिन्दु

राष्ट्रीयतावादी, अंतर्राष्ट्रीयतावादी, लोकवादी, समन्वयवादी

Discussion / चर्चा

पारिभाषिक शब्दावली के गढ़न में अनेक विद्वानों ने अपना योगदान दिया है। लेकिन प्रत्येक विद्वानों के दलों के बीच में मतभेद उत्पन्न हुए और ऐसे में पारिभाषिक शब्दावली के गढ़न के संबंध में अनेक मत एवं सिद्धांत उभरकर आए। इस प्रकार मतवैविध्य के आधार पर मुख्यतः चार वाद सामने आए हैं -

1. राष्ट्रीयतावादी

पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के बारे में विद्वानों में मतभेद पाए जाते हैं। विद्वानों का एक वर्ग जो 'राष्ट्रीयतावादी' कहलाता है-उनका मत है कि पारिभाषिक शब्द संस्कृत के धातु रूपों से ही बनाए जा सकते हैं। डॉ. रघुवीर इस वर्ग के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। इनके अनुसार संस्कृत भाषा धातु, प्रत्यय, उपसर्ग तथा समास-शक्ति के कारण अत्यंत उर्वरा है और बड़ी सरलता से उसके आधार पर नये शब्द बनाए जा सकते हैं। इसके विपरीत, कुछ विद्वानों का मत है कि संस्कृत धातुओं के बल पर तैयार किये जाने वाले शब्द कठिन होते हैं। फलतः अंग्रेजी अथवा अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को अपनाया जाना चाहिए। इस विरुद्ध धारणा के उत्तर में कहा गया है कि अन्य भाषा से लिया गया शब्द उर्वर नहीं होता। जैसे अंग्रेजी 'Therm' से लगभग पचास शब्द बनते हैं, ऐसे में प्रत्येक शब्द को हिन्दी में नहीं अपनाया जा सकता।

अतः 'Therm' के लिए संस्कृत का 'ताप' शब्द ग्रहण कर लें तो उससे अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं। 'ताप' के आधार पर Thermal तापीय, Thermation तापायन, Thermal power तापीय शक्ति, Thermal capacity तापयी धारणा तथा Thermal belt तापीय कटिबंध आदि अनेक पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। अधीक्षक, कार्यालय, मंत्रालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कुल सचिव, रूपग्राम, संपादक आदि अनेक शब्द इसी पद्धति के हैं।

2. अंतर्राष्ट्रीयतावादी

पारिभाषिक शब्दावली केनिर्माण में योगदान देने वाले विद्वानों का दूसरा वर्ग जो अंतर्राष्ट्रीयतावादी कहलाता है, इस वर्ग का मत है कि हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली के लिए अंग्रेजी तथा अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को यथास्थिति अपना लिया जाए। इस वर्ग में मुख्यतः विज्ञानी तथा पश्चिमी परम्परा के समर्थक लोग आते हैं। उनकी मान्यता है कि अंग्रेजी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली सर्वमान्य शब्दावली को अपनाकर हिन्दी भाषा को भी समृद्ध किया जाना चाहिए। नई वैज्ञानिक खोज के अनुसार नए शब्द भी साथ में बनते हैं, ऐसी स्थिति में प्रत्येक बार देशज शब्दों को बनाना पड़ेगा जो असंगत होगा। अतः ऐसी शब्दावली को यथास्थिति अपनाया जाना चाहिए। नाइट्रोजन, हाईड्रोजन, फ्रिज, इंटेरिम, कंप्युटर, शटल, एकेडमी आदि अनेक शब्दों को ज्यों का त्यों अपना लेना उचित होगा

3. लोकवादी

इस वर्ग के विद्वान भारत की उदारवादी संस्कृति के ही समान हिन्दी के समस्त स्रोतों से आए शब्दों को पारिभाषिक वर्ग में स्थान देने के पक्षधर हैं। इसी दृष्टि कोण के आधार पर इसे प्रयोगवादी भी कहा गया है। हिन्दी भाषा में यदि परंपरागत तथा तत्सम और तद्भव शब्द हैं तो विभिन्न देशों के अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। इन विद्वानों का कहना है कि यदि सामान्य प्रयोग और साहित्य में ये शब्द सरलता से प्रयुक्त होते हैं, तो ज्ञान-विज्ञान के विविध विषयों में पारिभाषिक शब्दों के रूप में भी प्रयुक्त होने चाहिए। पंडित सुन्दरलाल और डॉ. जफ़ हसन आदि ने सरकार से अनुदान प्राप्त कर ऐसी शब्दावली भी बनाई। 1954 ई. में इलाहाबाद से 'हिंदुस्तानी के लिए शब्दावली असूल' प्रकाशित हुआ। यह शब्दावली जो खिचड़ी रूप में सामने आई, हास्यास्पद हो गई। इसमें तत्सम तथा तद्भव शब्दों को भी मान्यता दी गई, किन्तु अन्य वर्गों को अधिक महत्त्व देने से शब्दावली का स्वरूप अमान्य हो गया।

4. समन्वयवादी

विद्वानों का चौथा वर्ग समन्वयवादी कहलाता है। इस वर्ग के मतानुसार हिन्दी भाषा की प्रकृति तथा प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए संस्कृत, प्राकृत, आधुनिक भाषाएँ, अंग्रेज़ी तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग आदि के शब्दों को आवश्यकतानुसार ग्रहण करना चाहिए और इनकी मदद से नवीन शब्दों का निर्माण भी किया जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा स्थापित वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने भी इसी प्रकार की विचाराधारा को अपनाने की कोशिश की है। मोटर, बम, रेडियो, मशीन, टेबल, रडार, रेलवे स्टेशन, लाइसेंस, थर्मोमीटर, रॉयल्टी, इंटरकॉम, कंप्युटर, टेलीफोन, ऑपरेशन, डॉक्टर आदि अनेक शब्द इसी श्रेणी में आते हैं। हिन्दी भाषा के विकास तथा आधुनिकीकरण के साथ उसे अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्रदान करने की प्रक्रिया स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली के साथ देश-विदेश की अनेक भाषाओं की शब्दावली को भी अपनाया जाना बहुत आवश्यक है।

Critical Overview / अवलोकन

पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के बारे में विद्वानों में मतभेद पाए जाते हैं। विद्वानों का एक वर्ग जो 'राष्ट्रीयवादी' कहलाता है- उनका मत है कि पारिभाषिक शब्द संस्कृत के धातु रूपों से ही बनाए जा सकते हैं। इसके विपरीत, कुछ विद्वानों का मत है कि संस्कृत धातुओं के बल पर तैयार किए जाने वाले शब्द कठिन होते हैं। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में योगदान देनेवाले विद्वानों का दूसरा वर्ग, जो

अन्तर्राष्ट्रीयवादी कहलाता है, इस वर्ग का मत है कि हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली केलिए अंग्रेज़ी तथा अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली को यथास्थिति अपना लिया जाए। विद्वानों का और एक वर्ग है जिन्हें 'समन्वयवादी' कहलाता है जो ऊपर कही गई दोनों वादों को आवश्यकतानुसार स्वीकार करने की बात कही है।

Recap / पुनरावृत्ति

- पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के बारे में विद्वानों में मतभेद पाए जाते हैं
- विद्वानों का एक वर्ग 'राष्ट्रीयतावादी' है
- पारिभाषिक शब्द संस्कृत के धातु रूपों से ही बनाए जा सकते हैं
- दूसरा वर्ग अंतर्राष्ट्रीयतावादी है
- अंग्रेजी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली सर्वमान्य शब्दावली को अपनाना है
- तीसरा वर्ग है लोकवादी
- हिन्दी के समस्त स्रोतों से आए शब्दों को पारिभाषिक वर्ग में स्थान देना है
- विद्वानों का चौथा वर्ग समन्वयवादी है।
- हिन्दी भाषा की प्रकृति तथा प्रवृत्ति के अनुसार आवश्यकतानुसार ग्रहण भी करना चाहिए और निर्माण भी किया जाना चाहिए

Objective questions / वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के संबंध में कितने प्रकार के वाद सामने आते हैं?
2. राष्ट्रीयतावादी विद्वानों के अनुसार पारिभाषिक शब्दावली किस से बनाए जाते हैं?
3. किनके अनुसार परिभाषिक शब्दावली के लिए अंग्रेजी तथा अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को यथास्थिति अपना लिया जाना चाहिए?
4. अंतर्राष्ट्रीयतावादी शब्दावली केलिए उदाहरण दीजिए?
5. कौन से मत के अनुसार गढ़ित शब्दावली हास्यास्पद हो गयी थी?
6. इलाहाबाद से 'हिंदुस्तानी के लिए शब्दावाली असूल' कब प्रकाशित हुआ?
7. हिन्दी भाषा की प्रकृति तथा प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए शब्दों को अपनाने और गढ़ित की जाने की विचारधारा कौन सी है?
8. भारत सरकार द्वारा स्थापित वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने किस प्रकार की विचाराधारा को अपनाने की कोशिश की है?

Answers / उत्तर

1. चार
2. संस्कृत धातु रूपों से

3. अंतर्राष्ट्रीयतावादी
4. नाइट्रोजन, हाईड्रोजन, फ्रिज, इंटेरिम
5. लोकवादी
6. 1954 ई. में
7. समन्वयवादी
8. समन्वयवादी

Assignments / प्रदत्त कार्य

1. पारिभाषिक शब्दावली के गढ़ने के संबंध में विद्वानों के विभिन्न मतों पर प्रकाश डालिए।
2. तकनीकी शब्दों को गढ़ने के विभिन्न सिद्धांतों पर टिप्पणी लिखिए।
3. समन्वयवादी विचारधारा की विशेषताओं एवं प्रायोगिकता पर चर्चा चलाइए।

Reference / सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी - विनोद गोदरे
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी का अध्ययन - डॉ सुशीला गुप्ता
3. प्रयोजनमूलक हिन्दी - डॉ माधव सोनटक्के
4. हिन्दी भाषा और नागरी लिपि - भोलानाथ तिवारी
5. प्रयोजनमूलक हिन्दी : सिद्धांत और प्रयोग - दंगल झालटे
6. हिन्दी भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरूप - डॉ कैलाश चंद्र भाटिया

इकाई 3

तकनीकी शब्दों को गढ़ने में 'केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय' और 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' की भूमिका

Learning Outcomes / अध्ययन परिणाम

- तकनीकी शब्दों के निर्माण के बारे में समझता है
- केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के बारे में समझता है
- वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के बारे में समझता है
- तकनीकी शब्दों को गढ़ने में 'केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय' और 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' की भूमिका समझता है

Prerequisites / पूर्वापेक्षा

हिन्दी भाषा की विकास यात्रा में हिन्दी बहुत आगे निकाल चुकी है। भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में हिन्दी का अनेक रूपों में प्रयोग होता है। उनमें प्रमुख है हिन्दी का राजभाषा के रूप में प्रयोग। जबसे हिन्दी भाषा को राजभाषा के पद पर आसीन किया गया तबसे लेकर आज तक हिन्दी भाषा के प्रचार एवं प्रसार के संबंध में कई कार्य विभिन्न स्तरों में किया जाते हैं। समय समय पर हिन्दी भाषा को परिमार्जित एवं परिवर्धित बनाने केलिए कई संस्थाएँ, समिति एवं आयोगों का गढ़न हुआ है। इन संस्थाओं एवं उनके कार्य को जानना बहुत ही ज़रूरी है।

Keywords / मुख्य बिन्दु

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, अनुच्छेद

Discussion / चर्चा

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (Central Hindi Directorate)

'केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय' भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक सरकारी विभाग है। यह संस्था नई दिल्ली में स्थित है और मानक हिन्दी के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में हिन्दी भाषा के विकास के लिए दिए गए निर्देश को ध्यान में रखते हुए 1 मार्च 1960 को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना की गई थी। चैन्नई, हैदराबाद, गुवाहाटी और कोलकत्ता में इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का कार्य :-

हिन्दी भाषा के कोशों का संकलन करना और उसका प्रकाशन करना, निःशुल्क हिन्दी पुस्तक वितरण करना और देवनागरी लिपि एवं हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण करना आदि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

का कार्य है। इसके अलावा पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित कर उसकी बिक्री करना तथा भाषा का वार्षिक रूप से साहित्यमाला का संकलन और प्रकाशन का कार्य भी इसी संस्था का है।

हिन्दी को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने, हिन्दी भाषा के माध्यम से जन-जन को जोड़ने और हिन्दी को वैश्विक धरातल पर स्थापित करने के लिए यह शीर्षस्थ सरकारी संस्था निरंतर प्रयासरत है।

तकनीकी शब्दों को गढ़ने में 'केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय' की भूमिका

देवनागरी लिपि एवं हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण कर हिन्दी भाषा को एक संशोधित एवं परिवर्धित रूप प्रदान करने का कार्य 'केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय' का है। विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में एवं नूतन संचार साधनों (कंप्यूटर, वेबसाइट इत्यादि), अधुनातन यांत्रिक उपकरणों में प्रयुक्त राजभाषा हिन्दी की वर्तनी में एकरूपता बनाए रखने केलिए उसमें यथासमय आवश्यकतानुसार संशोधन एवं उसका मानकीकरण किया जाता है। विख्यात हिन्दी विद्वानों और विशेषज्ञों की एक समिति से प्राप्त सुझावों के आधार पर निदेशालय द्वारा देवनागरी लिपि तथा हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण नामक एक पुस्तिका के संशोधित संस्करण का प्रकाशन किया है।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (Commission for Scientific and Technical Terminology)

हिन्दी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली निर्माण के लिए सन् 1960 का वर्ष एक युग के निर्माण का वर्ष साबित हुआ। 1955 में गठित 'संसदीय राजभाषा समिति' की सिफारिशों को मानते हुए भारत के राष्ट्रपति ने सन् 1960 में एक आदेश निकाला। इस आदेश के अनुसार भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन 1961 में 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' की स्थापना की गई। इस आयोग को निम्नांकित कार्यभार सौंपा गया-

1. वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण के सिद्धान्तों का निर्धारण करना तथा तकनीकी शब्दावली के क्षेत्र में अब तक किये गए कार्य का पुनरीक्षण, समन्वय तथा समेकन।
2. विभिन्न विषयों की मानक वैज्ञानिक शब्दावली का निर्माण, प्रकाशन, प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण।
3. आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली के प्रयोग को परिलक्षित करते हुए विभिन्न पारिभाषिक शब्दकोशों का निर्माण एवं प्रकाशन।
4. पाठमालाओं, मोनोग्राफ, चयनिकाओं (डाइजेस्ट) एवं पाठ-संग्रहों (रीडिङ्ग्स) का निर्माण एवं प्रकाशन।
5. विज्ञान तथा मानविकी आदि में उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्य ग्रन्थों के निर्माण एवं प्रकाशन के लिए सभी हिन्दी-भाषी राज्यों में हिन्दी ग्रन्थ अकादमियों/विश्वविद्यालय एककों की स्थापना करना, उन्हें अनुदान देना एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
6. अखिल भारतीय शब्दावली का संकलन, प्रकाशन, प्रचार एवं अनुप्रयोग।
7. विज्ञान तथा मानविकी में उच्च स्तरीय लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए क्रमशः त्रैमासिक पत्रिकाओं 'विज्ञान गरिमा सिन्धु' तथा 'ज्ञान गरिमा सिन्धु' का प्रकाशन।
8. विश्वविद्यालयों एवं उच्च तकनीकी संस्थानों के प्राध्यापकों/वैज्ञानिकों आदि को आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली का प्रशिक्षण देने तथा हिन्दी में विज्ञान लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए शब्दावली कार्यशालाओं का आयोजन करना।
9. आयोग द्वारा निर्मित समस्त शब्दावली का कम्प्यूटरीकरण करते हुए कम्प्यूटर-आधारित राष्ट्रीय शब्दावली बैंक की स्थापना करना ताकि देश भर में सभी विषयों की अद्यतन मानक शब्दावली सर्वसुलभ हो जाये।
10. कृषि, आयुर्विज्ञान एवं इंजीनियरी के सभी विषयों में विश्वविद्यालय-स्तरीय पाठ्यपुस्तकों,

सन्दर्भ-ग्रन्थों एवं सहायक सामग्री का निर्माण एवं प्रकाशन।

11. शब्दावली का मानकीकरण तथा प्रयोक्ताओं के बीच सर्वेक्षण कार्य।
12. अहिन्दी-भाषी राज्यों में स्थापित पाठ्य पुस्तक मण्डलों के माध्यम से पाठ्य पुस्तकों के निर्माण, शब्दावली निर्माण एवं अन्य सन्दर्भ-ग्रन्थों के निर्माण आदि के लिए केन्द्रीय अनुदान, मार्गदर्शन, परामर्श एवं विशेषज्ञता प्रदान करना, उनके कार्यों का अखिल भारतीय स्तर पर समन्वय एवं पुनरीक्षण करना।
13. तकनीकी शब्दावली के अभ्यास, प्रशिक्षण एवं पुनरीक्षण के लिए इन अहिन्दी- भाषी राज्यों के पाठ्य पुस्तक मण्डलों को तकनीकी शब्दावली कार्यशाला के आयोजन के लिए आर्थिक सहायता, मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता प्रदान करना।
14. आयुर्विज्ञान के शब्दों और वाक्यांशों के द्विभाषी संस्करण अर्थात तमिल - हिन्दी, मराठी - हिन्दी, गुजराती-हिन्दी आदि संस्करणों का निर्माण एवं प्रकाशन।

इन उद्देश्यों की पूर्ति में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग अत्यंत सफल रहा है। इस आयोग में विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं के भाषाविदों के अतिरिक्त लब्धप्रतिष्ठ विद्वान, यूरोपीय भाषाओं के भाषाविज्ञानी, प्राध्यापक आदि को सम्मिलित किया गया था। हिन्दी मानक वर्तनी आदि के साथ पारिभाषिक तथा तकनीकी शब्दावली के भाषा वैज्ञानिक स्वरूप पर विचार-विमर्श करने के लिए अलग संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के समुचित विकास के द्वार खुल गए। हिन्दी भाषा के स्तर के साथ उसमें निहित पारिभाषिक शब्दावली के तत्त्वों का भी उद्घाटन सम्भव हुआ। अपना कार्य प्रारम्भ करने के बाद अर्थात अक्तूबर, के पश्चात इस आयोग ने अपने उद्देश्यों की परिपूर्ति के रूप में अन्य अभी अत्यावश्यक कार्यों के अलावा अनेक तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दकोशों तथा शब्दावलियों का निर्माण और प्रकाशन किया। हिन्दी भाषा की प्रारम्भिक स्थिति को देखते हुए यह कार्य अत्यन्त जटिल और कठिन था, परन्तु आयोग ने पूरी कर्तव्यनिष्ठा, भगीरथ प्रयास एवं ध्येयवाद का परिचय देते हुए उसे सफलतापूर्वक किया। अब तक भौतिकी, प्राणि-विज्ञान, गणित, भूगोल, भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन, अनुप्रयुक्त विज्ञान, मानविकी, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजविज्ञान, आदि के साथ प्रशासनिक तथा विभागीय शब्दावलियों का निर्माण और प्रकाशन इस आयोग के द्वारा किया गया है। इतना ही नहीं, विविध विषयों से सम्बन्धित "बृहत पारिभाषिक शब्द-संग्रह" के अनेक खण्ड भी प्रकाशित किए गए हैं।

शब्दावली निर्माण में आयोग की अधिकारिता

राष्ट्रपति के 27 अप्रैल, 1960 के आदेश के अनुसार सभी विषयों की शब्दावली के हिन्दी पर्यायों के निर्माण का उत्तरदायित्व केवल वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को सौंपा गया है। अतः शिक्षा, प्रशासन, अध्यापन आदि सभी क्षेत्रों में सभी पर यह बाध्यता है कि केवल शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित मानक शब्दावली का ही सर्वत्र प्रयोग किया जाये। वस्तुतः पूरे देश में मानक शब्दावली के प्रयोग की वांछनीयता और एकरूपता की दृष्टि से यह अनिवार्य भी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी सभी विश्वविद्यालयों आदि को यह निर्देश दिया है कि हिन्दी तथा अन्य भाषाओं की पाठ्यपुस्तकों में केवल शब्दावली आयोग की शब्दावली का ही प्रयोग किया जाये। इसी प्रकार राजभाषा विभाग, गृह मन्त्रालय ने भी प्रशासन के क्षेत्र में आयोग द्वारा निर्मित प्रशासनिक तथा अन्य शब्दावलियों के प्रयोग की बाध्यता का निर्देश दिया है।

Critical Overview / अवलोकन

हिन्दी भाषा को परिमार्जित एवं संशोधित कर उसे सुगठित बनाने एवं एकरूपता लाने में कई संस्थाओं का योगदान रहा है। इन संस्थाओं ने समय समय पर हिन्दी भाषा के प्रचार प्रसार एवं परिवर्धन में अपनी भूमिका निभाई है। इनमें प्रमुख है 'केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय' एवं

'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग'। हिन्दी भाषा को विशेष प्रयोग केलिए तैयार करने में इन दोनों संस्थाओं ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। हिन्दी को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने, और हिन्दी को वैश्विक धरातल पर पहूँचाने के लिए यह शीर्षस्थ सरकारी संस्थाएँ निरंतर प्रयत्नरत हैं।

Recap / पुनरावृत्ति

- 'केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय' भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक सरकारी विभाग है
- 1 मार्च 1960 को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना की गई थी
- देवनागरी लिपि एवं हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण करना केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का कार्य है
- भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन 1961 में "वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग"; की स्थापना की गई

Objective questions / वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. 'केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय' का अंग्रेज़ी नाम क्या है?
2. 'केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय' की स्थापना कब हुई?
3. 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' का अंग्रेज़ी नाम क्या है?
4. 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' की स्थापना कब हुई?
5. देवनागरी लिपि एवं हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण कर हिन्दी भाषा को एक संशोधित एवं परिवर्धित रूप प्रदान करने का कार्य किसका है?
6. 'केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय' की चार क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ स्थित हैं?
7. 'संसदीय राजभाषा समिति' कब गठित हुई?
8. विज्ञान तथा मानविकी में उच्च स्तरीय लेखन को प्रोत्साहित करने केलिए क्रमशः किन-किन त्रैमासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया?

Answers / उत्तर

1. Central Hindi Directorate
2. 1 मार्च 1960
3. Commission for Scientific and Technical Terminology
4. 1961
5. 'केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय'
6. चैन्नई, हैदराबाद, गुवाहाटी और कोलकाता में
7. 1955
8. 'विज्ञान गरिमा सिन्धु' तथा 'ज्ञान गरिमा सिन्धु'

Assignments / प्रदत्त कार्य

1. 'केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय' का विस्तार से परिचय दीजिए।
2. 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' के कार्य क्या क्या हैं?
3. हिन्दी भाषा के विकास में विभिन्न संस्थाओं का स्थान निर्धारित कीजिए।

Reference / सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी - विनोद गोदरे
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी का अध्ययन - डॉ सुशीला गुप्ता
3. प्रयोजनमूलक हिन्दी - डॉ माधव सोनटक्के
4. प्रयोजनमूलक हिन्दी : सिद्धांत और प्रयोग - दंगल झालटे
5. हिन्दी भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरूप - डॉ कैलाश चंद्र भाटिया

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

BLOCK - 05

प्रयोजनमूलक हिन्दी

SGOU

इकाई
1

व्यवहारिक भाषा और प्रशासनिक भाषा में अंतर

Learning Outcomes / अध्ययन परिणाम

- प्रयोजनमूलक हिन्दी के बारे में समझता है
- प्रयोजनमूलक हिन्दी के मुख्य रूप से परिचित प्राप्त होता है
- प्रयोजनमूलक हिन्दी के प्रयोग क्षेत्र को समझता है

Prerequisites / पूर्वापेक्षा

'प्रयोजनमूलक हिन्दी' हिन्दी भाषा की एक विशेषता है, जो किसी विशेष उद्देश्य या कार्य के लिए उपयोग की जाती है। यह उस हिन्दी को दर्शाती है जो किसी प्रयोजन, जैसे कि सरकारी कार्य, व्यापारिक संचार, तकनीकी लेखन, शिक्षा या सामाजिक संपर्क के लिए तैयार की जाती है। इस का उद्देश्य प्रयोजनमूलक हिन्दी का महत्व को समझाना, मानक लिपि से परिचित कराना, अंक लेखन से अवगत कराना, हिन्दी व्याकरण का ज्ञान प्रदान करना एवं शब्द निर्माण, समाचार लेखन, कार्यालय टिप्पण, पत्राचार तथा पारिभाषिक शब्दावली से परिचय करवाना है।

Keywords / मुख्य बिन्दु

प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, वाणिज्यिक, कार्यालयी, टेक्नोलाजी, प्रतिवेदन

Discussion / चर्चा

प्रयोजनमूलक हिन्दी वह हिन्दी है, जिसका उपयोग किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता है। यह भाषा अलग-अलग क्षेत्रों में जैसे साहित्य, व्यापार, प्रशासन, विज्ञान, और कानून में विभिन्न रूपों में इस्तेमाल होती है। हर क्षेत्र में भाषा की संरचना और शब्दावली अलग होती है, ताकि वह उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उदाहरण के तौर पर, कार्यालयी हिन्दी में औपचारिक शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि विज्ञापन और जनसंचार में आकर्षक और संक्षिप्त भाषा का उपयोग किया जाता है। इस तरह, प्रयोजनमूलक हिन्दी समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त करने के साथ-साथ कार्य की प्रभावशीलता बढ़ाने में मदद करती है।

भाषा प्रयोग तथा व्यवहार की सामाजिक वस्तु है। भाषा के अनुप्रयुक्त एवं व्यवहार-क्षेत्र की सीमा उसकी प्रयोजनमूलक शैलियों को नियंत्रित करती है। आधुनिक युग में सामाजिक-जीवन के कई क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा प्रयोजनमूलक भाषा कहलाती है। भाषा व्यवहार के अनुसार उसके कई रूप-भेद होते हैं। प्रयोजनमूलक हिन्दी के मुख्य रूप से निम्नलिखित विविध रूप माने जा सकते हैं-

1. साहित्यिक हिन्दी

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

2. कार्यालयी हिन्दी
3. बोलचाल की हिन्दी
4. व्यावसायिक हिन्दी
5. विधि तथा कानून कार्य संबद्ध हिन्दी
6. जनसंचार के माध्यम हेतु प्रयुक्त हिन्दी
7. विज्ञान तथा तकनीकी हिन्दी

प्रयोजनमूलक हिन्दी के संदर्भ में 'प्रयोजन' विशेषण में 'मूलक' उपसर्ग लगने से 'प्रयोजनमूलक' शब्द बना है। 'प्रयोजन' से तात्पर्य उद्देश्य अथवा प्रयुक्त (Purpose of use) तथा 'मूलक' उपसर्ग से तात्पर्य आधारित (Based on)। अतः प्रयोजनमूलक भाषा से तात्पर्य हुआ किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयुक्त भाषा। इसी संदर्भ में प्रयोजनमूलक हिन्दी का अर्थ हुआ; ऐसी विशिष्ट हिन्दी जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन (उद्देश्य) के लिए किया जाता है। समान्यतः प्रयोजनमूलक हिन्दी पर विचार करने पर हिन्दी के मुख्यतः तीन रूप सामने आते हैं- बोलचाल की हिन्दी, साहित्यिक हिन्दी, प्रायोगिक हिन्दी। 'प्रयोजनमूलक' अंग्रेजी के Functional शब्द का पर्याय है जिसका अर्थ कार्यात्मक, क्रियाशील होता है इससे प्रयोजनमूलक या व्यावहारिक अर्थ स्पष्ट नहीं होता जबकि Applied शब्द से अधिक सार्थक और स्पष्ट होता है। 'प्रयोजनमूलक' हिन्दी को व्यवहारिक, कामकाजी संज्ञाएँ भी दी जाती रही है, इन क्षेत्रों में सामान्यतः आपसी बातचीत, दैनदिन व्यवहार, सब्जी-मण्डी, पर्यटन आदि। इसके विपरीत, प्रयोजनमूलक हिन्दी का प्रयुक्ति क्षेत्र प्रशासन परिचालन, प्रौद्योगिकी, ज्ञान-विज्ञान आदि। श्री रमाप्रसन्न नायक आदि विद्वान 'व्यवाहारिक हिन्दी' की संज्ञा उचित नहीं मानते उनके अनुसार 'प्रयोजनमूलक' संबोधन से लगता है इसके अतिरिक्त जो है वह निष्प्रयोजन है। लेकिन बजेखर वर्मा जी कहते हैं कि निष्प्रयोजन जैसी कोई चीज़ नहीं होती बल्कि यह दिवालिया सोच की उपज है। 'प्रयोजनमूलक' व्यावहारिक या सामान्य शब्द नहीं किन्तु एक पारिभाषिक शब्द है। जिसका स्पष्ट और परिभाषित अर्थ एक ऐसी विशिष्ट भाषिक संरचना से युक्त हिन्दी जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही किया गया हो।

प्रयोजनमूलक हिन्दी के प्रयोगात्मक क्षेत्र

प्रयोजनमूलक हिन्दी के विविध रूपों का आधार उनका प्रयोग क्षेत्र होता है। राजभाषा के पद पर आसीन होने से पूर्व हिन्दी सरकारी कामकाज तथा प्रशासन की भाषा नहीं थी। मुसलमान शासकों के समय उर्दु या अरबी और अंग्रेजों के समय अंग्रेजी थी। स्वतंत्रता के बाद भारत की राजभाषा हिन्दी बनी जिसके फलस्वरूप साहित्य लेखन ही नहीं बल्कि भारत में आधुनिक ज्ञान-विज्ञान और टेक्नोलजी के प्रस्फुटन और फैलाव के कारण विभिन्न क्षेत्रों के साथ सरकारी कामकाज तथा प्रशासन के नये अनछुए क्षेत्र से गुजरना पड़ा जिसको देखते हुए प्रशासन, विधि, दूरसंचार, व्यवसाय, वाणिज्य, खेलकूद, पत्रकारिता आदि सम्बन्धित पारिभाषिक शब्दावली गठन की ओर संतोषप्रद विकास एंव विस्तार किया गया। अतः प्रयोजनमूलक हिन्दी की प्रमुख प्रयुक्तियाँ देखी जा सकती हैं -

साहित्यिक प्रयुक्ति

साहित्य (Literary) किसी भी भाषा की अनिवार्य आवश्यकता है। लेखबद्ध साहित्यिक भाषा काफी विशिष्टताएँ लिये होती हैं, इसलिए वह लेखकों तथा विशिष्ट पाठकों तक सीमित रहती है। साहित्यिक भाषा में जनसामान्य के जीवन के साथ दर्शन, राजनिति, समाजशास्त्र तथा संस्कृति का आलेख पाया जाता है। हिन्दी भाषा की साहित्यिक प्रयुक्ति की परम्परा बहुत पुरानी है। हिन्दी साहित्य में अनेक विधाओं तथा उसके विशेषताओं को समेटने की क्षमता है। इसने भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं की शब्दावली ग्रहण कर समस्त युगचेतना को अभिव्यक्ति प्रदान करने की कोशिश की है। अतः हिन्दी भाषा की साहित्यिक क्षेत्र अत्यधिक सजग और सर्वसमावेशी है।

वाणिज्य प्रयुक्ति

हिन्दी भाषा की दूसरी महत्वपूर्ण प्रयोजनमूलक प्रयुक्ति 'वाणिज्यिक' है। औद्योगिक क्रांति के बाद इसकी व्याप्ति मात्र राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय तथा

बहुआयामी है जिसके अन्तर्गत व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बीमा, बैंकिग तथा निर्यात-आयात आदि क्षेत्रों का समावेश होता जिसमें निश्चित शब्दावली निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होती है। इन क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा, साहित्यिक वाक्य रचना से काफी भिन्न होता है जैसे, सोने में उछाल, चाँदी मंदा, तेल की धार ऊँची आदि। अतः हिन्दी भाषा की वाणिज्यिक प्रयुक्रित का क्षेत्र काफी विस्तृत और साथ ही लोकप्रिय है।

कार्यालयी प्रयुक्ति

हिन्दी भाषा की अत्यन्त आधुनिक एवं सर्वोपयोगी प्रयुक्ति में 'कार्यालयी' (Official) प्रयुक्ति आती है। जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध-सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों में काम-काज के रूप में होता है। प्रशासनिक भाषा और बोलचाल की भाषा में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है। कार्यालयी भाषा की अपनी विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली, पद-रचना तथा आदि होते हैं। कार्यालयीन हिन्दी में काम-काज के रूप में मसौदा लेखन, टिप्पणी लेखन, पत्राचार, संक्षेपण, प्रतिवेदन, अनुवाद आदि में प्रयुक्त होता है।

विज्ञापन एवं जनसंचार प्रयुक्ति

हिन्दी की प्रयोजनमूलक प्रयुक्ति के रूप में विज्ञापन और जन-संचार की भाषा तेज़ी से उभरकर सामने आयी है। आकर्षक वाक्य-विन्यास, शब्दों का उचित चयन तथा वैशिष्ट्यपूर्ण प्रवाहमय भाषिक संरचना विज्ञापन भाषा प्रयुक्ति के मुख्य तत्व हैं। विज्ञापन की भाषा चूँकि व्यापार, व्यवसाय, तथा वाणिज्य से सम्बन्ध रखती है; अतः उसमें आकर्षक, मोहक, भाषा शैली, श्रव्यता, संक्षिप्तता आदि गुणों का होना नितांत आवश्यक है। वर्तमान युग में हिन्दी की विज्ञापन भाषा का रूप जन संचार के माध्यमों जैसे समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ, रेडियो , दूरदर्शन, सिनेमा आदि में आता है। अतः किसी भी देश का जन-संचार उस देश की सशक्त प्रगतिशीलता को दर्शाता है।

विधि एवं कानूनी भाषा प्रयुक्ति

कानूनी भाषा की प्रयुक्ति का सीधा सम्बन्ध राज-भाषा, अनुवाद-प्रक्रिया तथा तकनीकी शब्दावली से माना जाता है। कानूनी प्रक्रिया एवं अदालतों में तकनीकी शब्दावली होने के कारण जनसामान्य के लिए जटिल, नीरस तथा उबाऊ प्रतीत होता था इसी को देखते हुए विधि एवं कानून के क्षेत्र में संसकृत, हिन्दी, अन्य भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को ग्रहण किया गया और इस प्रकार कानून एवं विधि की भाषा में प्रयोग होने वाले तकनीकी शब्दावली, विशिष्ट पद विन्यास, लम्बे संयुक्त वाक्य-रचना को सुचारू रूप से चलाने प्रतिष्ठित हुआ।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा प्रयुक्ति

वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिन्दी से तात्पर्य है, हिन्दी का वह रूप जो विज्ञान और तकनीकी शब्दावली से मुख्यतः सम्बन्ध रखता है। राजभाषा प्रयोग के सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने 27 अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनिकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1961 में की गई। विज्ञान एंव टेक्नोलजी की भाषा सामान्य व्यवहार की भाषा से सर्वथा भिन्न होती है, अतः वैज्ञानिक एवं तकनिकी विशिष्टता (एकरूपता) में ढालने के लिए हिन्दी, संस्कृत के साथ अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली का प्रयोग किया गया। आज विज्ञान और टेक्नोलजी के क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त हो रहा है, विज्ञान, गणित,विधि, अंतरीक्ष, दूरसंचार, टेक्नोलजी आदि।

Critical Overview / अवलोकन

प्रयोजनमूलक हिन्दी का महत्व आज के समय में बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि यह भाषा विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जाती है। इसका उपयोग साहित्य, कार्यालय, वाणिज्य, विधि, विज्ञान, और तकनीकी जैसे कई क्षेत्रों में होता है। हर क्षेत्र में हिन्दी का रूप और शब्दावली अलग होती है। उदाहरण के तौर पर, साहित्यिक हिन्दी में गहरी भावनाएँ और विचार होते हैं, जबकि कार्यालयी हिन्दी में औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है। इसी तरह, विज्ञापन और जनसंचार में हिन्दी संक्षिप्त और आकर्षक होती है, जबकि वैज्ञानिक

हिन्दी में विशेष तकनीकी शब्दावली का इस्तेमाल होता है।

प्रयोजनमूलक हिन्दी यह दिखाती है कि भाषा समय और आवश्यकता के अनुसार बदलती है। यह विभिन्न सामाजिक और प्रशासनिक संदर्भों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और समाज की ज़रूरतों को पूरा करती है। इस प्रकार, हिन्दी न केवल एक भाषा के रूप में, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक माध्यम के रूप में भी महत्वपूर्ण है।

Recap / पुनरावृत्ति

- प्रशासनिक भाषा और बोलचाल की भाषा में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है
- 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' किसी विशेष उद्देश्य या कार्य के लिए उपयोग की जाती है
- प्रयोजनमूलक हिन्दी के विविध रूपों का आधार उनका प्रयोग क्षेत्र होता है
- साहित्यिक भाषा में जनसामान्य के जीवन के साथ दर्शन, राजनिति, समाजशास्त्र तथा संस्कृति का उल्लेख पाया जाता है
- हिन्दी भाषा की दूसरी महत्वपूर्ण प्रयोजनमूलक प्रयुक्ति 'वाणिज्यिक' है
- प्रशासनिक भाषा और बोलचाल की भाषा में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है

Objective questions / वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. हिन्दी भाषा की दूसरी महत्वपूर्ण प्रयोजनमूलक प्रयुक्ति क्या है।
2. प्रयोजनमूलक भाषा से तात्पर्य क्या है।
3. हिन्दी भाषा की अत्यन्त आधुनिक एवं सर्वोपयोगी प्रयुक्ति क्या है।
4. वैज्ञानिक और तकनिकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई?

Answers / उत्तर

1. 'वाणिज्यिक'
2. किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा
3. 'कार्यालयी' (Official) प्रयुक्ति
4. 1961 में

Assignments / प्रदत्त कार्य

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी के मुख्य रूप के बारे में टिप्पणी लिखिए।
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी के बारे में टिप्पणी लिखिए।

Reference / सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी - विनोद गोदरे।
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी का अध्ययन - डॉ सुशीला गुप्ता।
3. प्रयोजनमूलक हिन्दी - डॉ माधव सोनटक्के।
4. हिन्दी भाषा और नागरी लिपि - भोलानाथ तिवारी।
5. प्रयोजनमूलक हिन्दी : सिद्धांत और प्रयोग - दंगल झालटे।
6. हिन्दी भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरूप - डॉ कैलाश चंद्र भाटिया।

SGOU

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

इकाई 2

संचार मीडिया में हिन्दी

Learning Outcomes / अध्ययन परिणाम

- जनसंचार समाज, संस्कृति और प्रौद्योगिकी के बारे में समझता है
- जनसंचार का अर्थ और इसके मुख्य उद्देश्य को समझता है
- हिन्दी भाषा की संप्रेषण क्षमता और इसके वैश्विक प्रसार को जानता है
- प्राचीन और आधुनिक संचार के साधनों के बीच अंतर को जानता

Prerequisites / पूर्वापेक्षा

जनसंचार माध्यमों का महत्व आज के आधुनिक जीवन में अत्यधिक बढ़ गया है। यह सूचना और विचारों का संप्रेषण कर मानव चेतना को जागरूक करता है और समाज के हर क्षेत्र में प्रभाव डालता है। भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तेजी से हुआ, जिसमें हिन्दी का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है। हिन्दी ने न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा दिया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। प्रिंट मीडिया, जैसे कि समाचार पत्र, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनजागरूकता को फैलाने में अहम भूमिका निभाई। हिन्दी में जनसंचार की यह यात्रा प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक लगातार विकासशील रही है।

Keywords / मुख्य बिन्दु

प्रौद्योगिकी ,अष्टाध्यायी व्याकरण, समाचार एजेंसियाँ, सृजनात्मक लेखन

Discussion / चर्चा

जनसंचार माध्यम विज्ञान की प्रगति और तकनीकी विकास के साथ-साथ मानव जीवन में परिवर्तन के प्रमुख शक्तिशाली साधन बन गये हैं। सूचना और विचार संप्रेषण से मानव-मन को प्रभावित करने के लिए जनसंचार माध्यम अद्भुत शक्ति रखते हैं और इसी कारण इनका अपना महत्व बढ़ गया है। जनसंचार माध्यमों ने समस्त भूमंडल को अपने शिकंजे में जकड लिया है। भारत भी संचार माध्यमों से प्रभावित हुआ है। स्वातन्त्र्योत्तर भारत ने प्रायः हरेक क्षेत्र में विकास की ओर अपने कदम बढ़ाये हैं। वह आर्थिक, सामाजिक अथवा औद्योगिक विकास की बात हो या संचार प्रणाली के विकास की बात ही क्यों न हो, स्वातन्त्र्योत्तर भारत ने अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। जहाँ तक जनसंचार माध्यमों का प्रश्न है वर्तमान में इसकी उपयोगिता को लेकर कोई विवाद नहीं है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि जनसंचार माध्यमों के बिना आधुनिक जीवन फीका सा लगता है। कहते हैं जनसंचार माध्यम अभिव्यक्ति का सम्पूर्ण विज्ञान है, आदर्श कला है, उत्तम व्यवसाय है और मानव चेतना को उद्दीप्त करने का सशक्त साधन है।

युगबोध के प्रमुख तत्व के साथ ही मानवता के विकास और विचारोत्तेजन का राजमार्ग वही जनसंचार है. जिससे जीवन अनुप्राणित होता है। समाज, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के समय में जीने के लिए जनसंचार माध्यमों का ज्ञान अपरिहार्य है। आज ज्ञान ही एक सबसे बड़ी शक्ति है तो विज्ञान विशिष्ट शक्ति है। इस प्रकार जनसंचार माध्यमों का महत्व स्वयं स्पष्ट है।

जनसंचार माध्यम और हिन्दी

ज्ञान, अनुभव, संवेदना, विचार, अभिनव परिवर्तनों की साझेदारी ही संचार है। जनसंचार साधारण जनता के लिए होता है। इससे संदेश तीव्रतम गति से गंतव्य तक पहुंचता है। इसका रूप लिखित या मौखिक हो सकता है। इसके द्वारा जनसामान्य की प्रतिक्रिया का पता चल जाता है एवं इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है।

हिन्दी की संप्रेषण क्षमता अतुलनीय है। संप्रेषण हमारे वातावरण के साथ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर एक प्रकार की अंतक्रिया है। मीडिया के रूप में प्रचलन में है-प्रिन्ट मीडिया, दूसरा है-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आजकल हिन्दी का प्रसार वैश्विक व्यवसायीकरण के कारण निरंतर हर तरफ हो रहा है एवं संख्या बल के आधार पर हिन्दी आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्यो की भाषा बनती जा रही है तथा ये विश्व भाषा बन रही है।

संचार के क्षेत्र में हिन्दी भाषा के उद्भव और विकास का वर्णन करते हुए डॉ. राजेन्द्र मिश्र एवं ईशिता मिश्र ने अपनी पुस्तक 'दृश्य-श्रव्य माध्यम लेखन' के लिखा है-संचार माध्यमों के विकास से हिन्दी लेखन विशेष रूप से प्राचीनकाल से ही जुड़ा रहा है। परम्परागत संचार माध्यमों का प्रसार प्राचीन भारत की मौखिक संचार व्यवस्था और संचार प्रक्रियाओं से जुड़ा था। वैदिक समाज में अध्यात्म और राजनीति के साथ ही साहित्य और जन-व्यवस्थाओं का परस्पर गहन सम्बन्ध था। अनेक प्रकार की परिषदें और धार्मिक सभाओं का आयोजन होता था। बौद्ध युग में तो बड़े सम्मेलन भी हुए। सभी वेदों में जो ज्ञान वर्णित है वह एक लम्बी वाचिक परम्परा का प्रतीक है। इसी प्रकार हिन्दू तीर्थस्थलों की स्थापना में भी यह व्यवस्था दिखायी पड़ती है। मोहनजोदारो और हड़प्पा की खुदाई से जिस सिन्धु घाटी सभ्यता की पहचान हुई वह ईसा से पच्चीस सौ वर्ष पूर्व इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जन लेखन-कला से परिचित थे। वैदिक साहित्य को ही पन्द्रह सौ ईसा पूर्व का माना जाता है। ईसा पूर्व पांचवीं शताब्दी से उत्तर वैदिक साहित्य में उपनिषद् की शुरुआत हुई। पाणिनी का 'अष्टाध्यायी व्याकरण' विश्व में भाषा के संबंध में सर्वोत्कृष्ट रचना है। 'रामायण' और 'महाभारत' भी भारतीय लेखन के प्रतीक हैं जो वर्तमान में सारे संसार में महाकाव्यात्मक रचनाओं के रूप में प्रचलित हैं। अशोक के समय के शिलालेख और स्तम्भ भी संचार लेखन के प्रतीक रहे हैं। शब्द संचार, चित्र और मूर्ति से भी जुड़ा है। मूर्ति का अर्थ होता है-रूप। भारत में मूर्ति प्रतिमाओं का अम्बार सा लगा है। भारत देश के अनेक प्रतीक जिन्हें ईश्वर से जोडे गए, इस परम्परागत लेखन के साथ जुड़े हैं। कादम्बरी में वेद-पुराण की कथाएँ हैं। तात्पर्य यह है कि परस्पर वार्तालाप के आधार पर प्राचीन भारत में प्रबुद्ध ब्रह्मण वर्ग ने संचार तथा सम्प्रेषण की एक लम्बी परम्परा स्थापित की। रामलीला और कृष्णलीला भी इस संचार के अंग हैं। लेखन की यह परम्परा गीत के माध्यम से भी लय और ताल में बँधकर सामने आई है। मध्यकाल में यह संचार प्रक्रिया चलती रही। मुगलकाल में भी साहित्य और लेखन में कोई बाधा नहीं आई। भारतीय ग्रामीण समाज में परम्परागत कला, संगीत, कठपुतली की नाच, ग्रामीण नाटक, हरिकथा, परम्परागत गीत, कहानी-कविता, सामाजिक संस्थाएँ और गोष्ठियाँ इन सभी में संचार व्यवस्था के दर्शन होते हैं। भारत में नृत्य की परम्परा दो हज़ार वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। भरतनाट्यम जैसा नृत्य पुराणों और आख्यानों में भी अंकित है। विभिन्न प्रान्तों जैसे केरल में कथकली, मणिपुर में मणिपुरी, आन्ध्र में कुचीपुड़ि और उड़ीसा (ओडिशा) में ओडिसी परम्परागत नाटक के स्वरूप हैं। इसी प्रकार बंगाल में

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

जात्रा, उत्तर प्रदेश में नौटंकी, गुजरात में भावई, आंध्र में वीथी नाटकम, राजस्थान में ख्याल, तमिलनाडु में थीरू कथू और कर्नाटक में अक्षगाल का सांस्कृतिक तथा सामाजिक महत्व रहा है। हरिकथा भक्ति रस जुड़ी है। कबीर और तुकाराम की वाणियाँ व्यापक प्रभाव रखती हैं। अनेक संत और सूफी कवियों ने हरिकथा द्वारा अपने आराध्य की आराधना की है। इसी प्रकार कठपुतली भी एक परम्परागत संचार साधन है जिसे अब वर्तमान संचार माध्यमों में भी प्रसारित किया जाने लगा है।

मुद्रित आधुनिक संचार व्यवस्था में 30 मई, 1826 को जुगलकिशौर शुक्ल ने प्रथम समाचार पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' का प्रकाशन किया। यहीं से हिन्दी में मुद्रित संचार लेखन का आरम्भ हुआ। इसके उपरान्त हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में समाचार-पत्रों का प्रकाशन बढ़ता गया। उसमें अनेक प्रकार के लेख और रचनाएँ प्रकाशित होने लगीं। दैनिक ही नहीं मासिक और त्रैमासिक तथा साप्ताहिक समाचार पत्र बड़ी संख्या में प्रसारित हुए। राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम के प्रथम युग में सन् 1856 से 1881 के बीच हिन्दी समाचार-पत्रों में भी तेजी आई। सन् 1857 में उत्तेजना से लेकर विद्रोह तक की खबरें लेखन के माध्यम से जन-जन तक पहुँच रही थीं। इस समय सरकार ने प्रेस पर नियंत्रण का अधिनियम तक लागू कर दिया था, परन्तु यह प्रवाह थमने का नाम नहीं ले रहा था। गीत कथा और कहावतें मुख्य रूप से जनसंचार के माध्यम बन रहे थे और ये सब प्रेस पर नियंत्रण की अवधि में हो रहे थे। सन् 1857 का समय व्यतीत हुआ और विद्रोह दब गया किन्तु संचार माध्यमों का विकास लगातार होता रहा। सन् 1875 को पुनः सरकारी कर्मचारियों पर बंधन लगाया गया कि वे समाचार-पत्र का प्रकाशन या संपादन में भाग नहीं ले सकेंगे। सन् 1856 से 1881 के बीच भारतीय समाचार पत्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। सन् 1882 से 1919 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्भव हुआ। सन् 1920 में भारतीय प्रेस में सामाजिक सुधार भी हुए और राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति विकसित हुई। भारतीय पत्रकारिता में एक नये युग का भी इस अवधि में प्रारम्भ हुआ। भारत में समाचार एजेंसी सेवा तो सन् 1860 से ही आरम्भ हो गई थी किन्तु समाचार-पत्रों का विकास और लेखन सन् 1900 के बाद व्यापक रूप से सामने आया। जब प्रथम विश्वयुद्ध 4 अगस्त, 1914 को शुरू हुआ और प्रेस ने ब्रिटिश सरकार को समर्थन दिया तब समाचार-पत्रों को सीमित स्वतंत्रता मिल गयी और सन् 1918 के उपरान्त हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों के प्रकाशन और प्रसार में अत्यधिक वृद्धि आयी। 4 अन्य भाषाओं में भी जैसे गुजराती में नवजीवन, अंग्रेजी में यंग इंडिया और हिन्दी में गांधी के चार पत्रों का प्रकाशन हुआ। स्वाधीनता आन्दोलन के युग का समग्र लेखन मुद्रित संचार माध्यम से जुड़ा है। सन् 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। स्वराज्य और हिन्दुस्तान टाइम्स जैसे हिन्दी समाचार पत्र सन् 1920 से 1923 के बीच प्रकाशित हुए थे। भारतीय प्रेस ने सन् 1920 से असहयोग आन्दोलन को अपना समर्थन दिया। सन् 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, उसके विरुद्ध वातावरण बना। सन् 1930 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू हुआ और इस प्रकार विभिन्न संचार माध्यमों हिन्दी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से जन चेतना का वातावरण बनाने का भरस्क प्रयास किया।

सन् 1930 से 1940 के बीच राष्ट्रवादी प्रेस पर अनेक बंधन लगे। 26 अक्टूबर 1940 को आल इण्डिया न्यूज पेपर एडीटर्स कांफ्रेस की स्थापना हुई। 8 अगस्त, 1942 को भारत छोड़ो आन्दोलन इस देश के स्वाधीनता संग्राम की एक बहुत बड़ी घटना थी। इस युग में सृजनात्मक लेखन और सामाजिक सृजन दोनों ही में राष्ट्रवादी सरोकार मिलते हैं। स्वतन्त्र भारतीय प्रेस का समय सन् 1947 के बाद ही आरम्भ होता है। स्वतन्त्र भारत में अनेक समाचार एजेंसियाँ हैं और 26 जनवरी, 1950 को जो भारतीय संविधान लागू हुआ है उसने भारतीय जनसंचार माध्यम को नवीन आयाम दिये हैं। अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आपातकाल में विभिन्न समाचार एजेंसियों का

पुनर्गठन किया गया था परन्तु आपातकाल के बाद उसे हटा लिया गया। समाचार पत्र की स्वतन्त्रता भारतीय लोकतंत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है।

Critical Overview / अवलोकन

जनसंचार माध्यमों का विकास मानव समाज में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का कारण बना है। विशेष रूप से हिन्दी भाषा ने अपने विस्तार और प्रभाव से संवाद की क्षमता को और सशक्त किया है। हालांकि, जहां एक ओर ये माध्यम समाज को जागरूक और सूचित करने का कार्य करते हैं, वहीं दूसरी ओर मीडिया की स्वतंत्रता, भाषा की विविधता और डिजिटल परिवर्तन जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जनसंचार का सही उपयोग समाज के समग्र विकास में अहम भूमिका निभा सकता है, लेकिन इसके साथ ही इसके संभावित दुरुपयोग से बचने के लिए सावधानी बरतना भी जरूरी है।

Recap / पुनरावृत्ति

- जनसंचार माध्यमों ने समाज में बड़ा बदलाव किया है
- हिन्दी भाषा का प्रभाव बढ़ रहा है, खासकर व्यापार और वाणिज्य में
- भारत में प्राचीन समय से संचार की मजबूत परंपरा रही है
- 1826 में 'उदन्त मार्तण्ड' के प्रकाशन से हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत हुई
- मीडिया समाज और संस्कृति को प्रभावित करता है
- आजकल डिजिटल मीडिया और फेक न्यूज की समस्या बढ़ रही है
- भविष्य में मीडिया का सही इस्तेमाल और स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है

Objective questions / वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. भारत में पहले हिन्दी समाचार पत्र का नाम क्या था?
2. जनसंचार माध्यमों के द्वारा समाज पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है?
3. हिन्दी भाषा का वैश्विक प्रसार किस कारण बढ़ रहा है?
4. भारत में जनसंचार के लिए कौन सा प्रमुख पारंपरिक साधन था?
5. भारतीय समाज में मीडिया के विकास का प्रमुख कारण क्या था?
6. 'रामायण' और 'महाभारत' किस प्रकार के संचार माध्यम थे?
7. हिन्दी के संप्रेषण की क्षमता को बढ़ाने में किसका योगदान है?
8. भारतीय जनसंचार के इतिहास में सबसे पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ?

Answers / उत्तर

1. उदन्त मार्तण्ड
2. समाज में जागरूकता और सूचना का प्रसार होता है।
3. वैश्वीकरण और व्यापार के कारण।
4. मौखिक संचार (जैसे - कथाएँ, गीत, वाचन आदि)।

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

5. स्वतंत्रता संग्राम और जन जागरण।
6. ये महाकाव्य मौखिक संचार के माध्यम थे।
7. प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
8. 30 मई 1826 में उदन्त मार्तण्ड।

Assignments / प्रदत्त कार्य

1. भारत में जनसंचार माध्यमों के विकास के प्रमुख कारण लिखिए।
2. हिन्दी भाषा के वैश्विक प्रसार पर आपके विचार लिखिए।
3. स्वतंत्रता संग्राम में मीडिया की भूमिका पर चर्चा करें।
4. हिन्दी भाषा की संप्रेषणीयता में क्या महत्व है? अपना मत प्रकट दीजिए।

Reference / सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी - विनोद गोदरे।
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी का अध्ययन - डॉ सुशीला गुप्ता।
3. प्रयोजनमूलक हिन्दी - डॉ माधव सोनटक्के।
4. हिन्दी भाषा और नागरी लिपि - भोलानाथ तिवारी।
5. प्रयोजनमूलक हिन्दी : सिद्धांत और प्रयोग - दंगल झालटे।
6. हिन्दी भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरूप - डॉ कैलाश चंद्र भाटिया।

BLOCK - 06

हिन्दी कंप्यूटिंग

SGOU

इकाई 1

हिन्दी में कंप्यूटीकरण - प्रगति और संभावनाएँ

Learning Outcomes / अध्ययन परिणाम

- टैक्नोलॉजी के माध्यम से हिन्दी भाषा के विभिन्न पहलुओं को समझता है
- हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए कंप्यूटर आधारित शिक्षण को समझता है

Prerequisites / पूर्वापेक्षा

डेस्क प्रकाशन (Desktop Publishing) ने हिन्दी भाषा केक्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है। पहले जहां हिन्दी में टाइपिंग और मुद्रण के लिए विशेष उपकरणों और बहुत समय की आवश्यकता होती थी, वहीं अब कंप्यूटर और सॉफ़्टवेयर ने इसे सरल और त्वरित बना दिया है। वर्तनी जांच, अक्षरों का सही गठन, और टाइपिंग की गति में सुधार से कार्य में दक्षता आई है। हिन्दी के कई प्रमुख सॉफ़्टवेयर जैसे 'इनपुट सिस्टम', 'गूगल Input Tools', और 'हिन्दी टाइपिंग' ने लिखाई को और भी सहज और सटीक बनाया है। इसके अलावा, डेस्क प्रकाशन सॉफ़्टवेयर की सहायता से किसी भी प्रकार की सामग्री, जैसे कि समाचार पत्र, पुस्तकें, और विज्ञापन, को बिना किसी कठिनाई के डिज़ाइन और प्रकाशित किया जा सकता है। इस तकनीक ने न केवल हिन्दी भाषा की गुणवत्ता को सुधारने में मदद की, बल्कि हिन्दी साहित्य और सांस्कृतिक सामग्री के प्रसार को भी बढ़ावा दिया है। अब हिन्दी में काम करने वाले पेशेवर, विद्यार्थी और लेखक अपनी रचनाओं को आसानी से छपवा सकते हैं, जिससे हिन्दी भाषा का विकास हुआ है।

Keywords / मुख्य बिन्दु

डेस्क प्रकाशन, हिन्दी टाइपिंग, सॉफ़्टवेयर, निम्नस्तरीय, टैक्नोलॉजिकल मिशन

Discussion / चर्चा

डेस्क प्रकाशन (Desktop Publishing) आज प्रकाशन जगत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह सुविधा भी हिन्दी में सुलभ हो गयी है। इसके माध्यम से हिन्दी में कंपोज़िंग का सारा कार्य अपनी मेज़ पर ही किया जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर पर 'वेंचुरा' सॉफ्टवेयर की मदद से 'जिस्ट' कार्ड लगाकर या प्रकाशक के जरि सॉफ्टवेयर के जरिये टंकित पाठ को विभिन्न पृष्ठों में विभाजित किया जा सकता है। वर्तनी-जांच (Spell Check) की मदद से टंकित पाठ स्वतः ही संशोधित हो जाता है। स्कैनर की मदद से कोई रेखाचित्र या टंकित सामग्री भी कंप्यूटर के स्मृति कोश में सीधे भेजी जा सकती है। सामान्य कंप्यूटरों के साथ उपलब्ध बिंदु-मुदक (Dot Matrix Printer) पर छपाई की किस्म बहुत अच्छी नहीं

होती, इसलिए डेस्क प्रकाशन के लिए लेज़र प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। आज इस प्रिंटर की सहायता से उत्कृष्ट किस्म की छपाई हिन्दी में संभव हो गई है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि कंप्यूटर टैक्नोलॉजी के माध्यम से आज हिन्दी भाषा का अध्ययन-विश्लेषण सरलता से किया जा सकता हैं। अनेक संस्थाओं में इस दिशा में कार्य आरंभ हो चुके हैं। इस संबंध में मुख्य दिशाएं और कार्य इस प्रकार हैं :

(1) **शब्द संसाधन** : यह कार्य लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में और विदेशी विश्वविद्यालयों में किया जाने लगा है।

(2) **लिप्यंतरणः** भारतीय रेलवे में सी.एम.सी. लिमिटेड के सहयोग से टिकटों पर स्टेशन नामों का मुद्रण, आरक्षण तालिकाओं की छपाई और दिल्ली महानगर की टेलीफोन निर्देशिका की द्विभाषी छपाई आदि का कार्य लिप्यंतरण के विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से किया जा रहा है। एयर इंडिया के लिए राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर विकास केंद्र, बंबई द्वारा विदेशी नामों को रोमन से हिन्दी में लिप्यंतरित करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है।

(3) **कोश निर्माणः** वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग ने टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेज़ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर की मदद से पारिभाषिक शब्दावली का विशाल द्विभाषी कोश कंप्यूटर पर संकलित, अनुक्रमित और प्रकाशित करना आरंभ कर दिया है। इसके अलावा केंद्रीय तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी में तिब्बती, संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेज़ी का विशाल कोश मैकनतोष प्रणाली से तैयार किया जा रहा है।

(4) **मशीनी अनुवाद या कंप्यूटर साधित अनुवादः** इस दिशा में सर्वप्रथम भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर में अंग्रेज़ी से हिन्दी में सरल पाठ सीमित शब्दावली में अनुवाद का सफल प्रयोग किया गया। इस समय आई.आई.टी., कानपुर में भारतीय भाषाओं में परस्पर अनुवाद के लिए संस्कृत के कारक व्याकरण को आधार बनाकर एक परियोजना आरंभ की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत सर्वप्रथम हिन्दी से तेलुगु में अनुवाद का प्रयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर विकास केंद्र, बंबई में अंग्रेज़ी से हिन्दी में जटिल से जटिल वाक्यों को रूपांतरित करने की एक योजना आरंभ की गई है। ये सभी प्रयास अभी आरंभिक अवस्था में ही हैं।

(5) **कंप्यूटर साधित भाषा-शिक्षण** : (**Computer-assisted Language Learning CALL**)

भाषा सीखने की प्रक्रिया में कंप्यूटर का उपयोग करना या कंप्यूटर की सहायता से भाषा सीखना CALL है।

इंग्लैंड से भेंट स्वरूप प्राप्त होने के कारण आरंभ में इसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अंग्रेज़ी भाषा के लिए ही था, किंतु बाद में सी.एम.सी. लिमिटेड ने वी.वी.सी. माइक्रो नामक इस कंप्यूटर के हार्डवेयर में आवश्यक परिवर्तन करके और 'प्रश्न कोश' आदि अनेक सॉफ्टवेयर हिन्दी और भारतीय भाषाओं में बनाकर भारतीय भाषाओं के माध्यम से कंप्यूटर साधित शिक्षण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आज सेमि कंडक्टर लिमिटेड द्वारा विकसित ऑधरिंग सिस्टम का मूल आधार रोमन लिपि है, इसलिए इसकी मदद से संपूर्ण शिक्षण कार्य हिन्दी में नहीं किया जा सकता। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य आई.आई.टी. मद्रास में शुक्ला दंपति ने किया है। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली का विकास किया है, जिसकी सहायता से हिन्दी के माध्यम से सभी विषय पढ़ाये जा सकते हैं। रैखिक रूप में माउस की सहायता से हर प्रकार के रेखाचित्र बनाये जा सकते हैं। स्कैनर के द्वारा चित्रों को स्मृति कोश में संगृहीत किया जा सकता है। जहां तक हिन्दी भाषा-शिक्षण का संबंध है, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास ने आई.आई.टी., मद्रास के सहयोग से एक परियोजना आरंभ की है। भारतीय भाषा संस्थान,

मैसूर और क्षेत्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा ने बी.बी.सी. माइक्रो पर हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के शिक्षण के लिए विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किये हैं। अमेरिका के सिराक्यूस विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के प्राध्यापक डॉ. तेज भाटिया भी इस दिशा में प्रयत्नशील हैं।

(6) **डेस्क प्रकाशनः** सर्वप्रथम भारतीय भाषाओं में डेस्क प्रकाशन के क्षेत्र में 'मैकनतोष' का आगमन हुआ, किंतु इसका प्रयोग कुछ मुद्रणालयों तक ही सीमित रहा, लेकिन आज पर्सनल कंप्यूटरों के लिए अनेक सॉफ्टवेयर बाज़ार में आ गए हैं कुछ प्रकाशन-गृह और हिन्दी के अखबार सोनाटा कंपनी द्वारा विकसित 'प्रकाशक' सॉफ्टवेयर की मदद से फोटो कंपोज़िंग करने लगे हैं। वी.एस.एस.इंजी.प्रा. लिमिटेड, बंबई द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर 'जिस्ट' प्रौद्योगिकी पर आधारित है। सॉलुस्टान नामक अमरीकी कंपनी ने ज़ीरोक्स कॉर्पोरेशन के 'वेंचुरा' सॉफ्टवेयर पर आधारित 'गुरु' नामक डेस्क प्रकाशन प्रणाली सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है। अब तक मैकनतोष और पर्सनल कंप्यूटर के लिए विकसित सॉफ्टवेयरों का एक- दूसरे के साथ प्रयोग करना संभव नहीं था, किंतु हाल ही में नई दिल्ली स्थित स्कैनसैट नामक कंपनी ने दोनों के बीच संवाद स्थापित करके अद्वितीय सफलता प्राप्त की है।

(7) **प्राकृतिक भाषा संसाधन (Natural Language Processing);**

कंप्यूटर की भाषाएं मुख्यतः दो स्तर की होती हैं : निम्नस्तरीय (Low Level) और उच्च स्तरीय (High Level) भाषाएं। निम्नस्तरीय भाषाओं के अंतर्गत मशीन कोड और एसेम्बली भाषाएं आती हैं। ये भाषाएं कंप्यूटर पर प्रयुक्त माइक्रोप्रोसेसर चिप और कंप्यूटर की बनावट पर आधारित होती हैं। हर मशीन के लिए ये भाषाएं अलग-अलग होती हैं। उच्च स्तरीय भाषाएं आम तौर पर अनुप्रयोग विशेष से संबंधित भाषाएं हैं। इन भाषाओं में प्रोग्राम अनुप्रयोगों की दृष्टि से लिखे जाते हैं। जैसे कोबोल (COBOL) व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र के उपयुक्त है तो फोट्रान (FORTRAN) गणित क्षेत्र के कार्यों के लिए उत्तम है और बेसिक (BASIC) सर्वोपयोगी भाषा है। इस प्रकार अब तक कंप्यूटर के साथ संवाद स्थापित करने के लिए विशिष्ट भाषाओं का प्रयोग आवश्यक था, किंतु पांचवीं पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि के विकास से वैज्ञानिक यह आशा करने लगे हैं कि कदाचित 21 वीं सदी में कंप्यूटर के साथ प्राकृतिक भाषा में भी संवाद स्थापित किया जा सके इस दिशा में जापान आदि देशों में वैज्ञानिक सक्रियता से लगे हैं। भारतीय भाषाओं में भी यह कार्य विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में किया जा रहा है।

इससे यह स्पष्ट है कि टैक्नोलॉजी के माध्यम से हिन्दी भाषा के अध्ययन, विश्लेषण और प्रकाशन का कार्य विभिन्न स्तरों पर अनेकानेक सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के हैदराबाद और मद्रास स्थित उच्च शिक्षा शोध संस्थानों में हिन्दी भाषा के माध्यम से अनेक कंप्यूटर पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख हैं डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशन और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशन। आशा है, इन संस्थाओं से निकलने वाले विद्यार्थी कंप्यूटर की अधुनातन टैक्नोलॉजी के माध्यम से हिन्दी भाषा का सर्वतोमुखी अध्ययन और विश्लेषण कर सकेंग। यह भी प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय भाषाओं के लिए टैक्नोलॉजी के उत्तरोत्तर विकास और अनुसंधान के लिए भारत सरकार के इलैक्ट्रोनिकी विभाग ने 'टैक्नोलॉजिकल मिशन' को मंजूरी दे दी है और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने 8 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उक्त टैक्नोलॉजी के विकास के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। भारत सरकार की एक अन्य संस्था सी-डैक, पुणे स्थित अपनी प्रयोगशाला में 'जिस्ट' टैक्नोलॉजी पर आधारित अनुप्रयोगों को भारतीय भाषाओं में लाने के लिए विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं में कार्यरत है। इन परियोजनाओं में प्रमुख हैं 'वाक पहचान और संश्लेषण' की परियोजना,

जिसके अंतर्गत कंप्यूटर पर कुंजीयन करके न केवल स्क्रीन पर देवनागरी अक्षर प्रदर्शित होंगे, बल्कि उनकी आवाज़ भी सुनाई पड़ेगी। कंप्यूटर साधित हिन्दी शिक्षण में इस तकनीक का विशेष रूप से उपयोग किया जा सकेगा। इस प्रकार हिन्दी भाषा के टैक्नोलॉजी संदर्भित अध्ययन का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। (आगरा, 1989)

हिन्दी में कंप्यूटर संबंधी भाषिक अनुप्रयोग

प्रस्तावना: आधुनिक टैक्नोलॉजी के विकास में कंप्यूटर का विकास एक युगांतरकारी घटना है। आज कंप्यूटर का उपयोग जीवन के सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। भाषिक अध्ययन और विश्लेषण भी इससे अछूता नहीं रहा। यह एक ऐतिहासिक संयोग ही है कि कंप्यूटर का विकास सर्वप्रथम ऐसे देशों में हुआ जिनकी भाषा रोमन लिपि पर आधारित थी। कदाचित यही कारण है कि रोमनेतर लिपियों में इसका प्रयोग कुछ देरी से आरंभ हुआ। किंतु इस बात का कोई तकनीकी कारण नहीं है कि रोमन लिपि या अंग्रेजी भाषा कंप्यूटर के लिए आदर्श मानी जाए। वस्तुतः कंप्यूटर के दो संकेतों की अपनी स्वतंत्र गणितीय भाषा है और उसी में वे प्राकृतिक भाषाओं को ग्रहण करके अपने सारे कार्य करते हैं।

देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। भारतीय भाषाएं विश्व की अनेक भाषाओं की तुलना में वाक्य विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और रैखिक दृष्टि से अधिक सुनियोजित हैं। अमरीकी वैज्ञानिक श्री रिक ब्रिज की यह धारणा है कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर प्रोग्राम की दृष्टि से आदर्श भाषा है। इसलिए देवनागरी लिपि में कंप्यूटर पर कार्य करना कठिन नहीं है, किंतु आवश्यक सॉफ्टवेयर के अभाव में सन् 1965 से पूर्व इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

शब्द संसाधन (Word Processing): शब्द संसाधन भाषा संसाधन का आरंभिक सोपान है। हिन्दी में भी सर्वप्रथम कंप्यूटर के संदर्भ में शब्द संसाधन का कार्य ही आरंभ हुआ, किंतु आरंभिक चरण में रोमन लिपि के माध्यम से ही हिन्दी पाठों का कुंजीयन किया जाता था। अब भारत और विदेशों में शब्द संसाधन के अनेक पैकेज विकसित किए गए हैं, जिनमें हिन्दी में द्विभाषिक रूप में या फिर बहु भाषिक रूप में विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम से शब्द संसाधन के कार्य किए जा सकते हैं। इनमें प्रमुख हैं 'अक्षर', 'मल्टीवर्ड', 'शब्दमाला', 'शब्दाल, 'बाइस्क्रिप्ट', 'आलेख', 'भारती', 'एएलपी' आदि इनमें से कुछ पैकेजों में वे तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जो वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट वर्ड माइक्रोसॉफट जैसे अधुनातन वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजों में सुलभ हैं, किंतु मात्र शब्द संसाधन से किसी भी भाषा में कंप्यूटर संबंधी महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोगों को संपन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के संदर्भ में कंप्यूटर संबंधी भाषा नीति की घोषणा करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी कप्यूटर को भाषा विभाषी माना जाएगा, जब उसमें शब्द संसाधन के साथ-साथ डाटा सेना को की सुविधा भी हिन्दी-अंग्रेजी में अर्थात द्विभाषिक रूप में उपलब्ध होगी।

डाटा संसाधन (Data Processing):

डाटा संसाधन संबंधी कार्य हिन्दी में संपन्न करने के लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं: हार्डवेयर विकल्प और सॉफ्टवेयर विकल्प।

(क) **हार्डवेयर विकल्प** : जहां तक हार्डवेयर विकल्प का संबंध है, इस दिशा में आई.आई.टी., कानपुर का प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके द्वारा विकसित यह प्रणाली जिस्ट Graphics and inteligence based script technology प्रौद्योगिकी के रूप में प्रसिद्ध है और इस पर आधारित विभिन्न अनुप्रयोगों के विकास का दायित्व भारत सरकार की सी-डैक नामक सोसायटी को सौंप दिया गया है, जिसने 'परम' नाम से सुपर कंप्यूटर का विकास किया है। सी डैक Centre for Development of Advanced Computering नाम से विख्यात यह सोसायटी पुणे (महाराष्ट्र) में स्थित है। जिस्ट प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पर्सनल कंप्यूटर के मदर बोर्ड पर एक 'प्लग इन

कार्ड' लगा दिया जाता है। इसी कार्ड को जिस्ट कार्ड कहा जाता है। इस कार्ड की सहायता से आई. बी. एम. पीसी कंप्यूटरों पर शब्द संसाधन तथा डाटा संसाधन के लिए प्रचलित रोमन के सभी पैकेजों का प्रयोग द्विभाषिक या बहुभाषिक रूप में किया जा सकता है। यूनिक्स/जेनिक्स परिचालन प्रणालियों के लिए जिस्ट कार्ड के बजाय जिस्ट टर्मिनल की आवश्यकता होती है। जिस्ट टर्मिनल की सहायता से भी रोमन के सभी सामान्य पैकेजों का द्विभाषिक या बहुभाषिक रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जिस्ट प्रौद्योगिकी के अंतर्गत यह सुविधा सभी भारतीय भाषाओं में सुलभ है और अब यह सुविधा फारसी-अरबी, सिंहली, तिब्बती और रूसी लिपि में भी उपलब्ध हो गई है।

(ख) **सॉफ्टवेयर विकल्प (Software Option)**: सॉफ्टवेयर विकल्प के अंतर्गत कंप्यूटर में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। वे पैकेज फ्लॉपी डिस्क के रूप में उपलब्ध होते हैं। ये पैकेज भी दो प्रकार के हैं :(I) समर्पित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम (Dedicated Software Programs) और (II) **सामान्य उद्देश्यीय सॉफ्टवेयर परिवेश** (General Purpose Software Environment) । समर्पित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंतर्गत हिन्दी में डाटा संसाधन का एक सॉफ्टवेयर है, 'देववेस' (द्विभाषी डाटा वेस प्रबंधन प्रणाली)। यह सॉफ्टवेयर डी बेस III प्लस का द्विमापी संस्करण है और इसका निर्माण नई दिल्ली स्थित मै. सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है, डी बेस III प्लस के अंतर्गत हिन्दी में काम करने के लिए यह एक अच्छा पैकेज है, लेकिन डी वेस के संशोधित पैकेज (जैसे डी बेस IV) आदि में हिन्दी में कार्य करने के लिए इसमें और संशोधन की आवश्यकता होगी।

(ग) **सामान्य उद्देश्यीय सॉफ्टवेयर परिवेश** : इसके अंतर्गत रोमन लिपि के सभी सॉफ्टवेयर पैकेजों (जैसे डी वेस, लोटस, सॉफ्टवेस, क्लिपर, फॉक्सप्रो, ओरैकल आदि) में हिन्दी में कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा यह परिवेश बेसिक, कोबोल, सी, पास्कल आदि प्रोग्रामिंग भाषाओं में तैयार किए गए प्रोग्रामों में भी हिन्दी को अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है। वस्तुतः यह परिवेश जिस्ट के ही समकक्ष है। जो कार्य जिस्ट कार्ड के माध्यम से हिन्दी में किए जा सकते हैं, वे सभी कार्य सॉफ्टवेयर विकल्प के रूप में इस परिवेश के अंतर्गत भी किये जा सकते हैं। आरके कंप्यूटर रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा विकसित 'सुलिपि' नामक यह सॉफ्टवेयर जिस्ट के समान ही सामान्य उद्देश्यीय सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से एम. एस. डॉस पर आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर कार्यालय स्वचालन (Office Automation) संबंधी सभी कार्य हिन्दी-अंग्रेज़ी में साथ-साथ किए जा सकते हैं।

जिस्ट और सुलिपि दोनों के अंतर्गत भारतीय भाषाओं में परस्पर लिप्यंतरण (Transliteration) की सुविधा मौजूद है, किंतु सुलिपि में यह सुविधा हिन्दी, पंजाबी, बंगला और गुजराती तक सीमित है, जबकि जिस्ट में यह सुविधा सभी भारतीय भाषाओं के लिए सुलभ है। दोनों ही विकल्प भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा अनुमोदित इस्की (ISCII) कोड पर आधारित ध्वन्यात्मक इनस्क्रिप्ट (Inscript) कुंजीपटल का प्रयोग करते हैं, किंतु सुलिपि में रेमिंग्टन हिन्दी टाइपराइटर के कुंजीपटल की सुविधा भी उपलब्ध है। दोनों प्रणालियों में एक मुख्य अंतर यह भी है कि जिस्ट प्रणाली के माध्यम से जहां आप एमएस डॉस और यूनिक्स/जेनिक्स परिवेश में भी हिन्दी में कार्य कर सकते हैं, वहां सुलिपि प्रणाली LAN (Local Area Network) परिवेश में हिन्दी में कार्य करने का अवसर प्रदान करती है।

डेस्क टॉप प्रकाशन (DTP): शब्द संसाधन के समान डी.टी.पी की द्विभाषी सुविधा भी अत्यंत लोकप्रिय होने लगी है। आरंभ में यह सुविधा रोमन के 'वेंचुरा' सॉफ्टवेयर पर आधारित 'प्रकाशक', 'वीनस' आदि पैकेजों तक ही सीमित थी, लेकिन अब पेज मेकर और 'विंडोज' परिवेश में भी इसका प्रयोग बढ़ने लगा है और 'इंडिका', 'इज्म', 'ऐस्ट्रिक्स', 'स्लेजर' आदि अनेक पैकेज आज बाजार में उपलब्ध हो गए हैं। ये

पैकेज 'पेजमेकर' और 'विंडोज' के अलावा कोरल ड्रा जैसे पैकेजों में भी हिन्दी में कार्य करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

पीसी आधारित टेलेक्स प्रणाली: इलैक्ट्रो-मैकेनिकल युग होकर इलेक्टॉनिक टेलीप्रिंटर टेलेक्स से होते हुए आज यह प्रणाली कंप्यूटर युग तक से आरंभ आदान-प्रदान कर सकते हैं। इस सुविधा को हिन्दी में सुलभ करने के लिए डाटा बाइट, सीएमसी, एचसीएल आदि अनेक कंपनियों ने द्विभाषी उपकरण विकसित किए हैं। इसके आलावा आरके रिसर्च कंप्यूटर फाउंडेशन ने 'सुलिपि' सॉफ्टवेयर पर आधारित एक इंटरफेस विकसित किया है, जिसकी सहायता से किसी भी कंप्यूटर पर हिन्दी में संदेशों का आदान-प्रदान किया जा सकता है।

उपशीर्षक और वीडियो वर्क्स: फिल्मों के उपशीर्षक हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में लिखने का कार्य हाल ही में भारत में आरंभ हुआ है। नवंबर, 1992 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के अवसर पर दूरदर्शन द्वारा प्रसारित हिन्दी फिल्म 'सलाम बॉम्बे' के उपशीर्षक विभिन्न राज्यों में उनकी अपनी भाषाओं में ही प्रदर्शित किए गए थे। लिप्स (LIPS) नाम से प्रसिद्ध इस प्रौद्योगिकी का विकास सी-डैक, पुणे के जिस्ट ग्रुप द्वारा किया गया था। इसी प्रौद्योगिकी के दूसरे चरण के रूप में वीडियो वर्क्स के कार्य को भी हिन्दी में प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है, जिसकी सहायता से रेलवे आरक्षण, गाड़ियों के आवागमन, हवाई जहाज़ों के आगमन प्रस्थान आदि से संबंधित सूचनाएं टी. वी. मॉनिटर के ज़रिए हिन्दी में भी प्रदर्शित की जा सकेंगी। आरके कंप्यूटर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा भी 'सुलिपि' पर आधारित एक इंटरफेस का विकास किया गया है, जिसकी सहायता से वीडियो वर्क्स से संबंधित सभी कार्य हिन्दी में भी संपन्न किए जा सकेंग।

कंप्यूटर साधित हिन्दी भाषा शिक्षण: भारत में सुपर कंप्यूटर के निर्माता सी-डैक ने कंप्यूटर के ज़रिए हिन्दी सिखाने के लिए एक ऐसा बहुआयामी सॉफ्टवेयर पैकेज विकसित किया है जिससे आप न केवल हिन्दी की संरचना की बारीकियों को समझ सकते हैं बल्कि प्रामाणिक उच्चारण और चित्रों की सहायता से हिन्दी पढ़ना, बोलना और लिखना भी सीख सकते हैं।

यह पैकेज देश-विदेश के उन लोगों के लिए विशेष उपयोगी है जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है या जो विदेशों में रहकर भी भारतीय संस्कृति और भाषा से जुड़े रहना चाहते हैं। शिक्षण-सामग्री विदेशी अन्य भाषा शिक्षण की नई विकसित तकनीकों पर आधारित है। हर पाठ पूर्णतः नियंत्रित और क्रमबद्ध है और भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक बिन्दुओं पर आधारित है। पाठ रोचक कथ्य और प्रभावी अभ्यासों के ज़रिए विकसित होते हैं। छात्रों की सुविधा के लिए पैकेज के साथ एक सहायक पुस्तक भी है जिसमें जटिल संरचनाओं और व्याकरण के बिंदुओं को नियम और उदाहरणों के साथ समझाया गया है।

इस पैकेज से आप अपने कंप्यूटर पी.सी. पर पहली बार हिन्दी वाक्यों और शब्दों का प्रामाणिक उच्चारण और वाचन सुन सकते हैं। इसके अलावा आप इस पैकेज से देवनागरी लिपि और लेखन भी सीख सकते हैं। पैकेज अंग्रेजी के माध्यम से है जिसमें एक द्विभाषी हिन्दी-अंग्रेज़ी कोश भी निहित है।

मल्टी-मीडिया सिस्टम नवीनतम कंप्यूटर प्रणाली का आधार इतना व्यापक हो गया है कि उसमें विभिन्न प्रकार के श्रव्य दृश्यात्मक साधन एक ही मंच पर समाहित हो जाते हैं। मल्टी मीडिया सिस्टम कंप्यूटर की वह प्रणाली है, जिसमें कंप्यूटर की क्षमता के साथ-साथ ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और ऐनिमेशन का भी व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। विश्वकोश के लिए इसका प्रयोग अमेरिका और योरोप के देशों में व्यापक रूप से किया जा रहा है। सी-डैक ने 'माया' नामक एक ऐसे वर्क स्टेशन का निर्माण किया है, जिस पर ऐसी सामग्री का निर्माण किया जा सकता है।

Critical Overview / अवलोकन

डेस्क प्रकाशन (Desktop Publishing) कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे

हिन्दी में भी टाइपिंग और छपाई करना आसान हो गया है। इस प्रक्रिया में, कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर की मदद से हम किसी भी सामग्री को आसानी से डिजाइन और प्रकाशित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, 'वेंचुरा' सॉफ्टवेयर की मदद से हम किसी दस्तावेज़ को पृष्ठों में बांट सकते हैं और टाइपिंग में हुई गलतियों को स्वचालित रूप से सुधार सकते हैं। इसके अलावा, स्कैनर से तस्वीरें भी कंप्यूटर में डाल सकते हैं। डेस्क प्रकाशन में अच्छे प्रिंटर जैसे लेज़र प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, ताकि छपाई की गुणवत्ता बेहतरीन हो। आजकल, हिन्दी में डेस्क प्रकाशन की यह तकनीक कई समाचार पत्रों और प्रकाशन गृहों में इस्तेमाल हो रही है।

Recap / पुनरावृत्ति

- कंप्यूटर पर हिन्दी लेखन को सरल बनाने के लिए 'अक्षर', 'शब्दमाला', और 'मल्टीवर्ड' जैसे सॉफ़्टवेयर विकसित हुए हैं
- रोमन लिपि से हिन्दी में लिप्यंतरण के लिए विशेष सॉफ़्टवेयर विकसित किए गए हैं, जैसे रेलवे और एयर इंडिया में उपयोग किए जाने वाले सॉफ़्टवेयर
- 'प्रकाशक' और 'वेंचुरा' जैसे सॉफ़्टवेयर का प्रयोग हिन्दी में उच्च गुणवत्ता वाली छपाई और पेज डिज़ाइन के लिए किया जाता है
- कंप्यूटर आधारित हिन्दी शिक्षण के लिए 'call' जैसे कार्यक्रमों और 'सुलिपि' और 'जिस्ट' जैसे सॉफ़्टवेयर का उपयोग होता है
- हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में संवाद स्थापित करने के लिए शोध और तकनीकी विकास हो रहा है
- भारतीय सरकार और विभिन्न संस्थाएं हिन्दी के लिए सॉफ़्टवेयर और तकनीकी समाधान विकसित कर रही हैं, जिससे हिन्दी का भविष्य बेहतर हो रहा है
- कंप्यूटर तकनीक ने हिन्दी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है

Objective questions / वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. डेस्कटॉप प्रकाशन (Desktop Publishing) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
2. कंप्यूटर में हिन्दी भाषा की टाइपिंग के लिए कौन सा प्रमुख कुंजीपटल प्रयोग किया जाता है?
3. 'वेंचुरा' सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है?
4. 'मशीनी अनुवाद' (Machine Translation) का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है?
5. 'प्रकाशक' सॉफ्टवेयर किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है?
6. 'जिस्ट' तकनीक किस उद्देश्य के लिए विकसित की गई है?
7. हिन्दी भाषा के कंप्यूटर-संबंधी पाठ्यक्रमों में कौन सा एक प्रमुख पाठ्यक्रम है?
8. कंप्यूटर के माध्यम से हिन्दी सिखाने के लिए कौन सा प्रमुख सॉफ्टवेयर पैकेज विकसित किया गया है?

Answers / उत्तर

1. दस्तावेज़ों का डिजिटली निर्माण और मुद्रण
2. ISCII
3. डेस्कटॉप प्रकाशन
4. एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद
5. डेस्कटॉप प्रकाशन
6. भाषा-लिप्यंतरण और शब्द संसाधन
7. डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशन
8. हिन्दी शिक्षण सॉफ़्टवेयर

Assignments / प्रदत्त कार्य

1. 'हिन्दी में टाइपिंग की विभिन्न विधियाँ और उनके उपयोग' पर एक निबंध लिखिए।
2. कंप्यूटर में हिन्दी भाषा के विकास के लिए कौन-कौन सी प्रमुख तकनीकें और सॉफ़्टवेयर उपलब्ध हैं? अपना मत प्रकट कीजिए।
3. 'हिन्दी में मशीनी अनुवाद' (Machine Translation) के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए।
4. 'डेस्कटॉप प्रकाशन (Desktop Publishing) के लिए हिन्दी भाषा का उपयोग' पर एक प्रोजेक्ट रिपोट ' तैयार कीजिए।

Reference / सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. भाषा साहित्य और संस्कृति - मुकेश अग्रवाल
2. हिन्दी भाषा का समाजशास्त्र - रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव
3. हिन्दी और उसकी उपभाषाएँ
4. आधुनिक हिन्दी का प्रयोग - नारायणदत्त पालीवाल

इकाई 2

द्विभाषी और बहुभाषी कंप्यूटर

Learning Outcomes / अध्ययन परिणाम

- विभिन्न भाषाओं को समझने और उपयोग करने में सक्षम
- प्रभावी संवाद कौशल में वृद्धि होगी
- अधिक भाषाएं जानने से आत्मविश्वास बढ़ेगा
- भाषाई विविधता में सामंजस्य बढ़ेगा

Prerequisites / पूर्वापेक्षा

द्विभाषिता का मतलब है दो भाषाओं का उपयोग करने की क्षमता, जबकि बहुभाषिता का मतलब है दो से अधिक भाषाओं का उपयोग करना। ये दोनों व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर अध्ययन किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर, कोई व्यक्ति द्विभाषी या बहुभाषी हो सकता है, जो उनकी विभिन्न भाषाओं में दक्षता को दर्शाता है। सामाजिक स्तर पर, द्विभाषिता और बहुभाषिता उन समुदायों में सामान्य हैं, जहाँ लोग सांस्कृतिक, शैक्षिक या सामाजिक कारणों से विभिन्न भाषाओं का उपयोग करते हैं। भारत जैसे देशों में, बहुभाषिता सदियों से प्रचलित रही है, जहाँ विभिन्न भाषाओं का एक साथ अस्तित्व है, जो स्थानीय और क्षेत्रीय कारकों से प्रभावित होता है।

Keywords / मुख्य बिन्दु

स्थानीयता, द्विभाषिता, संस्कृति, संवाद, बहुभाषिकता

Discussion / चर्चा

द्विभाषिता और बहुभाषिता के लाभों पर चर्चा करते हुए, यह देखा जा सकता है कि ये न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले, जब कोई व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं में पारंगत होता है, तो उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं में सुधार होता है। इसके परिणामस्वरूप, उसका मस्तिष्क अधिक लचीला और तेज़ सोचने में सक्षम होता है। शोध में यह भी पाया गया है कि द्विभाषिता मानसिक विकास को उत्तेजित करती है और वृद्धावस्था में मस्तिष्क संबंधी समस्याओं को कम करती है।

इसके अलावा, भाषाई कौशल की वृद्धि से संवाद में सुधार होता है, जिससे व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकता है। यह सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अधिक भाषाएं जानने से न केवल विविध संस्कृतियों के प्रति समझ विकसित होती है, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। बहुभाषिता के कारण व्यक्ति विभिन्न स्थानों पर आसानी से काम कर सकता है और वैश्विक स्तर पर प्रभावी संवाद कर सकता है।

सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, बहुभाषिता से विभिन्न संस्कृतियों, मान्यताओं और परंपराओं को समझने में मदद मिलती है। यह सहिष्णुता और अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक समरसता में भी योगदान होता है। इस प्रकार, द्विभाषिता और बहुभाषिता सिर्फ व्यक्तिगत फायदे नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

द्विभाषिकता और बहुभाषिकता (Bilingualism and Multilingualism)

किसी समाज में दो भाषाओं के व्यवहार की स्थिति को द्विभाषिकता (Bilingualism) और दो से अधिक भाषाओं के व्यवहार की स्थिति को बहुभाषिकता (Multilingualism) कहते हैं। इन्हें सूत्र रूप में इस प्रकार से दिखा सकते हैं-

द्विभाषिकता = दो भाषाओं के व्यवहार की स्थिति

बहुभाषिकता = दो से अधिक भाषाओं के व्यवहार की स्थिति

द्विभाषिकता और बहुभाषिकता (Bilingualism and Multilingualism) दोनों को ही दो स्तरों पर देख सकते हैं-

(क) व्यक्तिगत स्तर

(ख) सामाजिक स्तर

(क) व्यक्तिगत स्तर

कोई व्यक्ति द्विभाषी (Bilingual) या बहुभाषी (Polyglot) हो सकता है। यह व्यक्ति की विशेषता है। उसका अध्ययन अनुवाद, भाषा शिक्षण आदि में अनुप्रयोग की दृष्टि से किया जा सकता है, किंतु व्यक्ति विशेष की द्विभाषिकता या बहुभाषिकता का अध्ययन समाज भाषाविज्ञान का विषय नहीं है।

(ख) सामाजिक स्तर

यह द्विभाषिकता या बहुभाषिकता की वह स्थिति है, जो किसी भाषा के पूरे समाज में पाई जाती है। कोई भाषा मूलतः जिस समाज में बोली जाती है या जहाँ की मातृभाषा होती है, उसे उस भाषा का भाषी समाज कहते हैं, जैसे-

हिन्दी भाषी समाज, अंग्रेजी भाषी समाज, मराठी भाषी समाज आदि।

सामाजिक द्विभाषिकता या बहुभाषिकता ही समाज भाषाविज्ञान के अध्ययन की विषयवस्तु है।

प्रत्येक भाषा का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी होता है। उस भाषा के समाज में द्विभाषिकता या बहुभाषिकता की स्थिति का परीक्षण करने के लिए हमें उसी क्षेत्र में जाकर देखना होगा। उदाहरण के लिए 'भोजपुरी भाषी समाज' की द्विभाषिकता और बहुभाषिकता की स्थिति का परीक्षण मुंबई या कलकत्ता में रहने वाले भोजपुरी भाषियों के अध्ययन से नहीं किया जा सकता, उसके लिए मूल भोजपुरी क्षेत्र में जाकर देखना होगा।

इसी प्रकार द्विभाषिकता या बहुभाषिकता के संदर्भ में स्थानीयता (Locality) का संदर्भ भी महत्व रखता है। हम किसी भाषा के मूल समाज में जाकर तो अध्ययन कर ही सकते हैं, किसी शहर या स्थान विशेष में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं तथा उनकी स्थिति का भी अध्ययन कर सकते हैं। अतः इस दृष्टि से स्थानीय संदर्भ महत्व का होगा, जैसे-

मुंबई में प्रयुक्त भाषाओं की भाषायी स्थिति का अध्ययन या कोलकत्ता में प्रयुक्त भाषाओं की भाषायी स्थिति का अध्ययन आदि।

मुंबई की मराठी पर अन्य भाषाओं का प्रभाव और इस कारण हो रहे विभेद या परिवर्तन।

मुंबई की हिन्दी पर अन्य भाषाओं का प्रभाव और इस कारण हो रहे विभेद या परिवर्तन।

कोलकत्ता की बंगाली पर अन्य भाषाओं का प्रभाव और इस कारण हो रहे विभेद या परिवर्तन।

द्विभाषिकता और बहुभाषिकता का वर्तमान परिप्रेक्ष्य

मानव सभ्यता के विकास के साथ ही यातायात के साधनों में निरंतर वृद्धि हुई है और इस कारण भिन्न-भिन्न भाषा समुदाय के लोगों का अत्यंत तीव्रता

के साथ सम्मिलन हुआ है। कुछ आदिवासी समाजों को अपवादस्वरूप छोड़ दिया जाए तो आज कोई भी ऐसा समाज मिलना कठिन जिसमें द्विभाषिकता और बहुभाषिकता न पाई जाती हो। अतः द्विभाषिकता और बहुभाषिकता की दृष्टि से वर्तमान परिप्रेक्ष्य अत्यंत समृद्ध है।

भाषा का आविष्कार मनुष्य की महानतम उपलब्धियों में से एक है। मनुष्य ने इसके महत्त्व को हजारों-लाखों वर्ष पूर्व पहचान लिया था, इसलिए इसके विकास के लिए प्रयत्नशील रहा। भाषा भावों एवं विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम है एवं वर्ग, लिंगबोध, जातीयता एवं अस्मिता को स्वयं से जोड़कर अपनी विशिष्टता सिद्ध करती है। मानक हिन्दी कोश के अनुसार "किसी विशिष्ट जनसमूह द्वारा अपने भाव, विचार आदि प्रकट करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द भाषा कहलाते हैं।"

जब हम भाषा की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर एक भाषा और उससे जुड़े हुए पहलुओं का प्रश्न मस्तिष्क में उपजता है परंतु बहुभाषिकता नाम से ही स्पष्ट है कि एक नहीं वरना इससे अधिक भाषाओं को जानना व प्रयोग करना। दूसरे शब्दों में कहें तो भिन्न भाषा-भाषियों के साथ परस्पर भावानुभूतियों के आदान-प्रदान हेतु भिन्न-भिन्न भाषा तथा उपभाषाओं का व्यवहार बहुभाषिकता कहलाता है।

हागेन के अनुसार, "दो भाषाओं के ज्ञान की स्थिति द्विभाषिक है।" वैसे तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को बहुभाषिक कहते हैं परंतु एक से अधिक भाषा (केवल दो) जानने वाले को द्विभाषिक के साथ-साथ बहुभाषिक भी कहते हैं।

ब्लूम फील्ड के अनुसार - "बहुभाषिकता की स्थिति तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी ऐसे समाज में रहता है जो उसकी मातृभाषा से अलग भाषा बोलता है और उस समाज में रहते हुए वह उस अन्य भाषा में इतना पारंगत हो जाता है कि उस भाषा का प्रयोग मातृभाषा की तरह कर सकता है।" कुछ विद्वानों ने इसे इस रूप में प्रस्तुत किया कि द्विभाषिकता या बहुभाषिकता व्यक्ति के बचपन से ही दो या बहुत भाषाएँ एक साथ सीखकर उसका समान रूप और सहज प्रभाव से प्रयोग करने की स्थिति को कहते हैं परंतु भाषा वैज्ञानिक इसे अस्वीकार करते हुए तर्क देते हैं कि दो भाषाओं में मातृभाषावत क्षमता एक ऐसा आदर्श है जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। इस प्रकार एक से अधिक भाषाओं की जानकारी एवं प्रयोग बहुभाषिकता की स्थिति है।

बहुभाषिकता को किसी लक्षण के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। वास्तव में वह व्यक्तिगत गुण है जिसमें वाचक दो या दो से अधिक भाषाओं में न्यूनतम से लेकर अधिकतम (पूर्णता की ओर) दक्षता तक के सोपानों पर खड़ा नजर आता है। हागेन ने इसे लेकर बड़ी सटीक एवं तर्कसम्मत बात कही, "द्विभाषिकता की परिभाषा को हमें बहुमत अनुपात के रूप में नहीं बल्कि लघुतम अनुपात के रूप में ग्रहण करना चाहिए।" व्यवहारिक स्तर पर यह कथन ही सही है। व्यावहारिक स्तर पर द्विभाषिकता पर विचार करते हुए वाइनराइख कहते हैं, "दो भाषाओं का विकल्प से एक के बाद एक प्रयोग की स्थिति ही द्विभाषिकता है।"

बहुभाषिकता की स्थिति भारत में नई नहीं है। अपने सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं सामाजिक कारणों के फलस्वरूप यहाँ बहुभाषिकता बहुत पहले से मौजूद है। स्वयं भारत की संस्कृति इतनी समृद्ध है कि लोग यहाँ कहते हैं, "कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले बानी।" तकनीकी के प्रभाव के कारण शिक्षा की व्यापकता, महानगरों के उदय एवं संचार माध्यमों का विकास हो रहा है जिस कारण अधिकाधिक व्यक्ति द्विभाषी या बहुभाषी होने की स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। भारत इन सबसे अछूता नहीं है। बहुभाषा-भाषी राष्ट्र होने के कारण यहाँ यह स्थिति पहले से ही थी परन्तु इन सबने इसके इस स्थिति को और समृद्ध किया है। बहुभाषिकता की स्थिति प्रायः व्यक्ति, राष्ट्र एवं समाज के संदर्भ में की जाती है। समाजभाषा

विज्ञान यह मानता है कि व्यक्ति के स्तर पर एक से अधिक भाषाएँ जानना व्यक्तिगत ज्ञान वर्धन या रूचि हो सकती है परन्तु बहुभाषिकता का अर्थ दैनंदिन जीवन में परस्पर विचार विनिमय के लिए एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। राष्ट्र के स्तर पर एक से अधिक भाषाओं का अस्तित्व संवैधानिक, परम्परागत अथवा धर्म द्वारा पोषित, किसी अन्य समाज अथवा संस्था द्वारा समर्थित होने पर भी द्विभाषिकता की स्थिति में शामिल नहीं किया जा सकता। केवल सामाजिक बहुभाषिकता ही वास्तविक बहुभाषिकता है। बहुभाषिकता केवल समाज से ही जुड़ी है। रोष के साथ तो विशेषण लग जाता है। बहुभाषिकता को हम भाषा-सम्पर्क की स्थिति कह सकते हैं अर्थात बहुत-सी भाषाओं का एक साथ प्रयोग जो प्रयोक्ता को एक-दूसरे के साथ सम्पर्क करने को बाध्य करता है। द्विभाषिकता या बहुभाषिकता की स्थिति सापेक्ष एवं प्रयोक्ता सापेक्ष में बाँटा जा सकता है।

स्थिति सापेक्ष द्विभाषिकता राष्ट्र के स्तर पर देखने को मिलती है। इसमें प्रयोक्ता का द्विभाषिक होना अनिवार्य नहीं होता। बहुभाषी लोग अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर एक स्थान पर बसे होते हैं तथा अपनी-अपनी भाषा का प्रचार-प्रसार करते हैं। अपने नेटिव स्थान से जाकर दूसरी जगह बसे लोगों में सामान्यतया बहुभाषिकता की स्थिति होती है क्योंकि वे जहाँ बसे होते हैं वहाँ वे अल्पसंख्यक होते हैं और बहुसंख्यक समुदाय से उनका घर्षण होता है। कम ही राष्ट्र ऐसे हैं जो दो अथवा अधिक भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करते हैं। यह भी संभव है कि राष्ट्र की स्थिति द्विभाषिकता की हो, परन्तु वहाँ के निवासी द्विभाषिक न हों। उदाहरण के रूप में भारत में हिन्दी और अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली हुई है परंतु यहाँ करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें हिन्दी और अंग्रेजी में से कोई भी भाषा नहीं आती।

द्विभाषिकता की शिक्षा संबंधी स्थिति से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति ने औपचारिक तौर पर शिक्षा ली है या नहीं। इसका अध्ययन शिक्षा सापेक्ष बहुभाषिकता एवं शिक्षा निरपेक्ष बहुभाषिकता के रूप में किया जा सकता है। वास्तव में शिक्षा निरपेक्ष बहुभाषिकता सामान्य स्थिति है। इसमें प्रयोक्ता अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मातृभाषा से इतर भाषा सीखता है, इसके लिए औपचारिक रूप से शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती वरना इसको समाज से ही ग्रहण किया जाता है। इसमें अन्य भाषा की प्रवृत्ति सामान्यतः 'पिजिन' (अवमिश्रित) भाषा के रूप में ढ़लने की ओर होती है। तमिलनाडु में रहने वाले गुजराती लोगों की भाषा या कलकत्ता व बम्बई के लोगों की हिन्दी में सामान्य द्विभाषिकता विद्यमान है। इस प्रकार की बहुभाषिकता के लिए सामान्य जीवन के अनौपचारिक संदर्भ ही पाठशाला का काम करते हैं और संप्रेषण की आवश्यकताएँ ही शिक्षा का कार्य करती हैं।

शिक्षा सापेक्ष बहुभाषिकता 'संभ्रांत बहुभाषिकता' कही जा सकती है। यह औपचारिक स्तर पर अन्य भाषा के शिक्षण से उद्‌भूत होती है। इस प्रकार की बहुभाषिकता में अन्य भाषा का मानक रूप साध्य होता है। संपर्क भाषा के रूप में अन्य भाषा को यहाँ भी स्वीकार किया जा सकता है। उदाहरणार्थ हिन्दी या तमिल को मातृभाषा के रूप में बोलने वाले अंग्रेजी की औपचारिक शिक्षा लेकर उसे सम्पर्क भाषा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य द्विभाषिकता संभ्रांत द्विभाषिकता की तुलना में हेय मानी जाती है।

सामाजिकता की दृष्टि से द्विभाषिकता को व्यक्तिपरक द्विभाषिकता एवं 'समुदायपरक द्विभाषिकता' में बाँटा जा सकता है। व्यक्तिपरक द्विभाषिकता में व्यक्तिपरकता ही महत्त्वपूर्ण है। व्यक्ति अपनी रूचि या वैयक्तिक आवश्यकताओं के कारण भाषा सीखता है। जैसे किसी व्यक्ति को रूसी साहित्य पसन्द आने लगा तो वह मूल रूसी भाषा सीखने का प्रयत्न करता है, पर्यटक गाइड जीविकोपार्जन हेतु अन्य भाषा सीखता है। व्यक्तिपरक अन्य भाषा सीखने के पीछे कोई सम्प्रेषणगत सामाजिक दबाव नहीं होता। इससे भिन्न

'समुदायपरक द्विभाषिकता' में सम्प्रेषणगत सामाजिक दबाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वस्तुतः ऐसी स्थिति में अपनाई जाने वाली अन्य भाषा प्रयोक्ता के भाषायी समाज के भाषायी कोश का अंग होता है। उदाहरणार्थ, भारत में हिन्दी, मैथिली या पंजाबी प्रयोक्ता उच्च शिक्षा अथवा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी सीखकर द्विभाषिक या बहुभाषिक बनता है।

अभिप्रेरणा की दृष्टि से बहुभाषिकता उपकरणवादी एवं समग्रतावादी रूप में परिभाषित है। उपकरणवादी बहुभाषिकता अन्य भाषा के सीखने के लक्ष्य को उपयोगिता के आधार पर स्वीकार करते हैं। प्रयोक्ता अपने पर्यटन गाइड के पेशे को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अन्य भाषा सीखता है तो अभिप्रेरणा की प्रकृति उपकरणवादी होती है। समग्रतावादी बहुभाषिकता अन्य भाषा को किसी दूसरे भाषायी समुदाय के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु सीखता है। इसके पीछे अपनी सामाजिक अस्मिता उस भाषायी समाज से जोड़ना और उस सांस्कृतिक धरातल की सदस्यता प्राप्त करना लक्ष्य होता है। इसका एक अच्छा उदाहरण फादर कामिल बुल्के हैं। ये पोलैण्ड के रहने वाले इसाई मिशनरी (धर्म प्रचारक) थे। इन्होंने बहुत से रामायणों पर अद्‌भुत काम किया है। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि इनके द्वारा बनाई गई अंग्रेजी से हिन्दी की डिक्शनरी (शब्दकोश) है जो सर्वाधिक प्रामाणिक मानी जाती है।

इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता सापेक्ष बहुभाषिकता को उसके गुणात्मक और परिमाणात्मक धरातल पर भी देखी जा सकती है। गुणात्मक धरातल द्विभाषिकों की प्रवृत्ति से संबंध रखता है, यह बताता है कि अन्य भाषा के रूप में सीखी जाने वाली भाषा को प्रयोक्ता किस रूप में ग्रहण करता हैं। परिमाणात्मक धरातल द्विभाषिकों के अन्य भाषा संबंधी ज्ञान और दक्षता के अनुपात को मापता है और यह बताता है कि अन्य भाषा के रूप में सीखी जाने वाली भाषा में द्विभाषिकों की योग्यता कितनी है। 'सामासिक बहुभाषिक' एक ही संस्कृति की अभिव्यक्ति के दो विकल्पगत माध्यमों के रूप में दो भाषाओं की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ऐसे बहुभाषिक अन्य भाषा को सीखने के लिए मातृभाषा से अनुवाद-प्रक्रिया का सहारा लेते हैं। परन्तु अन्य भाषा सीखने के बाद वह दोनों का प्रयोग मातृभाषावत करता है। इसे समानार्थी प्रणाली भी कहते हैं। इस स्थिति में भाषाएँ एक-दूसरे के सम्पर्क में आने से प्रभावित होती हैं व बदलती हैं।

दक्षता के संबंध में बहुभाषिकों के दो वर्ग सक्रिय व निष्क्रिय अथवा असक्रिय कहें तो ज्यादा उचित होगा। दक्षता का सम्बन्ध भाषा-कौशल से है जो भाषा व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में चार माने गए हैं - बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। इनमें दो दाता सापेक्ष है - बोलना और लिखना और दो ग्राही सापेक्ष है - सुनना व पढ़ना। वैसे तो ये दोनों दाता व ग्राही ही सक्रिय माने जा सकते हैं परन्तु दाता भाषायी कौशल, संप्रेष्य अथवा कथ्य के संदर्भ में उत्पादक है, इससे प्रसार होता है, ग्राही में इसके विपरीत संकुचन नहीं होता, इसलिए दाता वर्ग को सक्रिय व ग्राही को असक्रिय कहना निष्क्रिय से ज्यादा उचित है।

स्थिरता के धरातल पर द्विभाषिकों को स्थिर व अस्थिर में बाँटा जा सकता है। स्थिर द्विभाषिक स्थायी उद्देश्यों के लिए अन्य भाषा सीखता है। जैसे व्यापार के लिए सीखी जाने वाली अन्य भाषा। इसके विपरीत अस्थिर द्विभाषिक वह होता है जो किसी विशेष उद्देश्य से सीखता है एवं उद्देश्य पूर्ति के पश्चात उसका प्रयोग बंद कर देता है परिणामतः धीरे-धीरे वह अन्य भाषा भूल जाते हैं। उदाहरणार्थ पर्यटन के उद्देश्य से सीखी गई अन्य भाषा को व्यक्ति पर्यटन के लौटने से पश्चात धीरे-धीरे भूल जाता है।

परिमाणात्मकता के धरातल पर द्विभाषिकता का अध्ययन करना निश्चय ही कठिन कार्य है। इसमें भाषा कौशल के किस पक्ष के आधार पर माशा जाए यथा किसी का शब्द भंडार अच्छा है परंतु व्याकरणिक ज्ञान नहीं तो किसी का व्याकरणिक ज्ञान अच्छा है, शब्द ज्ञान नहीं। इसके अतिरिक्त ऐसी बहुभाषिक भी हैं जिनमें कोई पढ़ता अच्छा पर लिखता नहीं तो कोई लिखता अच्छा पढ़ता नहीं। इस आधार पर

रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव ने पूर्ण, आंशिक व प्रारंभ श्रेणी के बहुभाषिकों के रूप में वर्गीकृत किया है।

बहुभाषिकता के विविध आयामों को समझने के पश्चात भारत के संदर्भ में इसे समझने में और अधिक सरलता मिलेगी। भारत में बहुभाषिकता बहुत पहले से उपस्थित है। यहाँ यह कोई नई धारणा नहीं है। डा. विमलेश कांति वर्मा ने 'द्विभाषिकता एवं बहुभाषिकता' लेख में लिखा है - "जिस देश में विभिन्न भाषा परिवारों की 1652 भाषाएँ बोली जाती हों और हर भाषा की अनेक बोलियाँ हों, उस देश में बहुभाषिकता का महत्व स्वयं सिद्ध है। वस्तुतः हर बहुभाषायी समाज में द्विभाषिकता सहज और सामान्य होती है क्योंकि यहीं द्विभाषिकता सामाजिक संरचना और विभिन्न सामाजिक स्तरों पर संप्रेषण की अनिवार्यता भी है।"

लेकिन देश के सामान्य व्यक्तियों से लेकर चिंतकों तक के मन में कुछ भ्रांत धारणाएँ समाई हुई हैं जिनका निराकरण ही भारतीय बहुभाषिकता का वास्तविक अर्थ एवं महत्ता समझ सकते हैं।

कुछ लोगों का मानना है कि भारत में बहुभाषिकता सामान्य स्थिति नहीं है। परन्तु यह धारणा गलत है इसे असामान्य नहीं माना जा सकता। यहाँ यह भाषा व्यवहार की विसंगति नहीं अपितु अति सामान्य स्थिति है। बहुभाषिकता यहाँ किसी आपदा या दुर्घटना से नहीं अपितु स्वाभाविक रूप में है। उदाहरण के रूप में अवधी व भोजपुरी दो अलग भाषाओं को बोलने वाला मिलने पर सामान्य रूप से वार्तालाप करने में सक्षम होता है।

अनेक विद्वानों का मत था कि बहुभाषिकता बालक के शिक्षा विकास में बाधक होता है। इस ओर संकेत करते हुए मैक्समारा ने 1966 में कहा कि, "एक भाषा के माध्यमों से पढ़ने वाले बालकों की प्रगति द्विभाषी माध्यम से पढ़ने वाले बालकों की तुलना में अधिक होती है।" परन्तु बाद में इसे अस्वीकार किया गया एवं सिद्ध हुआ कि ये बाधक नहीं सहायक हैं परन्तु उसकी उच्च शिक्षा एक भाषा में अवश्य हुई हो और यह स्वाभाविक रूप से स्पष्ट इससे बाधा क्यों उत्पन्न होगी? वस्तुतः अन्य भाषा का ज्ञान उनके ज्ञान क्षेत्र का विस्तार ही करेगा।

बहुत से चिन्तक एक राष्ट्र-एक भाषा का नारा बुलन्द करते हैं और तर्क देते हैं कि आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टियों से अधिक समुन्नत होता है परन्तु बेल्जियम, कनाडा, स्विट्जरलैण्ड, इजराईल एवं पूर्व सोवियत संघ ने इस मिथ को तोड़ा और स्थापित किया कि बहुभाषिकता वास्तव में राष्ट्र के विकास में बाधक नहीं है। इसके विपरीत अल्बानिया, ब्रजील, पुर्तगाल, कोरिया व लीबिया जैसे राष्ट्र भाषिक रूप से एक होने पर भी आर्थिक-शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं।

विद्वानों द्वारा यह मत दिया जाता है कि बहुभाषिकता समाज की सहज भाषाई संप्रेषण व्यवस्था में बाधक है। परन्तु वास्तव में ऐसा है नहीं। गुजरात का रहने वाला व्यापारी जो बम्बई में रहता है, इस उदाहरण से इस समस्या को समझ सकते हैं। वह अपने घर में सदस्यों से गुजराती में बात करता है, अपने नौकरों व सब्जी बाजार में सामान्य मराठी भाषा का भी इस्तेमाल करता है। बम्बई में अधिकांश टैक्सी व दूध वाले पूर्वांचल के हैं तो वह उनसे हिन्दी में भी बात करता है। अपने मिर्च-मसाले के व्यापार में कच्छी और कोंकणी को माध्यम बनाता है एवं शिक्षित होने पर अंग्रेजी का भी उपयोग करता है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि भारतीय बहुभाषिकता का मूलाधार वस्तुतः समाज की अपनी सम्प्रेषण व्यवस्था की अनिवार्य स्थिति है और वह भाषायी सम्प्रेषण व्यवस्था में बाधक नहीं है।

यह भी एक गलत धारणा है कि बहुभाषिकता व्यक्ति की सर्जनात्मकता को कम करती है। सर्जनात्मकता के लिए विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी, प्रयोग व अनुभव की आवश्यकता होती है, इसलिए बहुभाषिकता उन्हें एक बृहद फलक देती है जिससे उनका ज्ञान क्षेत्र समृद्ध होता है। तर्क के आधार पर सैमुअल बैकेट (फ्रेंच-इंग्लिश), काफ्का (चेक-जर्मन-चोडिश), नोबोकोव (रूसी, फ्रेंच, जर्मनी, अंग्रेजी), महात्मा गांधी (गुजराती-अंग्रेजी-हिन्दी), दयानन्द सरस्वती (हिन्दी-संस्कृत-गुजराती), टैगोर (बांग्ला-अंग्रेजी) राहुल सांकृत्यायन आदि के नाम

प्रस्तुत किया जा सकता है जो द्विभाषिकों की सर्जन क्षमता का स्पष्ट उदाहरण है।

भारतीय बहुभाषिकता में भाषा निर्वाह की समस्या नहीं आती। यहाँ पर पूर्वजों की भाषा का पीढ़ी-दर-पीढ़ी अनुकरण होता रहता है चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हों। इसे लैंग्वेज मेन्टीनेन्स या भाषा का आत्मसातीकरण कहेंगे। यदि कोई व्यक्ति बम्बई जाता है तो वह बम्बई के लिए मराठी सीखता है परन्तु अपनी भाषा को वह छोड़ता या भूलता नहीं है। बंगाल में रहने वाले मारवाड़ी या दिल्ली में बसे तमिल या बंगाली समुदायों के विवाहों, रीति-रिवाजों व संस्कृति में उनकी मूल भाषा को देखा जा सकता है। यह पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्थानान्तरित होती रहती है परन्तु अमेरिका जैसे राष्ट्रों में स्थिति ऐसी नहीं है, ऐसी परिस्थिति (उपर्युक्त) में भाषा तीसरी से चैथी पीढ़ी तक आते मरने लगती है व वे लोग वर्तमान समुदाय की भाषा को ही पूर्णतया अपना लेते हैं।

भारतीय बहुभाषिकता के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यहाँ पर बहुभाषिकता बोलचाल के स्तर पर ज्यादा है परन्तु साहित्यिक या शैक्षणिक स्तर पर कम है। बंगाली या बम्बईया हिन्दी बोलने वाला या गुजराती व्यापारी जो हिन्दी बोलता है शैक्षणिक स्तर पर उसे हिन्दी समझने में बहुत ही दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पर बहुभाषिकता की स्थिति पूर्णता में बहुत कम, आंशिक व प्रारम्भिक में ही ज्यादा पायी जाती है।

भारत में लगभग सब प्रमुख भाषाएँ सम्पर्क भाषाएँ हैं पर अंतर-क्षेत्रीय स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अधिक प्रयोजन सिद्ध भाषाएँ हैं। जब कोई भाषा 'लिंगुआ फ्रैंका' के रूप में उभरती है तब राष्ट्रीयता और राष्ट्रवादिता से प्रेरित होकर वह 'डामिनेन्ट' भाषा बन जाती है। 'डामिनेन्ट' के रूप में यहाँ अंग्रेजी व हिन्दी ही है, जिसे प्रभुता प्राप्त है। जरूरी नहीं कि मातृभाषा के रूप में इसके बोलने वाले सर्वाधिक हों, अपितु द्वितीय भाषा के रूप में इसे बोलने वाले बहुसंख्यक होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि इसके मातृभाषी अन्य किसी भाषा के सीखने की ओर प्रेरित नहीं होते।

यहाँ हर भाषाई क्षेत्र में एक संपर्क भाषा है और इन संपर्क भाषाओं में भी भाषाई स्तर हैं। एक ही भाषा की कई शैली यथा शिक्षित, अर्ध शिक्षित या अशिक्षितों की शैली। उदाहरणार्थ बंगाल में शिक्षितों द्वारा बंगाली साधु भाषा व अशिक्षितों की बंगाली चलित भाषा के रूप में मानी जाती है। यह अमेरिका व यूरोपीय राष्ट्रों में दृष्टिगोचर नहीं होता।

इस प्रकार भारतीय बहुभाषिकता को बहुभाषिकता के सभी तकनीकी बिन्दुओं को समझने के बाद आसानी से समझा जा सकता है। यह अन्य किसी राष्ट्र की बहुभाषिकता की स्थिति से पूर्णतया भिन्न एवं किसी-किसी स्तर पर इसकी अवधारणाएँ चैंकाने वाली हैं। कुछ चिन्तकों ने जो भ्रांतियाँ इस समाज में फैलायी हैं उन्हें दरकिनार कर सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय बहुभाषिकता समझने के स्तर पर भले कठिन हो परंतु अपने प्रयोग में अति सामान्य एवं विशिष्ट है। यहाँ बहुभाषिकता लोगों के ऊपर बोझ के रूप में नहीं अपितु उनकी वृत्तियों में सामान्तया रची बसी हुई है। यह भारतीय समाज में कोई हानिकारक तत्व नहीं घोलती अपितु बहुत ही सकारात्मक है, यह इस समाज के लिए फायदेमन्द है, साथ ही साथ संप्रेषण के स्तर पर अनिवार्य आवश्यकता का भी परिणाम है।

Critical Overview / अवलोकन

द्विभाषावाद और बहुभाषावाद एक व्यक्ति या समाज द्वारा दो या उससे अधिक भाषाओं का उपयोग करने की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। यह समाज और व्यक्ति दोनों के लिए कई फायदे और चुनौतियाँ लेकर आता है। द्विभाषी व्यक्ति अधिक संज्ञानात्मक लचीलापन रखते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में अपनी पहचान को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हालांकि, यह स्थिति कभी-कभी भाषा के बीच हस्तक्षेप या भेदभाव का कारण भी बन सकती है। इसके बावजूद, अगर इसे सही तरीके से प्रबंधित किया जाए, तो यह भाषा, शिक्षा और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन सकता है।

Recap / पुनरावृत्ति

- जब कोई व्यक्ति दो भाषाओं को अच्छे से जानता और उपयोग करता है, तो उसे द्विभाषी कहा जाता है
- द्विभाषी और बहुभाषी लोग अधिक लोगों से संवाद कर सकते हैं और विभिन्न संस्कृतियों को समझ सकते हैं
- द्विभाषी और बहुभाषी व्यक्तियों का मस्तिष्क अधिक सक्रिय रहता है
- वे समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से कर सकते हैं और रचनात्मक सोच में बेहतर होते हैं
- एक भाषा का प्रभाव दूसरी भाषा पर पड़ सकता है, जिससे कभी-कभी भाषाई गलतियां होती हैं
- अगर किसी व्यक्ति को लगातार दूसरी भाषा का प्रयोग करना पड़े, तो वह अपनी मातृभाषा को भूल सकता है
- द्विभाषावाद और बहुभाषावाद से शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकता है
- यह बच्चों को बेहतर समग्र दृष्टिकोण और अधिक लचीलापन सिखाता है

Objective questions / वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. द्विभाषिकता (Bilingualism) का अर्थ क्या है?
2. बहुभाषिकता (Multilingualism) का अर्थ क्या है?
3. 'संभ्रांत बहुभाषिकता' का उदाहरण कौन सा है?
4. द्विभाषिकता और बहुभाषिकता का अध्ययन किस क्षेत्र से संबंधित है
5. 'संप्रेषणगत सामाजिक दवाव' किस प्रकार की द्विभाषिकता से संबंधित है?
6. भारत में बहुभाषिकता का उदाहरण किससे लिया जा सकता है?
7. 'पिजिन' भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है?
8. किस विद्वान ने बहुभाषिकता की परिभाषा दी है, जिसमें कहा गया है कि यह तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा से अलग भाषा में इतना पारंगत हो जाता है कि उस भाषा का प्रयोग मातृभाषा की तरह कर सकता है?

Answers / उत्तर

1. दो भाषाओं का ज्ञान और प्रयोग
2. एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान और प्रयोग
3. एक व्यक्ति जो अन्य भाषा को औपचारिक रूप से सीखता है
4. समाजभाषाविज्ञान
5. समुदायपरक द्विभाषिकता
6. विभिन्न भाषाओं और बोलियों का मिश्रण
7. दो या दो से अधिक भाषाओं का मिश्रण
8. ब्लूम फील्ड

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

Assignments / प्रदत्त कार्य

1. द्विभाषावाद और बहुभाषावाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।
2. भारत में बहुभाषावाद की स्थिति पर विस्तृत रूप से चर्चा कीजिए।
3. द्विभाषावाद के संभावित नुकसान क्या हो सकते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
4. द्विभाषी व्यक्तियों की भाषा दक्षता में क्या अंतर होता है, और यह उनके मानसिक विकास को कैसे प्रभावित करता है?
5. भारतीय समाज में बहुभाषावाद को बढ़ावा देना चाहिए। आपके दृष्टिकोण क्या है?

Reference / सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. भाषा साहित्य और संस्कृति - मुकेश अग्रवाल
2. हिन्दी भाषा का समाजशास्त्र - रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव
3. आधुनिक हिन्दी का प्रयोग - नारायणदत्त पालीवाल

Model Question Paper Sets

SGOU

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

QP CODE: ………   Reg. No : ……….............
                                                                          Name   : ………………...

FIFTH SEMESTER BA HINDI LANGUAGE AND LITERATURE EXAMINATION
DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE

B21HD05DE- प्रयोजनमलूक हिन्दी
(CBCS - UG) - Set A
2022-23 - Admission Onwards

Time: 3 Hours   Max Marks: 70

SECTION A

किन्हीं दस प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में लिखिए। (1×10 = 10 Marks)

1. मानक हिन्दी की लिपि क्या है?
2. हिन्दी भाषा के प्रयुक्तिपरक रूप को क्या कहते हैं?
3. 'Communication' शब्द का समानार्थी हिन्दी शब्द क्या है?
4. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया?
5. भारत के संविधान के तहत अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है?
6. 'राजभाषा आयोग' और 'राजभाषा संसदीय समिति' गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
7. टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है?
8. सरकारी पत्राचार में सबसे अधिक किस प्रकार के पत्र का उपयोग किया जाता है?
9. राजभाषा नियमावली 1976 के अनुसार सरकारी कार्यालयों में ज्ञापन किस भाषा में लिखे जाने चाहिए?
10. 'पारिभाषिक शब्दावली' शब्द का क्या अर्थ है?
11. संसदीय राजभाषा समिति कब गठित हुई?
12. प्रयोजनमूलक हिन्दी शब्द का अंग्रेजी में क्या पर्याय है?
13. विधी और कानूनी क्षेत्र में किन शब्दों का प्रयोग होता है?
14. साफ्टवेयर विकल्प के दो प्रकार के नाम लिखिए?
15. शब्द संसाधन क्या है?

SECTION - B

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दो या दो से अधिक वाक्यों में लिखिए। (2×5=10 Marks)

16. प्रयोजनमूलक हिन्दी का क्या मतलब है?
17. सर्जनात्मक भाषा की विशेषता क्या है?
18. अर्ध-पारिभाषिक शब्द का दो उदाहरण लिखिए?

19. 'पारिभाषिक शब्दावली' शब्द का अर्थ क्या है?

20. मशीनी अनुवाद से क्या तात्पर्य है?

21. द्विभाषिकता और बहुभाषिकता में क्या अंतर है?

22. हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का मुख्य कारण क्या था?

23. संविधान के तहत किस अनुच्छेद के माध्यम से राज्य अपने शासकीय प्रयोजनों के लिए किसी अन्य प्रादेशिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं?

24. सामान्य टिप्पण से क्या तात्पर्य है?

25. सरकारी पत्रों में पादलेख क्या होता है?

SECTION - C

किन्हीं छः प्रश्नों के उत्तर एक परिच्छेद में लिखिए। (5×6= 30 Marks)

26. राष्ट्र भाषा से क्या तात्पर्य है?

27. हिन्दी की उपभाषाओं का नाम लिखिए?

28. राजभाषा संकल्प 1968

29. सरकारी पत्र क्या है, नमूने के साथ प्रस्तुत कीजिए?

30. पंजीकरण से क्या तात्पर्य है?

31. सामान्य शब्दों पर टिप्पणी लिखिए।

32. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की परिचय दीजिए।

33. कार्यालयी हिन्दी की विशेषताएँ लिखिए।

34. हिन्दी भाषा के संप्रेषणीयता पर चर्चा कीजिए।

35. वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा प्रयुक्ति।

36. द्विभाविकता और बहुभाषिकता में क्या अंतर है?

37. 'संयुक्त द्विभाषिकता' से क्या तात्पर्य है?

SECTION - D

किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों के अन्दर लिखिए। (10×2=20 Marks)

38. प्रयोजनमूलक हिन्दी के विभिन्न रूपों पर चर्चा कीजिए।

39. सामान्य शब्दों एवं तकनीकी शब्दों के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए।

40. विभिन्न कार्यालयी पत्रों पर टिप्पणी लिखिए।

41. मीडिया और संचार की भाषा पर टिप्पणी लिखिए।

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

QP CODE: ………   Reg. No : ……….............
                                                        Name   : ………………...

FIFTH SEMESTER BA HINDI LANGUAGE AND LITERATURE EXAMINATION
DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE

B21HD05DE- प्रयोजनमलूक हिन्दी
(CBCS - UG) - Set B
2022-23 - Admission Onwards

Time: 3 Hours   Max Marks: 70

SECTION A

किन्हीं दस प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में लिखिए। (1×10 = 10 Marks)

1. भारत के संविधान के तहत अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है?
2. 'हिन्दी भाषा के विविध रूप' पुस्तक किसने लिखी है?
3. संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय भाषाओं के विकास हेतु दिशा-निर्देश दिए गए हैं?
4. हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था?
5. संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग गठित करने का प्रविधान किया गया है?
6. संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से राज्य अपने शासकीय प्रयोजनों के लिए किसी अन्य प्रादेशिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं?
7. 'मिनट' शब्द किस प्रकार की टिप्पणी को संदर्भित करता है?
8. 'Drafting' के लिए प्रयुक्त हिन्दी शब्द क्या है?
9. 'टिप्पणी' का क्या अर्थ है?
10. "Standard' शब्द का हिन्दी पर्यायवाची क्या है?
11. केंद्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना कब हुई?
12. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई?
13. भारत में पहला हिन्दी समाचार पत्र कौन सा था?
14. मशीनी अनुवाद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है?
15. वेंचुरा सॉफ़्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है?

SECTION - B

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दो या दो से अधिक वाक्यों में लिखिए। (2×5=10 Marks)

16. संपर्क भाषा किसे कहा जाता है?
17. सामान्य भाषा और साहित्यिक भाषा में क्या अंतर है?
18. प्रयोजनमूलक हिन्दी के विभिन्न रूप कौन-कौन से हैं?

19. राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?
20. प्रारूपण (Drafting) की दो विशेषताएँ लिखिए।
21. टिप्पणी के प्रकार क्या हैं?
22. सामान्य शब्दों के गुण क्या-क्या होते हैं?
23. केंद्रीय हिन्दी निदेशालय के चार क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ-कहाँ स्थित हैं?
24. भारतीय जनसंचार के इतिहास में पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ?
25. जिस्ट तकनीक (GIST Technology) किस उद्देश्य के लिए विकसित की गई है?

SECTION - C

किन्हीं छः प्रश्नों के उत्तर एक परिच्छेद में लिखिए। (5×6= 30 Marks)

26. राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है?
27. मानक भाषा से क्या तात्पर्य है?
28. राजभाषा अधिनियम, 1967 क्या है?
29. कार्यालयी मामलों के अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद की समस्याएँ क्या हैं?
30. पंजीकरण से क्या तात्पर्य है?
31. ज्ञापन से क्या तात्पर्य है? एक नमूना प्रस्तुत कीजिए।
32. तकनीकी शब्दों को गढ़ने में केंद्रीय हिन्दी निदेशालय की भूमिका क्या है?
33. शब्दावली निर्माण में आयोग की अधिकारिता पर चर्चा कीजिए।
34. जनसंचार माध्यम और हिन्दी।
35. साहित्यिक प्रयुक्ति क्या है?
36. लिप्यंतरण से क्या तात्पर्य है?
37. टेक्स्ट टॉप प्रकाशन क्या है?

SECTION - D

किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों के अन्दर लिखिए। (10×2=20 Marks)

38. प्रयोजनमूलक हिन्दी की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए।
39. विभिन्न कार्यालयी पत्रों पर टिप्पणी लिखिए।
40. प्रयोजनमूलक हिन्दी के महत्व और उपयोगिता पर चर्चा कीजिए।
41. पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के संबंध में विद्वानों के विभिन्न मतों पर चर्चा कीजिए।

SGOU

സർവ്വകലാശാലാഗീതം

വിദ്യയാൽ സ്വതന്ത്രരാകണം
വിശ്വപൗരരായി മാറണം
ഗ്രഹപ്രസാദമായ് വിളങ്ങണം
ഗുരുപ്രകാശമേ നയിക്കണേ

കൂരിരുട്ടിൽ നിന്നു ഞങ്ങളെ
സൂര്യവീഥിയിൽ തെളിക്കണം
സ്നേഹദീപ്തിയായ് വിളങ്ങണം
നീതിവൈജയന്തി പാറണം

ശാസ്ത്രവ്യാപ്തിയെന്നുമേകണം
ജാതിഭേദമാകെ മാറണം
ബോധരശ്മിയിൽ തിളങ്ങുവാൻ
ജ്ഞാനകേന്ദ്രമേ ജ്വലിക്കണേ

കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

Regional Centres

Kozhikode
Govt. Arts and Science College
Meenchantha, Kozhikode,
Kerala, Pin: 673002
Ph: 04952920228
email: rckdirector@sgou.ac.in

Thalassery
Govt. Brennen College
Dharmadam, Thalassery,
Kannur, Pin: 670106
Ph: 04902990494
email: rctdirector@sgou.ac.in

Tripunithura
Govt. College
Tripunithura, Ernakulam,
Kerala, Pin: 682301
Ph: 04842927436
email: rcedirector@sgou.ac.in

Pattambi
Sree Neelakanta Govt. Sanskrit College
Pattambi, Palakkad,
Kerala, Pin: 679303
Ph: 04662912009
email: rcpdirector@sgou.ac.in

प्रयोजनमूलक हिंदी

COURSE CODE: B21HD05DE

SGOU

YouTube

ISBN 978-81-982096-7-2

Sreenarayanaguru Open University
Kollam, Kerala Pin- 691601, email: info@sgou.ac.in, www.sgou.ac.in Ph: +91 474 2966841

9 788198 209672